भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण
न्यौछावर करने वाले हरियाणा के सभी
ज्ञात व अज्ञात शहीदों को समर्पित

1857 की जनक्रान्ति

में

हरियाणा का योगदान

स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में
प्रकाशित

लेखक
राम सिंह जाखड़

अभिलेखागार विभाग, हरियाणा

1999

स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रकाशित

प्रथम संस्करण : 1999

लेखक : राम सिंह जाखड़

प्रकाशक : अभिलेखागार विभाग, हरियाणा

मुद्रक : राजकीय प्रैस, हरियाणा



सन्देश

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि अभिलेखागार विभाग, हरियाणा, जाने-माने वयोवृद्ध लेखक एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामसिंह जाखड़ की अध्यक्षता में गठित एक सम्पादकीय मंडल के तत्वावधान एवं सम्पादन में भारतीय स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में "1857 की जनक्रान्ति में हरियाणा का योगदान" नामक शीर्षक से एक पुस्तक राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्रकाशित करने जा रहा है।

हमारे राष्ट्र के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 की निर्णायक भूमिका रही है जिससे भारतवासियों के हृदयों में देश को आजाद कराने की भावना को एक नई स्फूर्ति एवं उत्साह मिला था। न केवल स्वतन्त्रता के इस प्रथम संग्राम बल्कि समूचे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में हरियाणा के लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था तथा देश से विदेशियों को खदेड़ने में अनुपम वीरता एवं शौर्य का परिचय दिया था। इस आन्दोलन के दौरान कितने ही हरियाणा के स्वतन्त्रता-सेनानियों और देशभक्तों ने जेलों में जाकर विदेशियों के निर्दयी हाथों से कितने ही कष्ट सहे, गोलियाँ खाई और उन में से कितने ही हंसते-हंसते अपने प्राणों पर खेल गये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित हरियाणा के योगदान को विस्तार में वर्णित करके न केवल राज्य बल्कि देशभर के पाठकों विशेषकर युवा-पीढ़ी को हरियाणा के वीर राष्ट्रभक्त, स्वतन्त्रता सेनानियों और देशभक्तों के योगदान और उनकी गौरवगाथा से अवगत कराया जायेगा।

मैं पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिये अपनी मंगलकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि श्री रामसिंह जाखड़ जैसे मूर्धन्य लेखकों द्वारा युवकों में राष्ट्रभक्ति की ज्योति को जगाये रखने के लिये इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन भविष्य में भी होता रहेगा।

(महावीर प्रसाद)
राज्यपाल, हरियाणा



सन्देश

हर्ष का विषय है कि हरियाणा अभिलेखागार विभाग द्वारा श्री रामसिंह जाखड़ चेयरमैन, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति द्वारा "1857 की जनक्रान्ति में हरियाणा का योगदान" विषय पर लिखित पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है।

1857 की जनक्रान्ति देश को अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से आज़ाद कराने के लिये पहला कदम था। यह ऐसी क्रांति थी, जिसने अंग्रेजों को इस बात का अहसास करवाया कि भारत की पवित्र धरती उनके जुल्म को ज्यादा समय तक सहन नहीं करेगी और उन्हें इस देश को छोड़ के जाना ही होगा। आज़ादी की यह मशाल हमारे वीर जवानों, स्वतन्त्रता सैनानियों और देश पर मर मिटने वाले बांकुरों ने अपने लहू से रोशन की। अंग्रेजों ने इस जनक्रान्ति को अपने जुल्म से दबा जरूर दिया परन्तु इसकी चिंगारी को बुझा नहीं सके और यही चिंगारी धीरे-धीरे आज़ादी प्राप्ति के लिए शोला बन गई, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला।

आज़ादी की इस जंग में देश के लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दे दी। आज़ादी के इस जुनून को अंग्रेजी साम्राज्य रोक नहीं पाया और अंततः उन्हें देश छोड़ कर जाना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद करवाने के लिये जिन आदर्शों, सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को अपना हथियार बनाया था, वे इतने ताकतवर थे, जिनके सामने अंग्रेजी साम्राज्य के तमाम हथियार बेमानी हो गये थे। नैतिक मूल्य हमारे वो हथियार थे, जिनके सहारे इस महान् देश को गुलामी से आज़ाद कराने में सफलता मिली। आज़ादी के बाद देश के सामने नई चुनौतियाँ थीं। 50 वर्षों के बाद आज देश प्रगति के उन बुलन्दियों को छूने में सफल हुआ है, जिसके सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे। प्रगति की इन बुलन्दियों को बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों के पतन को रोकना होगा। नई पीढ़ी को यह बताना होगा कि हमारे पास सबसे बहुमूल्य दौलत हमारे नैतिक मूल्य ही रहे हैं और इन्हें खो देने से हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा।

हरियाणा को इस बात का गर्व है कि यहाँ प्राचीनकाल से ही शौर्य, राष्ट्र प्रेम, बलिदान व देश पर मर-मिटने की उच्च परम्पराएं रही हैं। स्वतन्त्रता आन्दोलन के

दौरान और उसके बाद देश की एकता एवं अखण्डता के लिए यहाँ के लोगों ने महान् बलिदान दिए हैं।

मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के प्रकाशन से नई पीढ़ी को 1857 की जन-क्रान्ति बारे बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मैं पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

(बंसी लाल)
मुख्य मन्त्री, हरियाणा



सन्देश

यह प्रसन्नता का विषय है कि हरियाणा अभिलेखागार विभाग श्री रामसिंह जाखड़ चेयरमैन, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति की अध्यक्षता में गठित एडिटोरियल बोर्ड के तत्वावधान में भारत की स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में "1857 की जनक्रान्ति में हरियाणा का योगदान" शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है।

हरियाणा के "कर्मठ किसान-जीवट जवान" ने सदा ही अन्न क्षेत्र से लेकर रणक्षेत्र में अपने शौर्य और बहादुरी के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ के वीर-बांकुरों ने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अतुल्य भूमिका निभाई थी तथा आज़ादी की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे। चाहे वह 1857 की जनक्रान्ति थी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आन्दोलन या नेता जी श्री सुभाष चन्द्र बोस का आह्वान, सभी में इस क्षेत्र के वीर-बहादुरों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था। आई. एन.ए. में बड़ी संख्या में सिपाही हरियाणा से थे।

हरियाणा सरकार स्वतन्त्रता सैनानियों का पूरा सम्मान करती है तथा उन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। नारनौल में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस मैमोरियल स्थापित किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक होगी। मैं पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

(राम सहाय वर्मा)
मुख्य सचिव, हरियाणा

सम्पादक मण्डल

8. श्री महावीर सिंह मान : सहायक-सदस्य
सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला मण्डल,
अम्बाला।

9. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तवा सहायक सदस्य
सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय अभिलेखागार, हिसार मण्डल,
हिसार।

विषय सूची

दो शब्द

माननीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने दिनाँक 12 मई 1998 को '1857 की जनक्रान्ति में हरियाणा का योगदान' पुस्तक को लिखने के आदेश दिये। उन्होंने चाहा कि 1857 की जनक्रान्ति में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की गई । कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इस विषय पर एक या दो अध्याय लिखे हैं परन्तु उनमें भी ठीक तरह से इसका वर्णन नहीं किया गया है। असलियत को छुपा कर कुछ ऐसे व्यक्तियों को महत्त्व दिया गया जिनका सरकारी रिकार्ड में कोई सबूत नहीं मिलता। उन्होंने इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दीं जिनका इस पुस्तक में प्रयोग भी किया गया है।

हरियाणा के लोगों ने इस जनक्रान्ति में दिल्ली पर सम्राट बहादुरशाह ज़फर का दोबारा अधिकार स्थापित कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया और बल्लबगढ के राजा नाहर सिंह, झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खाँ, फरूखनगर के नवाब अहमद अली गुलाम खाँ और बहादुरगढ़ के नवाब जंगबहादुर खाँ ने दिल्ली में सम्राट की सहायता के लिये घुड़सवार फौज और रसद आदि भेजी । इसके अतिरिक्त हिसार, सिरसा और हाँसी के क्रान्तिकारी हरियाणा इन्फैन्ट्री के विद्रोही सैनिकों के साथ दिल्ली आकर लड़े और 16 मई, 1857 को दिल्ली पर मुगल बादशाह का दोबारा अधिकार करा दिया। उन्होंने उत्तरी भारत से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। इसके अतिरिक्त सारे हरियाणा में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए हज़ारों लोग शहीद हो गये। बल्लबगढ के राजा, झज्जर, फरूखनगर और रानियां के नवाबों को फाँसी दी गई।

मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी ने आदेश दिए कि इन महान् शहीदों की याद में हिन्दी भाषा में एक इतिहास लिखा जाए ताकि नई पीढ़ी का 1857 की जनक्रान्ति के माध्यम से देशभक्ति का मार्ग प्रदर्शित होता रहे। उन्होनें यह भी कहा कि यह पुस्तक हरियाणा के स्थापना दिवस 1 नवम्बर 1998 तक पूरी हो जाना चाहिए। इसलिये मैनें यह पुस्तक लिखने का निश्चय किया।

भारत के इतिहास में 1857 की जनक्रान्ति एक विशेष महत्त्व रखती है। यह एक विस्तृत विप्लव था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला कर रख दी और जिसकी गूंज अगले सौ वर्षों तक भारतीय जन-मानस में सुनी जाती रही।

सन् 1600 ई० में इंग्लिस्तान की रानी एलिजाबेथ ने "ईस्ट इण्डिया कम्पनी" की स्थापना की। यह कम्पनी उन अंग्रेज व्यापारियों की थी, जो हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने की लालसा रखते थे ।

सन् 1608 ई० में मुगल बादशाह ने पहले पहल अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सूरत में एक कोठी बनाने और मुगल दरबार में इंग्लिस्तान का एक प्रतिनिधि (एलची) भी रखने की इजाज़त दे दी। सर टामसरो सन् 1615 ई० में पहला प्रतिनिधि (एलची) नियुक्त हुआ। शाहजहां के समय में अंग्रेज बंगाल में तिजारत करने में सफल हो गये।

आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेज़ भारत की आन्तरिक व राजनैतिक गतिविधियों में रूचि लेने लगे। 18वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों, डचों और फ्रान्सिसियों में से किसी की भी सत्ता भारत में कायम न रह सकी। भारत में अंग्रेज सौदागरों के राजनैतिक प्रभुत्व की नींव सन् 1757 में प्लासी के प्रसिद्ध मैदान में रखी गई।

सन् 1856 में लार्ड डलहौजी की जगह लार्ड कैनिंग ने भारत के गवर्नर-जनरल का पद संभाला। लार्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना सन् 1857 की प्रसिद्ध क्रान्ति थी जिसकी प्रचण्ड ज्वाला में एक बार इस देश के अन्दर अंग्रेज़ी राज का अस्तित्व तक भस्मी-भूत होता हुआ मालूम होता था । सन् 1857 की क्रान्ति की नींव वास्तव में सन् 1757 में प्लासी के मैदान में रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रान्ति में अनेक भारतीय सिपाहियों के मुख से यह नारा सुनाई देता था "आज हम प्लासी का बदला चुकायेंगे"। सन् 1857 की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्दू और मुसलमान नरेशों व नवाबों और भारतीय जनता दोनों की ओर से देश को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने की एक जबरदस्त और व्यापक कोशिश थी।

भारत की स्वतन्त्रता के लिए 1857 में देश के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें मुख्य भूमिका भारतीय विद्रोही सैनिकों की थी । 10 मई से 20 सितम्बर तक देश में हज़ारों अंग्रेज़ मारे गए और बहुत से अंग्रेजों को अंग्रेज परस्त भारतीयों ने अपने घरों में छिपा लिया। सम्राट बहादुरशाह का शासन दोबारा कायम हो गया, लेकिन कुछ भारतीय राजा, नवाब व सरकार परस्तों की सहायता से अंग्रेज यह क्रान्ति दबाने में सफल हुए ।

इस पुस्तक में केवल हरियाणा प्रान्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें उस समय अम्बाला, पानीपत, थानेसर, रोहतक, गुड़गाँव, हाँसी, सिरसा जिले सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त ग्यारह छोटी-बड़ी रियासतें थीं। इस पुस्तक में पानीपत और कैथल का इकट्ठा वर्णन किया गया है। इस तरह हाँसी, सिरसा और हिसार का भी इकट्ठा वर्णन किया गया है। पुस्तक में पृष्ठभूमि के बाद पहले अम्बाला, करनाल, रोहतक हिसार, गुड़गाँव आदि में हुए विद्रोह का वर्णन किया गया है। इसके बाद राजा बल्लबगढ़, नवाब झज्जर, नवाब फरूखनगर और नवाब रानियां आदि का उल्लेख

किया गया है जिनको अंग्रेज़ों द्वारा फाँसी पर लटका दिया गया था। इसके अतिरिक्त नवाब बहादुरगढ़, राव किशन गोपाल, राव तुलाराम, चौ. मोहन सिंह आदि मुख्य व्यक्तियों का भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। साथ ही जिन लोगों को गोली से उड़ाया गया था या फाँसी पर लटकाया गया था उनकी सूचियाँ भी संलग्न की गई हैं और 1857 की क्रान्ति से सम्बन्धित कुछ छाया चित्रों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस पुस्तक को लिखने के लिए हरियाणा सरकार, अभिलेखागार विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक 2/55/98-2 ए०ए०म० दिनाँक 8-9-98 को एक अधिसूचना जारी करके श्री राम सिंह जाखड अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति की अध्यक्षता में 8 सदस्यों के एक सम्पादक मण्डल का गठन किया। इस सम्पादक मण्डल में डॉ० राघवेन्द्र तवंर, प्रोफेसर, इतिहास, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, डॉ० परदमन सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास एम०डी०यू०, रोहतक एवं डॉ० हरी सिंह, अवकाश प्राप्त प्राचार्य को गैर सरकारी सदस्य के रूप में और डॉ० ब्रह्म दत्त, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, बरवाला, श्री बी० आर० रंगा, उप निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सदस्य के रूप में, श्री आई० जे० कपिल, उप निदेशक अभिलेखागार विभाग को सदस्य-सचिव एवं श्री महावीर सिंह मान, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला और श्री राजेश कुमार, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, हिसार को सहायक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस पुस्तक को सम्पादक मण्डल के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में लिखने एवं मण्डल के सदस्यों के सुझावों को पुस्तक में शामिल करने का कार्य मण्डल के दो सहायक सदस्यों श्री महावीर सिंह मान एवं श्री राजेश कुमार श्रीवास्तवा को सौंपा गया। इस मण्डल का कार्यकाल छः महीने तक रखा गया।

सम्पादक मण्डल की 2 बैठकें दिनाँक 17-9-98 और 18-9-98 को चण्डीगढ़ में हुई। मण्डल की तीसरी और चौथी बैठक दिनाँक 28-9-98 व 29-9-98 को, पाँचवीं 9-10-98 को तथा छठी एवं अन्तिम बैठक 16-10-98 को चण्डीगढ़ में सम्पन्न हुई और इन बैठकों में सदस्यों द्वारा दिये गए सुझावों को पुस्तक में शामिल किया गया।

सम्पादक मण्डल की पहली चार बैठकों में पुस्तक का मसौदा मण्डल के सदस्यों के सामने पढ़ा गया और सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को पुस्तक में शामिल करके पाँचवीं बैठक में मसौदा दोबारा बोर्ड के समक्ष रखा गया। मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों को पुस्तक में पुनः शामिल करने के बाद मण्डल की छठी और अन्तिम बैठक में पुस्तक प्रकाशन हेतू तैयार करके मुख्य मन्त्री महोदय के अनुमोदनोपरान्त अभिलेखागार विभाग को सौंप दी गई।

इस पुस्तक में शामिल की गई अधिकतर सामग्री राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, अभिलेखागार विभाग हरियाणा, पंचकूला एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार हिसार से प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त 1857 के विद्रोह पर लिखित पुस्तकों का भी सहारा लिया गया है। इस पुस्तक में तत्कालीन घटनाओं को दर्शाते हुये कुछ चित्र छापे गए हैं जो श्री सुन्दर लाल की पुस्तक "भारत में अंग्रेजी राज" से लिए गये हैं एवं उन व्यक्तियों के चित्र भी सम्मिलित हैं, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा मुकद्दमा चला कर फाँसी पर लटकाया गया था।

सम्पादक मण्डल को रिकार्ड उपलब्ध कराने, पुस्तक के मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य के लिए श्रीमती राजवन्ती मान, सहायक अभिलेखपाल, अभिलेखागार विभाग, हरियाणा धन्यवाद की पात्र है।

इस पुस्तक के लिखने में अभिलेखागार विभाग ने पूर्ण सहयोग दिया एवं प्रकाशन किया। श्री महावीर सिंह मान, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, अम्बाला व श्री राजेश कुमार श्रीवास्तवा, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेखागार, हिसार ने इस पुस्तक के लिखने में विशेष रूप से सहयोग दिया।

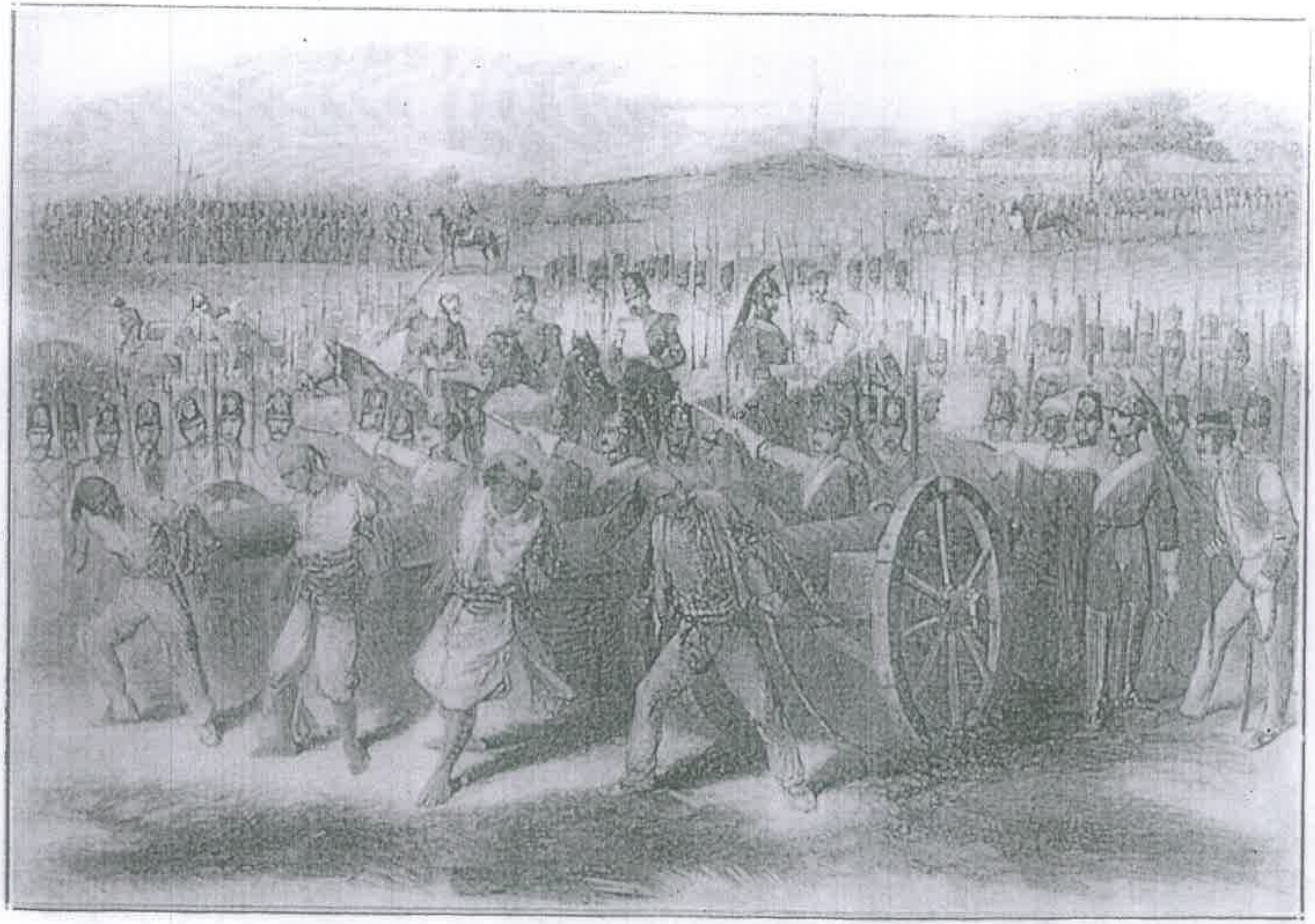
इस पुस्तक को सरल एवं आम बोल-चाल की भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि इस पुस्तक के लिखने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें।

रामसिंह जाखड़
अध्यक्ष,
हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति
चण्डीगढ़।

छाया-चित्रों की सूची



सम्राट बहादुरशाह ज़फ़र



जून 1857 में बग़ावत के सन्देह पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों का तोप के मुँह से उड़ाया जाना।



10 जून, सन् 1857 को पेशावर में हिन्दुस्तानी सिपाहियों का तोप के मुँह से उड़ाया जाना। ''तोपों की आवाज़ के साथ-साथ धुएँ में ऊपर चारों ओर टाँगें, हाथ और सिर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं''



सम्राट बहादुरशाह की गिरफ्तारी



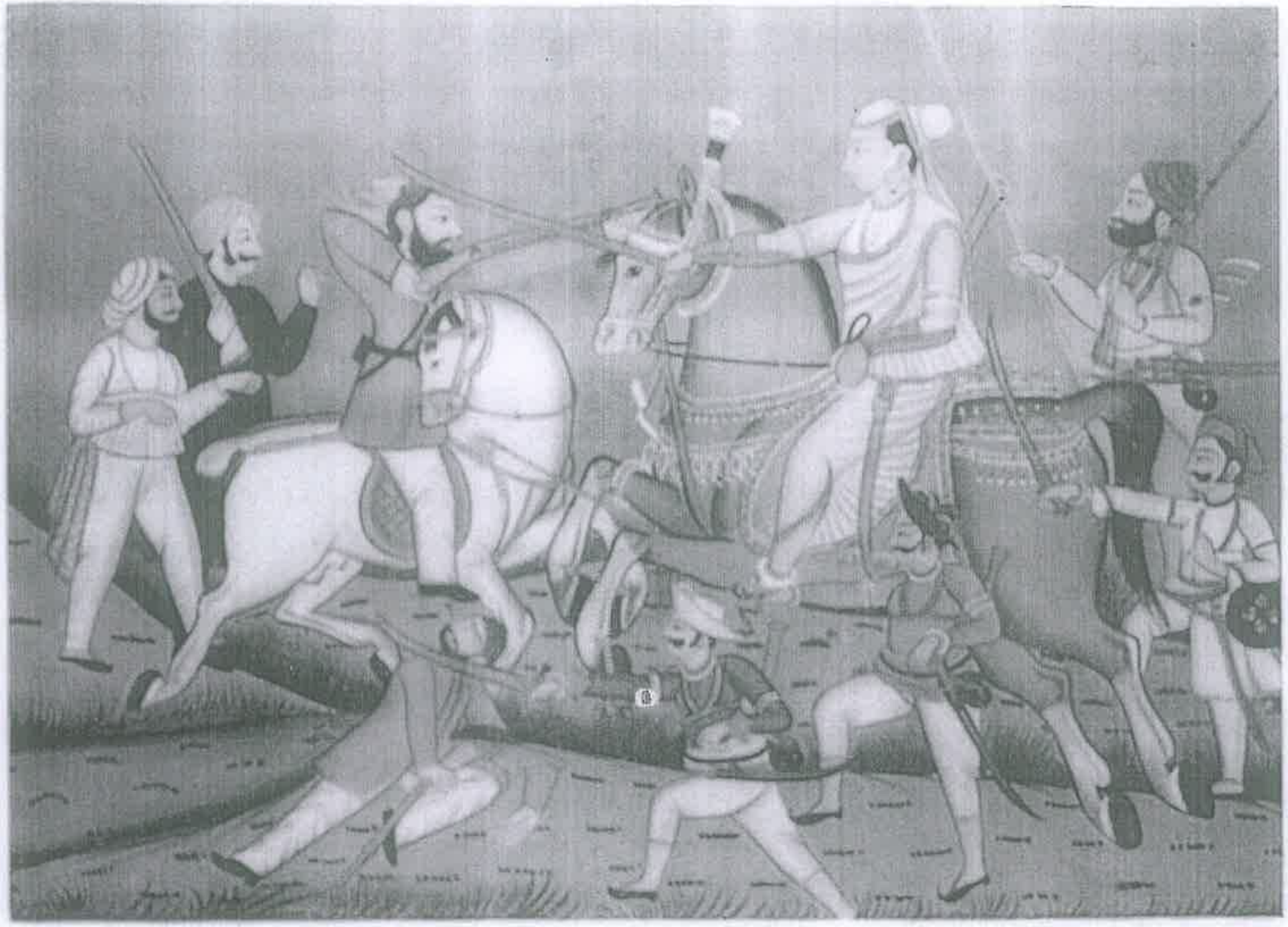
उस समय एक अंग्रेज़ कप्तान जी०एफ० एटकिनसन के हाथ का खाका जिसमें कप्तान हडसन द्वारा शहज़ादों की हत्या का दृश्य दिखाया गया है।



कप्तान जी०एफ० एटकिनसन के हाथ का एक व्यंग चित्र, जिसमें अंग्रेज़ प्राइज़ एजण्ट्स दिल्ली की लूट में मकानों को खुदवा कर गड़ा हुआ धन निकाल रहे हैं।



रानी लक्ष्मी बाई, झांसी का संग्राम



रानी लक्ष्मी बाई, मृत्यु से थोड़ी देर पूर्व

पृष्ठ भूमि

ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिये 1757 तक पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के बहुत से इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन लड़ाई करके नहीं बल्कि राजनैतिक तरीकों से कुछ सम्पन्न लोगों को अपने साथ मिलाकर। उन्होंने फ्रांसिसी व अंग्रेज़ सैनिकों के अतिरिक्त कुछ भारतीयों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करने से पूर्व ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के उच्च सैनिक अधिकारियों ने उस के रिश्तेदारों एवं कर्मचारियों को जो रियासत के मन्त्री पद पर भी थे, गुप्त रूप से अपने साथ मिला लिया। उसके बाद कम्पनी सेना ने हमला किया और सिराजुद्दौला की फौजों ने उनका कोई मुकाबला नहीं किया। इस प्रकार आसानी से कम्पनी सेना ने बंगाल के सूबे पर कब्जा कर लिया ।

अंग्रेजों की इस जीत के बाद उनका मनोबल बढ़ गया और धीरे-धीरे हिन्दुस्तोन के राजाओं और नवाबों को जीतते हुए 1798 से पहले दिल्ली आ पहुँचे। उस समय तक मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था और अंग्रेज़ हर साल बादशाह को सलाम करने और नज़राना भेंट करने के लिए दिल्ली दरबार में आया करते थे। लेकिन 1798 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। बादशाह केवल नाम मात्र का रह गया और उसकी बादशाहत भी केवल लाल किले तक सिमट कर रह गई।

मराठों को हराकर दौलत राव सिंधिया व ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के बीच 30 दिसम्बर 1803 को सिरजीअंजन गाँव की संधि हुई जिसके अनुसार मराठों के अधिकार वाले क्षेत्र, यमुना के उत्तर-पश्चिमी हरियाणा प्रदेश (करनाल, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, फिरोज़पुर-झिरका, तावडू, पाटौदी, बावल, पलवल, कैथल, फतेहाबाद, लड़सौली, सोहना, हथीन, सोनीपत, गोहाना, पानीपत, मुरथल, बेरी, बादली, लोहारी और पाटोदा) पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया । डेविड आक्टरलोनी को इस प्रदेश का रेजीडेंट नियुक्त किया गया ।

1803 में ही अंग्रेज़ जनरल लार्ड लेक ने भरतपुर रियासत के हरियाणा के इलाके पर हमला किया और इस इलाके को 1805 तक अपने कब्ज़े में कर लिया। भरतपुर व मराठों से लिए इलाके को 10 रियासतों में बाँट दिया। ये रियासतें जागीर के रूप में उन लोगों को दी गई जिन्होंने 1803 से 1805 तक भरतपुर रियासत के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। ये रियासतें बल्लबगढ़, बहादुरगढ़ (दादरी), फरूखनगर, फिरोज़पुर-झिरका, पाटौदी, दुजाना, लोहारू, रानियां व झज्जर थी।

सन् 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार उत्तर-पश्चिम प्रान्त की स्थापना हुई और आगरा को इस प्रान्त का सदर मुकाम बनाया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत हरियाणा प्रदेश नये प्रान्त के 6 मण्डलों में से एक था। इस मण्डल को दिल्ली डिवीजन का नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली था। दिल्ली डिवीज़न में हरियाणा के पानीपत, हांसी, सिरसा, रोहतक और गुड़गाँव जिले सम्मिलित किये गये।

अंग्रेजी शासन की स्थापना के पश्चात् उनके विरुद्ध लोगों में रोष की भावना बढ़ी और एक गम्भीर एवम् व्यापक विप्लव हुआ। कुछ राजनैतिक कारण थे जिनका प्रभाव पुराने शासक वर्ग पर पड़ा और भारतीयों की भावनाएं भी आहत हुई । सभी व्यक्ति चाहे हिन्दू हों या मुसलमान उनका अपनी पारम्परिक प्रथाओं के प्रति काफी लगाव था और उन्होंने सोचा कि अपने आत्मसम्मान के लिए स्वतन्त्रता बहुत जरूरी है। अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय सम्मान की भावनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। 1838 से जो साम्राज्यवादी विस्तार शुरू हुआ उससे सभी लोग हैरान रह गए कि यह विस्तारवाद कब रूकेगा। दूसरे सिक्ख युद्ध के बाद इस अंग्रेज़ी विस्तारवाद में कुछ कमी आने की संभावना हुई परन्तु डलहौजी की विलीनीकरण व अपहरण की नीति ने यह आशा धूमिल कर दी। इस कारण से सारे राजतन्त्र बेचैन हो गए। कई राज्यों को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस कारण से भी भारतीयों के लिए उच्च पद प्राप्त करने के वे सभी क्षेत्र सीमित रह गए जहाँ उच्च परिवारों के व्यक्तियों को हमेशा उच्च पदों की लालसा व इच्छा रहती थी। इस विलीनीकरण व अपहरण का प्रभाव यह पड़ा कि इससे एक ऐसा असन्तोष से भरा वर्ग तैयार हो गया जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए मौके की तलाश में था।

झांसी की रानी को पुत्र गोद लेने से वंचित कर दिया गया जिससे उसने सोचा कि उसे शासन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इस कारण से उसमें और उसके काफी अनुयायियों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध रोष पैदा हो गया। नाना साहब को पेशवा की उपाधि व पैन्शन से वंचित करने के कारण उनमें भी अंग्रेजों के प्रति रोष था। ऐसी ही असन्तोष की ज्वाला दिल्ली के मुगल शाही परिवार के दिल में पनप रही थी। उनको सन्देह था कि उनको राजकीय उपाधि से वंचित करके उनके शाही निवास लाल किले से उन्हें महरौली भेज दिया जायेगा। ग्वालियर के सरदारों में भी ऐसी ही असन्तोष की भावना पनप रही थी जिससे सिन्धिया सेना ने विद्रोह कर दिया । उनको कोई विशेष शिकायत नहीं थी परन्तु उनको आसपास की असन्तोषजनक घटनाओं से परेशानी हो रही थी। अवध के ताल्लुकदारों को भी विलीनीकरण व अपहरण का भय खाये जा रहा था। जैक्सन ने रायल सेना को तोड़कर व ताल्लुकदारी उपाधियों की छानबीन करके उनके भय को चरम सीमा तक पहुँचा दिया।

पुराने समय से चली आ रही जमींदारी व जागीरदारी प्रणाली के प्रति अंग्रेज़ों की कुठाराघात की नीति ने इस राजनैतिक असन्तोष को और भी बढा दिया। बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त से काफी मात्रा में पुराने ज़मींदार उजड गये थे। भारत की छोटी-बड़ी ज़मींदारियों के लिए 5वें के दशक में लार्ड डलहौजी ने 'ईनाम कमीशन' नाम की एक जांच कमेटी कायम की। इस कमेटी ने सारे भारत की लगभग 35,000 जागीरों और ईनामों की जांच की और 10 साल के अन्दर उनमें से करीब 21,000 को जब्त करके कम्पनी राज में मिला लिया। जिससे काफी मात्रा में मौलवी व ब्राह्मण वर्ग अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। यह वर्ग भी अपने क्रोध का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था।

लार्ड विलियम बैंटिक के भारत आने के सैंकडों साल पहले, हज़ारों पुराने घरानों और हज़ारों धार्मिक या शिक्षा सम्बन्धी या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को मुगल सम्राटों और हिन्दू व मुसलमान नरेशों व नवाबों की ओर से जगह-जगह माफी की जमीनें मिली हुई थी, जिन्हें 'लाखिराज' ज़मीन कहते थे। अभी तक अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत के अन्दर इन माफी की ज़मीनों में हस्तक्षेप न किया था। बैंटिक ने भारत पहुंचते ही हर ज़िले के कलैक्टर को यह अधिकार दे दिया कि वह अपने जिले के अन्दर की जिस 'लाखिराज' जमीन को उचित समझे कम्पनी के नाम जब्त कर ले। इस अन्याय ने उस समय के हज़ारों खुशहाल भारतीय परिवारों को बर्बाद कर दिया और हज़ारों प्राचीन धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी और दूसरी संस्थाओं का अन्त कर दिया।

अंग्रेजों ने जो सुधार किए उनसे यहाँ की आम जनता विशेषकर यहाँ का धार्मिक समुदाय अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। यहाँ की जनता को लगा कि अंग्रेज़ फिजूल में उनके रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा बन्द करने, बालिका वध निषेध, यूरोपिय विज्ञान् व चिकित्सा पद्धति लागू करने, भारतीय शिक्षा की जगह पश्चिमी शिक्षा शुरू करने और रेल व डाक तार की शुरूआत इत्यादि का हिन्दुओं ने विरोध किया। इसाई धर्म प्रचार, विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति एवम् हिन्दू धर्म परिवर्तन के बाद भी सम्पत्ति के अधिकार इत्यादि के कारण यहाँ का हिन्दू समाज अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया।

मुस्लिम मौलवियों के फौजदारी अदालतों के अधिकार नहीं रहे और वे अंग्रेज़ी राज को हिन्दू राज से अच्छा मानते रहे, लेकिन तभी तक जब तक कि उनके रीति-रिवाजों व धार्मिक संस्थाओं पर अंग्रेज़ों ने कुठाराघात नहीं किया। भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत, इसाई धर्म का प्रचार, रेल व डाकतार की शुरूआत का उन्होंने हिन्दुओं की तरह ही विरोध किया। अवध के राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया जिससे अवध के नवाब का पतन हो गया, इससे शिया समुदाय अंग्रेज़ों

के खिलाफ हो गया। जब अंग्रेज़ों द्वारा मुगल सम्राट की बार-बार बेइज्ज़ती व निन्दा की गई तो सुन्नी मुसलमान भी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गये। पश्चिमी शिक्षा के प्रारम्भ हो जाने तथा अनेक अंग्रेज़ी स्कूल खुल जाने से ब्राह्मणों और मौलवियों का बहुत सा प्रभाव और सम्मान जाता रहा। उन्होंने अपनी इस अवनति के लिए अंग्रेजों को ही ज़िम्मेदार ठहराया और उनसे बदला लेने के लिए अपनी-अपनी जाति के लोगों को उनके विरुद्ध भड़काने तथा अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध उत्तेजित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया।

दिल्ली में 1835 में विलियम फ्रेज़र की हत्या, फिरोजपुर झिरका रियासत के उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले में दखल अन्दाजी का ही परिणाम थी। अंग्रेजों ने यहां नई राजस्व प्रणाली लागू की। 1820 में इस क्षेत्र की सैटलमैन्ट का काम पूरा कर लिया गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए । उन्हें अपनी फसल का आधे से ज्यादा भाग कर के रूप में देना पड़ता था । सरकारी करों की वसूली नकदी के रूप में होती थी यदि गांव से कर वसूल नहीं होते तो मुखिया को कैद कर लिया जाता था। राजस्व कर की देनदारी इतनी ज्यादा थी कि किसान उसे दे नहीं पाते थे और उस हालत में उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ती थी। अत: स्वाभाविक था कि नए प्रशासन के विरुद्ध इस कृषि प्रधान क्षेत्र के किसानों में उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो। यहाँ के काफी नौजवान कम्पनी की फौज में भर्ती थे जिनकी पदोन्नति अन्य भारतीयों की तरह ही सूबेदार से अधिक न थी। वे भी इस कारण से अंग्रेजों से नाराज़ थे व उनसे बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। यहाँ की जनता ने अंग्रेज़ी शासन को शका व घृणा की दृष्टि से देखा और अंग्रेजों ने इस प्रदेश के लोगों को खतरनाक विद्रोही समझा। लगभग 55 वर्ष के ब्रिटिश शासन ने इस हद तक जन-जीवन को अशान्त बना दिया कि यहाँ का जन-जन गोरों के खून का प्यासा बन गया और सशस्त्र क्रान्ति में कूद पड़ने को तैयार हो गया।

उपरोक्त राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से एक बारूद से भरे मकान के समान वातावरण तैयार हो गया था, जिसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। वह चिंगारी दी चर्बी वाले कारतूसों ने।

1857 की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्दू और मुसलमान नरेशों व नवाबों और भारतीय जनता, दोनों की ओर से देश को विदेशियों की राजनैतिक अधीनता से मुक्त कराने की एक ज़बरदस्त और व्यापक कोशिश थी। 1857 की क्रान्ति की नींव वास्तव में 1757 के मैदान में रखी गई थी। प्लासी के समय से ही भारतवासियों के दिलों में अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध क्रोध और असन्तोष के भाव बढते जा रहे थे। क्लाईव के समय से लेकर डलहौज़ी के समय तक जिस तरह कम्पनी के

प्रतिनिधियों ने अपने वादों और हस्ताक्षरित सन्धियों की परवाह न कर भारत के अनगिनत राजकुलों को पददलित किया और उनकी रियासतों को एक-एक कर अंग्रेज़ी राज्य में शामिल किया, देश के प्राचीन उद्योग-धन्धों को नष्ट करके लाखों भारतवासियों को बेरोज़गार किया, बेगमों और रानियों के महलों में घुसकर उन्हें लूटा और उनका अपमान किया, जमींदारों की जमींदारियां जब्त करके हजारों घरानों को खत्म किया, लाखों भारतीय किसानों को उनकी पैतृक जमीनों से बेदखल कर दिया, भारत के नवाबों और राजाओं पर तरह-तरह के टैक्स लगाए और उनकी सैनिक शक्ति कम कर दी, हर रियासत पर एक-एक रेजीडैंट नियुक्त कर दिया और लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार किये, इन सब कारणों से जनता के अतिरिक्त भारतीय सैनिकों में भी कम्पनी के विरुद्ध रोष बढ़ गया।

सन् 1856 में सरकार ने पुरानी बन्दूकों की जगह नई रायल एन्फील्ड राईफलें बनाई। इन बन्दूकों में जो कारतूस डलते थे वे गाय और सुअर की चर्बी से बनते थे। इनका फीता दांत से काट कर बन्दूक में कारतूस डाला जाता था। इस स्कीम को सन् 1857 में लागू कर दिया गया। इसके बाद बंगाल की सेना को इस तथ्य की खबर हो गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इस पर हिन्दू एवं मुसलमान सैनिक भड़क उठे और इस तरह असन्तोष का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अन्त में 10 मई 1857 को मेरठ व अम्बाला की छावनियों में विद्रोह हो गया।

घटना इस प्रकार घटी :-

6 मई को मेरठ छावनी के गोरे अधिकारियों ने भारतीय सिपाहियों की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए रसाले के 90 जवानों को नये कारतूस प्रयोग करने का आदेश दिया। केवल 5 सैनिकों ने आदेश का पालन किया। दूसरी बार आदेश का पालन न करने वाले सैनिकों को कहा गया कि वे नये कारतूसों का प्रयोग करें, परन्तु सैनिकों ने फिर आदेश नहीं माना और अपनी बैरकों में चले गये। जब यह समाचार अंग्रेज जनरल को पहुँचा तो उसने 85 सिपाहियों के कोर्ट-मार्शल का आदेश दे दिया और सबको 8 से 10 वर्ष की कड़ी सज़ा सुना दी और हथियार छीन लिये गये।

9 मई के दिन सभी भारतीय सैनिकों को मैदान में एकत्र किया गया और उनके सम्मुख उन 85 सैनिकों को अपनी वर्दी उतार देने का आदेश दिया गया। देशभक्त सैनिकों की वर्दियाँ फाड़ दी गई तथा उन्हें हथकड़ी पहना दी गई और जेल भेज दिया गया, जिससे भारतीय सैनिकों में उत्तेजना पैदा हो गई और वे इस ज़ुल्म को सहन न कर सके।

संध्या के समय जब कुछ सैनिक मेरठ के बाजार में घूम रहे थे तो मेरठ की महिलाओं ने उन्हें चूड़ियाँ भेंट की और कहा ---- "तुम्हारे भाई जेल में पड़े हैं और

तुम सैर सपाटे में लीन हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर"। इस घटना ने सैनिकों के दिलों के घावों पर नमक छिड़कने का कार्य किया।

10 मई को रविवार के दिन 10 नम्बर रेजीमैंट ने फैसला किया कि गोरे जब चर्च में एकत्रित होंगे तो हर-हर महादेव व अल्लाह-हो-अकबर के साथ क्रान्ति का नाद बज उठेगा। चर्च में प्रार्थना समाप्त हो गई। भारतीय सैनिक योजनानुसार गोरों पर टूट पड़े। जब यह सूचना शहर में पहुँची तो वहाँ भी बगावत शुरू हो गई।

देखते-देखते पूरी मेरठ छावनी से गोरों का सफाया कर दिया गया और इसके बाद दिल्ली जाने की योजना भी बनाई गई। दूसरे सभी विद्रोहियों ने मेरठ से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिया। डाक-तार व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया जिससे दिल्ली तक पहुँचने से पहले मेरठ के समाचार बाहर ना जा सके। अपने सैनिक बन्दियों को भी जेल से छुड़वा लिया गया था। रातों-रात मेरठ के देशभक्त सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ चले थे।

अगले दिन प्रातः आठ बजे मेरठ के अग्रिम सैनिक दस्तों ने यमुना पार की। हजारों कण्ठों से उद्घोषित हुआ -"जय जमुना जी"। दिल्ली के गोरे अधिकारियों को जब यह पता चला कि विद्रोही सैनिक दस्ते दिल्ली की चारदीवारी के बाहर खड़े हैं तो वे स्तब्ध रह गये। 54वीं रेजीमैंट के कर्नल रिपले ने अपने सिपाहियों को विद्रोहियों का मुकाबला करने को कहा। ज्यों ही दोनों सैनिक दस्ते आमने-सामने आये . दोनों तरफ से 'मारों फिरंगी को' के नारे गूँज उठे। कर्नल ने कहा "यह क्या है"? और इस प्रश्न का उत्तर उसे मिला एक गोली से। वह वहीं ढेर हो गया।

तभी कश्मीरी दरवाजे से देशभक्त सैनिकों ने "फतह" के नारे लगाते हुए देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया। "हर-हर महादेव"और "दीन-दीन" के जयघोष आकाश में गूँज़ रहे थे। पूरा दिल्ली नगर सैनिकों के स्वागत में उमड पड़ा।

मेरठ के सैनिकों का दूसरा दल कलकत्ता दरवाजे से दिल्ली में दाखिल हुआ। दरियागंज के बंगलों को आग लगा दी गई। जहाँ भी कोई गोरा अफसर मिला, उसका सिर काट कर नेजों पर टाँग लिया गया। देशभक्त सैनिकों की मंजिल थी -ऐतिहासिक लाल किला। बड़ी तीव्र गति से बागी सैनिक दस्ते लाल किले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। बहादुरशाह जफ़र के नाम के नारों से आकाश गूँज रहा था। किले में स्थित गोरे अफसरों को मार डाला गया। दिल्ली से अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका था। सब कुछ इतनी तीव्र गति से हुआ कि फिरंगी सम्भल भी नहीं पाए।

सैनिकों ने दीवाने-खास में बहादुरशाह के साथ एकत्र होकर आगे की योजना पर विचार किया। तभी मेरठ के तोपखाने ने लाल किले पर पहुँच कर बहादुरशाह

को इक्कीस तोपों की सलामी देकर, उसका सम्मान किया और बादशाह ने खुश हो कर सैनिकों का अभिवादन किया और हजारों आवाजें एक साथ गूँजी "बादशाह सलामत की जय"। क्रान्तिकारियों ने कहा, " बादशाह सलामत मेरठ और दिल्ली में फिरंगी हार चुके हैं और पेशावर से कलकत्ता तक फिरंगी के विरुद्ध बग़ावत की ज्वाला भड़क उठी है और आपके हुक्म का इन्तजार कर रहे हैं। आप आजादी का झण्डा सम्भालें और हमारा नेतृत्व करें"। हिन्दुस्तान के बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं था,उनको अपने पूर्वज शहंशाह अकबर की याद हो आई थी जिसने अपने समय में पूरे देश को एक सूत्र में बाँध दिया था. परन्तु तभी बादशाह को अपनी विवशताओं की याद हो आई। उन्होंने क्रान्तिकारियों से कहा, "मेरे पास खज़ाना नहीं है। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ ?" यह सुनते ही क्रान्तिकारियों ने बुलन्द आवाज़ में कहा, "हमें कुछ नहीं चाहिए, हम फिरंगियों के खज़ानों को लूटकर आपके खज़ाने को भर देंगे "।

16 मई 1857 तक दिल्ली में फिरंगियों का पूरी तरह सफाया कर देने का अभियान चलता रहा। क्रान्तिकारी सैनिकों ने पचास गोरे बन्दियों को खुले मैदान में लाकर हजारों दिल्ली निवासियों के सामने गोली से उड़ा दिया। जिस भी ईमारत, स्थान या वस्तु से अंग्रेजी नाम चिपका हुआ था, उसे भी नष्ट कर दिया गया। बहुत से अंग्रेज़ दिल्ली से देहात में भाग गए। वहाँ पर भी बच न सके। 16 मई, 1857 को दिल्ली फिरंगी शासन से मुक्त हो गई। दोबारा लाल किले पर हरा झण्डा फहरा दिया गया और इसी के साथ दिल्ली के आसपास और दूसरे प्रान्तों में भी फिरंगियों के विरुद्ध बगावत फैल गई।

दिल्ली विजय करने में हरियाणा का योगदान सर्वप्रथम रहा। कमाण्डर-इन-चीफ के मीर मुंशी रज़ब अली खान द्वारा एक सूची तैयार की गई जिसमें यह दर्शाया गया था कि किस स्थान से कितनी भारतीय सैनिक टुकड़ियों ने बगावत की और दिल्ली पहुँची। 11 मई 1857 को मेरठ से तीसरी रेग्यूलर कैवेलरी के 300 जवान और 11वीं व 12वीं नेटिव इन्फेन्ट्री के 200 जवान, दिल्ली से 38वीं, 54वीं और 7वीं इन्फेन्ट्री के 300 जवान 6 तोपों और हार्स लाईट फील्ड बैटरी के साथ और मथुरा से 5 जून 1857 को चौथी इरेगूलर कैवेलरी के 200 सवार एवं 44वीं और 67वीं नेटिव इन्फेन्ट्री के 100 जवान दिल्ली पहुँचे। बड़े गर्व व सम्मान के साथ कहा जा सकता है कि 14 जून 1857 को चौथी इरेगूलर कैवेलरी हाँसी के 400 घुड़सवार, हरियाणा बटालियन के देशभक्त सैनिक, 300 सैनिक झज्जर से, 200 सैनिक दादरी से और 100 घुड़सवार व सैनिक बल्लबगढ़ से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए दिल्ली पहुँचे।

4 मास और 7 दिन दिल्ली पर बहादुरशाह जफ़र का अधिकार रहा और इसके बाद देशी राजाओं पटियाला, जीन्द, नाभा की सैनिक सहायता व अंग्रेज परस्तों के

सहयोग से अंग्रेज़ी सेना ने 20 सितम्बर, 1857 को दिल्ली पर पुन: अधिकार कर लिया। इसके बाद देश के दूसरे क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया और क्रान्तिकारियों पर दमन चक्र चलाया।

1857 के जनक्रान्ति में हरियाणा के लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग इसमें सक्रिय रहे। वे निर्दयतापूर्ण शासन के विरुद्ध एकत्रित हुए । 10 मई 1857 को 60वीं और 5वीं रेजीमेंटों ने अम्बाला में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। विद्रोही सिपाहियों ने रेजीमेंट के स्टोर में रखे हथियारों पर कब्जा कर लिया और यूरोपियन अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। सिपाहियों की तरह साधारण नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या व्यवसाय मे थे, अंग्रेजो के विरुद्ध खड़े हो गए और देखते ही देखते यह विद्रोह जनक्रान्ति में परिवर्तित हो गया।

विद्रोह के शुरू होते ही पानीपत के मैजिस्ट्रेट मैक्व्हिरटर की हत्या कर दी गई। विद्रोहियों ने समालखा पर कब्जा कर लिया और नौलथा जैल के 16 जाट गॉवों ने राजस्व देने से इन्कार कर दिया तथा वे रोहतक जिले के विद्रोह में सम्मिलित हो गए। भालसी व कुराना ज़ैल के 19 गाँवों ने विद्रोह कर दिया, सरकारी भवन जला दिये, हत्याएँ की और राजस्व देने से इन्कार कर दिया । बुअली कलन्दरशाह व पानीपत के धार्मिक स्थलों में बग़ावत का प्रचार खुले आम किया गया। सिवान, असन्ध, जलमाना, गोंधर, सालवान, बला व डाचर गाँवों ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में हिस्सा लिया।

विद्रोही विशेषत: रोहतक से अंग्रेजी सेना के सिपाही तफज्ज़ल हुसैन जो कि बादशाह बहादुरशाह का दूत था, के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने सांपला पर हमला किया और अंग्रेज़ों के मकानों को जला डाला। महम, मदीना और मान्डोठी के कस्टम बंगलों को जला दिगा गगा। खरखौदा में विद्रोही अंग्रेजों के साथ लड़े। झज्जर, दादरी और फारूखनगर के नवाबों ने विद्रोह में भाग लिया और बादशाह की धन एवं सेना से सहायता की।

बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बादशाह बहादुरशाह की बहुत मदद की। उसने दफेदार कलन्दर बख्श के अधीन एक घुड़सवार सेना भेजी। उसने बादशाह की सेना के लिए सिपाही और रसद भेजी और विद्रोह के दौरान ब्रिटिश परगने पलवल और फतेहपुर पर अधिकार कर लिया और शानदार लड़ाई लड़ी।

मेवाती अपने नेताओं एवं चौधरियों के अधीन अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मेज़र ईडन की सेना को तावडू और सोहना के बीच में गाँव वालों के हाथों कड़े

विरोध का सामना करना पड़ा। 15,000 मेवों ने कैप्टन ड्रमंड की सेना से रूपड़ाका में कड़ा संघर्ष किया। बरोटा, रिवासन और घसेड़ा के गाँव वाले अंग्रेज़ों से वीरतापूर्वक लड़े। रिवाड़ी के सहायक मैजिस्ट्रेट मि० क्लीफोर्ड सोहना में मारे गए। रिवाड़ी के राव तुला राम विद्रोहियों से मिल गए। झज्जर के अब्दुल समद खाँ और भट्टू के शहजादा मोहम्मद अज़ीम, राव किशन गोपाल के नेतृत्व में नारनौल के निकट नसीबपुर (झज्जर) में लड़े। मेवात में सैंकड़ों आन्दोलनकारियों को फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

हिसार, हाँसी और सिरसा में क्रान्तिकारियों ने जिनमें अधिकतर रांगड़ (मुस्लिम राजपूत) थे अंग्रेज़ों का सफाया कर दिया और अपना शासन कायम कर लिया। रानियां के नवाब नूर समद खाँ ने भी अंग्रेजों का मुकाबला किया और उसके 600 जवान मारे गए और बाद में अंग्रेज़ों ने उसे फाँसी पर चढ़ा दिया।

हाँसी में विद्रोही लाला हुकम चन्द जैन के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और 11 यूरोपियनों को मार डाला। रोहनात, मंगाली, जमालपुर, हाजिमपुर, ओढा, भट्टल और अलीपुर के लोगों ने शानदार संघर्ष किया।

रोहनात गाँव को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और दूसरे गाँवों को भी जला दिया गया। हाँसी की सड़क पर सैंकड़ों की संख्या में लोगों को रोलर (गिरड़ी) से कुचलवा दिया गया। आज तक इस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। हिसार में विद्रोहियों ने वहाँ के ज़िलाधीश वैडरबर्न की हत्या कर दी तथा हिसार के तहसीलदार डेविड थामसन को उनके चपडासी ने मार दिया।

इस प्रकार से जनता का आक्रोश अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध एक भयंकर रूप धारण करते हुए भारत से अंग्रेज़ी सरकार को जड़ से उखाड़ने में प्रयत्नशील हो गया। धीरे-धीरे यह विद्रोह आम जनता में फैल गया।

राम सिंह जाखड़
अध्यक्ष,
हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति,
चण्डीगढ।

अम्बाला

अम्बाला छावनी में नए कारतूसों को लेकर मार्च 1857 में ही बेचैनी पैदा हो गई थी और भारतीय सैनिकों व अन्य लोगों ने छावनी के अंग्रेज अधिकारियों व उनके सहायक भारतीयों के मकान इत्यादि को आग लगा दी और कुछ को आग लगाने का प्रयत्न किया। उनका विवरण निम्नलिखित है :

मार्च 26,1857	शस्त्रागार में कार्यरत नेटिव इन्फैन्ट्री की 36वीं रेजीमेंट के सूबेदार हरबन्स सिंह के मकान को जलाने का प्रयत्न।
अप्रैल 13, 1857	यूरोपियन-शस्त्रागार का छप्पर जलाया गया ।
अप्रैल 15, 1857	नेटिव इन्फैन्ट्री की 60वीं रेजीमेंट के बैरक प्रशिक्षक, बूचर के नौकरों के मकानों को जला दिया ।
अप्रैल 16, 1857	अस्पताल (28वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना) जिसमें यूरोपियनों का शस्त्र भण्डार था, में आग लगाने का प्रयत्न किया गया और नं० 9 स्वदेशी पैदल सेना बैरक, जिसमें यूरोपियन सिपाहियों के लिए बियर के 442 पीपे थे, को भी आग लगा दी गई।
अप्रैल 17, 1857	50वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना की बैरकें व लैफ्टीनैंट व्हीटिंग के बंगले में आगजनी, 60वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना के लैफ्टीनैंट वाल्टर के घुड़साल में आग लगाने का प्रयास।
अप्रैल 19, 1857	60वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना की बैरकें, लैफ्टीनैंट क्रेगल का मकान, 36वीं रेजीमेंट रौस, 9 वीं रेजीमेंट कोर्नफील्ड व तीसरी रेजीमेंट के इन शस्त्रागारों से सम्बन्धित अधिकारियों के अस्तबल जला दिए तथा श्योनारायण सिंह, सूबेदार तीसरी कम्पनी, 5वीं रेजीमेंट, स्वदेशी पैदल सेना के मकान को आग लगाई गई और ग्राण्ड ट्रंक रोड की सिविल पुलिस चौकी को भी जलाने का प्रयत्न किया।
अप्रैल 20, 1857	5वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना बैरकों के जमादार और हवलदार के घरों को जलाने का प्रयास किया। वे दोनों शस्त्रागार में कार्यरत थे।

अम्बाला

अम्बाला छावनी में नए कारतूसों को लेकर मार्च 1857 में ही बेचैनी पैदा हो गई थी और भारतीय सैनिकों व अन्य लोगों ने छावनी के अंग्रेज अधिकारियों व उनके सहायक भारतीयों के मकान इत्यादि को आग लगा दी और कुछ को आग लगाने का प्रयत्न किया। उनका विवरण निम्नलिखित है :-

मार्च 26,1857	शस्त्रागार में कार्यरत नेटिव इन्फैन्ट्री की 36वीं रेजीमेंट के सूबेदार हरबन्स सिंह के मकान को जलाने का प्रयत्न।
अप्रैल 13, 1857	यूरोपियन-शस्त्रागार का छप्पर जलाया गया ।
अप्रैल 15, 1857	नेटिव इन्फैन्ट्री की 60वीं रेजीमेंट के बैरक प्रशिक्षक, बूचर के नौकरों के मकानों को जला दिया ।
अप्रैल 16, 1857	अस्पताल (28वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना) जिसमें यूरोपियनों का शस्त्र भण्डार था, में आग लगाने का प्रयत्न किया गया और नं० 9 स्वदेशी पैदल सेना बैरक, जिसमें यूरोपियन सिपाहियों के लिए बियर के 442 पीपे थे, को भी आग लगा दी गई।
अप्रैल 17, 1857	50वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना की बैरकें व लैफ्टीनैंट व्हीटिंग के बंगले में आगजनी, 60वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना के लैफ्टीनैंट वाल्टर के घुड़साल में आग लगाने का प्रयास।
अप्रैल 19, 1857	60वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना की बैरकें, लैफ्टीनैंट फ्रैंगल का मकान, 36वीं रेजीमेंट रौस, 9 वीं रेजीमेंट कोर्नफील्ड व तीसरी रेजीमेंट के इन शस्त्रागारों से सम्बन्धित अधिकारियों के अस्तबल जला दिए तथा श्योनारायण सिंह, सूबेदार तीसरी कम्पनी, 5वीं रेजीमेंट, स्वदेशी पैदल सेना के मकान को आग लगाई गई और ग्राण्ड ट्रंक रोड की सिविल पुलिस चौकी को भी जलाने का प्रयत्न किया।
अप्रैल 20, 1857	5वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना बैरकों के जमादार और हवलदार के घरों को जलाने का प्रयास किया। वे दोनों शस्त्रागार में कार्यरत थे।

अप्रैल 21, 1857	60वीं रेजीमेंट स्वदेशी पैदल सेना, की 6वीं कम्पनी के 6-7 मकान जला दिए गए जिनमें उन सिपाहियों का सामान था जो छुट्टियों पर गए हुए थे।
अप्रैल 22, 1857	5वीं बटालियन स्वदेशी पैदल सेना के मैस को आग लगा दी गई; यूरोपियन पैदल सेना के मेजर लाफटन के अस्तबल को जलाने का प्रयास किया गया।
अप्रैल 23, 1857	9वीं लांसर सैनिक बैरक शस्त्रागार में कार्यरत कैप्टन सांडर्स, जो 41वीं रेजीमेंट स्वदेशी पैदल सेना से सम्बन्धित थे, के मकान को जलाने का प्रयास ।
अप्रैल 25, 1857	9वीं लांसर बैरक- बैण्ड मास्टर का मकान, और 9वीं लांसर की सम्पत्ति जला दी गई ।
अप्रैल 26, 1857	9वीं घुड़सवार सेना क्षेत्र के प्रशिक्षक तथा लैफ्टीनैंट शा के मकान को दिन में जलाने का प्रयास किया गया ।
मई 1, 1857	5वीं रेजीमेंट स्वदेशी पैदल सेना के सिपाही बैजनाथ के मकान को जला दिया गया ।

5वीं स्वदेशी पैदल सेना के एक सिपाही शाम सिंह ने तत्कालीन उपायुक्त, अम्बाला फोरसिथ को अप्रैल 1857 के अन्त में बताया कि मई के आरम्भ में सिपाहियों का एक विद्रोह होगा और उनकी योजना के अनुसार कई स्थानों पर यूरोपियनों का खून बहाया जायेगा । यह सही साबित हुआ। 10 मई 1857, रविवार को प्रातः करीब 9 बजे 60वीं स्वदेशी पैदल सेना की भारतीय टुकड़ी ने अम्बाला में खुला विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 एवं 11 मई, 1857 को जारी हुए तार की प्रतियाँ जिले के विवरण के बाद प्रस्तुत की गई हैं जिनमें 60वीं एवं 5वीं बटालियनों की उत्तेजक स्थिति की एवं मेरठ के सिपाहियों द्वारा अंग्रेज़ों के बंगले जलाये जाने की वजह से कार्यालय छोड़ देने की सूचनाएं हैं ।

अप्रैल 1857 के आखिरी सप्ताह में जनरल एच. बर्नाड अम्बाला पहुँचे और उसने स्वदेशी सैनिकों में असंतोष होने व अम्बाला छावनी में आगज़नी की घटनाओं की जिला पुलिस से जांच करवाने के आदेश दिए। उसकी यह सख्त हिदायत थी कि जाँच की रिपोर्ट जनता में न बताई जाए ताकि वह व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी कमाण्डर-इन-चीफ को दे सकें । ज्वाला नाथ, कोतवाल अम्बाला ने 5वीं रेजीमेंट के शाग सिंह नामक एक सिक्ख सिपाही को यातना देकर उससे यह सारी जानकारी एकत्रित करके देने को कहा। हिन्दू और मुसलमान उन दिनों अपने धर्म

की रक्षा के लिये बिल्कुल संगठित थे और आपस में जो उनकी बातचीत हुआ करती थी उस बारे सामान्य तौर पर सिपाहियों में उसकी चर्चा नहीं करते थे। धीरे-धीरे उनकी धर्म के प्रति निष्ठा व एकता ने एक दृढ़ संकल्प लिया जिसका आभास 7 या 8 मई 1857 तक अंग्रेज़ों को हो गया था कि दिल्ली या अम्बाला में खून की नदियाँ बहेंगी और सैनिक एक जनक्रान्ति करेंगे ।

यह भी सूचना मिली थी कि 9वीं लांसरज़ के सईसों ने भी यह षड्यन्त्र रचा था कि सैनिक विद्रोह होने की सूरत में घोड़ों को भी अस्तबल से निकाल देंगे। यह सारी सूचना शाम सिंह, 5वीं रेजीमेंट के सिपाही से अम्बाला के कोतवाल ज्वाला नाथ ने प्राप्त की थी जो जनरल कमांडिंग अम्बाला डिवीज़न को दी गई और उसने यह सूचना कमाण्डर-इन-चीफ तक पहुचाई । लेकिन रेजीमेंट के आफिसर कमांडिंग ने अपने आदमियों पर विश्वास करते हुये इस सूचना को कोई महत्त्व नहीं दिया ।

अम्बाला छावनी में नए कारतूसों के विरोध में भारतीय सैनिकों का विद्रोह

जब मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह करने का समाचार अम्बाला छावनी में भारतीय सैनिकों को मिला, तब वे भी भड़क उठे। 10 मई से पूर्व ही भारतीय सैनिकों में नये कारतूसों को लेकर उत्तेजना पैदा हो गई थी। हिन्दुस्तानी सेना की 5वीं और 60वीं रेजीमेंटों ने बग़ावत का झण्डा बुलन्द कर दिया था। यह घटना 10 मई से पहले की थी। अंग्रेजों ने इस घटना को हुकम-उदुली मांत्र मानकर, इसे गम्भीरता से नहीं लिया। परन्तु जब इस घटना ने उग्र रूप धारण किया, तब अंग्रेज पछताये कि उन्होंने इस बग़ावत को सख्ती से क्यों नहीं दबाया। जब 10 मई को बग़ावत हो गई तब उनकी आँखें खुली ।

10 मई को भारतीय सिपाहियों ने एक-एक करके बैरकों को खाली कर दिया और उन्होंने पलटन के गोदाम में पड़े गोला बारूद को कब्जे में कर लिया और यूरोपियन अफसरों को बन्दी बना लिया। परन्तु उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जब अगले ही पल विद्रोही भारतीय सेना को कई गुणा बड़ी यूरोपियन सेना ने घेर लिया। इन हालातों में भारतीय सिपाही अपनी योजना के मुताबिक आगे न बढ़ सके और न ही ब्रिटिश फौजी टुकड़ियाँ भारतीय सिपाहियों के ऊपर कोई गोली चला सकी, क्योंकि भारतीय सिपाहियों ने यूरोपियन अधिकारियों को बन्दी बनाया हुआ था और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर यूरोपियन उन पर आक्रमण करेंगे ~~तो~~ वे उनके अधिकारियों को गोली से उड़ा देंगे। इसलिए कुछ देर के लिए दोनों तरफ की सेनाएँ स्थिर रह गई और बरतानियां के पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें भारतीय सिपाहियों के साथ समझौता करना पड़ा।

अभी 60वीं भारतीय पैदल सेना पूरी तरह शान्त भी नहीं हुई थी कि भारतीय पलटन की 5वीं पैदल सेना करीब 12 बजे दोपहर के समय वहाँ पहुँच गई। अंग्रेजी फौजी टुकड़ियाँ जो पहले से ही सतर्क थी तुरन्त ही गड़बड़ी वाले स्थान पर पहुंच गई और उन्होंने विद्रोही 5वीं भारतीय पैदल सेना को जो बेहतरीन घुड़सवारों और शस्त्रों से लैस थी, घेर लिया ।

आगे यह महत्त्वपूर्ण था कि ग्रान्ड ट्रंक रोड और सरदारों की वफ़ादारी को सुरक्षित रखा जाये, ताकि खज़ानों पर होने वाले आक्रमण से बचाव हो सके। युद्ध शुरू होने से पहले यह खज़ाने भारतीय सिपाहियों की सुरक्षा के अधीन थे। बारनेस ने तुरन्त ही जिलाधिकारियों को हिदायतें जारी की जिसकी पालना हेतु अम्बाला के खज़ाने (3लाख 50 हजार रुपये) को पहली फ्यूजीलीयर्स के अधीन भेज दिया और थानेसर के खज़ाने (10,00,000 रुपये) को भी उसी रक्षक के अधीन कर दिया। फिल्लौर और फिरोजपुर के खज़ाने को क्वीन रेजीमेंट और एच०एम० की 61वीं रेजीमेंट के अधीन कर दिया। केवल शिमला का खज़ाना ही भारतीय रक्षकों, जिनका सम्बन्ध गोरखा और नसीरी बटालियन से था, के अधीन रहा। इसलिए अल्प विद्रोह के दौरान यद्यपि शिमला का खज़ाना विद्रोहियों की पहुँच से बचा रहा, परन्तु इसकी कसौली स्थित शाखा से विद्रोहियों द्वारा 32043 रुपये को लूट लिया गया, जिसमें से बाद में 12063 रुपये ही प्राप्त हो सके।

जैसे ही पहली कठिनाई पर काबू पाया गया, जिले की शान्ति को बनाए रखने के लिए बारनेस ने वफ़ादार सरदारों, जागीरदारों तथा पट्टेदारों को बुलाया, जिसमें कर के रूप में पैसे को न देकर विद्रोह दबाने के लिए व्यक्तियों को पेश करना था। इन आदेशों की पालना हेतु 459 पैदल फौज और 259 घुड़सवार पेश कर दिये गये। परन्तु इनका गुणात्मक प्रभाव पड़ा और जो सरदार ब्रिटिश के सहयोगी थे, का प्रभाव फौज पेश करने से कहीं ज्यादा था।

जिले में दीवानी अदालतें कुछ समय के लिए बन्द कर दी गई। फोरसिथ का समय पूरी तरह से मिश्रित कार्यों को करने में लगने लगा। असिस्टैंट कमिश्नर कप्तान मैकएंड्रयू दिल्ली की पैदल फौज के वृद्ध रक्षक के साथ ड्यूटी पर थे। पलोडन जो कि असिस्टैंट कमिश्नर ही थे, की ड्यूटी भी यमुना नदी के ऊपर तैनात फौज की टुकड़ी पर थी। अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, बेगन को खजाने की बड़ी भारी ड्यूटी दी गई। यह कार्य उस समय तक वैसा ही रहा, जब तक ईलियट लाहौर से बदल कर अम्बाला नहीं आ गये और जब तक कि अदालतें फिर से खुल नहीं गई। पलोडन को, चौथी लाईट कैवेलरी जो कैप्टन वील्ड की अध्यक्षता में थी और अन्य दो नेटिव इनफैन्ट्री की कम्पनियाँ, जो कैप्टन गारस्टिन की अध्यक्षता में थी, के साथ भेज दिया ताकि यमुना के किनारे बसे उपद्रवी लोगों को दबाया जा सके। वह 19 मई

से नवम्बर तक अपने कैम्प से बाहर रहा और हमेशा ही वहाँ पाया गया जहाँ पर खतरा था और राजविद्रोह का डर था। उसकी फौज सहारनपुर को बचाने का एक साधन थी जहाँ पर वह सपैंकी और वहाँ के चुस्त मैजिस्ट्रेट और कलैक्टर से सम्पर्क रखे हुए था। फिर भी उस पर हिन्दुस्तानी विद्रोही फौज द्वारा गोली चलाई गई, पलोडन ने अपने सम्बन्ध सिक्खों के साथ जारी रखे और विद्रोहियों पर नियन्त्रण करने में कामयाब हो गया।

अम्बाला में बग़ावत के समय ब्रिटिश सेनापति एनसन मई की भयंकर गर्मी के कारण शिमला गए हुए थे। उन्हें अम्बाला तथा मेरठ की सैनिक क्रान्ति का पता लगा, तो वे स्तब्ध रह गए और जब शिमला से अम्बाला के लिए चले तब उन्हें जगह-जगह बागियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दिल्ली की तरफ पैर रखने का साहस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें सैनिकों तथा नागरिकों का सहयोग नहीं मिल रहा था। मजदूर, गाड़ी या रसद प्राप्त करना, एनसन के लिए कठिन हो गया था क्योंकि अम्बाला से दिल्ली तक जी०टी० रोड के आसपास सभी गाँवों और कस्बों में विद्रोह चरम सीमा पर था। किसी भी फिरंगी का अम्बाला से दिल्ली पहुँचना कठिन हो गया था। इसी दौरान ब्रिटिश सेनापति एनसन ने पंजाब के सिख राजाओं, पटियाला, जीन्द और नाभा से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें याद दिलाया कि मुगलों ने जो सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसका बदला लेने के लिए उनका साथ दें। एनसन को यह भी पता लग गया था कि बहादुरशाह जफ़र ने अपनी सहायता के लिए दो दूत इन राजाओं के पास भेजे थे, जिनका इन राजाओं ने सहायता की बजाय कत्ल करवा दिया था। इन्हीं आशाओं के कारण राजाओं को पत्र लिखे गये। महाराजा पटियाला ने अपने भाई को 400 सैनिक और कई तोपों सहित थानेसर भेजा ताकि अम्बाला से पानीपत तक जी०टी० रोड को सुरक्षित बनाया जा सके। जीन्द के महाराजा ने पानीपत से दिल्ली का रास्ता साफ रखने का कार्य सम्भाला।

एनसन की मृत्यु

25 मई को एनसन अपने सैन्य बल के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। उसे तीन शक्तिशाली देशी रजवाड़ों का पूरा समर्थन था, फिर भी अम्बाला से निकलते ही उसे विद्रोहियों के रोष का सामना करना पड़ा। जगह-जगह उसकी सेना पर छापे मारे जा रहे थे, जिससे एनसन बहुत डर गया था। 27 मई को ब्रिटिश सेनापति करनाल में डेरा डाले हुए था कि उसे अचानक हैजा हुआ और वहीं उसकी मृत्यु हो गई जिससे ब्रिटिश सेना में निराशा फैल गई। उसी दिन हैनरी बर्नाड को नया सेनापति नियुक्त कर दिया।

पानीपत पार करने के बाद बर्नाड को मेरठ छावनी से गोरखा सैनिक टुकड़ियों की मदद पहुँच गई, उधर नाभा और जीन्द के सैनिक भी साथ थे। इसके

बावजूद भी बर्नाड को अलीपुर पहुँचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, रास्ते में विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ में बर्नाड के काफी सैनिक मारे गए तथा उनकी रसद लूट ली गई, जैसे-तैसे बची हुई सेना के साथ बर्नाड दिल्ली पहुँचा।

विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने क्रान्तिकारियों पर दमनचक्र चलाना शुरू किया। 60वीं एवं 5वीं नेटिव इन्फेन्ट्री से हथियार छीन लिए, विद्रोहियों को छिपाने वाले भारतीय अधिकारियों पर मुकद्दमे चलाये गये, लगभग 200 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके जेल ले जाते वक्त ये सिपाही भाग निकले। इस कोशिश में 130 विद्रोही सैनिकों को गोली का निशाना बना दिया गया और बाकी को कैद कर लिया गया। यद्यपि अम्बाला की छोटी-बड़ी सभी रियासतों, छोटे-बड़े जागीरदारों और महाराजा पटियाला व जीन्द की सेनाओं ने अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया फिर भी वहाँ की जनता एवं देशभक्त सैनिकों ने अंग्रेजों को शिकस्त देने में कोई कमी नहीं छोडी और हँसते-हँसते अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस कुर्बानी में औरतों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। एक वृद्ध महिला ने तलवार, बन्दूकों से लैस होकर, हरे कपड़े पहनकर अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और पाँच-पाँच अंग्रेज सिपाहियों को इकट्ठे गोली का निशाना बनाया। इस वीरांगना के कारनामे को इतिहास कभी नहीं भुला सकता।

विद्रोह के दौरान हुए पत्राचार के अनूदित अंश

पंजाब सरकार,म्यूटिनी रिकार्ड, वाल्यूम-VII
सन्दर्भ: अभिलेखागार विभाग हरियाणा

विद्युत तारसेबा
भारत

प्रेषक:

उपायुक्त अम्बाला स्थान-रावलपिण्डी

सेवा में,

सर जान लारेंस
मुख्य आयुक्त, पंजाब

(शब्दों की संख्या 136) व्यवस्था समाचार देना

आज सुबह 60वीं और 5वीं बटालियन उत्तेजक अवस्था में थी और हथियारों के साथ परेड ग्राउण्ड में थी। घुड़सवार सेना और तोपखाना सेना बाहर आ गई। परन्तु वह पक्तिबद्ध नहीं थी। कोषागार का एक गार्ड हथियार समेत बाहर आया और वह उत्तेजित अवस्था में था। मैंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह तैयारी से अपनी-अपनी बैरकों में रहें। मैंने जनरल के साथ विचार-विमर्श किया, जिसने 5वीं बटालियन का एक आफिसर कोषागार के गार्ड के पास भेजा कि अगर आवश्यक हो तो अपनी बैरकों के आदमियों को निलम्बित करें। जनरल बिना आपकी अनुमति के कोई आदेश नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ कि जब तक आगे कोई और अव्यवस्था उत्पन्न न हो, यह कदम उठाना जरूरी नहीं। यदि मुख्य आयुक्त रावलपिण्डी में न हो तो इसे शीघ्रता से उसके पास भेजो।

लाहौर

10 मई 1857

(जारी 4.45 सायं)

पंजाब सरकार, म्यूटिनी रिकार्ड, वाल्यूम- VII
सन्दर्भ: अभिलेखागार विभाग हरियाणा

प्रेषक:

अम्बाला
11 मई,1857

सेवा में,

सभी स्टेशन

निम्नलिखित विवरण अभी दिल्ली से प्राप्त हुआ है, मेरठ के सिपाहियों द्वारा सभी बंगले जलाये जा रहे हैं, अत: हमें अभी कार्यालय छोड़ देना चाहिए। वे आज सुबह आये। हम जा रहे हैं, आज चुंगी वसूल न करना। हम सोचते हैं कि श्रीमान टॉड मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं। वे आज सुबह बाहर गये तथा अब तक लौटकर नहीं आये। हमने सुना है कि नौ यूरोपियन मार दिये गये।

अलविदा।

रावलपिण्डी

एल० फ्रेजर
निरीक्षक प्रभारी

दिल्ली में विद्रोह, 11 मई 1857 की सुबह का तार

नं०12

संदर्भ: विदेश विभाग, 31 जुलाई 1857
1-8 गोपनीय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

कैप्टन एच. आर. जैम्स
कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

जी. एफ. एडमन्सटन
सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग,
रावलपिण्डी 2 जून, 1857

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

'मेरे पत्र क्रमाँक 10 दिनाँक 30 मई के संदर्भ में मुझे आपको रिपोर्ट करने का निदेश हुआ है कि पंजाब के पश्चिमी इलाके में शान्ति है और देशी रियासतों के मुखिया पूरी तरह हमारे साथ हैं।

पेशावर में और कोई गड़बड़ी नहीं है। 55वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के बागियों को पकड़ कर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया है।

अम्बाला में बागी 5वीं नेटिव इन्फैन्ट्री से हथियार ले लिये गए हैं। दो कम्पनियाँ तोड़ दी गई हैं। जो यहाँ के भारतीय अधिकारी हैं, उन पर विद्रोह को छुपाने का दोषी पाकर मुकद्दमा चलाया जा रहा है। थानेसर जिले के यमुना के साथ लगते हुए इलाके में कुछ गड़बड़ी है, व सिस-सतलुज इलाका शान्त है।

हस्ता०/-

2 जून 1857

कार्यवाहक सचिव,चीफ कमिश्नर, पंजाब

वह भारतीय वीरांगना

29 जुलाई, 1857 को कैप्टन हडसन ने दिल्ली मोर्चे से अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर फोरसिथ को लिखा एक पत्र इस प्रकार था:-

प्रिय फोरसिथ !

इस पत्र में जिस बूढ़ी औरत का वर्णन है वह अपने आप में दिल्ली मोर्चे की जीती जागती कथा है। यह बूढ़ी औरत हमारे विरुद्ध शहर में जेहाद का नारा लगाती थी और लोगों में आश्चर्यजनक ढंग से जोश पैदा करती थी। स्वयं युद्ध-क्षेत्र में तलवार-बन्दूकों से लैस, हरे कपड़े पहने हल्ला बोलती थी। इसने हमारी 75वीं पैदल फौज पर आक्रमण किया। सिपाहियों का कहना है कि इस अकेली का मुकाबला पाँच-पाँच सिपाहियों के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। उनका कहना है कि इस औरत ने उनके साथियों में से बहुत सारों को बन्दूक का निशाना बनाया। अन्त में वह घायल होकर गिरफ्तार हुई। जनरल महोदय ने पहले तो उसे छोड़ देने का इरादा किया परन्तु मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे ऐसा न करे, छोड़ दिये जाने पर वह फिर शहर में विजेता के रूप में जायेगी और हमारे हाथ से निकल कर हमारे विरुद्ध तूफान मचायेगी और यह जाहिर करेगी कि वह अपनी करामात के कारण बच आई है। ऐसा करके वह "जान ऑफ आर्क" का स्थान प्राप्त करेगी।

संदर्भ: विदेश विभाग, 30 अक्तूबर, 1857.1-6
गोपनीय-राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

न० 2

प्रेषक:

चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
विदेश विभाग ।

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

28 जून को 5वीं व 60वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के बचे हुए सिपाहियों ने अम्बाला में विद्रोह कर दिया है, उनके हथियार जमा करवा लिए गए हैं। प्रत्येक रात 10 या 20 सिपाही भाग जाते हैं, अत: अम्बाला में उन सिपाहियों को गिरफ्तार करके जेल में बन्द करने की योजना बनाई गई। जब 200 सैनिकों को जेल में ले जाया जा रहा था, उस समय उन द्वारा भागने की कोशिश में 130 विद्रोही सैनिक मारे गये । बाकी जेल भेज दिये गये।

हस्ता०/-

लाहौर, 2 सितम्बर,1857

सचिव
चीफ कमिश्नर, पंजाब

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

विदेश विभाग,
गोपनीय नं० 2

फोर्ट विलियम 30 अक्तूबर 1857

मुख्य सचिव, पंजाब ने भारत सरकार, विदेश मन्त्रालय को अपने पत्र दिनॉक 20 सितम्बर, 1857 द्वारा सूचित किया कि 28 जून को दो विद्रोही टोलियों का पंजाब में भारतीय सिपाहियों के साथ मुकाबला हो गया। उस समय 51वीं इन्फैन्ट्री विश्राम पर थी, अब उसको बचाव के लिए कैम्प में भेजा गया है।

जबकि पेशावर में यूरोपियन सिपाहियों के साथ बड़ा विद्रोह था, जो उभर कर सामने आया। जिस समय 18वीं पंजाब रेजीमेंट शाम को खाना खा रही थी उस समय विद्रोहियों ने भारी हमला कर दिया। 18वीं पंजाब रेजीमेंट ने अपना बचाव किया तथा मुकाबले में 51वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के 50 जवान मारे गए तथा बाकी के भाग गए, कुछ कैद कर लिए गए और उन पर मुकद्दमा चलाकर सजा दे दी गई है। सिक्ख रेजीमेंट के कमांडिंग आफिसर बारथलिन ने भागकर अपनी जान बचाई।

दिनाँक 28 को ही भारतीय विद्रोही सेना 5वीं और 60वीं नेटिव इन्फैन्ट्री अम्बाला वापिस आ गई, जब वे विश्राम कर रहे थे तभी अंग्रेजी सेना ने उन पर हमला करके, उनके 200 विद्रोही सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। अम्बाला के बिग्रेड कमांडर के सुझाव अनुसार, जब विद्रोहियों को जेल ले जाया जा रहा था, उस समय भागने की कोशिश में 130 मारे गए तथा बाकी को जेल भेज दिया गया।

हस्ता०/

करनाल

ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक समय में यमुना के पश्चिमी क्षेत्र के अधिग्रहण के हक में नहीं थी और उसने इस क्षेत्र को छोटे-छोटे शासकों में विभाजित कर दिया। जीन्द, कैथल, थानेसर, शामगढ़ के राजा और कुंजपुरा के नवाब सुदृढ़ थे और मराठों के साथ संधि के अनुसार कार्य कर रहे थे, सिवाए इसके कि करनाल को लाडवा से अलग कर दिया गया था। 1809 की संधि के अनुसार रणजीत सिंह को सतलुज के दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा करने से रोक दिया गया और यमुना व सतलुज के मध्य के क्षेत्र को अंग्रेजों की सुरक्षा में रखा गया।

पानीपत और करनाल को पानीपत जिले में रखा गया, जबकि बाकी क्षेत्र जैसे थानेसर, कैथल व गुहला तहसीलों को थानेसर का हिस्सा बनाया गया। जब सन् 1857 का विद्रोह हुआ तो पानीपत के न्यायधीश मैकव्हिरटर दिल्ली में थे और वहीं मारे गये। रिचर्डसन उप कलैक्टर ने तुरन्त कार्यभार संभाल लिया जबकि अन्य अंग्रेज भाग चुके थे। दिल्ली से भाग कर आये भगोड़ों ने उसे सचेत किया कि विद्रोही टुकड़ी उनका पीछा कर रही है और आग उनके दरवाजे तक आ पहँची है । लेकिन वह निर्भयता से अपनी जगह पर डटा रहा और जैसे-तैसे जिले में व्यवस्था कायम रखी। वहां से वह बड़ी चतुराई से गुजरने वाली टुकड़ियों के लिए आपूर्ति का प्रबन्ध कर रहा था। वह 7 लाख रुपये से भी ज्यादा धन एकत्रित करने में सफल रहा जो उसने सेवा के लिए भेज दिया। इस सबके लिए उसे उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया। इतने में बगावत की खबर जीन्द पहुँच चुकी थी। राजा ने अपनी सैनिक टुकड़ियाँ एकत्रित की और करनाल की तरफ बढ़ा और 18 मई 1857 को वहाँ पहुँच गया। शहर में उसने व्यवस्था कायम की और अंग्रेजी सेना से पहले ही वह जी०टी० रोड पर चल पडा और पानीपत व समालखा पर विजय प्राप्त की। करनाल और दिल्ली के मध्य जो रास्ता विद्रोहियों के कब्जे में था, को खोल दिया। पटियाला का महाराजा भी अंग्रेजों के साथ था। उसने करनाल, थानेसर व अम्बाला को काबू में रखा और करनाल से फिल्लौर तक सड़क को सुरक्षित रखा। नरदक के चौहानों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने एक रेजीमेंट का निर्माण किया और 250 चौकीदारों का एक दल शहर एवं सिविल लाइन्ज़ की सुरक्षा के लिए भेजा जहां गोला बारूद इत्यादि रखा था। करनाल के नवाब अहमद अली खान शुरू से ही अंग्रेजों के साथ थे और उसके सारे साधन उनके लिए उपलब्ध थे । उसकी सेवाओं के लिए उसे 5,000 रुपये सालाना जागीर के रूप में दिए गए और 10,000रुपये खिल्लत के रूप में दिए गए।

थानेसर जिले में कैप्टन मैकनील उपायुक्त था। उसकी मुख्य समस्या देशी 5वीं इन्फैन्ट्री थी, जो एक विद्रोही कम्पनी थी। 14 जुलाई 1857 को उपायुक्त ने अंग्रेज

सैनिकों की सहायता से इस कम्पनी का निशस्त्रीकरण कर राहत की साँस ली और अपना मुख्यालय करनाल रखा। लेवियन, सहायक आयुक्त को शाहबाद में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया और समय-समय पर लैफ्टीनैन्ट पारसन के आदमी विद्रोहियों को दबाने के लिए गाँवों में भेजे जाते थे। खास तौर से कैथल की तरफ और यमुना नदी पर दोनों जगह बाग़ी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। दिल्ली से विद्रोहियों के आगमन के पूर्वाभास में कैप्टन मैकनील ने खज़ाने को अम्बाला भेज दिया। सब जेलों की किलाबन्दी कर दी गई, जैलदारों व जागीरदारों को बुला लिया। ऐसी अफवाह फैली कि हिसार के रांगड़ अपने साथियों को थानेसर जिले से निकालने की योजना बना रहे हैं, और 31 मई की तारीख रख दी गई है । इससे निपटने के लिए सभी तैयारियाँ की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रांगड कैदियों को अम्बाला जेल भेज दिया गया। 9 जून, 1857 को पटियाला के महाराजा को मजबूरी में अपनी सेना को थानेसर से हटा लेना पड़ा क्योंकि उसकी अपनी राजधानी खतरे में थी और जालन्धर के विद्रोहियों से भी खतरा था लेकिन जब उसे पता चला कि विद्रोही वहाँ से गुजर चुके हैं तो उसने वापिस थानेसर में अपनी फौज भेज दी।

जैसा कि पहले ही अनुमान था, इस अत्याधिक उठापटक का फायदा उठाकर सरकार को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ गतिविधियां हुई। पानीपत. बांगर में जाटों के 16 सबसे बड़े गाँवों, जो नौलथा ज़ैल में पड़ते थे, ने बग़ावत करके राजस्व देना बन्द कर दिया। गाँवों के सरकारी चौकीदारों को बाहर कर दिया और रोहतक जिले के विद्रोहियों में शामिल हो कर दिल्ली गए और लगभग 22 दिन बाद वापिस आए। कलैक्टर के कैम्प पर हमले की धमकी दी। जबकि 19 अन्य गाँवों ने जोकि ज्यादातर भालसी व कुराना ज़ैलों में थे, उपद्रव किया व सरकारी ईमारतों को जला दिया बहुत लूटपाट व हत्याएँ की व राजस्व देने से इन्कार कर दिया। गूजर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने आसपास के विद्रोह में भाग लिया। सभी विद्रोही गाँवों पर जुर्माने किए गए और तरह-तरह की यातनाएँ दी गई। 1,46,340 रुपये राजस्व पर 7317 रु० नम्बरदारी भत्ता बनता था, उस भत्ते की राशि को जब्त कर लिया गया। पानीपत शहर में खासतौर पर बुअली कलन्दरशाह में खुले आम विद्रोह का प्रचार किया गया। कलैक्टर के कैम्प पर भारी हमला हुआ जिसका मुकाबला जीन्द से आई सेना ने किया। बहुत से विद्रोही बन्धक बनाए गए, कुछ क्रान्तिकारियों को फाँसी दे दी गई और बुअली कलन्दरशाह की पैन्शन 1,950 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दी गई। घरौंडा का तहसीलदार जो पानीपत का रहने वाला था, को विद्रोह में भाग लेने के कारण हटा दिया गया।

यदि बांगर का ऐसा व्यवहार था तो नरदक के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भी कम नहीं था। कुछ बड़े-बड़े गाँवों ने 1857 के विद्रोह में

बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उनमें मुख्यत: सिवान, असंध, जलमाना, गौंदर, सालवान, बला तथा डाचर थे। इन गाँवों में बसे मुस्लिम व सभी किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इन्कार कर दिया। बला गाँव ने कैवेलरी की एक रेजीमेंट का, जो मेजर ह्यूज के नेतृत्व में थी, मुकाबला किया और एक भारतीय अफसर व कुछ जवानों को मार दिया इसके बाद करनाल के नवाब की फौज ने बला गाँव पर जुल्म ढाये। जलमाना में भारी संख्या में विद्रोही एकत्रित हुए जिन्होंने थानेसर जेल के कैदियों को जेल से निकालने के लिए संघर्ष किया लेकिन असफल रहे ।

असंध के विद्रोहियों ने सरकारी थाने पर कब्जा कर लिया। उदण्डता के कारण उनको दण्ड दिये गये और उन पर अनगिनत जुल्म ढाये गये। कैथल व असंध परगने के विद्रोह में भाग लेने के कारण उन पर भू-राजस्व का 10 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया गया और जिला अधिकारियों ने इस जुर्माने को भू-राजस्व के साथ बन्दूक के बल पर वसूल किया। इन सभी गाँवों की विद्रोही सिपाहियों से कोई विशेष सहानुभूति नहीं थी जो इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि इन्होनें पंजाब के उन बागी फौजियों को, जो विद्रोह में हिस्सा लेने के लिये दिल्ली जा रहे थे, भी लूट लिया। हाबड़ी यद्यपि रांगड़ों का गाँव था वह भी अपने मुखिया के निर्देशन में अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त रहा। यह कहा जा सकता है कि नरदक के आगे वाले क्षेत्र ने फिरोजपुर व जालन्धर के भगोड़े विद्रोहियों की थोड़ी बहुत सहायता की और भू-राजस्व देने से इंकार कर दिया। कैप्टन मैकनील ने कुछ फौजी टुकड़ियां व तोपें लेकर उन पर चढ़ाई की। सबसे पहले उन्होनें बड़े गाँव बला, जो जाटों का गाँव था और सदैव अशान्ति व गड़बड़ी का क्षेत्र रहा था उस पर हमला कर दिया। लड़ाई में थोड़े बहुत आदमी मारे गयें व घायल हुये लेकिन इससे सख्त सज़ा के आदेश दिये गये। बला के लोगों ने अपने पड़ौसी गाँव मुनक को दबाने के लिये अंग्रेज़ों को आर्थिक सहायता देकर उनसे अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश की।

बला गाँव की घटना से देहात पर काफी प्रभाव पड़ा। जब कैप्टन मैकनील जलमाना की तरफ बढ़ा तो आस-पास का सारा देहात घबरा गया। असन्ध के लोग जंगलों में भाग गये और उनके गाँव पर बम-बारी करके जला कर खाक कर दिया गया क्योंकि इस गाँव के निवासी खुले तौर से विद्रोही थे। विद्रोही गाँव से बड़ी मात्रा में जुर्माने वसूल किये गये। गढ़ी छज्जू के नम्बरदार ने बगैर सरकारी माँग के तहसील में भू-राजस्व जमा करवा दिया जिसके बदले उसे अनुदान दिया गया। पलड़ी के सरदारा जाट ने दिल्ली से भागे हुये यूरोपियनों की सहायता की थी इसलिये उसे स्थायी रूप से कर मुक्त जागीर दी गई।

पानीपत के कलन्दर अली खान ने अंग्रेजों की पैसे व सामान से मदद की थी जिसके बदले अंग्रेज़ों ने उसे पैंशन दें दी। इस जिले में विद्रोह का असर कुछ कम ही

रहा। सरकारी खज़ाने व रिकार्ड का कोई नुकसान नहीं हुआ। 1857-58 के कुल राजस्व 4,70,238 रूपये में से केवल 9,464 रुपये ही बकाया रह गये। पटियाला व जीन्द की सेनाओं की मदद से विद्रोहियों को दबाया गया व उन पर अत्याचार किये गये। दूसरे सभी गाँवों से बन्दूक के बल पर भारी जुर्माने वसूल किये गये और भिन्न भिन्न गाँवों में काफी लोगों को फाँसी दी गई। पटियाला के महाराजा ने धन व फौज देकर अंग्रेजों की सहायता की। इन सेवाओं के बदले उसे दूसरे ईनामों के साथ-साथ झज्जर क्षेत्र का नारनौल इलाका भी मिला, जिसका सालाना राजस्व दो लाख रुपये था। यह इलाका उसको स्थायी रूप से इस शर्त पर दिया गया कि वह खतरे के समय अंग्रेजों की राजनैतिक व सैनिक सहायता करेगा व अंग्रेजों से मित्रता पूर्ण व्यवहार करता रहेगा।

विद्रोह के दौरान दिल्ली जाने वाली सेना को सहायता देने के बदले चीफ कमिश्नर की सिफारिश पर शिव दयाल सिंह को करनाल के डिप्टी कलैक्टर के पद पर पक्का कर दिया गया ।

जहाँ एक ओर पानीपत में जाटों के 16 बडे गाँवों ने बगावत करके राजस्व देना बन्द कर दिया था वहीं गढ़ी छज्जू (पानीपत) के मुखियाओं जोधा, जयराम और जयसुख ने बगैर किसी विरोध के अपना-अपना राजस्व विद्रोह के दौरान अंग्रेजो को दे दिया। विद्रोही अहमद अली खान को उसके 28 साथियों सहित गाँव जमुना में जो करनाल से लगभग 20 मील दूर है, से गिरफ्तार करके उनसे कुछ महत्त्पूर्ण दस्तावेज बरामद किये और उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी।

असन्ध व बला गाँव से राजस्व वसूली

1857 में करनाल व पानीपत के जिन गाँवों ने राजस्व देने से इन्कार कर दिया था उन गाँवों में प्रमुख थे असन्ध व बला।

इन गाँवों से राजस्व वसूली के लिए कै० ह्यूज ने बला गाँव पर अत्याचार किये व राजस्व वसूली पटियाला सैनिकों की सहायता से की जा सकी। असन्ध गाँव जिसने राजस्व कर देने का जमकर विरोध किया था उसे जला दिया गया।

थानेसर

थानेसर में रांगड़ों द्वारा विद्रोह किये जाने की सूचना मिलते ही अंग्रेज अधिकारी परेशान हो उठे। जुलाई 1858 को आदेश मिलते ही पूरे जिले में हथियारों की खोजबीन शुरू हो गई। लेविस ने शाहबाद में और लैफ्टिनैंट पारसन ने कैथल में और अन्य स्थानों पर तहसीलदारों और थानेदारों ने यह कार्य शुरू कर दिया। एक वर्ष के अन्त तक कुल 7000 हथियारों की धर पकड़ की गई। इधर असन्ध और

नरदक के किसानों ने राजस्व देने से इन्कार कर दिया, लेकिन कुछ ही समय में इन पर काबू पा लिया गया। विद्रोही गाँवों को बुरी तरह तबाह कर दिया गया और घरों को जला दिया गया। अंग्रेजों को थानेसर में ब्रिटिश कानून और व्यवस्था लागू करने में बहुत दिक्कत हुई ।

पानीपत

पानीपत में ब्रिटिश कानून लागू करने में अंग्रेजों को काफी दिक्कत आई। बुअली कलन्दर के ईमाम ने अंग्रेज़ों से तगड़ा मोर्चा लिया, लेकिन अन्त में उसकी हार हुई। ईमाम पकड़ा गया और उसे फाँसी दे दी गई। करनाल से 25 किलोमीटर दूर बला गाँव में रामलाल जाट ने विद्रोह जारी रखा था। जुलाई 1857 के दूसरे सप्ताह में कैप्टन ह्यूज को इस परगने की व्यवस्था करने के लिए भेजा गया। जब यह सूचना विद्रोहियों को मिली तो हजारों विद्रोही बला गाँव में इकट्ठे हुए । गाँव के सभी रास्तों की कड़ी नाकेबन्दी कर ली गई । गाँव वाले हर समय दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार थे। जैसे ही ह्यूज सैनिकों के साथ गाँवों के निकट पहुँचा विद्रोहियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। अंग्रेज़ सेना का एक जवान और तीन घोड़े धराशाही हो गये।

ह्यूज सैनिकों के साथ कुछ पीछे हटा और दूसरे रास्ते से गाँव में घुसने का प्रयास करने लगा लेकिन अगले ही क्षण बहादुर जाट ह्यूज की सेना पर टूट पड़े। ह्यूज के पास भागने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं था। जाटों के आक्रमण से उसके तीन आदमी मारे गये और कई घायल हो गये। ह्यूज ने भाग कर पास के जंगल में शरण ली और रात में वहीं कैम्प लगाया। उसने रात में ही करनाल से सैनिक सहायता माँगी। फिरंगियों की हार की खबर आसपास के गाँवों में आग की तरह फैल गई। तीन हजार रांगड़ भी आकर विद्रोहियों के साथ मिल गये। रामलाल जाट ने रांगडों के साथ 14 जुलाई की सुबह ह्यूज के कैम्प पर धावा बोल दिया।

वह विद्रोहियों के इस आक्रमण से अनभिज्ञ था, उसे भागना पड़ा। लेकिन तभी करनाल के नवाब की सेना, महाराजा पटियाला के 50 घुड़सवारों और दो तोपों के साथ ह्यूज की सहायता के लिए पहुँच गई। नई सेना के अचानक आक्रमण से लगभग 100 विद्रोही मारे गये और बाकी भाग गये। अब अंग्रेजों का दूसरा निशाना बला गाँव था। भारी गोला-बारी से गाँव की नाके बन्दी को तोड़ दिया गया। गाँव वालों और अंग्रेजों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें 5 अंग्रेज सैनिक मारे गये। पानीपत में विद्रोह का यह अन्तिम केन्द्र था।

मई 1857 से दिसम्बर 1857 तक की थानेसर की घटनाएँ

10 मई 1857 को मेरठ में हुई क्रान्ति की सूचना उपायुक्त अम्बाला के माध्यम से 12 मई 1857 को तार द्वारा पहुँची। सूचना मिलते ही कैप्टन मैकनील तुरन्त ट्रेजरी गार्ड की तरफ बढ़ा जहाँ एक 5वीं नेटिव इन्फैन्ट्री का सिपाही पूरी क्रान्ति करने के जनून में था। तभी एक घुड़सवार ने आकर लिफाफा दिया जिस पर तत्काल लिखा हुआ था जो करनाल से आया था और जिसमें दिल्ली में हुए अंग्रेजों के नरसंहार का वर्णन था और वहाँ से बचकर अम्बाला की तरफ भागे कुछ अंग्रेजों और उनका पीछा कर रहे क्रान्तिकारियों के बारे जानकारी दी गई थी। डब्ल्यू मैकनील ने सूचना पाते ही थानेसर में स्थित अंग्रेज स्त्रियों को वहाँ से निकाल दिया एवं एक अंग्रेज टुकड़ी को खजाना सुपुर्द कर दिया । दिल्ली से अम्बाला की ओर जी०टी० रोड से क्रान्तिकारियों के आने की सूचना मिलते ही थानेसर में रह रहे सभी अंग्रेज मैकनील के निवास पर इकट्ठा हो गये क्योंकि उन्हें दिल्ली से आ रहे क्रान्तिकारियों से ज्यादा भय एक ट्रेजरी गार्ड से लग रहा था जो उनके काबू से बाहर था। सूर्यास्त के बाद दिल्ली से बचकर भागे हुए अंग्रेजों का पहला जत्था 24 घण्टे की यात्रा करने के बाद पिपली पहुँचा और उसे तुरन्त आर्थिक व सैनिक सहायता के बाद आगे भेज दिया। बच कर आये अंग्रेजों का दूसरा जत्था रात के 10 बजे पिपली पहुँचा जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। जो ताँगे वाला उनको पिपली से अम्बाला लाया उसने थानेसर व दिल्ली में हुई घटनाओं का आँखों देखा हाल बताया।

13 मई 1857 को चौथी लाईट कैवेलरी की एक पूरी सैनिक टुकड़ी कैप्टन डम्बेलटन के साथ थानेसर पहुँची जिनके पास ब्रिगेडियर हैलीफैक्स का नोट था जिसमें लिखा था, "कोई भी अंग्रेज बच नहीं सकेगा" कैप्टन मैकनील अपने खजाने के साथ अम्बाला पहुँच गये।

14 मई 1857 को दोपहर 2 बजे लाईट कैवेलरी के दस्ते ने कचहरी प्रांगण को अपने हथियारों से चारों तरफ से घेर लिया। इससे कचहरी में काम कर रहे सभी कर्मचारी बेचैन होकर भाग गये । शहर में भय का वातावरण छा गया। सभी दुकानें बन्द कर दी गई लेकिन विद्रोही सैनिक अपने नियन्त्रण में रहे और वहाँ से हटने से मना कर दिया। उन्हें यह सम्भावना थी कि अम्बाला में सैनिक विद्रोह होगा और वे तुरन्त विद्रोह में शामिल हो जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

महाराजा पटियाला 14 मई की ही शाम को अपने 1500 सैनिकों व 5 तोपों

सहित वहाँ सैनिक मदद के लिए पहुँच गया। 16 मई को महाराजा पटियाला अपनी 4 तोपें व 1100 सैनिक छोड़ कर वापिस चला गया जिसमें से 150 को कैप्टन मैकनील ने कैप्टन मैकएन्ड्रयू के साथ करनाल भेज दिया।

17 मई की शाम को राजा जीन्द अपने 400 सैनिकों के साथ थानेसर पहुँचे जिन्हें दूसरे दिन करनाल भेज दिया जहाँ पर दिल्ली फील्ड फोर्स जिसमें फस्ट फ्यूजीलियर्स की एक विंग, हर मैजेस्टी 9वीं लांसरज़ और तोपखाना शामिल था। कुंजपुरा नवाब के सैनिकों को 20 मई को पेहवा की सड़क की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

संदर्भ: विदेश विभाग 3 जुलाई, 1857,27-29 गोपनीय
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

प्रेषक:

कमिश्नर, अम्बाला

सेवा में,

जी०एफ० एडमंस्टन, कलकत्ता
29 जून, 1857

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

9 वीं इरेगुलर कैवेलरी की एक ब्राँच करनाल में है और 17वीं बटालियन के 200 सिपाही पिपली में हैं और कुछ अन्य सैनिक, जिनमें 1250 यूरोपियन इन्फेन्ट्री के हैं और 680 सैनिक कैवेलरी के हैं जिनके पास 10 तोपें आर्टलरी की हैं। कलकत्ता से सम्पर्क टूट जाने के कारण सारी रसद, विशेषकर रम, चाय, ब्राँडी और वाइन के स्टाक की कमी हो गई है। अतः करांची से उक्त रसद तत्काल भेजें तथा अतिरिक्त फौज भी जल्दी भेजें क्योंकि पंजाब की सभी सेनाएँ पहले ही दिल्ली भेज दी गई हैं, नहीं तो प्रबल गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा।

दिनाँक 29 जून, 1857 — हस्ता०/-

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली

नं० 59

प्रेषक:

फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार
23 अक्तूबर, 1858

सेवा में,

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

चीफ कमिश्नर की सिफारिश पर शिव दयाल सिंह को दिल्ली जाने वाली सेना की सहायता देने के बदले में करनाल के डिप्टी कलैक्टर के पद पर पक्का कर दिया।

गढ़ी छज्जू (पानीपत) के मुखियाओं जोधा, जयराम और जय सुख ने अपना राजस्व विद्रोह के दौरान बिना कहे दे दिया। पानीपत के कलैक्टर उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं और चीफ कमिश्नर यह इनाम उचित मानते हैं कि उनका राजस्व कमीशन दुगना कर दिया जाए। लेकिन यह इनाम तब तक ही जारी रहेगा, जब तक उनका व्यवहार अंग्रेजों के प्रति अच्छा रहेगा। यह राजस्व कमीशन उस समय 5 प्रतिशत था जो अब 10 प्रतिशत कर दिया गया।

फोर्ट विलियम — हस्ता०/-
23 अक्तूबर, 1858

सन्दर्भ: विदेश विभाग, 27 नवम्बर 1857, 50-52
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

चीफ कमिश्नर कार्यालय, लाहौर दिनाँक 10 अक्तूबर,1857 के अनुसार मिस्टर सी० रिचर्ड ने सूचित किया है कि विद्रोही अहमद अली खान को उसके 28 साथियों सहित गाँव जमना जो करनाल से लगभग 20 मील दूर है, से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

गुड़गाँव

1803 की सन्धि के समय से गुड़गाँव का इतिहास, ब्रिटिश जिले के तौर पर शुरू हुआ। यह जिला 11 परगनों से बना था, जिनमें झाड़सा, सोहना, नूह, हथीन, पलवल, होडल, पुन्हाना, फिरोजपुर-झिरका, बहोड़ा, रिवाड़ी और शाहजहाँपुर परगने थे।

1857 से पहले भी इस जिले में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के विरुद्ध काफी रोष था। 13 मई 1857 को दिल्ली से 300 विद्रोही सैनिक जो तीसरी लाईट कैवेलरी के थे, गुडगाँव पर आक्रमण करने के लिए गए। विलियम फोर्ड, कलैक्टर मैजिस्ट्रेट ने बिजवासन नामक गाँव में जो कि गुड़गाँव से 12 मील दिल्ली की तरफ है, पटौदी के घुड़सवारों की मदद से क्रान्तिकारियों को रोकना चाहा, मुकाबले में विद्रोहियों के 20 घोड़े छीन लिए फिर भी वह असफल रहा। दूसरे दिन प्रातः क्रान्तिकारियों ने गुड़गाँव पर आक्रमण कर दिया। गुड़गाँव की जनता ने नवाब अहमद मिर्ज़ा आदि के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया। विलियम फोर्ड ने विद्रोहियों का मुकाबला किया परन्तु हार गया और सभी अंग्रेज अधिकारियों को साथ लेता हुआ वह मथुरा, भौंडसी, सिलानी तथा पलवल होता हुआ गुड़गाँव जिला ही छोड़कर 15 मई को मथुरा भाग गया। क्रान्तिकारियों को इस अभियान में सरकारी खजाने से लगभग सात लाख, अस्सी हजार रुपये हाथ लगे।

मई के आखिरी हफ्ते में मेवात का सारा देहात, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर चुका था और बहादुरशाह को अपना बादशाह स्वीकार करते हुए झण्डा बुलन्द कर दिया गया, लेकिन कस्बों के कुछ सरदारों ने अंग्रेजों से अपनी सहानुभूति जारी रखी। इसलिए देहात के विद्रोही क्रान्तिकारियों ने तावड़ू, सोहना, फिरोजपुर-झिरका, पुन्हाना और पिनगवा कस्बों पर हमला करके अपने कब्जे में कर लिया और विद्रोहियों को इस इलाके में लूटमार और विनाश का सामना करना पड़ा, परन्तु नूह कस्बा कुछ अंग्रेज परस्त मेवों के कारण लूटमार से बचा रहा। लेकिन कुछ दिन बाद क्रान्तिकारियों ने भारी संख्या में हमला करके नूह को भी अपने कब्जे में ले लिया। नूह के बाद होडल के साथ वाले गाँव के रावत जाट और हथीन के राजपूत, जो अंग्रेज परस्त समझे जाते थे पर भी होडल के सरोत चौबीसी के जाटों, सियोली के पठानों, गुजर तथा मेवों ने जोरदार हमला किया, जो काफी समय तक चलता रहा, जिसमें अंग्रेज़ परस्तों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेज़ परस्तों द्वारा दिल्ली सूचना भेजे जाने पर, अंग्रेजों द्वारा सेना की टुकड़ी होडल के अंग्रेज परस्तों की सहायता के लिए भेजी गई जिसका क्रान्तिकारियों ने डटकर मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया।

जून के मध्य में डब्लयू० एफ० ईडन, जो जयपुर में राजनीतिक प्रतिनिधि थे मेवात होते हुए एक बड़ी सेना सहित जिसमें 6000 फौजी और 7 तोपें थी, दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन मेवात में बागियों का जोर होने के कारण, मेवात में ही रूकना पड़ा।

मेजर ईडन के सेनादल को तावड़ू और सोहना के बीच क्रान्तिकारियों से कडा मुकाबला करना पड़ा परन्तु मेजर ईडन के पास भारी गोला बारूद और सेना होने के कारण क्रान्तिकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोहना से 30 यूरोपियन अधिकारी भी मेजर ईडन से आ मिले। पलवल और होडल के बीच काफी समय तक संघर्ष चलता रहा आखिरकार पठान, जाट, मेव व गूजर क्रान्तिकारियों ने अगस्त 1857 में मेजर ईडन को जयपुर वापिस जाने के लिए मजबूर कर दिया।

20 सितम्बर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दोबारा अधिकार हो गया। विद्रोही मेवाती, जाट, रांगड़, राजपूत, गूजर और अहीर दिल्ली के ही आँचल में बसे भू–भाग से अंग्रेजी सत्ता को ललकारते रहे। अंग्रेज़ों ने इसे गम्भीर समझा क्योंकि गुड़गाँव जिला दिल्ली के नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र के विद्रोही वीर–बांकुरों से स्वयं दिल्ली को खतरा हो सकता था। इसलिए 2 अक्तूबर 1857 को ब्रिगेडियर जनरल शावर्ज़ एक शक्तिशाली सेना सहित जिसमें 1500 फौजी, 18 पौंडर तोपें तथा 2 मार्टर गनें, एक लाईट फील्ड बैट्री थी, गुडगाँव जिले में घुसा और मेवात की क्रान्ति को दबाने के लिए जोरदार हमला किया। जगह–जगह बहादुर मेवों ने अंग्रेजी फौजों का मुकाबला किया। आखिरकार जनरल शावर्ज़, मेवात की क्रान्ति को दबाने में सफल हो गया। सैंकड़ों गाँवों को बुरी तरह लूट लिया और क्रान्तिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया और बल्लबगढ के राजा नाहर सिंह, फर्रूखनगर के नवाब अहमद अली गुलाम खाँ की रियासतों पर हमले करके, इनकी क्रान्तिकारी सेनाओं को हराकर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन रियासतों के सैंकड़ों क्रान्तिकारियों को फाँसी पर लटका दिया गया। अक्तूबर के अन्त में जनरल शावर्ज ने रियासत झज्जर,दादरी (बहादुरगढ़) पर हमला किया। वहाँ के क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। काफी क्रान्तिकारी मारे गए और बहुत से क्रान्तिकारियों को फाँसी के फन्दे पर लटका दिया गया। इस युद्ध में अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए और बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेज परस्त भारतीयों के घरों में शरण ली। झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान और बहादुरगढ के नवाब जंग बहादुर को अंग्रेज परस्त भारतीयों की सहायता से गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया गया। मेवात की क्रान्ति को दबाने के लिए गए मिस्टर क्लीफोर्ड को इस बात का बहुत क्रोध था कि विद्रोहियों ने उसकी बहन का कत्ल कर दिया है। इस बदले की भावना से उसने एक गाँव के बाद दूसरे गाँव को जलाना शुरू कर दिया और इस तरह से कितने ही गाँव जलकर भस्म हो गए।

जो व्यक्ति सामने आया मौत के घाट उतार दिया गया। इस दमन चक्र में औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इस निर्दयतापूर्ण अभियान के लम्बे समय तक चलने के बाद, रायसीना तथा मुहम्मदपुर के मेवों द्वारा क्लीफोर्ड का सोहना में कत्ल कर दिया गया। इस पर जनरल शावर्ज़ ने मेवात पर बहुत जुल्म ढाये तथा सोहना से कुछ मील पहले, महुन गाँव के विद्रोहियों ने शावर्ज़ की सेना के 60 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया।

22वीं गोरखा अंग्रेज फौज, जो कप्तान ड्रमंड की अध्यक्षता में थी, सोहना और तावडू के इर्द-गिर्द विद्रोहियों का सफाया करती हुई, बल्लबगढ़ के रास्ते दिल्ली चली गई। जिला गुड़गाँव के बारे में ब्रिगेडियर जनरल शावर्ज़ के विचार निम्न हैं:-"जैसे ही मैं गुड़गाँव जिले में दाखिल हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं दुश्मन के क्षेत्र में हूं। मुझे क्रान्तिकारी घुडसवार सैनिकों के हमले का डर बना रहता था। इस तरह से जब भी मैं जिस गाँव से गुजरता था मुझे हर गाँव से अपने आप पर आक्रमण का भय बंना रहता था। मुझे बागियों से चौकस रहना पड़ता था।"

8 नवम्बर 1857 को लैफ्टीनैन्ट रांगटन, कुमाऊँ बटालियन की एक टुकड़ी, 50 टोहाना होर्स के साथ, गाँव बरोटा, रीवासन तथा घासेड़ा को नष्ट करने के लिए पहुँचे। उनको सूचना मिली थी कि मेव विद्रोही गाँव घासेड़ा में इकट्ठे हुए हैं। घासेड़ा में ब्रिटिश फौज द्वारा 500-600 विद्रोहियों पर हमला किया गया। क्रान्तिकारियों ने डटकर मुकाबला किया। लम्बे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सेना घासेड़ा पर कब्जा करने में सफल हो गई। इस युद्ध में 150 से अधिक क्रान्तिकारी काम आए। 1857 नवम्बर के तीसरे सप्ताह में कैप्टन ड्रमंड को सोहना, हथीन तथा पलवल के अंग्रेज परस्त अधिकारियों से सूचना मिली कि कई हज़ार मेव और कुछ सौ विद्रोही घुड़सवार गाँव कोट और रूपड़ाका में इकट्ठे हैं और उन द्वारा अंग्रेज परस्त गाँवों पर हमला किया जा रहा है और पलवल के सरकारी खज़ाने को लूट रहे हैं। कैप्टन ड्रमंड शक्तिशाली फौजी टुकड़ी जिसमें 50 हडसन होर्स, टोहाना होर्स और कुमाऊँ बटालियन के 120 जवान एवम् लैफ्टीनैन्ट टैम्पल तथा रांगटन थे, तुरन्त रूपड़ाका की ओर बढ़ा। रास्ते में बल्लबगढ़ से पहली पंजाब इन्फैन्ट्री भी अंग्रेजी सेना से आ मिली।

कैप्टन ड्रमंड की फौज ने सोहना और रूपड़ाका के रास्ते में पड़ने वाले मेवों के गाँवों को लूटकर जला डाला और फसलें तबाह कर दी। पंचनका, गेहपुर, मालपुरी, चिल्ली, उतावर, कोट मुगला, मिटाका, कुलुलुका, गुडांकसर, मलूका, झण्डा आदि गाँव इनमें मुख्य थे। जब कैप्टन ड्रमण्ड की फौज रूपड़ाका पहुँची तो 3500 मेवों और कुछ अन्य क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। मेवों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनके 400 से अधिक व्यक्ति इस युद्ध में काम आए,

परन्तु क्रान्ति को दबाने में अंग्रेज़ों को सफलता मिली, क्योंकि उनके पास सेना की अपार शक्ति थी। रूपड़ाका और इसके आसपास के गाँवों को लूटकर तथा जलाकर खाक कर दिया। रूपड़ाका के युद्ध में इतना खून बहा कि जहाँ पर वह युद्ध हुआ था वहाँ बहुत समय तक वर्षा होने पर लाल पानी बहकर चलता था जो आज भी खूनी नाले के नाम से प्रसिद्ध है। मेव किसान नेता सदरूद्दीन ने बड़ी कुशलता से मेवों का नेतृत्व किया जिसका वर्णन अंग्रेज़ी सैनिक अधिकारी ने भी किया।

27 नवम्बर, 1857 को एक अन्य विद्रोही फौज ने जो मेवों के सरदार सदरूद्दीन की कमांड में थी, पिनंगवा परगना पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने कैप्टन रामसे को जो पलवल और गुडगाँव में था, अंग्रेज़ी फौज के साथ इस खतरे का सामना करने के लिए भेजा। 29 नवम्बर 1857 को गाँव महुन में प्रातः 7.00 बजे से दोपहर तक मेवों ने आक्रमण का सामना किया। ब्रिटिश फौजों ने इस गाँव पर गोलों की बौछार कर दी और गाँव के तीन ओर से गोरखा रेजीमेंटों ने चढ़ाई कर दी। आखिर में अंग्रेजों ने 28 मेवों, जिनमें सदरूद्दीन का बेटा भी था को काट डाला और अन्य 42 व्यक्तियों को, जो पड़ौसी गाँवों के थे, मार डाला।

मेवात में उठे इस विद्रोह को कुचलने के बाद, गाँव शाहपुर, बालीखेड़ा, खैरला, चितौरा, नाहरीका, गुजरनंगला, बहारपुर और खेड़ी इत्यादि को जलाकर इनका नामों निशान मिटाते हुए, अंग्रेजी फौज ने वापस मुड़ना शुरू किया। वापिस जाते हुए पिनंगवा के समीप के गाँवों जिन्होंने विद्रोही नेता सदरूद्दीन का साथ दिया था और ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देने से इन्कार किया था, उनका भी यही हाल किया गया।

बहुत से चौधरियों और नम्बरदारों की भूमि सम्पदा को भी उनके विद्रोही कार्यों तथा जरूरत के समय अंग्रेजी सरकार की मदद न करने की वजह से जब्त कर लिया गया। झाड़सा परगना के झाड़सा, खेरी, जलालपुर और देवला गाँवों की, नूह परगना के शिकरावाह और घाघुस-खेड़ी गाँवों की भी सारी भूमि जब्त कर ली गई। उद्धमपुर और झाड़सा के बख्तावर सिंह, बादशाहपुर और धानूसपुर के इलाही बख्श, झाड़सा परगना के भौरा और बिनौला के अबु, शाहजहाँपुर के ब्रिजनन्द, नौरगंपुर के मीरखान, छज्जूनगर के रामजस और हमजाअली और पलवल परगने में रसूलपुर के जाफ़र नूरखान और गरीबा की जमीनें भी जब्त कर ली गई। इसके अतिरिक्त 235 व्यक्तियों को फाँसी पर लटकाया दिया गया और कइयों को विद्रोह में भाग लेने के कारण लम्बे समय की कैद मिली। विद्रोही गाँवों और व्यक्तियों पर काफी जुर्माने किये गये।

दिल्ली पर बहादुरशाह का मई 1857 में कब्जा हो जाने पर, रिवाड़ी के राव

तुला राम ने भी रिवाड़ी, भौरा और शाहजहाँपुर के परगनों पर कब्जा करके उनकी बागडोर सम्भाल ली और बहादुरशाह ने उसको उपरोक्त परगनों का मालिया वसूल करने का अधिकार दे दिया। राव तुला राम ने अपना मुख्यालय रिवाड़ी के नजदीक रामपुरा किले में बनाया। इस किले में 18 तोपें तथा अन्य सुसज्जित युद्ध सामग्री उपलब्ध थी। उसमें एक तोप बनाने का कारखाना भी था। राव तुला राम ने उपरोक्त परगनों से मालिया एकत्रित करके 40,000 रूपये बादशाह बहादुरशाह को दिए तथा बादशाह ने खुश होकर राव तुला राम को प्रशंसा पत्र तथा रिवाड़ी की जागीर उपहार स्वरूप दी।

दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजो ने 10 अक्तूबर 1857 को ब्रिगेडियर जनरल शावर्ज़ के निर्देशन में फौज को रिवाड़ी भेजा। अंग्रेज़ी फौज आगे बढ़ी और रामपुर के किले को, जिससे रिवाड़ी गाँव दिखाई देता था, बिना किसी विरोध के कब्जे में ले लिया। राव तुला राम और उसके चचेरे भाई गोपाल देव ने अंग्रेज़ी सरकार का साथ देने की पेशकश ठुकरा दी। जनरल शावर्ज़ एक सप्ताह रिवाड़ी में रहा तथा सारे गाँव की चारों तरफ से नाकेबन्दी कर दी। तत्पश्चात् बहुत सा लूटा हुआ धन तथा हथियार लेकर झज्जर और कानौद चला गया, फिर रिवाड़ी से होता हुआ नवम्बर 1857 में दिल्ली वापिस आ गया।

इस सम्बन्ध में चीफ कमिश्नर, कार्यालय लाहौर दिनाँक 10 अक्तूबर 1857 का पत्र प्रस्तुत है। इस पत्र अनुसार ब्रिगेडियर शावर्ज़ ने सूचित किया है "मैं एक सैनिक टुकड़ी के साथ रिवाड़ी के नजदीक रामपुरा के कच्चे किले के पास गया तो किले के चारों तरफ तीन,चार सौ अहीर जवान फैले हुए थे। जब सैनिक टुकड़ी ने उन पर हमला किया तो वे इधर-उधर भाग गए। किले के अन्दर तुलसी अहीर तथा उसके तीन-चार सहयोगी थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा किले से 18 तोपें और कुछ हथियार व युद्ध सामग्री बरामद कर ली गई है"।

गैरार्ड के सैन्यदल ने 10 नवम्बर 1857 को दिल्ली से कूच किया तथा 13 नवम्बर को रिवाड़ी पर पुनः कब्जा करके नारनौल की तरफ चल पड़ा। नवाब झज्जर के सेनापति समद खान व भट्टू के शहज़ादा मुहम्मद अज़ीम, झज्जर रियासत के किले नारनौल में, जोधपुर सेना के क्रान्तिकारियों के साथ मौजूद थे। राव किशन गोपाल भी अपने क्रान्तिकारियों के साथ नारनौल पहुँच गए तथा राव तुलाराम भी उनसे जा मिले। नारनौल से कुछ पहले नसीबपुर गाँव में क्रान्तिकारियों से मुठभेड़ हो गई और कुछ समय तक युद्ध जारी रहने पर क्रान्तिकारी हार गये। क्रान्तिकारियों की मृतक संख्या लगभग 100 रही। राव कृष्ण गोपाल, राम लाल, समद खान का बेटा और कई अन्य क्रान्तिकारी युद्ध में मारे गए। अंग्रेज़ों ने 9 बन्दूकें और काफी

हथियार ले लिए। ब्रिटिश फौज के 70 लोग मारे गए और 45 जख्मी हुए। ब्रिटिश फौज के कर्नल गैरार्ड और कैप्टन वैलेस मारे गए जबकि लैफ्टीनेंट गरेजी .कैनेडी. पीयर्स और हैमफ्रेज़ इस युद्ध में ज़ख्मी हुए। राव तुलाराम राजस्थान में भाग गए।

1857 की क्रान्ति के दौरान जब नवाब झज्जर के इलाके के बागी गुडगाँव जिले में बगावत फैला रहे थे तब गुड़गाँव जिले के उपायुक्त नसरूल्ला खाँ ने भी विद्रोहियों का साथ दिया और विद्रोहियों के बारे दिल्ली में बैठे अंग्रेज अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी, जिस कारण नसरूल्ला खाँ को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। विद्रोह के दौरान मौजा मोहना के खुशहाल, हरदेव तुलसी व गाँव नगला के शालिग व रूपा ने अंग्रेज़ों की सहायता की एवं यूरोपियन कर्मचारियों को शरण देकर उनकी रक्षा की। इसके बदले सरकार से जागीर व-ईनाम प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की।

होडल में विद्रोह के दौरान कस्टम विभाग के कलैक्टर के कार्यालय को आग लगा दी गई, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए भरतपुर स्टेट से हर्जाने के रूप में तीन हजार रूपये लिए गए ।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

सन्दर्भः फोरन पोलिटीकल, नं० 732-734
31 दिसम्बर 1858
राष्ट्रीय अभिलेखागार. नई दिल्ली ।

नं० 90 ए 1858

प्रेषकः

मिस्टर आउट्रम,
सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त

सेवा में,

मिस्टर एडमन्सटन,
सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग,रेवेन्यू विभाग,
इलाहाबाद, 21 अगस्त 1858

श्रीमान जी,

आपके पत्र क्रमांक 2644, दिनाँक 7 अगस्त के सन्दर्भ में मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको मोहना, जिला गुड़गाँव के खुशहाल, हरदेव और तुलसी राम के प्रार्थना-पत्र का सारांश भेजूँ। मूल प्रार्थना पत्र निपटान के लिए आगरा मण्डल के

कमिश्नर को भेजा गया था, अब उससे पैटीशन (प्रार्थना पत्र) वापिस मंगवाया गया है।

आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक
हस्ता0/-

इलाहाबाद। सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त सरकार।
21 अगस्त, 1858

गुड़गाँव के मौजा मोहना के खुशहाल, हरदेव और तुलसी राम के दिनांक 11 अगस्त 1858 के प्रार्थना पत्र (पैटीशन) के अनुवाद का सारांश ।

स्पष्ट करता है कि विद्रोह के दौरान की गई सेवाओं के बदले उनका गाँव मीर हिदायत अली रिसालदार को जागीर के रूप में दे दिया गया है। निवेदन करते हैं कि जब विद्रोह के दौरान अंग्रेज साहिबान गाँव में ठहरे थे तो उन्होंने भी रिसालदार के साथ मिलकर उनकी सभी प्रकार से सहायता की थी। उस अकेले को ही इनाम दिया गया है, जबकि वह उसी मौजे की केवल एक थोक का मालिक है। इस बात की पूरी-पूरी सम्भावना है कि वह अपनी सत्ता का नाजायज रूप से प्रयोग करेगा। इसलिए प्रार्थी यह प्रार्थना करते हैं कि या तो यह गाँव उनकी सेवाओं के बदले उनको जागीर के रूप में दे दिया जाए या सरकार पहले की तरह ही उसे अपने पास रख ले।

प्रार्थना पत्र का असली व प्रमाणित अनुवाद सारांश।

हस्ता0/-

सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त सरकार

नं० 429

संदर्भ: विदेश विभाग 2 दिसम्बर 1857
410-413 पोलिटीकल
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

सी०बी० सान्डर्स, कमिश्नर दिल्ली

सेवा में,

आर० टैम्पल
सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब, लाहौर
कैम्प बल्लबगढ़, 16 नवम्बर 1858

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

मैं दिल्ली के उपायुक्त के पत्र क्रमांक 470, दिनॉक 11 नवम्बर, 1858 की प्रतियां जो बल्लबगढ परगना के गाँव नंगला के ज़मींदार शालिग और रूपा को दिल्ली में विद्रोह के दौरान रेलवे विभाग के यूरोपियन कर्मचारियों को शरण देकर उनकी रक्षा की और उनसे प्रशंसा पत्र प्राप्त किये, उनको ईनाम देने से सम्बन्धित कागज़ात आपके आदेशों के लिये भेज रहा हूँ।

उपायुक्त ने निम्न ईनामों की सिफारिश की है, उनमें से प्रत्येक को 300 रुपये दिये जायें और उनकी गाँव में जो 24 बीघा ज़मीन है, जिसका वे 80 रुपये सालाना देते हैं, इनकी ज़मीन का आधा कर जिन्दगी भर के लिये माफ कर दिया जाए। उन द्वारा की गई सेवाओं के बदले जिन ईनामों की तजवीज़ की गई है, वे उचित हैं और मैं इससे सहमत हूँ। गाँव के मालिया का 10 प्रतिशत कम करने का सुझाव, जो उपायुक्त ने दिया है, का भी समर्थन करता हूँ। अगली संशोधित सैटलमेंट में इसकी स्वीकृति दे दी जाए। यदि आवश्यक हो तो भविष्य में इस बारे तबदीली की जा सकती है।

हस्ता०/

कमिश्नर दिल्ली

नोट: उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

नं० 81
सेवा में

चीफ कमिश्नर आफ पंजाब
नं० 151 दिनाँक 21 जनवरी, 1858

उपरोक्त पत्र अनुसार अंग्रेज सरकार उन अधिकारियों की आभारी है जिन्होनें नारनौल में जोधपुर के बागियों का तथा गुड़गाँव में मेव विद्रोहियों का मुकाबला किया।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

इण्डिया आफिस लन्दन,
9 सितम्बर, 1859

उपरोक्त कार्यवाही के पैरा 11 अनुसार मालूम होता है कि जब गुड़गॉव में बग़ावत जोरों पर थी, उपायुक्त गुड़गाँव, नसरूल्ला खॉ ने अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की, जबकि उसको जिला कार्यालय पर उपस्थित रहने की हिदायत थी। नवाब झज्जर के इलाके के बागी जब गुड़गाँव जिले में बग़ावत फैला रहे थे तब इस अधिकारी ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और इस बारे में उच्च अधिकारियों को दिल्ली के पतन की कोई रिपोर्ट नहीं दी और वह अपने गाँव खुर्जा जिला बुलन्दशहर में भाग गया। गैर जिम्मेवार अधिकारी करार देते हुए नसरूल्ला खाँ, डिप्टी कलैक्टर, गुड़गॉव को डिसमिस किया गया।

फोर्ट विलियम

हस्ता०/-

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
1858 के नं० 106 के अनुलग्नक
नं० 92, 1858

प्रेषक,

कार्यवाहक पोलिटीकल एजेन्ट, भरतपुर

सेवा में,

ब्रिगेडियर जनरल, लारेन्स
कार्यवाहक एजेंट, गवर्नर जनरल,
राजपूताना स्टेटस, माऊंट आबू ।

भरतपुर 19 जुलाई, 1858

मुझे आपका पत्र क्रमांक 738 दिनॉक 8 जुलाई 1858 जो कि मिस्टर एडमन्सटन के पत्र क्रमांक 1894 के सम्बन्ध में है और होडल में कस्टम विभाग की सम्पत्ति के नुकसान का ब्यौरा दिया हुआ है, मिल गया है। इसके उत्तर में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि होडल में फौजों के विद्रोह के दौरान निसन्देह बंगलों को आग लगा दी गई। अभी तक यह नहीं पता चला है कि आग विद्रोही फौजों ने लगाई या होडल गाँव के ज़मींदारों ने लगाई। परन्तु सम्पत्ति का नुकसान उस समय हुआ जब विद्रोह जोरों पर था। मुझे ऐसा विश्वास है कि यह आगजनी का कार्य फौजों ने किया और राजस्थान प्रशासन इस अवसर पर हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए तैयार है । मैं हर्जाने के दावे के लिए आगरा के कमिश्नर को 3000 रुपये भेज दूंगा।

पोलिटीकल एजेन्ट, भरतपुर
19 जुलाई, 1858

हस्ता०/-

नं० 91. 1858

प्रेषक:

कमिश्नर, कस्टम विभाग

सेवा में,

सदर बोर्ड रेवेन्यू, आगरा

आदरणीय महानुभावो,

मैं आपके पास मथुरा के कस्टम कलैक्टर के पत्र क्रमांक 73, दिनाँक 29 मई के संलग्न पत्रों के साथ भेज रहा हूँ। जिसमें कचहरी की लागत के अनुमानित खर्च दिए हुए हैं। जिसको अदा कराने की बहुत ही अनिवार्यता है और मिस्टर ब्रैडफोर्ड द्वारा वांछित 4500 रुपये की राशि की स्वीकृति के लिए प्रार्थना करता हूँ।

कलैक्टर के पत्र पैरा 7 के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि होडल में फिलहाल नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो 3000 रुपये की राशि खर्च हुई है उसको भरतपुर स्टेट से हर्जाने के रूप में लेना बिल्कुल सही व न्याय संगत है । उनकी फौजें उस समय होडल के चारों तरफ डेरा डाले हुए थी, जब हम उनके कैम्प की सीमाओं में ही थे तो मैंने कई भवनों से आग की लपटों को देखा। मिस्टर ब्रैडफोर्ड ने रेवेन्यू कलैक्टर के कार्यालय की समीपता और मकान की किलेबन्दी को देखते हुए जो जगह चुनी थी वह अपने उद्देश्य के लिए बिल्कुल उचित व न्याय संगत थी। इसके बाद पहले वाली जगह की तरह दूसरा लाभकारी स्थान व मौहल्ला प्राप्त करना एक कठिन कार्य है।

कस्टम कमिश्नर कार्यालय

4 जून 1858

हस्ता०/-

कस्टम कमिश्नर

सन्दर्भ: फोरन पोलिटीकल, नं० 34
20 अगस्त, 1858,
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

नं० 74, 1858

प्रेषक:

कार्यवाहक सचिव, सदर बोर्ड रेवेन्यू,
उत्तर पश्चिमी प्रान्त।

सेवा में,

विलियम मयूर,
सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त सरकार,
इलाहाबाद ।

आगरा 12 जून, 1858

श्रीमान जी,

मुझे सदर बोर्ड रेवेन्यू से निर्देश मिले हैं कि आपको संलग्न पत्राचार, जो कि मथुरा में कस्टम विभाग के कलैक्टर के कार्यालय के लिए बंगला खरीदने व उसकी मरम्मत के सम्बन्ध में है, भेज दूँ।

इस उद्देश्य के लिए महामहिम गवर्नर जनरल द्वारा संस्वीकृत खर्च की 4500 रुपये की राशि की बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। हिसाब किताब रखें।

होडल में मिस्टर ब्रैडफोर्ड के कार्यालय की तोड़फोड़ में भरतपुर फौजी टुकड़ियों का हाथ है या नहीं- यह केस भरतपुर में पोलिटीकल एजेन्ट को भेजना सर्वथा उचित रहेगा ।

सदर बोर्ड रेवेन्यू

12 जून, 1858

हस्ता०/-

कार्यवाहक सचिव,
उत्तर पश्चिमी प्रान्त, आगरा

सन्दर्भ: विदेश विभाग, नं० 36-37,
20 अगस्त 1858
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

नं० 106 एवं नं० 777, 1858

प्रेषक:

हेनरी लारेंस
कार्यवाहक एजेन्ट, गवर्नर जनरल, राजपूताना

सेवा में,

मिस्टर एडमन्सटन
सचिव, भारत सरकार,
आबू, 26 जुलाई, 1858

श्रीमान जी,

मुझे आपका पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 28 जून, संलग्न पत्रों समेत मिल गया है जो कि होडल में कस्टम विभाग के डिप्टी कलैक्टर के कार्यालय के विनाश (तोड़ फोड़) से सम्बन्धित है। इस पत्र के जवाब में मैं भरतपुर के पोलिटीकल एजेन्ट की रिपोर्ट की प्रति भेज रहा हूँ जिसमें यह कहा गया है कि वे (भरतपुर प्रशासन) इस अवसर पर हुए नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं और हर्जाने के लिए किये गये दावे के लिए आगरा के कलैक्टर को 3000 रुपये भेज दिये गये हैं।

राजपूताना एजेन्सी, आबू — आपका आज्ञाकारी सेवक

26 जुलाई, 1858 — हस्ता०/-

कार्यवाहक एज़ेन्ट, गवर्नर जनरल।

सन्दर्भ: फोरन पोलिटीकल, नं० 38
20 अगस्त, 1858
राष्ट्रीय अभिलेखागार,नई दिल्ली।

नं० 2786

प्रेषक:

सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग।

सेवा में,

सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त सरकार,
दिनांक 13 अगस्त, 1858

श्रीमान जी,

आपके 23 जून के पत्र क्रमांक 62 ए के सन्दर्भ में, जो कि होडल में कस्टम विभाग के कलैक्टर के कार्यालय की तोड़ फोड़ व विनाश से सम्बन्धित है, उसके बारे मुझे निर्देश मिला है कि मैं कार्यवाहक एजेन्ट, गवर्नर जनरल, राजपूताना के पिछले माह के पत्र क्रमांक 106 व इस के अनुलग्नक उत्तर पश्चिमी प्रान्त की सरकार की सूचना हेतु आपको भेज दूँ, जिसमें इस अवसर पर हुए नुकसान की जिम्मेदारी भरतपुर राज्य की मानी गई है।

हस्ता०/-
सचिव, भारत सरकार

रोहतक

रोहतक अपनी सैनिक परम्पराओं के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। इस जिले के जवान बड़ी संख्या में अंग्रेजी फौज में थे। रोहतक जिले में रांगड़ और जाट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की नियमित बटालियनों में बड़ी संख्या में कार्यरत थे, अपने ब्रिटिश अफसरों से असंतुष्ट थे। इन बटालियनों के सिपाहियों ने छुट्‌टी पर घर आकर गाँव वालों में असंतोष फैलाया। बंगाल सिविल सर्विस के जॉन एडम लोच ने, जो रोहतक के कलैक्टर थे, इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए जिले में छुट्‌टी पर आए सभी सिपाहियों को मुख्यालय लौटने के आदेश निकालने का कदम उठाया। उसने झज्जर नवाब को कुछ सेना रोहतक भेजने को कहा। इस माँग पर नवाब ने कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु दूसरी मांग पर 18 मई को उसने एक सैन्य टुकड़ी, दो तोपों तथा कुछ घुड़सवारों के साथ भेज दी। वहाँ जाकर वे भी विद्रोहियों से मिल गए। जैसे-जैसे दिन बीतते गए विद्रोहियों ने जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाना आरम्भ कर दिया। 23 मई 1857 को बादशाह बहादुरशाह के दूत तफज्जल हुसैन के एक छोटी सेना के साथ आगमन ने आग में घी का कार्य किया और विद्रोहियों ने रोहतक पर जोरदार हमला किया। कलैक्टर एडम लोच ने स्वयं को मुश्किल परिस्थिति में पाया। तफज्जल हुसैन से लड़ाई में परास्त होने पर वह थानेदार भूरे खान के साथ गोहाना भाग गया। तहसीलदार बख्तावर सिंह भी गोहाना भाग गया। अन्य अधिकारियों तथा यूरोपियनों ने भी भागने में उनका अनुकरण किया। बिना किसी विरोध के फौज के कार्यालय, न्यायालय तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगले जला दिए। विद्रोहियों ने सरकारी रिकार्ड नष्ट कर दिए। शहर के धनी व्यक्तियों को लूट लिया और जेल तोड़कर कैदियों को आजाद करा दिया। रोहतक कोष के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली लौटते समय तफज्जल हुसैन ने सांपला पर आक्रमण किया। वहाँ उसने उन सभी इमारतों को जला दिया जिसमें यूरोपियन रहते थे। महम, मदीना और मान्डोठी के कस्टम बंगले लूटकर जला दिए गए। सदर अमीन को शहर का सूबेदार घोषित कर दिया। विद्रोह में रांगड़, राजपूत, जाट और यहाँ तक कि बुनकर व शिल्पकार सभी कूद पड़े। हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री और चौथा रिसाला सैन्य टुकड़ियों ने रोहतक के विद्रोह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

थॉमस सीटन के नेतृत्व में लोच के साथ 60 वीं स्वदेशी पैदल सैन्य टुकड़ी के पहुँचने पर कलैक्टर ने व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस बटालियन ने जिला न्यायालय में अपनी छावनी बनाई। परन्तु उनकी बदली हुई मानसिकता के कारण

इन की वफादारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और वही हुआ। उन्होंने 31 मई को विद्रोह कर दिया। जज की कचहरी जला दी तथा कलैक्टर का खजाना लूट लिया। 10 जून दोपहर को ग्रेनेडियर कम्पनी ने विद्रोह कर के हथियारों पर कब्जा कर लिया। जैसे ही यूरोपियन अधिकारी आए उन पर उनके ही आदमियों द्वारा गोलियाँ चलाई गईं और कोई भी देशी अधिकारी अंग्रेजों का वफादार नहीं रहा। रोहतक की तरफ अपनी पीठ करके यह अधिकारी दिल्ली की तरफ भाग गए। लोच पैदल ही सांपला की तरफ भाग गया और उसके पश्चात् घोड़े पर बैठकर बहादुरगढ़ गया, जहाँ से वह दिल्ली पहुँचा।

8 अगस्त को ब्रिगेडियर जनरल निकलसन, भारी फौज के साथ रोहतक पहुँचा और उसने बागियों पर हमला बोल दिया। रोहतक शहर में एक बहुत बड़ी बारूद फैक्ट्री थी जिसमें आग लगने से 500 बागी हताहत हो गए, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ीं थीं फिर भी इन परिस्थितियों में क्रान्तिकारी अडिग रहे। रांगडों ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और बड़ी संख्या में बाबर खान के नेतृत्व में इकट्ठे हो गए। अंग्रेजों को भय था कि रोहतक क्षेत्र की यह विद्रोही शक्तियाँ दिल्ली से फिरोजपुर जा रही गाड़ी को रोक कर इस पर कब्जा कर सकती थी। कैप्टन हडसन को दिल्ली से 6 आफिसरों, 103 सहायकों, 233 घुड़सवारों और 25 जींद के घुडसवारों के साथ इन विद्रोहियों को रोकने के लिए भेजा गया। विद्रोही खरखौदा में रिसालदार विसारत अली की कमान्ड में हडसन की सेना के साथ बहादुरी से लड़े, परन्तु ब्रिटिश सेना के विरुद्ध सफल नहीं हो सके। विसारत अली अपने 25 आदमियों के साथ लडाई में मारा गया । हडसन ने रोहतक की तरफ प्रस्थान किया जहां हजारों रांगड़ देशभक्तों ने बाबर खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। 17 अगस्त को हडसन रोहतक पहुँचा । रात के अंधेरे में रांगड़ों ने हडसन की सेना पर आक्रमण किया। हडसन ने चाल चली और वह कुछ पीछे हट गया, फिर एकदम रांगड़ सेना पर हमला बोल दिया। अस्थल बोहर के पास हडसन ने रात बिताने की सोची। एक बार फिर बाबर खान की कमान में एक हज़ार रांगड़ों ने हडसन पर जोरदार हमला किया परन्तु हडसन को इस आक्रमण की सूचना थी और वह पूरी तरह तैयार था। विद्रोही बड़े शौर्य से लड़े। जब देखा कि उन्हें बहुत हानि हो रही है तो पास के जंगल में घुसकर वहां से हडसन के सैनिकों को निशाना बनाते रहे। इस छापा मार युद्ध से परेशान होकर हडसन ने अपनी सेना को एक मील पीछे हटाकर फिर आक्रमण करने का हुक्म दिया। इस जोरदार आक्रमण में जो रांगड़ों पर अचानक हुआ, उसमें हडसन सफल हुआ, परन्तु आगले दिनों में जब तक हडसन दिल्ली वापिस नहीं लौटा उसे छापा मार विद्रोहियों का डर बना रहा। हडसन ने दिल्ली लौटने से पहले खरखौदा, सांपला, महम और गोहाना के महत्वपूर्ण कस्बों को जीन्द के राजा के अधीन कर दिया।

उधर पूरे रोहतक जिले की पंचायतों और खापों ने प्रशासन पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने-अपने इलाकों का राज-प्रबन्ध खाप पंचायतों द्वारा किया जाने लगा। विभिन्न खाप पंचायतों ने अपने सैनिक दस्ते बना लिए और हर गाँव की सुरक्षा का प्रबन्ध कर लिया। किसी भी हमले की पूर्व सूचना प्राप्त करने और लोगों को चेतावनी देने के लिए गाँव की चौपाल के चौबारों में चौकीदार तैनात रहते और जब भी किसी ख़तरे का आभास होता, वे पहरेदार नगाड़े बजा-बजा कर लोगों को चेतावनी देते थे। यह सच है कि रोहतक पर अधिकार होने के बहुत बाद तक भी ब्रिटिश प्रशासन यहां के स्वाधीनता प्रेमी लोगों पर काबू नहीं पा सका था।

सितम्बर में जनरल वान कोर्टलैण्ड ने विद्रोह में शामिल सभी व्यक्तियों को सजा देने के लिए रोहतक की तरफ प्रस्थान किया। अंग्रेजो का दिल्ली पर अधिकार होने के बाद रोहतक वासियों पर जो दमन चक्र चला, वह इतना पाश्विक था कि वर्णन करना कठिन है। सैंकड़ों लोगों को खुले आम फाँसी दी गई। रांगड़ों को चुन-चुन कर गोली का निशाना बनाया गया। रोहतक शहर के बाहर कचहरी के समीप वृक्षों पर सैंकड़ों फाँसी के फन्दे लटक रहे थे, जिन पर बारी-बारी से विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फाँसी दी गई। इस भयावह दृश्य को दिखाने के लिए लोगों को जबरदस्ती वहाँ इकट्ठा किया जाता था। गाँव वाले जो विरोध के लिए प्रसिद्ध थे, उन पर कुल 63 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया, जबकि जिन्हें दोषी पाया गया उनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई।

उदय राम ने जो बादली गाँव के थे, विद्रोह के दौरान अंग्रेज सरकार की अच्छी सेवाएँ की थी। अंत: उन्हें 500 रुपये की खिल्लत (नजराना) और बादली परगने के धूमन गाँव का आधा राजस्व जीवन पर्यन्त के लिए दिया गया।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

जे० डी० लाक

सेवा में,

थार्न हिल,
सैक्रेटरी, उत्तर पश्चिमी प्रान्त,
6 जून, 1857

24 मई की प्रात: मुझे विवश होकर पानीपत जाना पड़ा क्योंकि वहाँ बडी संख्या में विद्रोहियों ने दो तोपों के साथ हमला बोला था। मैं 28 मई तक पानीपत रहा, जब तक कि सर एच० बर्नाड ने 60वीं रेजीमेंट के साथ वापस रोहतक जाने के आदेश मुझे दिये। इस रेजीमैंट के सिपाहियों ने भी मेरे हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया।

रोहतक लौट कर मैंने देखा कि कचहरी, रिकार्ड-आफिस, खजाना, सिविल कोर्ट सब बर्बाद हैं। दिल्ली का बादशाह हिन्दुस्तान का बादशाह घोषित हो चुका है और सदर अमीन को इस जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया है।

मैंने सुना है कि अलीपुर और सिरसा खाली कर दिए गए हैं। हम सब यहाँ बड़े संकट में हैं और हर घड़ी दिल्ली की खबर सुनने को आतुर हैं।

6 जून, 1857-जे० डी० लॉक

मुख्य आयुक्त, लाहौर कार्यालय के रिकार्ड के मुताबिक रोहतक जिले के बागी जो दिल्ली में बागियों की सहायता के लिए गये थे, वे वापिस रोहतक आ गये। अब उनके हिसार की ओर बढ़ने की संभावना है इसलिए कैप्टन मैकेन्ड्रयू सहायक आयुक्त, पानीपत से जीन्द राजा के कुछ सैनिकों और कुछ अंग्रेजी सैनिकों के साथ दिल्ली वापिस आ गये हैं। आर्मी मुख्यालय लाहौर द्वारा यह निश्चय किया गया है कि लाहौर से हाँसी, हिसार, सिरसा के लिए फौजें भेजी जायें ताकि वहाँ दोबारा अमन चैन स्थापित हो सके। इस इलाके में पानी की कमी इन दिनों ज्यादा होती है। इसलिए वहाँ पहले तैनात सेना के लिए कुछ गाईड भेजे जायें। इसके अतिरिक्त चीफ कमिश्नर ने नवाब भावलपुर से 500 घुड़सवार सैनिकों की हिसार, हाँसी, सिरसा जिलों में अमन स्थापित करने के लिए सहायता माँगी थी, लेकिन नवाब की रियासत में जोरों का उपद्रव होने के कारण वह सहायता देने में असमर्थ रहा।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

चीफ कमिश्नर आफिस लाहौर
12 अगस्त, 1857

रोहतक के बागी ब्रिटिश फौजों पर गोलियों से जोरदार हमला कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना बचाव किया और कोई खास नुकसान नहीं हुआ।

दिनाँक 8 अगस्त, 1857 को ब्रिगेडियर जनरल निकलसन, भारी फौज के साथ पहुँच गए हैं और बागियों पर हमला कर दिया है।

शहर में एक बहुत बड़ी बारूद फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगने से विस्फोट हुआ। जिसमें लगभग 500 बागी हताहत हुए। फिर भी बागी बड़े जोरों से मुकाबला कर रहे हैं, इसमें ब्रिटिश सैनिक भी हताहत हुए हैं।

महाराजा जीन्द से सन्देश प्राप्त हुआ है कि वह जल्दी ही रोहतक में ब्रिटिश सहायता के लिए सेना भेज रहे हैं।

मेजर वाचहाऊस एच०एम० 24वीं पैदल सेना और कैप्टन पटोनस घुड़सवार सेना के साथ आज प्रातः मियाँ मीर पहुँच गए हैं।

जे०डी० मैक्फरसन,लैफ्टीनैन्ट
मिलिट्री सैक्रेटरी टू दी चीफ कमिश्नर

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

नं० 59

प्रेषक,

फोर्ट विलियम, विदेश विभाग,
भारत सरकार।
23 अक्तूबर, 1858

सेवा में,

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज़

1858 की दूसरी तिमाही के पंजाब के प्रशासन से सम्बन्धित पत्राचार के कुछ

अंश:-

दिल्ली के कार्यवाहक कमिश्नर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में लाते हैं:-

दिल्ली के पतन के पश्चात् यह जरूरी हो गया था कि सेना द्वारा रोहतक पर अधिकार किया जाए और वहाँ के नागरिक प्रशासन का प्रबन्ध किया जाए। सेना के एडजूटेन्ट जनरल ने चीफ कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट में कहा कि रोहतक के लिए सेना चलने वाली है और सुझाव दिया है कि वहाँ का चार्ज एक कुशल अधिकारी को दिया जाये। उसके सुझावानुसार, मिस्टर कैम्पबैल को रोहतक भेज दिया गया और उसने इस विकट समय में रोहतक का चार्ज ले लिया था जो कई महीने तक उपद्रवी व विद्रोही क्षेत्र रहा था। इस अव्यवस्था के समय उसने दमनचक्र चलाकर विद्रोह को दबाया।

उदय राम, जो बादली गाँव के थे, उन्होंने विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ी सरकार की अच्छी सेवाएं की थी, उसको जयपुर में कैप्टन ईडन, पोलीटीकल एजेन्ट ने दिल्ली संदेश ले जाने के लिए अपना संदेश वाहक रख लिया। उसकी अच्छी सेवाओं के बदले उसको 500 रुपये की खिल्लत (नज़राना) और बादली परगने के धूमन गाँव का आधा राजस्व (मालिया) जीवन पर्यन्त दे दिया ।

फोर्ट विलियम

23अक्तूबर 1858 हस्ता०/-

सन्दर्भ: विदेश विभाग,पोलिटीकल डिस्पेच
फ्राम सैक्रेटरी टू स्टेट
दिनाँक 9 सितम्बर, 1858

नं० 37

प्रेषक:

इण्डिया आफिस लन्दन

सेवा में,

गवर्नर जनरल, भारत सरकार

उक्त पत्र के कुछ अंश :-

रोहतक में विद्रोह के दौरान रोहतक के मारे गए कोतवाल की विधवा को 29 रुपये मासिक पैन्शन तथा उसकी पुत्री की शादी के लिए 100 रुपये दहेज के लिए स्वीकृत किए गए।

हिसार

1857 की जनक्रान्ति से पहले सिरसा और हाँसी अंग्रेजों द्वारा जिले बना दिए गए थे, लेकिन जब 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन सम्भाला, तब हिसार को भी जिला बना दिया गया। इसलिए तीनों जिलों का विद्रोह के समय का वर्णन इकट्ठा हिसार में लिखा गया है।

सन् 1857 के विद्रोह में हिसार के लोगों ने अहम् भूमिका निभाई। इस विद्रोह के दौरान हिसार जिला एक समय के लिए अंग्रेजों के हाथों से निकल चुका था। सबसे पहले हाँसी में घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह किया। 1857 में दिल्ली के विद्रोह के बाद 14वीं कैवेलरी और हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री के कमांडिंग आफिसर, मेजर स्टैफोर्ड तथा अन्य अधिकारी भागने में सफल हो गए। लेकिन अंग्रेजों के 11 आदमी, औरतें और बच्चे, जो भाग नहीं सके, मारे गए। अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी गई और अंग्रेज परस्तों के घर व दुकानें लूट ली गई । मिर्जा मुसील बेग के नेतृत्व में दादरी के घुड़सवार सैनिकों ने हिसार की चुंगी लूट ली। 27 मई को मुगल शहज़ादा मुहम्मद आजम दिल्ली से हिसार पहुँचा और हिसार पर अधिकार करके शहंशाह बहादुरशाह जफर के प्रतिनिधि के रूप में शासन की बागडोर सम्भाल ली। सूबेदार शाहनूर खान के नेतृत्व में हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री हिसार ने भी विद्रोह कर दिया। उपायुक्त वैडरबर्न किले में अपने परिवार के साथ रहता था। किले पर तैनात सिपाहियों ने उन्हें अन्दर नहीं आने दिया। दो अंग्रेज शोर सुनकर बाहर आए, परन्तु इससे पहले कि वे कुछ कहते उन्हें गोली मार दी गई। एक ही नजर में जनता इन बागी सिपाहियों के साथ मिल गई। जिले की जेल तोड़ दी गई और कैदियों को रिहा करवा लिया गया। जिले के खजाने से एक लाख सत्तर हजार रुपये लूट लिए गये। उपायुक्त वैडरबर्न को कोर्ट में गोली मार दी गई। हिसार के तहसीलदार डेविड थाम्पसन को उसके ही चपड़ासी ने मार डाला और 12 अन्य अंग्रेजों को मार दिया गया। 2 जून, 1857 को मुख्य आयुक्त ने सूचना दी कि हाँसी और हिसार में प्रत्येक यूरोपियन की हत्या कर दी गई है और विद्रोहियों द्वारा हिसार पर कब्जा कर लिया गया है। स्कीनर को राजगढ़ (बीकानेर) में हिसार जिले के मंगाली गाँवों के रांगड़ों (मुसलमान राजपूत) ने घेर लिया। इस विद्रोह में हिसार जिले के गाँव मंगाली, सिवानी, चौधरीवास व सातरोड के जाट व रांगड़ एवं फतेहाबाद के भट्टियों का मुख्य हाथ रहा। भटियाना के सुपरिन्टैन्डैंट कैप्टन रोबर्टसन और उसका परिवार डबवाली और भटिन्डा होते हुए फिरोजपुर भाग गए । अन्य 17 अंग्रेज सहायक सुपरिन्टैन्डैन्ट डोनाल्ड के साथ साहुवाला पहुँचे और महाराजा पटियाला की शरण ली। कमांडिंग अफसर हिलार्ड सिपाहियों को मनाने बैरकों में गए, परन्तु उन्होंने उनकी एक न सुनी, और उन्हें

जाने के लिए कहा, परन्तु रास्ते में मारे गए। विद्रोही सिरसा से अंग्रेजी हकूमत के परखचे उड़ा चुके थे। उन्होंने जिला खजाना पर कब्जा करके 8000 रुपये लूट लिए।

यह सब करने के बाद विद्रोही हाँसी के लिए चल पड़े जहाँ जिले के सभी बागी दस्ते एकत्र हुए। कुछ समय वहाँ रूकने के बाद वे रोहतक होते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। जून माह के पहले हफ्ते तक पूरा जिला अंग्रेजों के हाथों से जा चुका था।

उधर सिरसा में विद्रोह की आग भड़की। गोरे अफसर भाग खड़े हुए। रानियां के नवाब के नेतृत्व में सिरसा के भट्टियों ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। मीर समद खाँ भट्टी ने भी अपना एक दस्ता बनाया और अपने चाचा गोहर अली खाँ के साथ मिलकर काफी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जून के आरम्भ में शहज़ादा मुहम्मद आजम एक सुसंगठित हरियाणवी सेना के साथ बादशाह की मदद के लिए वापस दिल्ली लौटा। हिसार से उसका वापिस दिल्ली चले जाना घातक सिद्ध हुआ। जॉन लारैंस चीफ कमिश्नर ने जनरल वॉन कोर्टलैंड को हिसार पर अधिकार करने के लिए भेजा। उसकी सहायता के लिए 500 पुराने प्रशिक्षित एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सिपाहियों को लाहौर से भेजा गया। अंग्रेजी सेना का 17 जून को रानिया के नवाब की सेनाओं के साथ ओढां के स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें 600 सैनिक मारे गए, लेकिन अंग्रेज विजयी रहे। भट्टियों से दूसरी लड़ाई घग्घर के किनारे खिरका गाँव में हुई, जिसमें भट्टियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस लड़ाई में 530 क्रान्तिकारी युद्ध भूमि में काम आए। पूरे सिरसा क्षेत्र को अंग्रेजी फौज ने बुरी तरह लूटा। रानियां का नवाब नूर समद खान जान बचाकर भाग निकला। किन्तु लुधियाना के आस-पास वह पकड़ा गया। अंग्रेजों ने उसे फिरोज़पुर छावनी में फाँसी पर लटका दिया। जहाँ उसका मकबरा बना हुआ है।

18 जून को अंग्रेजी सेना ने छतरियाँ नामक गाँव पर आक्रमण किया । इस गाँव के निवासियों ने एक अंग्रेज अधिकारी हिलार्ड और उसके साले को कत्ल किया था। चूंकि आक्रमण अचानक हुआ था इसलिए ग्रामीण न तो शत्रु का विरोध करने का यत्न कर सके और न ही वे भाग सके। आक्रमणकारियों ने लुटेरे नादिरशाह के कुकृत्यों की पुनरावृति कर दी। उन्होंने बालक, बूढ़े, जवान सैंकड़ों की संख्या में मौत के घाट उतार दिए और लूट-खसोट के पश्चात् उनके घर ज़लाकर भस्म कर दिए। दूसरे दिन खैरा गाँव पर आक्रमण हुआ। किन्तु वहाँ के निवासी छतरिया गाँव की तरह अचेत अवस्था में नहीं पकड़े जा सके। उन्हें आक्रमण की खबर पहले से ही लग गई थी और वे शत्रु से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार थे। गाँव से बाहर मैदान में जमकर युद्ध हुआ और ग्रामीण आखिरी दम तक साहस से लड़ते रहे। 300 गाँववासी वहीं दम तोड़ गए, किन्तु तिल भर भी पीछे नहीं हटे। अंत में अंग्रेज सैनिक संख्या

में अधिक होने के कारण सफल रहे। उन्होंने गाँव जलाकर राख कर दिया और स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े निर्दयता से कत्ल कर दिए। विजय से उत्साहित होकर वॉन कोर्टलैंड 20 जून को सिरसा पहुँचा। वहाँ उसे बीकानेर के राजा के 800 सैनिकों व दो तोपों की सहायता मिल गई। जनरल ने बीकानेर सैनिक टुकड़ी को कैप्टन पियर्स के नेतृत्व में भादरा के रास्ते हिसार भेज दिया और स्वयं सिरसा रूक गया। 8 जुलाई को जनरल हिसार के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह जिन गाँवों से गुजरा, उसे विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। लेकिन उसने हिसार जिले के विद्रोहियों पर काबू पा लिया। मुहम्मद अज़ीम के घर को तोड़ दिया और उसकी बेगम को कैद कर लिया। सात गाँवों मंगाली, जमालपुर, हाजिमपुर, ओढ़ां, छतरिया, खारियां और अलीपुर के मालिकाना अधिकार खत्म करके जमीनें जब्त कर ली गई और दूसरे अन्य गाँवों पर जुर्माना लगाया गया। 133 लोगों को फाँसी पर चढ़ाकर उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गई। सबसे ज्यादा जुल्म रानियां के नवाब नूर समद खाँ के परिवार पर किए गए। उसके अतिरिक्त उसके चचेरे भाई गौहर अली को भी गिरफ्तार करके 18 अगस्त 1857 को सिरसा में फॉसी दे दी गई। उसके सम्बन्धी और सहयोगी: नवाब वज़ीर खान, सूबा खान, और उमराव अली खान को हिसार में फाँसी दी गई। नूरसमद के चचेरे भाई अली खान को आजीवन कारावास दे दिया गया। बहादुर खान, जो श्रीमती बैडरबर्न और हिसार में दूसरे यूरोपियनों का हत्यारा था, उसे सी०बी० साण्डर्स ने सोनीपत से गिरफ्तार करके हिसार भेज दिया और उस पर मुकदमा चलाया।

शहज़ादा मुहम्मद आज़म को जब हिसार में अंग्रेजों की लूटमार की खबर दिल्ली में मिली तो वह अगस्त के अन्त में एक शक्तिशाली सैनिक दस्ते के साथ हिसार लौटा। उसके पास तीन तोपें भी थी। तुरन्त हिसार के लोग शहजादे के झण्डे के नीचे एकत्रित हो गये। विद्रोही सेना ने 25 अगस्त को तोशाम पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के तहसील दफ्तर पर कब्जा कर लिया। वहां के तहसीलदार नन्दपाल, थानेदार प्यारेलाल, कानूनगो ख़जान सिंह तथा काफी जवान मारे गए। तहसील के खजाने से काफी धन प्राप्त हुआ। तोशाम के गोरे अधिकारियों को मार डाला गया। इसके उपरान्त विद्रोही सेना हाँसी की ओर बढ़ी। जनरल वॉन कोर्टलैंड के साथ हाँसी के समीप मंगाली गाँव में भयंकर युद्ध हुआ। फिरोजपुर की विद्रोही सेना 10वीं पलटन तथा झज्जर का एक रिसाला विद्रोहियों से जा मिला। परन्तु शक्तिशाली गोले बारूद की व्यवस्था न होने के कारण विद्रोही सेना 6 सितम्बर को फिरंगी सेना से हार गई। इसमें 400 विद्रोही मारे गए।

परन्तु शहज़ादा मुहम्मद आज़म ने संघर्ष जारी रखा। उसकी सैनिक शक्ति फिरोजपुर की दसवीं लाईट कैवेलरी और झज्जर के सैनिकों के आ मिलने से बढ़ गई थी। शहज़ादा आज़म की कमान में इस विद्रोही सेना ने वान कोर्टलैंड से 11 सितम्बर

को मंगाली के स्थान पर फिर टक्कर ली परन्तु उसमें भी मुहम्मद आज़म सफल न हो सका। अन्त में 30 सितम्बर को जमालपुर के पास रांगड़ों और दिल्ली के सैनिक दस्तों की मदद से शहजादा आजम ने अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध लड़ा। परन्तु अंग्रेजी फौज को अंग्रेज परस्त देशी रियासत बीकानेर के राजा से 1100 घुड़सवार सैनिक सहायता मिलने के कारण उस युद्ध में भी शहजादा मुहम्मद आजम हार गए। उसके बाद रोहनात गाँव पर जनरल ने हमला किया और गाँव के लोगों ने उसका डट कर मुक़ाबला किया। रोहनात को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया। सैंकडों लोग मारे गए। ढाणी पुठी मंगल खाँ को भी तोपों से उड़ा दिया गया और मंगल खाँ को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँसी के आस- पास के गांव जमालपुर, हाजिमपुर, भाटल, अलीपुर और मंगाली के विद्रोहियों को हाँसी लाकर, मुख्य बाजार में रोड-रोलर के नीचे कुचलवा दिया गया, जिससे यह सड़क अब भी लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। हाँसी में हुक्मचन्द जैन, उनके भतीजे फकीर चन्द जैन और एक मुस्लिम मित्र मुनीर बेग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुरशाह को अपना सम्राट मानकर उसे एक पत्र लिखा जिसमें फौज और युद्ध सामग्री भेजने के लिए कहा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में पूर्ण सहयोग दिया। 5 नवम्बर, 1857 को दिल्ली पर कब्जा करने के बाद एक पत्र सम्राट की निजि फ़ाईलों में से बरामद किया गया। सी०बी० सान्डर्स आयुक्त, दिल्ली ने इसे हिसार के उपायुक्त को भेजकर, इस पर कार्यवाही करने के लिये कहा। परिणामस्वरूप लाला हुक्मचन्द जैन व मुनीरबेग के घरों पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ लाला जी का 13 वर्षीय भतीजा भी शामिल था और उन्हे हिसार लाया गया।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

सन्दर्भ: विदेश विभाग. 1-8. गोपनीय
31 जुलाई 1857.
राष्ट्रीय अभिलेखागार. नई दिल्ली।

प्रेषक:

कैप्टन एच० आर० जैम्स
कार्यवाहक सचिव. चीफ कमिश्नर. पंजाब

सेवा में,

जी० एफ० एडमन्सटन
सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग,
रावलपिण्डी. 2 जून,1857

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

चीफ कमिश्नर को भय है कि दिल्ली के कत्लेआम जैसी घटना. हिसार में भी हुई है। मुझे गुप्त सूचना मिली है कि दिल्ली से कुछ बागी फौजें हाँसी और हिसार में जा चुकी हैं। वहाँ उन्होंने भारतीय फौजों और देहातियों को विद्रोह के लिए उकसाया है। प्रत्येक यूरोपियन का कत्ल कर दिया गया है। परिणामस्वरूप डा० वागहोर्न करनाल पहुँच गए हैं और सिरसा से कैप्टन रोबर्टसन रिपोर्ट देते हैं कि अंग्रेजी औरतों ने हाँसी और हिसार को छोड़ दिया है और अंग्रेज अधिकारी भी वहाँ से जाने वाले हैं। वह इलाका बड़ा अशान्त व गड़बड़ी वाला है। जगह-जगह लाशें ही लाशें पडी हैं। चीफ कमिश्नर ने 10वीं लाईट कैवेलरी को फिरोजपुर से फाजिल्का भेज दिया है. जिसके साथ लाहौर की पैदल सेना भी है। यह सारी फौजें सिरसा में अंग्रेज अधिकारियों के अधीन रहेंगी तथा वहाँ शान्ति स्थापित करके गड़बड़ी फैलाने से रोकेंगी।

पंजाब के सभी इलाक़ों से आने वाली बिट्रिश फौजें "राई" में 7 जुलाई तक इकट्ठी होकर 9 तारीख तक दिल्ली पहुँच जाएंगी। कैप्टन एन्ड्रयू जीन्द की फौजों के साथ हैं, जिसने दिल्ली से 20 मील दूर कल अपनी पोजीशन ले ली है।

दिनाँक 2 जून, 1857 हस्ता०/-

कैम्प रावलपिण्डी

मन्दर्भ· विदेश विभाग
राष्ट्रीय अभिलेखागार,नई दिल्ली।

प्रेषक:

मि० स्मिथ
क्लर्क, कलैक्टर कार्यालय, हिसार

सेवा में.

थार्न हिल
सैक्रेटरी, उत्तर पश्चिमी प्रान्त, आगरा
5 जून, 1857

. उक्त पत्र के कुछ अंश:-

पिछले 8 दिनों से मैं कुछ बिशनोइयों की दया से हिसार के समीप ही झाडियों में छिपा हुआ था। स्याही और कागज न होने के कारण आपको नहीं लिख सका और किसी भी तरह का संदेश भेजने में असमर्थ था। पिछला पत्र व्यवहार पूरी तरह बन्द हो गया। अब मैं 29 मई को अचानक हुई दुखदाई घटनाओं का ब्यौरा भेज रहा हूं। झज्जर या दादरी से 1.00 बजे घुड़सवारों का एक दस्ता आया, मैं कलैक्टर कार्यालय जाने के लिए घर से निकल पड़ा था, मेरे साथ वहाँ पर हैड क्लर्क और मिस्टर वैडरबर्न भी थे। लगभग 1.00 बजे कस्टम विभाग का एक चपड़ासी दौडता हुआ आया, उसने हमें सूचित किया कि हिसार कस्बे में विद्रोही घुड़सवार पहुँच गए हैं। बाहर निकलकर हमनें देखा कि कुछ घुड़सवार नई जेल के पास खड़े हैं और कोई षड्यन्त्र रच रहे हैं। फिर हम अपनी घोड़ा बग्घियों में जा रहे थे तो उनमें से चार या पाँच सवार हमारे पीछे हो लिए तब हम कचहरी की तरफ मुड़ गए। जब कलैक्टर और हैड क्लर्क गाड़ियों के शैड की तरफ बचाव के लिए गए तो दोनों को गोली मार दी गई। कलैक्टर वहीं ढेर हो गया और हैड क्लर्क बच निकला परन्तु मैंने सुना है कि वह भी मारा गया है। मैं भागकर घोड़ा फार्म के जंगल में जाकर छिप गया। वहाँ से जाकर विद्रोहियों ने डैनियल को गोली मारी। घुड़सवारों और कस्टम विभाग के चपड़ासियों ने उसके घर को लूटकर आग लगा दी। तब वे कचहरी की तरफ मुडे और हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री बटालियन के 16 सैनिकों को ले गए। उस भीड ने उस बिल्डिंग से सारा सरकारी सामान लूट लिया और सारा सरकारी रिकार्ड जला दिया। उसी समय भीड़ के कुछ आदमी पुरानी जेल के पास गए और अन्दर दाखिल होने को कहा। उन्होंने जेल गार्ड से पूछा कि क्या अन्दर कैदी हैं ? तब जेल गार्ड ने कहा कि हाँ, तब विद्रोहियों ने जेल में दाखिल होकर उन्हें रिहा करवा लिया। जो 50 कैदी मेरे घर के नजदीक काम कर रहे थे, वे और घुड़सवार तथा दूसरे आदमी मेरे और हैड क्लर्क के घरों की तरफ आए। हैड क्लर्क की पत्नी तथा मेरे 5 बच्चे तथा

पत्नी जंगल की तरफ 100 कदम भी नहीं गए थे कि उन्हें भी दो मुसलमान रांगड़ों ने कत्ल कर दिया। शाम तक हमारी सारी सम्पत्ति लूट ली, घर को आग लगा दी और मलबा भी ले गए। उन्होंने सभी यूरोपियनों के घर जला दिए। लगभग 3 या 4 बजे ये विद्रोही जिले के खजाने में गए जोकि अभी-अभी कलैक्टर द्वारा कचहरी से किले में ले जाया गया था। हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री के सौ सैनिक किले की सुरक्षा के लिए तैनात थे, उन्होंने विद्रोहियों को बिंना रोक टोक अन्दर जाने दिया। तब खजाने पर कब्जा करने में सैनिक भी शामिल हो गए। लैफ्टीनैंट (एड्जूटेन्ट) बॉरवैल ने एक गार्ड को बुलाया परन्तु उसके आदमियों ने ही लैफ्टीनैंट बॉरवैल को गोली मार दी और दो अन्य घायल हो गए। तीनों की पत्नियों और एक बच्चे को गार्ड के सूबेदार ने बख्श दिया और उन्हें अपने घर ले गया। परन्तु वे भी ज्यादा देर जिन्दा नहीं रह सके क्योंकि कस्टम विभाग के चपड़ासियों ने उनका भी कत्ल कर दिया। तहसीलदार थामसन को थाने में मार दिया गया। उसी रात दिनाँक 29 को हिसार ट्रेजरी से हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री बटालियन की टुकड़ी डेढ लाख रुपये हाँसी ले गई। कुछ घन्टे पहले इसी दिन ऐसी ही घटना हाँसी में भी घटी और सारी बटालियन खजाने के साथ चली गई। हाँसी के बारे में मैं पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता। परन्तु बहुत से अधिकारी वहाँ से भाग गए हैं और मिस्टर एलैक्स शायद बीकानेर में राजगढ़ चले गए हैं। वहाँ पर 3 अंग्रेज, 5 औरतें तथा 6 बच्चे कत्ल कर दिए गए, बाकी भागने में सफल हो गए। मैं अभी तक रांगड़ों द्वारा मारे जाने के भय से यहाँ छिपा हुआ हूँ। मुझे आशा है कि यहाँ से भागने के लिए ऊँट किराए पर मिल जाएगा।

सिरसा में भी उसी दिन ऐसी ही घटना घटी और मैंने सुना है कि सभी यूरोपियन बचकर भाग निकले। वहाँ दादरी होर्स और बागी चौथी कैवेलरी का इरेगुलर रिसाला और हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री की दो कम्पनियाँ 3 तारीख को खजाने को लूटकर हिसार ले आईं। उसी रात को वे हिसार से हाँसी के लिए चल पड़े। हिसार को आसपास के कुछ गाँवों द्वारा लूटे जाने का डर है।

मुझे आशा है कि मेरी यह सूचना सही समझ कर हमारे लिए कुछ सैनिक सहायता भेजी जाए जो सिरसा और हिसार के बचे हुए यूरोपियनों के लिए वरदान सिद्ध होगी। कुछ ही तोपें, विद्रोही रांगड़ों और बागियों को दबाने में काफी होंगी।

मैं आगे सूचित करता हूँ कि हिसार जेल के कारखाने को जेल के गार्डों ने ही लूट लिया।

हस्ता०/-
मिस्टर स्मिथ
क्लर्क कलैक्टर आफिस, हिसार

सेवा में,

मिस्टर थार्न हिल,
सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त, आगरा
राजगढ़ इलाका, बीकानेर, 7 जून 1857

विद्रोहियों को मेरे छिपने के स्थान का पता चल गया था इसलिए मैंने बीकानेंर भागना उचित समझा। मैं 5 तारीख की रात को हिसार से चलकर राजगढ़ पहुँचा हूँ। यहाँ पर मैं अपने आपको सुरक्षित समझता हूँ। यहाँ पर मैंने किले में एलैक्स और उसके परिवार को सुरक्षित अवस्था में पाया। वहाँ पर मुझे बीकानेर टुकडियों के इन्चार्ज मिस्टर कोलरिज ने पूरी सहायता दी और महाराजा ने राजगढ़ में हमारे बचाव के लिए तोपें भेज दीं। मिस्टर कोलरिज ने सुना कि मिस्टर स्कीनर को राजंगढ़ (बीकानेर) में हिसार जिले के मंगाली गाँव के रांगडों ने दो बार बुरी तरह घेर लिया था। राजगढ़ तक जाने के लिए मिस्टर स्कीनर को 50 घुड़सवार बतौर एस्कोर्ट दिए थे। इस विद्रोह में हिसार जिले के गाँव मंगाली, सिवानी, चौधरीवास, सातरोड़ के जाट, रांगड़ व फतेहाबाद परगने के भट्टियों का मुख्य हाथ है।

हस्ता०/-
मिस्टर स्मिथ
क्लर्क, कलैक्टर आफिस, हिसार

नोट: *बीकानेर को भेजा गया पत्र ही मुझे सही सलामत प्राप्त होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पत्र की एक प्रति कमांडिंग-इन-चीफ को भी भेज दी जाए।*

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

कुछ और पत्राचार निम्न प्रकार हैं:-

चीफ कमिश्नर कार्यालय, लाहौर-रिपोर्ट

चीफ कमिश्नर कार्यालय, लाहौर, दिनाँक 1 अगस्त 1857, जे०डी० मैक्फरसन, लै० कर्नल, मिलट्री सैक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर के पत्र अनुसार 500 चुने हुए व्यक्ति जो पुराने प्रशिक्षित सिपाही थे और पूरी तरह अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे, आज जनरल वॉन कोर्टलैंड की सहायता के लिए लाहौर से चल पड़े हैं। जिनको पुलिस ड्यूटी के लिए सिरसा, हाँसी और हिसार जिलों में तैनात किया जाएगा।

चीफ कमिश्नर, कार्यालय लाहौर, दिनाँक 8 अगस्त, 1857, जे०डी० मैक्फरसन, लैफ्टीनैंट कर्नल, मिलिट्री सैक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर द्वारा सैक्रेटरी भारत सरकार को लिखे पत्र अनुसार हमारे पास काफी रसद है और सस्ती भी है। एक रुपये का चना 60 सेर, गेहूँ का आटा 26 सेर, घी ढाई सेर बिकता है।

बहादुरखान को, जो श्रीमती वैडरबर्न और हिसार में दूसरे यूरोपियनों का संभावित हत्यारा था, अमृतसर के भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर सी०बी० सान्डर्स ने अपने प्रयासों से सोनीपत में गिरफ्तार करके हिसार भेज दिया है। जिस जगह उसने अत्याचार किए उसी जगह उस पर मुकद्दमा चलाया जाएगा।

चीफ कमिश्नर लाहौर के पत्र दिनाँक 14 अगस्त, 1857 के अनुसार जनरल वॉन कोर्टलैंड की फौज ने हाँसी आकर, विद्रोहियों को दबाकर हाँसी पर कब्जा कर लिया है।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार,नई दिल्ली

प्रेषक:

लैफ्टीनैन्ट मिल्डमे
असिसटैन्ट एजेन्ट, गवर्नर जनरल, राजपूताना

सेवा में,

जनरल वॉन कोर्टलैण्ड
कमांडिंग फील्ड फोर्स
20 अगस्त, 1857

मैं आपके आदेशानुसार 18 अगस्त 1857 को हिसार के लिए रवाना हुआ।

मेरे साथ लैफ्टीनैंट हंट, लैफ्टीनैंट बुलैन, डा० लैम्ब और भारतीय अधिकारी रिसालदार, शेर मोहम्मद खान व फतेहशेर खान व महाराजा बीकानेर के अंगरक्षक कुल 675 सैनिक व घुड़सवार थे और 19 तारीख को ही "कुतरमुखी" रेजीमेंट, 45 पंजाब बरकनदाज़, भी मेरे साथ मिल गई। हमने हिसार की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। 19 तारीख को ही लगभग 10.30 बजे 2000 से अधिक बागियों ने जिनमें अधिकतर रांगड़ थे, कस्बे पर आक्रमण किया। इन बागियों के साथ हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री के सिपाही व इरेगुलर कैवेलरी के 400 घुड़सवार व शहजादा मुहम्मद आज़म भी थे, जिसका परिवार उस समय हिसार में था।

बागियों ने किले के मुख्य द्वार नागौरी गेट पर जोरदार हमला किया और बड़ी-बड़ी कुल्हाड़ियों से गेट तोड़ना शुरू कर दिया। हमारी सेना ने बागियों पर गोलियाँ चलाई। काफी समय तक युद्ध होने के बाद आखिरकार हमने बागियों को नहर के पुल से पार डोगरा मोहल्ले की तरफ धकेल दिया। इसके बाद मैंने किले के द्वारों की मजबूती के लिए वहाँ 50 टोहाना हार्स व पंजाब बरकनदाज के 300 सैनिक तैनात कर दिए और किले के पश्चिमी भादरा गेट पर भी विद्रोहियों से काफी देर तक मुकाबला हुआ। आखिर उन विद्रोहियों को भी नहर के पुल से पार भगा दिया और युद्ध के दौरान जो बागी मारे गए उनकी लाशों को वहाँ से हटवा दिया गया। लेकिन बागी डोगरा मोहल्ले से लगातार किले पर गोलाबारी करते रहे।

बागियों को भगाने के लिए मैंने मिस्टर जैक्सन की अध्यक्षता में कुतरमुखी सैनिकों को भेजा और उन्होंने उनको भगा दिया। इसके बाद मैं स्वयं सरकारी फार्म के सुपरिन्टैन्डैंट मिस्टर टेलर के साथ टोहाना के घुड़सवारों को लेकर बागियों का पीछा करने के लिए मिस्टर जैक्सन की सहायता के लिए पहुँच गया और हमने बागियों का तीन मील तक पीछा करके उनमें से बहुत से काट डाले और बहुत से भाग गए।

मुझे शहर के मुखियाओं जो हमारे सहयोगी थे का भी डर था, कि कहीं ये गेट पर कब्जा करने का प्रयत्न न कर लें क्योंकि बागियों के कुछ आदमी मोहल्लों में घूम रहे थे इसलिए वापिस आने पर हमारी कुतरमुखी सेना ने इन पर काबू पा लिया।

इस युद्ध के बाद लड़ाई वाली जगह 300 से अधिक बागियों की लाशें मिली। अन्दाजा यह है कि 500 के करीब बागी मारे गए और 260 से अधिक घायल हुए। कुछ हमारे सैनिक भी मारे गए व काफी घायल हुए और मंगाली के पास भी पाँच घुड़सवार मारे गए।

हमारे सैनिकों में से 28 बागियों से जा मिले थे। उनमें से पाँच को गोली मार दी गई है और 23 को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

बागियों के आने की सूचना मुझे सरकारी फार्म के सुपरिन्टैन्डैंट मिस्टर टेलर से मिली। उसके यहाँ का परिचित होने के कारण वह सारा दिन मेरे साथ रहा व उससे बहुत ही लाभकारी मदद मिली।

हस्ता०/
मिल्डमे
असिसटैन्ट एजेन्ट, गवर्नर जनरल

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

न० 97

प्रेषक:

इ०एल० ब्रान्डरथ
कमिश्नर तथा अधीक्षक, हिसार डिवीजन ।

सेवा में,

सैक्रेटरी, चीफ कमिश्नर पंजाब ।
हिसार 26 अगस्त, 1858

श्रीमान जी,

चीफ कमिश्नर के आदेश, जिसमें हिसार तथा सिरसा जिले के उन चार नम्बरदारों के परिवारों को पैन्शन स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने सरकार की सेवा करते हुए अपनी जानें गंवाई हैं, के सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि पहले तीन मृतक होशनाक, मीरखान तथा हिम्मत की जीवित दोनों विधवाओं को पैन्शन जारी रखी जाए तथा मृतक शमसखान की विधवाओं और उसकी माता को पैन्शन जारी रखी जाए। मेरे विचार में विभिन्न परिवारों के लिये, जिनके लिए पैन्शन प्रस्तावित की गई है जो निम्न अवस्थाओं में वर्णित है, की एक उचित सीमा तय की गई है।

चार नम्बरदारों द्वारा की गई सेवा, डिप्टी कमिश्नर के शब्दों में यह है कि मेरे हिसार पहुंचने पर विद्रोहियों को तितर-बितर करने और उन्हें काबू करने के लिए उन्हें जमालपुर भेजा गया। जो आशा रखते थे कि वे अपनी जाति और प्रभावशाली होने के कारण उन्हें दबा लेंगे। उनके जमालपुर पहुँचने से पहले ही विद्रोही हिसार पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े थे और कुछ हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री के बागी जो

भिवानी में थे, यह जानते थे कि उन्हें कोई माफी नहीं दी जाएगी और डरते हुए यह सोचते थे कि कहीं नम्बरदार विद्रोहियों को मना न लें इसलिए उन्होंने नम्बरदारों को गोली मार दी।

यह उचित है कि डिप्टी कमिश्नर ने उनकी पैन्शन कुछ ज्यादा प्रस्तावित की है। मैंने सभी की 20 रुपये मासिक पैन्शन अग्रिम संदर्भ अनुसार परिवर्तन की है. पहले दो केसों में 20 रुपये और बाकी दो में 16 रुपये मासिक पैन्शन जिनमें निम्न कारण हैं:-

1. 5 रुपये मासिक पैन्शन, जीवनपर्यन्त मुसम्मत रहीम तथा 15 रुपये मासिक मस्तकरीम को 10 साल तक तथा उसके बाद बच्चों को 5 रुपये मासिक जीवन पर्यन्त।
2. 5 रुपये मासिक पैन्शन जीवन पर्यन्त. मुसम्मत शेरवानी तथा 15 रुपये मासिक पैन्शन उनकी माता. बहन और जो बच्चा जीवित हो 10 साल तक, उसके बाद सभी को 5 रुपये मासिक जीवन पर्यन्त।
3. 4रुपये मासिक पैन्शन, जीवन पर्यन्त मुसम्मत इजदाह। 12/10/8 रुपये मासिक पैन्शन, 10 वर्ष के लिए उसके परिवार के लिए. उसके बाद 5 रुपये मासिक, विधवा बहन या जो कोई बच्चा जीवित हो, जीवन पर्यन्त ।
4. 16/10/8 रुपये मासिक पैन्शन परिवार के लिए 10 साल तक उसके बाद 5 रुपये मासिक जीवन पर्यन्त, माता और विधवा को। मृतक नम्बरदारों की अनुपात मासिक पैन्शन वृद्धि की गणना राशि का निम्न ब्यौरा है:-

होशनाक नम्बरदार, लालोन्डी	रुपये 50-13-4
मीर खान नम्बरदार, लालोन्डी	रुपये 4-8-11
हिम्मत नम्बरदार, नंगथला	रुपये 10-1-0
झम्मू खान नम्बरदार, बहोदीन	रुपये 31-4-9

मैं इस केस को इस कारण से आगे भेज रहा हूँ कि नम्बरदारों ने अपना जीवन अंग्रेजी सरकार के लिए न्यौछावर किया है। पैन्शन कोई धर्मार्थ नहीं है बल्कि यह सरकार की सहानुभूति है।

मेरा यह सुझाव है कि पैन्शन को विभिन्न परिवार के सदस्यों को न बाँटकर पूरे परिवार को इकट्ठी दी जाए। विधवाओं के केस में, मैं मानता हूँ कि मेरी कार्यवाही उचित है क्योंकि उनकी जाति में पुनर्विवाह मान्य नहीं है। यदि किसी समय

विवाद होगा, तो डिप्टी कमिश्नर बँटवारा कर देंगे। मैं सोचता हूँ कि सरकारी पैंशन की अनुमति पहले तीन केसों में संयुक्त रूप से दी जाए और चौथे केस में माता तथा विधवा को दी जाए।

मैं आगे यह कहना चाहूँगा कि पहले दो नम्बरदार, होशनाक तथा मीरखान की रिपोर्टें डिप्टी कमिश्नर द्वारा पहले भी भेजी जा चुकी हैं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की सराहनीय सेवा की है। जिनके नं० 87 दिनाँक 24 अप्रैल 1858, 1243 दिनाँक 19 जून 1858 हैं जो सैक्रेटरी द्वारा चीफ-कमिश्नर को भेजी गई हैं। जिनके द्वारा मुझे विशेष टिप्पणियाँ प्रेषित की गई थी। जिनमें मीरखान और होशनाक को 5 रुपये मासिक इनाम का सुझाव था जो स्पष्ट नहीं था। अब मेरा सुझाव है कि यह पैन्शन उनके उत्तराधिकारियों को दी जाए।

पत्र क्रमांक 1243 दिनाँक 19 जून, 1858 का सारांश

1-कमरूदीन खान	(मैं पहले 6 व्यक्तियों को जैसा प्रस्तावित है, सिफारिश करता हूँ, बाकी मीरखान व होशनाक को 5 रुपये मासिक जीवन पर्यन्त 1 जून 1858 से)
2-मीरखान	
3-होशनाक	
4-सुल्लाह	
5-भुलता सिंह	
6-मि़राह	
7-कमाला	
8 गबला	

उपरोक्त पत्र मेरे कार्यालय के माध्यम से नहीं भेजा गया। परन्तु फिर भी मुझे कोई शक नहीं है क्योंकि यह एक क्लैरीकल गलती थी। उक्त रिपोर्ट में दो नम्बरदार मीरखान तथा होशनाक को पैन्शन देने का प्रावधान था जबकि वे दोनों मर चुके हैं। अतः इस गलती के सुधार के लिए डिप्टी कमिश्नर को अधीकृत किया जाता है।

हस्ता०/-
ई०एल० ब्रान्डरथ

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

आर० एस० डेविस
सैक्रेटरी टू पंजाब सरकार, लाहौर

सेवा में,

सैक्रेटरी, विदेश विभाग, फोर्ट विलियम कलकत्ता

15 सितम्बर, 1859

रिपोर्ट के कुछ अंश:-

"पैन्टालिसा" के गाँवों को बीकानेर के राजा को देने बारे विचार प्रकट किये हैं. ये 40 गाँव 1828 ई० में ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाए गए थे। 21 वर्ष पहले उनका नियमित बन्दोबस्त कर दिया गया था, जिनमें से कुछ की बन्दोबस्त अवधि समाप्त हो चुकी है और बाक़ी गाँवों की अगले साल समाप्त होगी। इन 40 गाँवों की अब बढ़कर 52 जागीरें (गाँव) बन गई हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ नए खेड़े बस गए हैं। इन गाँवों के ब्रिटिश सरकार में स्थानान्तरण से पहले महाराजा, कुल राजस्व, जिसमें जुर्माना व दूसरे कर भी थे, एक अच्छे मौसम वाले साल में 14,000 से 15,000 रुपये और खराब मौसम में 7,000 से 8,000 रुपये सालाना वसूल करता था। ब्रिटिश राजस्व इस समय 15,000 और 11,000 रुपये सालाना है। अब नये मूल्याकन में यह राशि बढाई जाए क्योंकि वर्तमान राशि बहुत कम है। 40 गाँवों में से 20 गाँव जो उजाड़ थे, उनकी जगह अब 52 गाँवों में से केवल 4 ही उजाड़ हैं। हिसार कैनाल, जो 1828 में बनाई गई थी, इनमें से 20-22 गाँवों को सिंचती है। अब यह क्षेत्र अच्छी तरह उन्नत और आबाद हो गया है और यह महाराजा को अच्छे मौसम में 50,000 रुपये सालाना तथा खराब मौसम में 20,000 से 25,000 रुपये सालाना ठेके पर दे दिया जाये या 30,000 या 35,000 रुपये सालाना औसतन पर दे दिया जाये। "पैन्टालिसा" का क्षेत्रफल 70,116 एकड़ या 110 वर्ग मील है। यह क्षेत्र सिरसा और हिसार की सीमाओं पर है। इसका पश्चिमी भाग सिरसा से 6 मील है। यह सारी परिधि चुंगी सीमाओं से बाहर है। स्थानीय अधिकारी इसके स्थानान्तरण पर आपत्ति करते हैं क्योंकि "पैन्टालिसा" सिरसा के बिल्कुल नजदीक है और इससे क्षेत्र की आकृति बिगड़ती है। साथ लगे नक्शे से यह बात सही मालूम पड़ती है। फिर भी लैफ्टीनैन्ट गवर्नर चाहते हैं कि बीकानेर के महाराजा की इच्छा, जहाँ तक सम्भव हो पूरी कर दी जाये। नक्शे पर लगा निशान उन गाँवों को दर्शाता है जो महाराजा बीकानेर को देने हैं और जो अपने पास रखने लाभकारी हैं। इससे सिरसा जिले की आकृति नहीं बिगड़ेगी। इस योजना के अनुसार जिन गाँवों को अपने पास रखना है,

व जिन गाँवों का स्थानान्तरण करना है, वह साथ लगी सूची में दर्शाये गये हैं। वर्तमान मूल्यांकन से महाराजा से 8,938 रुपये सालाना प्राप्त होंगे, जो कम प्रतीत होते हैं। अत: इसे 12,000 रुपये सालाना करना उचित होगा।

हमारे ध्यान में यह आया है कि महाराजा ने वास्तविक सहायता करने की बजाय बातों से ही हौंसला अफजाई की है। उसकी फौज संख्या में बहुत ही ज्यादा थी जबकि वास्तव में लड़ाई में उनका सहयोग बहुत ही कम था।

"पैन्टालिसा" के गाँवों की सूची जो महाराजा बीकानेर को दिए जाने प्रस्तावित हैं:-

हिसार:-

डोभीखुर्द, इन्डवाल, रामसराह, डीहोर, बाबलवास, चोली खुर्द और चोलीकलां

सिरसा:-

मुनकदेवा, नहराना, माखुश्खोरान, लुदेसर, नाथूसरी कलां, नाथूसरी खूर्द, शूकर मुन्डोरी, शुकरपुर, तुहरावाली, शाहपुर मन्डोरी, हजिराह, कुटिनाह, गिगरानी, कागदाना, गोरियाखेड़ा, रामपुरा, कुदीन, जसाना, रामपुरानवाबाद, चुहड़वाला, राजपुरा, इक्कीवाला, कुम्भरवाला, गुसाईवाला और खेड़ी।

नोट: *इस पत्र के सम्बन्ध में अंग्रेज़ सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया, रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।*

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

जे०डी० मैक्फरसन
लैफ्टीनैंट कर्नल मिलट्री सैक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर

सेवा में,

सैक्रेटरी, भारत सरकार
28 अगस्त 1857

पत्र के कुछ अंश:-

लैफ्टीनैंट मिल्डमे जो महाराजा बीकानेर की फौज में डेपुटेशन पर सहायक पोलिटीकल एजेन्ट लगा हुआ था, हिसार की 19 अगस्त, 1857 की घटना का वर्णन करता है। विद्रोहियों की 2000 की फौज ने जिसमें पैदल व घुड़सवार थे, मुहम्मद आज़म के नेतृत्व में 10.30 बजे हिसार कस्बे के गेट पर अचानक हमला करने का प्रयत्न किया। समय पर सूचना मिलने से लै० मिल्डमे और उसके अफसरों ने तत्काल

अपनी थोड़ी सी फौज तैयार करके उनका मुकाबला किया। लै० मिल्डमे की फौज में तीसरी पंजाब पुलिस बटालियन की एक कम्पनी, कुतरमुखी गुगेरा से पंजाब माउंटिड पुलिस के 100 सिपाही, मलिक फतेह शेरखान टिवाना के अधीन 500 घुड़सवार सरफराज खान, इसाखेली, कमालुदीन तथा बीकानेर के अगरक्षक शामिल थे। विद्रोहियों को केवल पीछे ही नहीं धकेला गया बल्कि उनका पीछा करके पूरी तरह हरा दिया गया। उनके 300 आदमी मारे गए। लै० बुलैन जो 16 ग्रनेडियर का था और राजा जवाहर सिंह की फौज के साथ था, जब वह एक घुड़सवार टुकडी का बहादुरी से नेतृत्व कर रहा था, तब वह तलवार से घायल हो गया। इसमें अंग्रेजों के 15 आदमी घायल हुए। लै० मिल्डमे ने कहा कि कस्बे की सुरक्षा और विद्रोहियों को भगाने में लै० हन्ट और बुलैन ने अहम् भूमिका निभाई है। गवर्नमैन्ट फार्म के सुपरिन्टैंन्डैंट मिस्टर टेलर ने विद्रोहियों के आने की सबसे पहले सूचना दी और टोहाना होर्स का नेतृत्व सम्भाला। लै० मिल्डमे इसके कार्यों का ऋणी है। मिस्टर जैकसन ने जो जनरल वॉन कोर्टलैन्ड की सेना का वालन्टियर था और "कुतरमुखी" कम्पनी के साथ था, विद्रोहियों को भगाने में अहम् भूमिका निभाई, की भी प्रशंसा करता है। देशी रियासतों के मुखियाओं ने भी मदद करके प्रशंसनीय कार्य किया।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

नं० 59

प्रेषक:

फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार

सेवा में,

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज़,
23 अक्तूबर, 1858

उपरोक्त पत्र के कुछ अंश:-

चीफ कमिश्नर, जनरल वान कोर्टलैण्ड को एक पत्र भेजते हैं, जिसमें विद्रोह के दौरान हिसार में अंग्रेज़ों को बचानें वाले और उनकी सहायता करने वाले विभिन्न लोगों के लिये पैन्शन और जागीर देने का सुझाव है, उनकी सूची भेजते हैं। प्रत्येक केस में जान लारेन्स की सिफारिशें भी साथ हैं। चीफ कमिश्नर ने नकदी देने के मामलों में स्वयं अदायगी के आदेश कर दिये हैं।

हमने व्यक्तिगत मामलों में चीफ कमिश्नर की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है।

भटियाना (भट्टू) के सुपरिन्टैंडैन्ट ने जनक दास फकीर, जिसने यूरोपियनों के सिरसा से भागने में मदद की थी, उसके लिए ईनाम की तज़वीज़ की है। उसने रोड़ी के थाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। वह पटियाला से अंग्रेज़ों का पत्र वाहक था तथा उनको सामान दिया करता था। उसने पैसे लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह एक फकीर था परन्तु उसने इच्छा प्रकट की कि उसको गाँव में 100 बीघा जमीन कर मुक्त दी जाये, जो पहले भी नवाब ने उसको दी हुई थी। उसको एक हजार रुपये मकान बनाने के लिए भी दिये जायें लेकिन उच्च अधिकारियों ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसको जमीन देने के साथ-साथ उसको 1000 रुपये की बजाए 2000 रुपये दे दिये।

फोर्ट विलियम
23 अक्तूबर, 1858

हस्ता०/-
अवर सचिव, भारत सरकार

सन्दर्भ: विदेश विभाग 30 अक्तूबर,1857, 1-6, गोपनीय,
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ।

सेवा में,

फोर्ट विलियम,
30 अक्तूबर, 1857

उपरोक्त पत्र के कुछ अंश:-

हाँसी जिले में बागी रांगड़ों ने इरेगूलर कैवेलरी के विद्रोहियों तथा हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री की सहायता से बीकानेर फौज पर जो तोशाम के पास थी, आक्रमण कर दिया। तोशाम कस्बे के तहसीलदार तथा थानेदार मारे गए और विद्रोहियों ने तोशाम पर कब्जा कर लिया परन्तु बीकानेर फौज तथा अंग्रेज़ी सैनिकों की ताकत अधिक होने के कारण बागी रांगड़ों व विद्रोही सैनिकों को तोशाम छोड़ना पड़ा और उनके 50 व्यक्ति शहीद हो गए।

जनरल वॉन कोर्टलैण्ड की रिपोर्ट के अनुसार 6 जुलाई को हाँसी के पास विद्रोही गाँवों पर आक्रमण किया और भूतपूर्व सूबेदार गुरबख्श जो हरियाणा रेजीमेंट में उनको बगावत के लिए उकसा रहा था, उसको 25 साथियों सहित मार दिया । अंग्रेज़ी फौज का एक व्यक्ति मारा गया तथा 16 घायल हो गए।

लाहौर 10 सितम्बर, 1857

हस्ता०/-
सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
फोर्ट विलियम 30 अक्तूबर, 1857
विदेश विभाग गोपनीय नं० 2

10वीं लाईट इन्फैन्ट्री की केवल 11 टुकड़ियाँ, जिन्होंने फिरोजपुर में बगावत की थी, को गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर विद्रोह का मुकदमा चलाकर सजा दी गई। इनमें से कुछ विद्रोही जवान भाग कर हाँसी जिले के रांगड़ विद्रोहियों के साथ मिल गए। 26वीं तथा 46वीं नेटिव इन्फैन्ट्री रेजीमेंटों के भी 13 विद्रोही जवानों को अम्बाला में राजा ने कैद कर लिया तथा उन्हें सजा दी।

हाँसी जिले के विद्रोही रांगड़ों को जिन्हें 10वीं लाईट कैवेलरी के बागी सिपाहियों का समर्थन था और इसी जिले की हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री जो पूरी बगावत पर थी. इनसे मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आई। बीकानेर फौज पर बड़ा जबरदस्त हमला किया। जिसमें 50 से 60 के बीच बीकानेर फौज के जवान मारे गए। तोशाम के तहसीलदार तथा कोतवाल भी बागियों के हाथों मारे गए तथा काफी पुलिस के जवान भी हताहत हुए।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
विदेश विभाग, गोपनीय नं० 42
21 अगस्त, 1857

एक यूरोपियन वालन्टियर फौज शिमला में लगाई गई है। रानियां के नवाब को फाँसी दे दी गई है तथा उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजपुर छावनी में 19 अगस्त को 10वीं लाईट कैवेलरी का एक भाग बगावत करके भाग गया है।

सन्दर्भ: विदेश विभाग, 15 अप्रैल 1859 437-38 पोलिटीकल
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

भूतपूर्व सहायक एजेन्ट, गवर्नर जनरल, राजपूताना

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार विदेश विभाग
10 जनवरी 1859

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

मैं महाराजा बीकानेर द्वारा 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को दी गई सहायता का विवरण सैक्रेटरी आफ स्टेट के आदेशानुसार गवर्नर जनरल को भेज रहा हूँ।

महाराजा बीकानेर ने विद्रोह के समय 1500 सैनिक और 4 तोपें सिरसा जनरल वॉन कोर्टलैण्ड की सहायता के लिए भेजी तथा महाराजा ने स्वयं, नौहर के रास्ते 3000 सैनिक व 10 तोपें लेकर जनरल वॉन कोर्टलैण्ड के साथ विद्रोह को दबाने में भाग लिया तथा सिरसा में 200 सैनिक और भेज कर सैनिकों की संख्या 1700 कर दी गई। उनको वॉन कोर्टलैण्ड के हिसार पहुँचने के तीन सप्ताह पहले ही हिसार भेज दिया। विद्रोह के दबाने में पूरा साथ दिया तथा उसके बाद विद्रोहियों को पकड़ने तथा जमीन का मालिया इकट्ठा करने में सहायता दी।

21 जुलाई, 1857 को हाँसी पर जब विद्रोहियों ने हमला किया, उस समय 1000 सैनिक तथा दो तोपें मेरे अधीन थी। 500 अंग्रेज़ी सैनिक जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोर्टलैण्ड के आने तक तीन सप्ताह हाँसी की सुरक्षा की। 19 अगस्त को महाराजा के अंगरक्षक भी मेरे अधीन हिसार के कस्बे में विद्रोहियों से लडे और विद्रोहियों को हिसार से भगा दिया, जिनमें 300 विद्रोही मारे गए। 23 अगस्त को हाज़िमपुर और उसके बाद भाटोल में,बीकानेर के घुड़सवारों ने विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की तथा उनकी दो तोपें मंगाली में विद्रोह को दबाने के लिये भेजी। उसके बाद तोशाम के कस्बे पर दोबारा हमारा अधिकार करवाने में सहायता की लेकिन वहाँ के मुसलमान नागरिकों ने धोखाधड़ी से विद्रोहियों को शहर के अन्दर दाखिल करवा दिया। वहां के तहसीलदार तथा थानेदार विद्रोहियों से खूब लडे। लेकिन बीकानेर की सेना के मुखिया मोहकम सिंह व नत्थू सिंह राठौर के मारे जाने पर हमें झुकना पड़ा।

जब गाँव जमालपुर के ऊपर कब्जा किया गया, तब बीकानेर के सैनिक वहाँ थे और विद्रोही नारनौल की तरफ चले गये । हाँसी में बीकानेर के कई सैनिक बीमारी से मर गए।

महाराजा बीकानेर ने अंग्रेज़ों की सहायता के लिए अपना खज़ाना भी खाली कर दिया और उसने विद्रोह को दबाने के लिए एक मुश्त भिन्न-भिन्न स्थानों पर 5000 सैनिकों की सहायता की थी। महाराजा ने दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली जाने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु मैंने वान कोर्टलैण्ड की इच्छानुसार उसको वहीं (हिसार) रखा। इससे यह लाभ हुआ कि मुसलमान विद्रोहियों को दबाने

में सफलता मिली। महाराजा ने चार यूरोपियनों अलैकजेंडर, स्कीनर, स्मिथ तथा जैफरीश जो हिसार और हाँसी से भागकर आए थे और उनके परिवारों को वहां कत्ल कर दिया गया था, को तीन महीने तक शरण दी।

महाराजा ने इस मुसीबत के समय हमारी सबसे ज्यादा सहायता की और यह एक मात्र राजा था, जो स्वयं युद्ध भूमि में लड़ा। यद्यपि महाराजा जीन्द, पटियाला, नाभा से उसकी राजनैतिक दुश्मनी थी फिर भी उसने हमारा साथ दिया।

इसलिये मेरी यह इच्छा है कि महाराजा ने जो हमारी सहायता की है, उसके बदले में हम मुनासिब इनाम दें और अच्छा यह होगा कि "पैन्टालिसा" परगना, जो पहले भी इसके पूर्वजों के पास था और इस समय हरियाणा क्षेत्र है, को उसे वापिस लौटा दिया जाए।

हस्ता०/-

गाँव रोहनात का 1857 की जन-क्रान्ति में बलिदान

गाँव रोहनात हाँसी से 8 मील दक्षिण की तरफ आबाद है। इस गाँव ने 1857 की जन-क्रान्ति में अहम् भूमिका निभाई। 10 मई 1857 को मेरठ और अम्बाला की छावनियों में सैनिक क्रान्ति हुई और उसके बाद दिल्ली पर क्रान्तिकारियों का अधिकार हो गया। झज्जर और दादरी के नवाबों के सैनिक 29 मई 1857 को जब हाँसी पहुँचे तो हाँसी में भारतीय सैनिक भी उनके साथ हो लिए और हाँसी के आसपास के लोगों की सहायता से हाँसी में अंग्रेजों पर जोरदार आक्रमण किया। हाँसी में 11 अंग्रेज मारे गये और बाकी के अंग्रेजों ने भाग कर बीकानेर के राजगढ़ किले में शरण ली। हाँसी पर क्रान्तिकारियों का पूर्ण अधिकार हो गया। इस युद्ध में गाँव रोहनात ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

हिसार में अंग्रेज सैनिकों ने 800 घुड़सवार व 4 तोपें लेकर तोशाम पर हमला किया और उसके बाद रोहनात गाँव पर अंग्रेजी सेना व बीकानेर के सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया जिसका गाँव के देशभक्त क्रान्तिकारियों ने जेली, बल्लम, गंडासे आदि हथियारों से डटकर मुकाबला किया और इसमें बहुत से अंग्रेज व बीकानेर के सैनिक मारे गये व गाँव के कई लोग शहीद हुये। आखिर क्रान्तिकारियों की फतह हुई और अंग्रेज सैनिक भाग गए। अगले दिन हिसार से अंग्रेजों को सैनिक सहायता मिलने के कारण गाँव मंगाली, जमालपुर व हाजिमपुर में डटकर क्रान्तिकारियों व अंग्रेजों में युद्ध हुआ लेकिन इसमें क्रान्तिकारियों को सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों के पास बन्दूकें, तोपें व अन्य आधुनिक हथियार थे।

20 सितम्बर के बाद अंग्रजों ने सारे देश में दमन चक्र शुरू किया व हरियाणा में जन-क्रान्ति में भाग लेने वालो को सबक सिखाने के लिए उन्होंने गाँवों व शहरों में विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों के विरुद्ध मुकद्दमें चला कर उनको फाँसी दी या गोली से उडा दिया अथवा बगैर मुकद्दमा चलाये गोली से उड़ा दिया। काफी गाँवों को अंग्रेजों ने लूट लिया व आग लगा कर भस्म कर दिया। ऐसा ही गाँव रोहनात में हुआ। अंग्रेजी सेना ने तोपों के साथ पुठीमंगल खाँ व गाँव रोहनात पर हमला किया व तोपें लगा कर गाँव को उड़ा दिया जिसमें सैंकड़ों क्रान्तिकारी शहीद हुये। पुठीमंगल खाँ के मुखिया मंगल खाँ को फाँसी दे दी गई और उसके गाँव का कुछ हिस्सा उसके लड़कों के पास छोड़ कर बाकी को नीलाम कर दिया गया। दिनाँक 13 नवम्बर 1857 को उपायुक्त हिसार ने तहसीलदार को हुक्म दिया कि वह रोहनात गाँव की नीलामी के कागज़ात तैयार करें। दिनाँक 18 नवम्बर 1857 को नीलामी की स्वीकृति दे दी गई और 20 जुलाई 1858 को रोहनात गाँव की 13 बीघे व 10 बिसवे जमीन, जो जोहड़ की जमीन थी, को छोड कर बाकी सारे गाँव का रकबा व आबादी नीलाम कर दी गई जिसे गाँव सुलतानपुर, भगाना, उमरा, मेहन्दा व मिर्जापुर इन पांच गांवों के 61 आदमियों ने 8 हजार एक सौ में बोली देकर खरीद लिया। इस तरह से इस देशभक्त गाँव के क्रान्तिकारियों को ब्रिटिश साम्राज्य ने खूब यातनायें देकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया।

1857 की जनक्रान्ति में रोहनात गाँव के बिरड़ दास बैरागी को तोप से उड़ाया गया व रूपा खाती को मार डाला गया, नोन्दा राम को अन्य साथियों सहित हाँसी ले जाकर पत्थर की गिरड़ी के नीचे कुचल दिया गया। रोहनात ग्राँव की कुर्बानी व वहाँ के क्रान्तिकारियों का भारत की आजादी में नाम अमर रहेगा।

1857 की जनक्रान्ति में कुछ व्यक्तियों का महत्त्वपूर्ण योगदान

राजा नाहर सिंह, बल्लबगढ

राजा नाहर सिंह से पहले इनके पूर्वजों में सबसे समझदार व चतुर राजनीतिज्ञ बलराम उर्फ बल्लू राजा हुआ था। उसने पड़ोस की रियासत भरतपुर से अच्छे सम्बन्ध बना रखे थे और अपनी छोटी सी ठिकानेदारी को बढा कर 210 गाँवों की एक रियासत कायम कर ली थी। उसने अपने नाम पर बल्लबगढ़ बस्ती बसा कर उसमें एक किले और महलों का निर्माण करवा कर राजधानी की स्थापना की। 1764 में राजा बलराम उर्फ बल्लू का निधन हो गया और इसके बाद राजा किशन सिंह, राजा अजीत सिंह व राजा बहादुर सिंह बल्लबगढ़ के प्रशासक रहे। 1803 से 1805 तक रियासत भरतपुर व अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें राजा बहादुर सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके बाद जनरल लार्ड लेक ने बल्लबगढ़ रियासत के 210 गाँवों में से केवल 28 गॉव राजा बहादुर सिंह को दिए और बाकी जब्त कर लिए। 1806 में राजा बहादुर सिंह व उनके लडके नारायण सिंह दोनों का निधन हो गया। इसलिए नारायण सिंह के लड़के राजा राम सिंह रियासत के प्रशासक बने। 1829 में राजा नाहर सिंह बल्लबगढ रियासत के प्रशासक बने। लेकिन 1829 से 1836 तक इनके मामा जगपाल सिंह उनके संरक्षक रहे और 20 जनवरी 1839 को बसन्त पंचमी के दिन राजा नाहर सिंह का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने विधिवत शासन की बागडोर सम्भाल ली।

उन दिनों मुगल सम्राट का दायरा केवल लाल किला ही रह गया था। भारत का प्रशासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में था। राजा नाहर सिंह ने दिल्ली के नज़दीक होने के कारण अंग्रेज उच्च अधिकारियों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए। यहाँ तक कि अपने एक भतीजे की शादी में गवर्नर जनरल को आमन्त्रित किया। गवर्नर जनरल ने शादी में शामिल होने के बाद राजा नाहर सिंह को एक प्रशंसा पत्र भी भेजा। इतना होने पर भी राजा नाहर सिंह के दिल में अंग्रेजों द्वारा 1805 में 210 गाँवों की रियासत जब्त करने का रोष मौजूद था। फिर भी जब 10 मई 1857 को देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जनक्रान्ति का शुभारम्भ हुआ तो नाहर सिंह ने दिल्ली में घट रही घटनाओं के बारे में अंग्रेज़ अधिकारियों को उसकी सूचना दी। लेकिन बाद में राजा नाहर सिंह इस जनक्रान्ति में कूद पड़े और सम्राट बहादुरशाह जफर से पत्राचार शुरू कर दिया। घुड़सवारों व सैनिकों की टुकड़ी तुरन्त दिल्ली भेज दी



राजा नाहर सिंह, बल्लबगढ़

और दिल्ली पर बहादुरशाह जफर का कब्जा करवाने में पूरा सहयोग दिया। दूसरी तरफ अपने पूर्वजों के परगनें जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिए थे, उन पर अपनी सेना भेज कर वहाँ के जाट, मेव, गूजर व पठानों आदि की सहायता से पुन: कब्जा कर लिया, जिनमें पलवल, होडल, फतेहपुर आदि परगनें शामिल थे।

20 सितम्बर 1857 को दिल्ली पर देशी रियासतों की सहायता से अंग्रेजों का पुन: कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने इसके बाद क्रांतिकारियों पर तरह-तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। दिल्ली के बाद हरियाणा में ब्रिटिश सरकार का दमनचक्र शुरू हुआ। 23 सितम्बर 1857 को शावर्ज़ ने राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 6 दिसम्बर को उसे बन्दी बना कर दिल्ली के लाल किले में कैद कर दिया।

1 नवम्बर 1857 को ब्रिगेडियर शावर्ज़ ने बल्लबगढ़ के किले पर हमला किया और क्रांतिकारियों ने उसका डटकर मुकाबला किया। आखिर अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और कितने ही क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया।

19 दिसम्बर 1857 को राजा नाहर सिंह को कोठड़ी से निकाल कर और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ व पाँव में बेड़ियाँ डालकर अंग्रेज सार्जेन्टों के पहरे में दिल्ली लालकिले के दरबारे-आम में एक फौजी अदालत में पेश किया गया।

राजा नाहर सिंह पर मुकद्दमा

संदर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार,नई दिल्ली

दरबार में खुली अदालत में शनिवार सुबह 19 दिसम्बर 1857, 11 बजे सभी जज उपस्थित थे। बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह को कोर्ट में लाया गया और कोर्ट के सभी सदस्यों के नाम पढ़ कर राजा नाहर सिंह को सुना दिए गए। उससे पूछा गया कि क्या इस फौजी कोर्ट पर उसको कोई एतराज है ?

तब नाहर सिंह ने कहा कि उसे कोई एतराज नहीं। कोर्ट के सभी अफसरों ने शपथ ली। आरोप पत्र पढ़ा गया, जो निम्नलिखित था:-

राजा नाहर सिंह ने 10 मई 1857 से 1 दिसम्बर 1857 तक अंग्रेजी सरकार का नागरिक होते हुए भी उनके विरुद्ध विद्रोह करने वालों के साथ देश द्रोही पत्राचार कर लिया। उसने क्रान्तिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया व उनकी सहायता की। उनको घुड़सवार व पैदल सेना की सप्लाई की। धन, रसद व हथियार भेजकर भी सहायता की। पलवल में सैनिक दस्ते भेजकर उस इलाके पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जबकि वह अंग्रेजी नियन्त्रण में था। उसने अंग्रेजों की स्वामिभक्ति

छोड़कर उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने का संगीन जुर्म किया, जो कि भारत की विधान परिषद् के 16वें एक्ट के तहत बहुत ही खतरनाक व संगीन जुर्म है।

मेजर हैरियट
डिप्टी जज एडवोकेट जनरल
सरकारी प्रोसीक्यूटर

प्रश्न: बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आप उनके लिए अपने आपको दोषी व अपराधी मानते हैं ?

उत्तर: नहीं।

अदालत की कार्यवाही चलती है।

गुड़गाँव के मैजिस्ट्रेट व कलैक्टर को अदालत में गवाही के लिए बुलाया जाता है व उनको शपथ दिलाई जाती है व कोर्ट उनसे प्रश्न पूछती है।

प्रश्न: क्या आपको जानकारी है कि बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह ने विद्रोह के दौरान पलवल तहसील पर कब्जा किया था?

उत्तर: हाँ, उसने 20 मई या इसके आसपास जिला खजाना पलवल पर अधिकार किया था। मैं 20 मई को होडल पहुँचा था हालांकि उसे मेरे पहुँचने की खबर थी फिर भी उसने 24 या 25 मई तक पलवल कस्बे पर अधिकार करने की कोई सूचना मुझे नहीं दी। उसने तब मुझे धोखा देने के लिए अंग्रेजी पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा था कि मैं पलवल खजाने में उस द्वारा नियुक्त किए गए आदमियों के लिए उसको दोषी न मानूँ। मैंने तत्काल वह पत्र आगरा के लैफ्टीनैन्ट गवर्नर मिस्टर कोलविन को भेज दिया और राजा नाहर सिंह को भी जवाब भेज दिया कि मेरे साथ आप आम दिनों की तरह पत्राचार करते रहें और पलवल में उनके द्वारा नियुक्त आदमियों की सूची भेजें। मुझे इस पत्र का कभी भी जवाब नहीं मिला इसके अतिरिक्त उसने अपना घुड़सवार दस्ता भेजकर फतेहपुर के छोटे कस्बे पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया जबकि पलवल व फतेहपुर ब्रिटिश इलाके हैं। मुझे पलवल में उसके सिपाही नहीं दिखाई दिये क्योंकि मेरे होडल आने पर उसने वहाँ से अपने सिपाही हटा दिये थे परन्तु मैंने फतेहपुर में उसके सिपाही देखे थे।

प्रश्न: क्या अंग्रेज सरकार के अफसरों द्वारा सहायता माँगने पर राजा उनको सहायता देने के लिए बाध्य व जिम्मेदार था ?

उत्तर: मैं पूरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि सरकार के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियाँ थी। मैंने उसको 11 मई को सहायता के लिए पत्र भेजा परन्तु उस पत्र का जवाब नहीं मिला।

प्रश्न: क्या जब राजा के किले पर कब्जा किया गया तो आप उस समय बल्लबगढ़ में थे?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न: क्या आपने वहाँ अग्रेज सिपाहियों की पोशाकें व कोई सरकारी सामान देखा?

उत्तर: हाँ मैने वहाँ तीसरी व छठी भारतीय रैगुलर कैवेलरी की पोशाकें देखीं व पैदल सेना की वर्दियां भी देखीं। मैं पूरी तरह से तीसरी कैवेलरी की पोशाकों का विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता परन्तु मेरे साथ कैप्टन एन्जल था जिसने कहा कि यहाँ तीसरी कैवेलरी की वर्दियां कैसे हैं और उसे कोट से गिरा हुआ एक छुट्टी का प्रमाण-पत्र मिला, उसे पढ़ा। उस पर उसके चाचा के हस्ताक्षर थे जिससे उसने पहचान लिया कि यह तीसरी कैवेलरी का ही है। एक दूसरे अफसर ने पैदल 32वीं अंग्रेजी फौज की पोशाकें भी देखी। वहाँ पर बन्दूकें व रायफलें भी देखी।

प्रश्न: क्या आपने बल्लबगढ़ के किले में कोई बड़ा क्रान्तिकारी देखा?

उत्तर: उस अहाते में, जिसमें राजा के अपने नौकर रहते थे उसमें कई आदमी देखे गए। यह अहाता किले के अन्दर गेट के पास है जिस पर राजा ने स्वयं कब्जा कर रखा था। मैंने वहाँ केवल आगरा के व्यापारी खैरत अली से बात की जिसने मेरे सामने कहा कि आगरा सरकार ने विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण उस की सम्पत्ति जब्त कर ली है। इसके अतिरिक्त वहां दिल्ली पुलिस के विद्रोह के दौरान नेटिव सुपरिन्टैंडैंट रहे व्यक्ति को भी देखा और दिल्ली के शाही परिवार के तीन सदस्य वहाँ ठहरे हुए थे।

प्रश्न: आप कहते हैं कि पुलिस के सुपरिन्टैंडैंट को बन्दी बना लिया गया था तो उसकी जगह विद्रोहियों ने किस को नामजद किया है ?

उत्तर: मे नहीं जानता।

प्रश्न: फतेहपुर में जो सवार आपने देखे, क्या उन्होंने आपका विरोध या मुकाबला किया? क्या उन्होंने किसी शासन की घोषणा की ?

उत्तर: मेरी फौजी टुकड़ी का आपके सवारों ने कोई विरोध या मुकाबला नहीं किया परन्तु उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इलाके वाले कस्बे पर अधिकार कर लिया था। मेरे ख्याल से सवारों ने राजा के शासन की घोषणा नहीं की थी। मैं तो केवल वहाँ से गुजर रहा था, मैं वहाँ नहीं ठहरा। मैं इस स्थिति में नहीं था कि सवारों को कस्बे से बाहर निकाल सकूँ।

प्रश्न: क्या कोई सवार आपको सलामी देने के लिए आपके पास आया क्योंकि आप साधारण रूप से वहाँ से गुजर रहे थे ?

उत्तर: मेरी पार्टी मोहना से सोहना जा रही थी और फतेहपुर पहुँचने से पहले राजा के दो या तीन गाँवों से गुजरना पड़ा। इसलिए मैंने पहले ही एक दो सवार राजा के दो या तीन सवारों को बुलाने के लिए भेज दिए जिनको मैं जानता था जो नजदीक के गाँवों में तैनात थे और वे दूसरे सवारों के साथ सड़क पर थे। वे तब तक हमारे साथ रहे जब तक हम राजा के क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। मुझे याद नहीं की उन्होंने मुझे सलामी दी या नहीं परन्तु उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया।

कोर्ट ने जाँच परख की और ब्यान दर्ज किए।

प्रश्न: क्या राजा को दूसरों के इलाकों पर कब्जा करने की आदत बन चुकी थी ? क्या इससे पहले भी आपके जिले में राजा के सवारों ने किसी दूसरे स्थान पर इसी तरह कब्जा किया था ?

उत्तर: नहीं मुझे याद नहीं।

प्रश्न: क्या राजा नाहर सिंह ने अपने 24 या 25 मई के पत्र में पलवल पर कब्जा करने का कोई कारण बतलाया ?

उत्तर: जहाँ तक मुझे याद आता है उसने कहा कि हमारी सरकार की ओर से ही उसने पलवल पर कब्जा किया।

प्रश्न: होडल और बल्लबगढ़ में कितनी दूरी है ? आप यह कैसे मानते हैं कि राजा को आपके होडल में उपस्थित होने की जानकारी अवश्य थी ?

उत्तर: होडल बल्लबगढ़ से लगभग 32 मील की दूरी पर है। राजा बल्लबगढ़ से मथुरा जाने वाली सड़क पर लगातार निगरानी रखे हुए था। मैंने 14 मई की सुबह होडल की पलवल साईड में 5 मील की दूरी के अन्दर राजा के दो ऊँट सवार देखे। मुझे यही आदमी 15 या 16 मई को दोबारा मथुरा में मिले।

डिप्टी जज एडवोकेट जनरल ने जाँच पड़ताल की व ब्यान दर्ज किए।

प्रश्न: पलवल, फतेहपुर और अंग्रेजों के अधिकार वाले दूसरे इलाके जिन पर राजा के सवारों ने कब्जा कर लिया था, क्या ये इलाके से पहले भी कभी उसके अधिकार में रहे थे ?

उत्तर: मैंने जो जाँच पड़ताल की है, उससे पता चलता है कि इससे पहले वाले दिल्ली के मुगल सम्राट के समय राजा के पूर्वजों ने उन इलाकों पर कब्जा व अधिकार कर लिया था।

49वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के कैप्टन हुड को कोर्ट में बुलाया गया और उससे शपथ उठवाई गई।

प्रश्न: जब बल्लबगढ़ किले को कब्जे में लिया गया, क्या उस समय आप बल्लबगढ में थे ?

उत्तर: हाँ, मैं वहीं था।

प्रश्न: आप यह बतायें कि आपने वहाँ क्या क्या देखा ?

उत्तर: मुझे यह याद आता है, शायद 1 नवम्बर 1857 को ब्रिगेडियर शावर्ज की फौजी टुकड़ी वहाँ से कूच कर गई और मुझे वहाँ की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। खोजबीन करने पर मुझे पता चला कि किला अच्छी हालत में नहीं था परन्तु किले की बाहरी दीवार की ताजा मरम्मत की गई थी। वहाँ 9 तोपें थी जिनमें से चार या पाँच तोपें अच्छी हालत में थी जो काम में आ सकती थी। कई छकड़ा गाड़ियों में काफी अंगूर थे उनमें काफी मात्रा में गोला बारूद भी छुपाया हुआ था। वर्कशाप में काफी मात्रा में तोप गाडियां थी, कुछ तो अभी-अभी ही तैयार की गई थी, कुछ तैयार की जा रही थी। किले में कई दूसरे साजो-सामान भी थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जो रेजीमेंट दिल्ली में रही थी, ज्यादातर हथियार उन्हीं के थे। कुछ 32वीं क्वींज के और कुछ घुड़सवार, तोप खाने के थे। वास्तव में सभी किस्म के हथियार व साजो सामान था। इन आदमियों ने स्पष्ट रूप से किले की बैरकों पर कब्जा कर रखा था और साजो सामान उनके घरों में रखा हुआ था।

प्रश्न: क्या दिल्ली का कोतवाल बल्लबगढ के किले से मिला ?

उत्तर: हाँ, वह बल्लबगढ़ के किले में था। मैं उसका नाम नहीं जानता परन्तु मुझे सूचित किया गया कि वह उनमें से एक था जिनको विद्रोहियों ने प्रस्ताव भेजा था। उसको किले के तहखाने में ले जाया गया।

प्रश्न: क्या किले से किसी दूसरे बड़े विद्रोहियों को पकड़ा गया ?

उत्तर: नहीं, मैं नहीं जानता। परन्तु कुछ खास व्यक्ति मेरे हवाले किये गये थे जो विद्रोह में शामिल थे।

प्रश्न: आप यह कैसे मानते हैं कि साजो सामान ईस्ट इण्डिया कम्पनी का था जो बल्लबगढ़ के किले में था और आप यह क्यों सोचते हैं कि वे विद्रोही थे ?

उत्तर: क्योंकि उनकी थैलियों और जेबों में अभी भी गोला बारूद था, भिन्न-भिन्न घरों में सरकारी गोलाबारूद के बक्से रखे हुए थे क्योंकि मुझे रेजीमेंटों के नम्बरों व चिन्हों की पहचान है, जो कि मैंने सैनिक साज सामान पर देखे। मुझे वही चीजें जमीन पर भी मिली और दूसरी चीजें कुएँ व तालाबों से मिली। ये एनफिल्ड राइफलें थी, जबकि मेरा विश्वास है कि ये देशी राजाओं व नवाबों की फौज के पास आमतौर से नहीं है।

प्रश्न: क्या वहाँ उपस्थित टुकड़ियों ने जब ब्रिटिश फौज किले में पहुँची, उसका विरोध या मुकाबला किया ?

उत्तर: नहीं, वहाँ विरोध करने वाला कोई नहीं था।

प्रश्न: क्या राजा के किले की बैरकें ऐसी हालत में थी, जिससे यह प्रतीत होता हो कि किले को अभी-अभी कब्जे में लिया गया है ?

उत्तर: नि:सन्देह, क्योंकि वहाँ कई ऐसे सामान थे जिनका प्रयोग देशी फौजों के सिपाही करते हैं, उनके पहनने का सामान सिपाहियों के किट का कुछ सामान जैसे नीली डाई व शिविरों में चारपाइयाँ थी।

तीसरे गवाह मैटकाफ को कटघरे में बुला कर शपथ दिलाई गई।

प्रश्न: क्या जब किले पर कब्जा किया गया आप बल्लबगढ़ में थे ?

उत्तर: नहीं, मैं उसके कुछ समय बाद वहाँ था।

प्रश्न: क्या उस समय आप ने राजा से व्यक्तिगत स्तर पर पत्र व्यवहार किया ?

उत्तर: नहीं, उसको दिल्ली ले जाया जा चुका था।

प्रश्न: क्या उसने कभी बल्लबगढ़ में हुई किसी यूरोपियन की हत्या की कोई सूचना दी?

उत्तर: कभी नहीं दी।

प्रश्न: क्या आप जानते हैं कि उराने किरी दूरारे को ऐसी सूचना दी हो ?

उत्तर: मुझे मालूम नहीं है कि उसने किसी को कोई सूचना दी या नहीं।

प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई 1857 से 1 दिसम्बर 1857 के बीच अंग्रेजों के प्रति राजा नाहर सिंह का व्यवहार कैसा रहा ?

उत्तर: मेरे 15 जून को ब्रिटिश कैम्प में पहुँचने के बाद राजा का एक नौकर आम

शिकायतें लेकर मेरे पास आया। मैं उसको मिस्टर ग्रीथ्ड के पास ले गया। उसके बाद ग्रीथ्ड के आदेश से राजा ने अपना वकील उसके पास भेज दिया। वह वकील लगभग 15 दिन तक ब्रिटिश कैम्प में रहा, फिर ग्रीथ्ड ने उसको कह दिया कि उसकी वहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रीथ्ड को यह शक हो गया था कि यह एक जासूस है।

प्रश्न: क्या आपने या मिस्टर ग्रीथ्ड ने कभी राजा को कोई कार्य सौंपने के लिए अपने पास बुलाया, क्या उसने आज्ञा मानी ?

उत्तर: उसको विभिन्न स्थानों पर चिट्ठियाँ भेजकर संदेश भिजवाने हेतु बुलवाया था। जब दो सन्देशवाहक भेजने के बाद भी वह नहीं आया तो मिस्टर ग्रीथ्ड उससे बहुत नाराज हो गए थे ।

प्रश्न: क्या राजा से सेवा व सहायता माँगने पर वह सरकार की सहायता करने के लिए बाध्य था ?

उत्तर: नि:सन्देह, वह सहायता के लिए बाध्य था क्योंकि जागीर उसके पूर्वजों को इस शर्त पर दी गई थी कि वे दिल्ली व मथुरा के बीच अच्छी पुलिस प्रणाली स्थापित करें क्योंकि ठगों व लुटेरों के कारण यह सड़क पहले से बड़ी खतरनाक व बदनाम थी।

प्रश्न: बल्लबगढ़ में राजा की कितनी फौज थी ?

उत्तर: उसकी एक रेगुलर इन्फैन्ट्री रैजीमेंट थी और लगभग 100 सवार थे। उनकी वर्दियाँ व साज व सज्जा हमारी रेगुलर कैवेलरी जैसी ही थी। मुझे उसके पे–मास्टर द्वारा सूचना मिली कि विद्रोह के दौरान उसने एक अलग रैजीमेंट भी तैयार कर ली थी।

चौथे गवाह बल्लबगढ़ के राजा के कर्मचारी-मोहम्मद बख्श, वेतन अधिकारी को बुलाया गया। जज एडवोकेट ने कोर्ट को फारसी व हिन्दुस्तानी में लिखे विशेष पत्र पेश किए। कुल 23 पेपर थे।

प्रश्न: क्या आप हाथ की लिखाई व इस पर लगी मोहरें पहचान सकते हो ?

उत्तर: इनमें से कुछ पत्र राजा की उपस्थिति में व राजा के आदेशानुसार मैंने ही लिखे थे। उनमें प्रत्येक पर राजा की मोहर लगी हुई है। जो चिट्ठी राजा की अनुपस्थिति में लिखी गई थी, उनकी मोहरें पहचानने के लिए ग्रीथ्ड, वे पत्र राजा के पास ले जाता है। राजा नाहर सिंह का अंग्रेजी लेखक आमतौर से दिल्ली में रहता था, लेकिन विद्रोह होने के 7 या 8 दिन बाद बल्लबगढ़ चला गया था। लगभग 15 या 16 दिन बल्लबगढ़ रहा। उसके बाद राजा की

विद्रोही सेना ने उसकी हत्या कर दी। कुछ पत्र ऐसे हैं जिनका पता नहीं चलता कि किसने लिखे हैं, परन्तु उन पर राजा की मोहर लगी है । कुछ पत्र धर्मचन्द ने लिखे हैं, जिन पर राजा की मोहर लगी हुई है। धर्मचन्द, बल्लबगढ के माल व पुलिस विभाग का मुख्य लेखक था। दूसरे पत्रों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।

राजा नाहर सिंह जिरह से इन्कार कर देते हैं।

21 दिसम्बर, 1857 सोमवार को 11 बजे फिर कोर्ट बैठती है। पाँचवा गवाह, राजा नाहर सिंह के लेखक शुगन चन्द को अदालत में पेश किया गया उस को कुछ पत्र दिखाए जाते हैं।

प्रश्न: क्या आप पहचान सकते हैं कि यह लिखाई और मोहर किस-किस की है ?

उत्तर: यह लिखाई मेरी है और मोहर बल्लबगढ़ के राजा के रिकार्ड कीपर मौलवी अहमद अली की है।

प्रश्न: आपने क्यों और कैसे लिखा ?

उत्तर: मौलवी अहमद अली के आदेश से लिखा गया।

प्रश्न: राजा नाहर सिंह ने जिरह के दौरान गवाह नं० 5 से पूछा कि क्या आप को ऐसा पत्र लिखने का मुझ से कोई आदेश मिला था ?

उत्तर: नहीं।

प्रश्न: क्या आप राजा नाहर सिंह की तरफ से मौलवी के निर्देश से ही लिखते थे ?

उत्तर: मैंने विद्रोह शुरू होने के बाद मौलवी के आदेश से दो या तीन पत्र ही लिखे हैं।

प्रश्न: क्या मौलवी अहमद अली की राजा की तरफ से पत्र लिखने की आदत बन गई थी ?

उत्तर: हाँ।

छठा गवाह, दिल्ली के लैफ्टीनैंट गवर्नर के एजेन्ट के मुख्य मुन्शी जीवन लाल को बुलाया गया।

प्रश्न: क्या आप इन पत्रों की लिखाई व मोहर पहचान सकते हैं?

उत्तर: मोहर मुझे मुगल सम्राट के पुत्र मिर्जा मुगल की लगती है, परन्तु लिखाई नहीं पहचानी जाती । दोनों चिट्ठी एक ही आदमी की लिखी हुई मालूम पड़ती है। राजा नाहर सिंह जिरह से इन्कार कर देते हैं।

7वें गवाह मुगल सम्राट के डाक्टर हसन उल्ला खान को बुलाया गया और उसको कुछ पत्र दिखाए गए।

प्रश्न: क्या आप यह पहचान सकते हैं कि यह लिखाई व मोहर किस-किस की है ?

उत्तर: मैं नहीं जानता कि यह किसने लिखे हैं, दोनों पत्र एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे मालूम होते हैं और मोहर मिर्जा मुगल की है यदि यह पत्र किसी पहले वाले लेखक के होते तो मैं पहचान लेता परन्तु विद्रोह होने के बाद कई नए आदमी नौकरी पर रख लिये गए, उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है।

प्रश्न: जब राजा ने अंग्रेजी क्षेत्र के पलवल व दूसरे स्थान कब्जाए, क्या ये मुगल सम्राट के पक्ष में कब्जाए गए या अंग्रेजी मित्रता के पक्ष में कब्जाए गए ?

उत्तर: मुझे इस बारे कोई ज्ञान नहीं।

प्रश्न: क्या आपने विद्रोह के दौरान बल्लबगढ़ के राजा के वकील को मुगल सम्राट के दरबार में देखा ?

उत्तर: हाँ, उसका नाम मौलवी अहमद अली है और वह कई बार दरबार में आता था।

प्रश्न: आपने उसको कितनी बार मुगल सम्राट के दरबार में देखा है ?

उत्तर: पाँच या छः बार।

प्रश्न: आप कैसे जानते हैं कि अहमद अली बल्लबगढ़ के राजा का वकील था ?

उत्तर: सबूत बिल्कुल स्पष्ट हैं राजा नाहर सिंह भी इससे इन्कार नहीं करेगा।

सरकारी वकील ने बहादुरशाह जफर तथा राजा नाहर सिंह के बीच, विद्रोह के दौरान हुआ पत्राचार कोर्ट के सामने पेश किया और साथ ही यह भी बताया कि इन पत्रों पर किसकी मोहर है तथा लेखक कौन-कौन है, और लेखकों को गवाह के तौर पर पेश किया गया। इसका भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि बहादुरशाह जफर एवं उसके परिवार के व्यक्ति तथा राजा नाहर सिंह कितनी बार, कब-कब और कहाँ-कहाँ मिले थे। यह भी प्रमाण प्रस्तुत किया कि राजा नाहर सिंह ने जिला पाली पर भी कब्जा करने का प्रयत्न किया, जो पहले इसके पूर्वजों के अधीन था। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील ने गवाहों द्वारा यह भी साबित किया कि बादशाह बहादुर शाह जफर व राजा नाहर सिंह व फरूखनगर के नवाब अहमद अली, झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान, तथा नवाब बहादुरगढ़ (दादरी) बहादुर जंग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की साजिश इकट्ठे होकर करते रहे । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित गवाह और पेश किए गए।

नरेश चन्द व ज्वाला नाथ, जो नसीराबाद से आने वाली फौज के लिए आटा घी आदि इकट्ठा करने के जिम्मेवार थे, अमीचन्द निवासी कानौद जो राजा नाहर सिंह की फौज के लिए राशन ले जाने वाली गाडियों के जिम्मेवार थे. राजा नाहर सिंह का रिकार्ड कीपर, अहमद अली, लैफ्टीनैंट कोगहील अंग्रेज अधिकारी, राजा बल्लबगढ़ के लेखक माधव नारायण, ब्रिगेडियर शावर्ज, 60वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के सिपाही धन्ना सिंह, सी०बी० सांडर्स कार्यवाहक कमिश्नर, दिल्ली और बलदेव जमीदार गांव करौली के ब्यान लिये गये।

राजा नाहर सिंह का बचाव पक्ष

राजा नाहर सिंह के वकील का नाम आर०एम० कोर्टनी था ।

गवर्नर जनरल कैनिंग को नाहर सिंह का 15 जून 1857 का पत्र जिसमें गवर्नर जनरल को दिल्ली की घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

बचाव पक्ष

नाहर सिंह के वकील कोर्टनी ने बचाव पक्ष में फौजी कोर्ट को बताया कि राजा नाहर सिंह अपने कर्मचारियों के दबाव में थे, क्योंकि दिल्ली,बल्लबगढ़ और पलवल आदि सभी जगहों पर विद्रोहियों का बोलबाला था। इसलिए यह पत्र लिखना उसकी मजबूरी थी और इसके अतिरिक्त मुगल बादशाह बहादुरशाह के पास 40 या 50 हजार की शक्तिशाली सेना दिल्ली में थी, जिसका यह भी एक कारण था।

दूसरे इल्जाम के बारे में श्री नाहर सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मेरे मुवक्किल ने विद्रोहियों को सैनिक, हथियार व रसद से कोई सहायता नही दी, परन्तु देहली में पुराने किले के पास कुछ घुड़सवार देहली के हालात की देखरेख के लिए अवश्य रखे हुए थे, ताकि नाहर सिंह को दिल्ली की गतिविधियों बारे जानकारी मिलती रहे।

तीसरे इल्जाम के बारे में बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि राजा नाहर सिंह पर पलवल और इसके आसपास ब्रिटिश इलाके पर अवैध कब्जे का आरोप निराधार है, क्योंकि 15 जून 1857 को राजा नाहर सिहं द्वारा गवर्नर जनरल, भारत सरकार, लैफ्टीनैट गवर्नर आगरा और ब्रिटिश कमांडिंग इन चीफ को जो पत्र लिखे गए उनमें लिखा है कि मैं आपको इस समय जो हालात दिल्ली में घट रहें हैं उनकी सूचना भेज रहा हूँ। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारियों व ईसाइयों को बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोहियों द्वारा कत्ल कर दिया गया और मुगल बादशाह ने अपने रिश्तेदारों को विद्रोहियों का अधिकारी नियुक्त कर दिया है। पलवल आदि इलाके जो मेरे इर्द-गिर्द हैं उन पर मैंने कब्जा उनकी

सुरक्षा के लिए किया है। मेरी पहले की तरह आपके साथ सद्भावना है।

इसके बाद बचाव पक्ष में यूरोपियन कैदी एडवर्ड बूरो को पेश किया गया जो नाहर सिंह के बैंड का इन्सपैक्टर था।

राजा नाहर सिंह ने उससे पूछा कि क्या मैंने विद्रोहियों को सैनिक सामग्री दी?

उत्तर में श्री बूरों ने कहा कि मुझे पता नहीं है।

प्रश्न: क्या मैंने विद्रोहियों को फौज भेजी ?

उत्तर: मुझे पता नहीं।

प्रश्न: क्या मैंने आसपास के इलाकों पर कब्जा करने के लिए सैनिक भेजे ?

उत्तर: मैंने यह सुना है कि पलवल में आप द्वारा सैनिक भेजे गए थे और उन्होंने पलवल पर कब्जा कर लिया, परन्तु कुछ दिन खाना न मिलने के कारण वापिस आ गए। कोर्ट ने गवाह बूरो से सवाल किया कि जब आप बल्लबगढ़ के किले में थे तो आपके साथ मि० मुनरो भी थे, तो उत्तर में कहा कि हाँ थे। कोर्ट ने पूछा कि जब मि० मुनरो का कत्ल किया गया तब बल्लबगढ़ के प्रशासक कौन थे ? उत्तर दिया कि मोहन सिंह व खुशाल सिंह के हाथों में बल्लबगढ़ का प्रशासन था। तब आप कैसे बच गए ?

उत्तर में कहा विद्रोहियों में मेरे पुराने परिचित थे, उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ तो आपको छोड दिया जायेगा और मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया।

प्रश्न: क्या आपको राजा नाहर सिंह तथा उसकी सेना के बीच कोई मतभेद मालूम हुआ ?

उत्तर: जब मथुरा से विद्रोहियों की दो कम्पनी खजाना लेकर दिल्ली की तरफ आ रही थी तब राजा ने अपने सैनिकों से उनका खजाना लूटने तथा उन्हें मारने के लिए कहा। लेकिन सैनिकों ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि क्या आप ईसाई बन गए हो ?

इसके बाद राजा ने मोहन सिंह व खुशाल सिंह को, मथुरा से आने वाले सैनिकों के पास भेजा जो बल्लबगढ़ से एक मील की दूरी पर जा चुके थे। उन्होने सैनिकों से बल्लबगढ़ आने को कहा, लेकिन सैनिकों ने साफ इंकार कर दिया। इसके बाद मोहन सिंह व खुशाल सिंह जो बागियों के नेता बन गए थे उन्होंने राजा नाहर सिंह से मि० मुनरो फिरंगी, जो उस समय बल्लबगढ़ के किले में था, को उनके हवाले करने के लिए कहा। लेकिन राजा ने कहा कि इसको मारो मत और इसे अपने इलाके से बाहर निकाल दो।

प्रश्न: क्या आपने राजा नाहर सिंह के किले में तोपें भी देखी ?

उत्तर: हाँ, कुछ पुरानी तोपें भी थी और कुछ नई ढाली गई थी।

प्रश्न: क्या विद्रोह के दौरान राजा ने नई तोपें बनवाई ?

उत्तर: विद्रोह के दौरान नहीं बनवाई बल्कि कुछ विद्रोह के नौ महीने पहले तथा कुछ दो महीने पहले बनवाई थी।

प्रश्न: राजा को नई तोपें बनवाने की क्या जरूरत पड़ी ?

उत्तर: मैं नहीं जानता, दो पुरानी तोपें तोड़ कर नई बनवाई थी।

प्रश्न: क्या राजा ने विद्रोह से पहले या विद्रोह के समय कोई गोला बारूद आदि किसी को भेजा ?

उत्तर: लगभग, विद्रोह के दो महीने पहले।

कोर्ट अगले दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

30 दिसम्बर 1857, बुधवार, प्रातः 11 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है।

राजा नाहर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया तथा उसके वकील कोर्टनी ने कमिश्नर आगरा द्वारा दिल्ली के कमिश्नर को भेजा गया पत्र क्रमांक 8, दिनाँक 17 दिसम्बर,1857 पेश किया, जिसमें लिखा गया था कि जब मैं भरतपुर, जयपुर व अलवर के राजाओं के साथ था तब मुझे राजा नाहर सिंह द्वारा लिखित कई पत्र मिले थे, जिसमें उसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी और बागियों का डर दर्शाया था। जब मैं 20 मई से 23 जुलाई तक देशी रियासतों की टुकड़ी के साथ था, जब भरतपुर की बैरकों में 31 मई को विद्रोह हो गया तब मैं मोहना कस्बे में था, जो दिल्ली से 28 मील दक्षिण में है उस समय मेरे साथ रेलवे विभाग तथा कस्टम विभाग के 28 अधिकारी भी थे। राजा नाहर सिंह ने मुझे बल्लबगढ़ में रूकने की प्रार्थना की लेकिन मैंने इंकार कर दिया। मैने राजा नाहर सिह को यह भी लिखा कि 1803–4–5 में भरतपूर के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की सहायता करने के उपलक्ष्य में लार्ड लेक ने जो तुम्हारे पूर्वजों को जागीर प्रदान की थी, उनका ध्यान रखते हुए अब भी अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए। झज्जर, बहादुरगढ़ तथा लोहारू के नवाब यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता करते तो 15 मई से पहले ही बागियों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता या दिल्ली में ही वे भुखमरी से मर जाते। यहाँ पर यह लिखना भी जरूरी है कि राजा नाहर सिंह का भाई जो एक षड्यन्त्रकारी था वह भी राजा को विद्रोहियों मे शामिल करने में असफल रहा।

गवाह जोन माईकल, रेलवे इंजिनियर को कोर्ट में पेश किया गया।

प्रश्न: जब आप दिल्ली से बल्लबगढ़ आये तब राजा ने आपसे कैसा व्यवहार किया?

उत्तर: जब मैं 5 अन्य आदमियों के साथ 11 मई को रात 10 बजे दिल्ली से बल्लबगढ की तरफ जा रहा था और हमारा फरूखाबाद जाने का विचार था तब मुझे राजा नाहर सिंह दिल्ली और बल्लबगढ़ के बीच मिले और उन्होंने मुझे बल्लबगढ़ चलने को कहा। हमने उनकी बात मान ली तथा उन्होंने एक घुड़सवार हमारे साथ भेज दिया। जब हम बल्लबगढ़ पहुँचे उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया परन्तु विद्रोहियों के दबाव के कारण हमें नंगला गाँव जो बल्लबगढ़ से 7 मील दूर है, जाने की सलाह दी। हम 12 मई को प्रात: 6 बजे नंगला पहुँचे। हम नंगला 5 दिन रहे। वहाँ हमारा अच्छा ध्यान रखा गया। हम आगरा जाना चाहते थे लेकिन राजा ने कहा कि आगरा मथुरा में भी दिल्ली वाली स्थिति है। मैं हर रात को बल्लबगढ जाकर विद्रोह की जानकारी लेता था। 14 मई को राजा का एजेन्ट मि० मुनरो दिल्ली से साधू का वेश बदलकर बल्लबगढ़ आया था, वह भी मुझे मिला और मैने उसके सामने अपनी समस्याएँ रखी क्योंकि नंगला गाँव में हमें असुविधा थी, इसलिए मि० मुनरों ने हमें वापिस बल्लबगढ आने की सलाह दी और अगले दिन हम नंगला से बल्लबगढ़ आ गए तथा एक प्राईवेट मकान में हमें ठहरा दिया गया। कुछ दिन बाद मि० मुनरो ने हमें यहाँ से रात को 12 बजे चले जाने को कहा और हमारे लिए घोड़े भी तैयार कर दिए परन्तु मैंने इसका विरोध किया। इतने में राजा वहाँ पहुँच गया और उसने बताया कि दिल्ली से ऐसी सूचना मिल रही है कि आपका यहाँ रूकना उचित नहीं है। हमें मथुरा जाने के लिए ऊँट देने के लिए कहा और नंगला होते हुए हम अगली शाम मथुरा के लिए चल पड़े।

प्रश्न: राजा नाहर सिंह ने पूछा कि मैंने इस स्थिति के बारे में लैफ्टीनैंट गवर्नर व कमांडिंग-इन-चीफ को अवगत कराने के लिए प्रार्थना की थी ?

उत्तर: मौखिक तौर पर नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, आपने इस बारे में मुझे लिखकर दिया था।

कोर्ट 2 जनवरी 1858 शनिवार तक स्थगित कर दी गई।

2 जनवरी 1858 कोर्ट की कार्यवाही। सरकारी वकील ने राजा नाहर सिंह द्वारा अपने बचाव में जो गवाहियाँ व पत्र पेश किए उनको सारहीन बताते हुए कहा कि जो गवाह राजा नाहर सिंह ने पेश किए हैं, उनसे और उनके द्वारा सचिव गवर्नर जनरल, कमांडिंग-इन-चीफ व लैफ्टीनैंट गवर्नर आगरा को

लिखे गए पत्र एक बनावट के आधार पर लिखे गए हैं ताकि अगर ब्रिटिश सरकार विद्रोह को दबाने में सफल हो जाए तो वह अपना बचाव कर सके। मौखिक गवाहियाँ देने वालों के बयानों से भी यही साबित होता है कि राजा नाहर सिंह ने उनकी सहायता व्यक्तिगत सम्बन्ध होने के कारण की है और राजा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त हो जाये, ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके।

राजा नाहर सिंह ने विद्रोहियों को सहायता देने और ब्रिटिश इलाके पर अवैध कब्जा करके ब्रिटिश वफादारी तोड़ दी इसलिए वह इन आरोपों के लिए दोषी है।

फैसला कोर्ट

गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों से राजा नाहर सिंह पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं और कोर्ट इन आरोपों के लिए नाहर सिंह को दोषी मानती है।

कोर्ट इन दोषों के लिए राजा नाहर सिंह को फाँसी की सजा देती है कि उसके गले में रस्सी डाल कर उसको तब तक लटकाए रखा जाए जब तक कि वह मर नहीं जाता व उसकी सभी प्रकार की सम्पत्ति जब्त कर ली जाए।

दिल्ली 2 जनवरी,1858
अनुमोदित

हस्ता०/-
ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलेन
मेजर हैरियट
मेजर जनरल पैनी

राजा नाहर सिंह को चाँदनी चौक में फाँसी

9 जनवरी 1858 के दिन, चाँदनी चौक कोतवाली के सामने दो लम्बी-लम्बी लकड़ी की बल्लियाँ गड़ी हुई थीं जिनके ऊपर एक लकडी की बल्ली बँधी हुई थी उसके बीच में एक लम्बी रस्सी का फंदा लटक रहा था। फंदे से 7–8 फुट नीचे एक तख्ता था जिसके साथ एक तरफ लोहे का हैंडल लगा था, जिसके खींचने से तख्ता जमीन पर गिर जाए। चौक के चारों तरफ ब्रिटिश सैनिक भारी संख्या में तैनात थे। चारों तरफ के रास्ते बन्द कर रखे थे। कोतवाली चौक से लालकिले के मुख्य द्वार तक दोनों तरफ अंग्रेज सैनिक भारी संख्या में तैनात थे। घुड़सवार सैनिक भी नंगी तलवारें लिए घूम रहे थे। इस समय वातावरण शून्य सा मालूम होता था। किसी के बोलने की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। अंग्रेज सैनिकों से बहुत दूर पीछे मकानों की छतों

पर भारतीय लोग घूर-घूर कर यह घटना देख रहे थे, लेकिन किसी की जुबान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी।

ठीक 8 बजे लाल किले का मुख्य द्वार खुलते ही कुछ अंग्रेज सैनिक व उच्च अधिकारी लाल किले के अन्दर दाखिल हुए। किले की घुड़साल, जहाँ मुगल सम्राटों के घोड़े बंधते थे, वहाँ पर राजा नाहर सिंह कोठरी में बन्द थे। अंग्रेज अधिकारियों के वहाँ पहुँचने पर राजा नाहर सिंह को कोठरी से बाहर लाया गया। लाल किले का मुख्य द्वार जैसे ही खुला, दो घुड़सवार अंग्रेज सारजैंट आगे आगे चल रहे थे और उसके पीछे राजा नाहर सिंह जिसके सिर पर काला टोप पहना रखा था और जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। एक सारजैंट हथकड़ी पकड़े हुए था और राजा नाहर सिंह की दोनों बाहें दो अंग्रेज सारजैंटों ने पकड़ रखी थी। वे आहिस्ता-आहिस्ता कोतवाली चौक की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद भारत की स्वतन्त्रता की वेदी पर फाँसी पर चढ़ने वाले राजा नाहर सिंह को लेकर अंग्रेज अधिकारी चाँदनी चौक बाज़ार के कोतवाली चौक पर पहुँच गए और उन्हें फाँसी के तख्ते पर खड़ा कर के गले से टोप निकाल दिया गया और रस्सी का फन्दा गले में डालने के बाद एक अंग्रेज उच्च अधिकारी ने राजा नाहर सिंह के सामने खड़ा होकर कुछ पढ़कर सुनाया और उसके रूमाल से ईशारा करते ही जल्लाद ने हैंडल खींचा। तख़्ता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और राजा नाहर सिंह का शरीर नीचे लटक गया और इसके बाद जल्लाद ने उसके पाँव कई बार खींचे ताकि जिन्दा न रह जाए। थोड़ी देर बाद शव को उतार कर एक घोड़ा गाड़ी में रख कर दाह संस्कार के लिए किसी अन्जान जगह ले जाया गया।

राजा नाहर सिंह को फाँसी देने के बाद उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उसके परिवार को क्रमश: 2289 रुपये, 650 रुपये एवम् 383 रुपये वार्षिक खर्चे के रूप में दे दिए गए। उसका भाई उस समय उसके साथ रहता था, उसके परिवार को 2200 बीघे जमीन देकर सीही गाँव में भेज दिया और बल्लबगढ़ का किला और महल जब्त कर लिए, जो बाद में स्कीनर नामक अंग्रेज को बल्लबगढ़ के 28 गाँवों की रियासत के साथ कुछ और गाँव मिला कर दे दिये और बल्लबगढ़ स्कीनर स्टेट का मुख्यालय बन गया।

राजा की मृत्यु से बल्लबगढ़ राज्य का सूर्य अस्त हो गया। राजा की सम्पत्ति को अंग्रेज़ सरकार ने ज़ब्त कर लिया और सेना को यह आदेश दिया कि वे राजा की सम्पत्ति को ईनाम समझें और लूट लें। बल्लबगढ़ किले और उसके महलों को अंग्रेज़ी सेना ने बुरी तरह लूट लिया। यह सेना रानियों के महल में भी घुस गई। उनसे नकदी, हीरे जवाहरात तथा जेवर छीन लिए गए। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी लूट लिए गए। अंग्रेज़ी सेना राजा के घोड़े, बैल और रथ ले गयी। शत्रु सेना ने बल्लबगढ़ की सेना से दिल खोलकर बदला लिया।

इस तरह से राजा नाहर सिंह ने अपनी जान और माल लुटा कर देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना बलिदान दिया। भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित रहेगा और देश के लोग उनको एक महान बलिदानी के रूप में हमेशा याद करेंगे।

राजा नाहर सिंह के विषय में किये गये पत्र व्यवहार के कुछ अंश

नं० 86 सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार.नई दिल्ली

प्रेषक:

कार्यवाहक सचिव,चीफ कमिश्नर,पंजाब

सेवा में,

जी०एफ० एडमन्सटन, सचिव
विदेश विभाग,भारत सरकार
लाहौर, 20 जनवरी 1858

अंग्रेजी सेना ने विद्रोही राजाओं और नवाबों पर काबू पा लिया है। झज्जर के नवाब और बल्लबगढ़ के राजा पर मुकद्दमा चलाया गया है। उन्हें सजा सुना कर फाँसी दे दी गई है। बाकी पर मुकद्दमा चल रहा है।

हस्ता०/-

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

आफिसर कमांडिंग,
दिल्ली।

सेवा में,

सैक्रेटरी टू दी चीफ कौंसिल फार दी पंजाब,
20 मार्च 1858

राजा नाहर सिंह ,बल्लबगढ़ को फाँसी देने के बाद उनके परिवार को क्रमश: 2289, 650 व 383 रुपये वार्षिक खर्चा अंग्रेज सरकार द्वारा देना स्वीकृत किया गया।

सन्दर्भः राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

कार्यवाहक कमिश्नर दिल्ली,

सेवा में,

सैक्रटरी टू दी चीफ कमिश्नर, पंजाब, लाहौर
दिल्ली, 9 मार्च 1858

ट्रायल के बाद नवाब झज्जर,फारूखनगर और राजा नाहर सिंह, बल्लबगढ़ को फाँसी की सजा दी गई। दादरी (बहादुरगढ़) के नवाब को अपनी सफाई पेश करने के लिए दिल्ली के कमिश्नर के सामने भेजा गया और उसको सुप्रीम गवर्नमैंट द्वारा छोड़ दिया गया।

सन्दर्भः राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

आर० टैम्पल
सैक्रेटरी, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार, विदेश विभाग

पत्र संख्या 445 दिनाँक 11–12–1858 मि० आर० टैम्पल सैक्रेटरी चीफ कमिश्नर, पंजाब की तरफ से सैक्रेटरी भारत सरकार, विदेश विभाग को पत्र लिखा गया, जिसमें गवर्नर जनरल को लिखा गया कि राजा नाहर सिंह, बल्लबगढ़ तथा नवाब झज्जर को मौत की सजा दी जा रही है तथा इनकी तमाम सम्पत्ति जब्त करके उन लोगों में बाँट दी जाये जिन लोगों ने विद्रोह को दबाने में सहायता की है और गवर्नर जनरल इस बारे में स्वयं निर्णय ले लें। राजा नाहर सिंह तथा नवाब झज्जर का दिल्ली गजट प्रेस में 1/17 का हिस्सा है उसे भी जब्त कर लिया जाये।

हस्ता०/-

नं० 160, 1857 सन्दर्भ: विदेश विभाग, मई 1.1857. 24-25

गोपनीय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त

सेवा में,

एजेन्ट लैफ्टीनैंट गवर्नर, दिल्ली
8 अप्रैल, 1857

मुझे आपका पत्र क्रमाँक 24, दिनाँक 31 मार्च 1857 प्राप्त हो गया है, जो कि गुड़गाँव के मजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल केस के सम्बन्ध में बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह से जो सूचना माँगी थी और उसने जवाब देने में देरी की थी, से सम्बन्धित है। इस बारे में आप द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक है।

हस्ता०/-

दिनाँक 8 अप्रैल, 1857 सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

सी०बी० सान्डर्स
कार्यवाहक कमिश्नर, दिल्ली

सेवा में,

आर० टैम्पल
सैक्रेटरी, चीफ कमिश्नर, पंजाब
17 अप्रैल 1858

श्री मान जी,

मैं बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह जिस पर विद्रोहियों से देशद्रोही पत्राचार करने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए उनको उकसाने व उनकी सहायता करने के परिणामस्वरूप उसको इन आरोपों से सम्बन्धित मुकद्दमें के लिए

सैनिक आयोग, जिसमें पाँच चुने हुए अफसर थे व ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलैन जिसके प्रेजीडेंट थे, उस केस की कार्यवाही की प्रतियाँ चीफ कमिश्नर को भेज रहा हूँ ताकि वे सर्वोच्च अधिकारियों को पेश की जा सकें। कोर्ट ने ध्यानपूर्वक काफी जांच पड़ताल के बाद उस पर जो आरोप लगाए थे उन आरोपों के लिए उस को दोषी ठहरा दिया और उसको फाँसी की सजा सुना दी। उसको पिछली 9 जनवरी को फाँसी दे दी गयी और उसकी सभी तरह की जायदाद और सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। उस के मुकद्दमें में जो मौखिक व लिखित बयान व गवाहियाँ पेश की गई वे बड़ी संगीन थी। मेजर हैरियट, डिप्टी जज एडवोकेट जिसने दिल्ली के पतन के बाद जितने भी दूसरे मुकद्दमों की कार्यवाही सम्भाली उसी तरह इस मुकद्दमे की कार्यवाही का संचालन भी किया। कोर्ट में उसके पक्ष व विपक्ष में अनेक ब्यान व गवाहियाँ प्रस्तुत की गई। पूरे सबूत देख कर उसको फाँसी की सजा व उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करने का फैसला सुना दिया गया। बल्लबगढ़ क्षेत्र का राजस्व पौने दो लाख रुपये प्रति वर्ष है, उसको अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करके दिल्ली डिवीजन में मिला लिया जाये।

राजा की मौत के बाद उसके नि:सहाय परिवार के गुजारा भत्ते के लिए मैं दूसरा पत्र भेजने की सोच रहा हूँ।

बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह के मुकद्दमे की कार्यवाही चलाने के लिए 19 दिसम्बर 1857 को दिल्ली में शनिवार को यूरोपियन सेना आयोग बैठा, जिसमें 5 फौजी अफसर थे, जिसके प्रेजीडेंट ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलेन थे। लैफ्टीनैंट वाटर फील्ड ने दुभाषिये का कर्त्तव्य निभाया। सरकारी अभियोगकर्ता सरकारी वकील मेजर हैरियट थे।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

आर० टैम्पल,
सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

जी०एफ० एडमन्सटन, सचिव, गवर्नर जनरल
लाहौर, 30 अप्रैल,1858

(1) मुझे बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह के अभियोग की कार्यवाही गवर्नर जनरल की सेवा में भेजने का निर्देश हुआ है।

(2) नाहर सिंह को 19 दिसम्बर 1857 को मिलिट्री आयोग के सामने पेश किया गया था। ब्रिगेडियर चैम्बरलेन उस आयोग के अध्यक्ष थे। राजा नाहर सिंह पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए थे:-

1. विद्रोहियों के साथ मेल-जोल व पत्र व्यवहार करना।
2. उनको सैनिक व आर्थिक सहायता व रसद भेजना।
3. शक्ति से, ब्रिटिश इलाके पलवल पर अनुचित रूप से अधिकार करना जबकि वह ब्रिटिश नागरिक था और 1857 के 16वें एक्ट के प्रति जवाब देह था।

2 जनवरी 1858 को कोर्ट ने उसको दोषी करार देते हुए गले में रस्सी डालकर फाँसी देने और उसकी चल व अचल सम्पत्ति जब्त करने का निर्णय भी दे दिया। उसको मृत्युदण्ड दे दिया गया। उसकी चल व अचल सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उसकी सामन्ती जागीर भी जब्त कर ली गई।

अब मैं राजा नाहर सिंह की करतूतों व केस के बारे में चीफ कमिश्नर के विचार (टिप्पणी) प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पहले यह कहना उचित होगा कि दिल्ली के बागियों के हाथों में चले जाने व देशी राजा होने के कारण, नाहर सिंह की स्थिति बड़ी संकटमय हो गई थी। उसके बाद (दिल्ली के पतन) भी अगर वह अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की इच्छा रखता तो उसके लिए बल्लबगढ़ में रहना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था। उसकी सामन्ती जागीर, छोटी राजधानी, किला व खजाना और उसका परिवार सभी दिल्ली से मथुरा व आगरा जाने वाली मुख्य सड़क पर 20 मील के अन्दर स्थित थे। दिल्ली के विद्रोही वहाँ कूच करके आसानी से उसकी जागीर पर कब्जा कर लेते क्योंकि उनका मुकाबला करने के लिए उसकी फौज सक्षम नहीं थी। यदि उसके पास शक्तिशाली सेना होती तो शायद वह विद्रोहियों से मिल जाती। यदि राजा नाहर सिंह हमारे प्रति वफादार रहने का निर्णय लेता तो उसने अवश्य ही बल्लबगढ़ छोड़ दिया होता। उसने निश्चित रूप से अपने परिवार को सुरक्षा के लिए पटियाला, जीन्द, सिस-सतलुज स्टेट में भेज दिया होता जहाँ उसकी ही जाति के मुखिया थे और उसी समय स्वयं अंग्रेजों की तरफ आ गया होता या उसने दिल्ली के दक्षिण के शक्तिशाली देहात में शरण ले ली होती जहाँ उसके बहुत से मित्र थे। निःसन्देह उसका कर्त्तव्य उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक को अपनाना था। परन्तु ऐसा करने में उसको कुर्बानी करनी पड़ती जबकि उसका और वास्तव में कुछ अन्य देशी रियासतों के मुखियाओं का ऐसा इरादा नहीं था। यद्यपि शुरू से ही राजा नाहर सिंह को अंग्रेजी खेमे में आने के लिए जीन्द के राजा ने संदेश भेजे परन्तु उसकी प्रार्थना को उन्होंने सख्ती से ठुकरा दिया।

यद्यपि ऐसे विकट व निर्णयात्मक समय में उसकी हमारे प्रति स्वामिभक्ति व श्रद्धा नहीं थी तो भी यह काफी होता कि जब तक उसको यह पूर्ण विश्वास नहीं होता कि दोनों पक्षों में से कौन सफल होगा तो अवसरवादी बनकर दोनों से ही समझौता किए रहता। जल्दी-जल्दी घटनाक्रम ने उसको मजबूर कर दिया कि दोनों पक्षों में से एक की तरफ मिल जाए। उसने चालाकी से विरोधियों/क्रांतिकारियों के पक्ष में मिलने का फैसला कर लिया। उसने दिल्ली के सम्राट की सहायता के लिए फौज एकत्रित करने में कोई देर नहीं लगाई। विद्रोह शुरू होने के कुछ दिन बाद उसने अपने नए शासक (मुगल सम्राट) के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया और पूरी तरह हमारे खेमे से निकलकर हमारे प्रति पूर्णतया स्वामीभक्ति तोड़ दी। उसने मुगल सम्राट के लाभ व हित के लिए बल्लबगढ़ के इर्द-गिर्द के इलाके अपने कब्जे में लेकर उनका प्रबन्ध व देख-रेख करनी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त उस द्वारा पलवल पर अधिकार व कब्जा करना और पाली जिले के प्रबन्ध व देख-रेख की इच्छा यह सिद्ध करती है कि वह अपने पूर्वजों के खोये हुए इलाके पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा रखता था और अपने इलाके बढ़ाने की अपनी लालसा के कारण ही उसने मुगल सम्राट की सहायता की।

यह सत्य है कि विद्रोह शुरू होने के लगभग एक महीने बाद उसने आगरा सरकार को सम्बोधित किया। परन्तु इन घटनाओं के बारे एक भी खबर व सूचना नहीं दी जबकि विद्रोह शुरू होने वाले दिन वह दिल्ली में ही था।

उस द्वारा अंग्रेजों की सहायता न करना व देशद्रोही सिद्ध होने के खिलाफ कोई भी ऐसा तथ्य या प्रमाण नहीं है जो उसके पक्ष में जाते हों। दिल्ली के नजदीक की दो घटनाओं हिन्डन और बादली सराय के परिणामों ने उसको यह अहसास जरूर करवा दिया होगा कि हमारा मुकाबला इतना निराशाजनक नहीं था जिसने भी किसी तरह इसमें साथ दिया उनको काफी आशा थी फिर भी नाहर सिंह ने इसमें कुछ नहीं किया। यदि यह मान भी लिया जाये कि परिस्थितियों के दबाव के कारण वह खुल्लम खुल्ला हमारा पक्ष नहीं ले सका, इसके बावजूद भी वह गुप्त रूप से हमारी सहायता कर सकता था और गुप्त व भरोसेमंद सबूत दे सकता था। जिनसे उसका हमारी तरफ झुकाव व मनोवृति का पता चल जाता। वह ब्रिटिश कमिश्नर के पास अपना गुप्त प्रतिनिधि भेज सकता था वह अपनी समस्याओं को बता सकता था और हमको महत्त्वपूर्ण मामलों में गुप्त सूचनायें दे सकता था। इस तरह मामूली सा खतरा उठा कर हमारी खास मदद कर सकता था। यदि उसने यह भी काम किये होते तो उसके अपराध व दोषों की अनदेखी करके नरमी बरती जा सकती थी। परन्तु इनमें से उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। इसके विपरीत ब्रिटिश कमिश्नर ग्रीथ्ड. बल्लबगढ़ के प्रतिनिधि को अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राजा

का अंग्रेजों के प्रति अविश्वास व संदेह इतने स्पष्ट व पूर्ण रूप से दिखाई दिये जिससे यह स्पष्ट दिखाई दिया कि राजा वास्तव में अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बल्लबगढ के राजा पर जो देशद्रोह व विद्रोह के आरोप लगाये गये थे. मुकद्दमे में सबूतों व गवाहियों से पूरी तरह से साबित हो गये थे। क्योंकि वह एक सामन्ती सरदार था जिसका जन्म व पालन-पोषण ब्रिटिश सरकार की अधीनता में हुआ। इसलिए वह अपने सेवा काल के दौरान कुशल व निष्ठावान सेवाओं के लिये बाध्य था। चीफ कमिश्नर यह सोचते हैं कि इन कारणों से उसको मृत्युदण्ड दिया जाना उचित व न्याय संगत है। उसकी जागीर के राजस्व को जब्त किया जाना भी उचित व तर्कसंगत है।

इसलिये मैं चीफ कमिश्नर को सुझाव व सिफारिश भेज रहा हूँ कि फिलहाल बल्लबगढ़ की जब्त की गई जागीर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करके दिल्ली जिले में मिला लिया जाए।

लाहौर — आर० टैम्पल

30 अप्रैल, 1858 — सैक्रेटरी. चीफ कमिश्नर, पंजाब

नं० 45, 1854 — संदर्भ: विदेश विभाग, 3 मार्च,1854.179-182 पोलिटीकल, राष्ट्रीय अभिलेखागार. नई दिल्ली

प्रेषक:

कार्यवाहक सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त

सेवा में,

कार्यवाहक सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग
फोर्ट विलियम, 8 फरवरी 1854

मैं राजा नाहर सिंह द्वारा गवर्नर जनरल को अपने भतीजे की शादी का भेजा गया निमंत्रण पत्र आपके पास भेज रहा हूँ जिसमें एजेन्ट से प्रार्थना की गई है कि वह राजा द्वारा भेंट की गई नजर को सरकारी तौर पर स्वीकार करें।

8 फरवरी, 1854 — हस्ता०/-
कार्यवाहक सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त

नं० 67

संदर्भ: विदेश विभाग. 18 दिसम्बर,1857
604-605 पोलिटीकल
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

ए० ब्रान्डरथ
कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

जी०एफ० एडमन्सटन
सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग, कलकत्ता
9 अक्तूबर 1857

उक्त पत्र के कुछ अंश:-

मेरे पत्र क्रमांक 63 दिनाँक 3 अक्तूबर के संदर्भ में मैं दिल्ली के मामलों से सम्बन्धित पत्राचार गवर्नर जनरल की सेवा में भेज रहा हूँ।

चीफ कमिश्नर ने सम्राट के महल की सुरक्षा प्रबन्धों का समर्थन किया है और कहा है कि जिस क्षेत्र में महल स्थित है उसकी भी सुरक्षा की जाए क्योंकि उसे डर है कि बागियों को पकड़ने के उपायों में और उस इलाके का पुन: प्रबन्ध करने में देरी हो सकती है और बिल्डिंग को नष्ट करने का विरोध करता है। उपरोक्त सुझाव के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को शहर के अन्दर वापिस न आने दिया जाए।

चीफ कमिश्नर मुगल सम्राट को सिंगापुर या किसी अन्य टापू पर भेजना चाहता है। जब तक किसी टापू में नहीं भेजा जाता उसे कांगड़ा के किले में कैद रखा जाए क्योंकि वह इसके लिए उपयुक्त है। उस किले में दो या तीन यूरोपियन कम्पनियां आसानी से चौकसी कर सकती हैं क्योंकि वहाँ इन कम्पनियों के रहने का भी प्रबन्ध है।

चीफ कमिश्नर का यह भी विचार है कि जिन शहज़ादों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग लिया है उन पर कमीशन के सामने मुकद्दमा चलाया जाए और दोष अनुसार उचित दण्ड दिया जाए।

चीफ कमिश्नर आगे यह मन्त्रणा देते हैं कि जो फौजी दस्ते दिल्ली से रिवाड़ी की तरफ गए हैं उनका वहाँ कार्य समाप्त होने के पश्चात् उन्हें झज्जर नवाब के खिलाफ भेज दिया जाए जिसने इस विद्रोह में अहम् भूमिका निभाई थी और उसकी

फौजी टुकड़ियों ने भी हमारे खिलाफ सक्रिय भूमिका अदा की थी। यह आवश्यक है कि दूसरी जगह से भागे हुए विद्रोहियों को झज्जर में इकट्ठा न होने दिया जाए।

9 अक्तूबर, 1857

हस्ता०/-

नवाब अब्दुर्रहमान खाँ, झज्जर

1857 में झज्जर हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। झज्जर का नवाब अब्दुर्रहमान खाँ था। उसने 1857 के स्वतन्त्रता आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे ही मेरठ मे विद्रोह फूटा, नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। यद्यपि उसने सी०टी० मैटकॉफ व अन्य यूरोपियनों को शरण प्रदान की और उन्हें सुरक्षित छुछकवास भेज दिया और वहाँ से उन्हें (टी०मैटकाफ के अनुसार) अपने क्षेत्र से बाहर निकलवा दिया। दूसरी तरफ नवाब ने कई अंग्रेज औरतों और बच्चों की जान बचाई जो उसके पास गुड़गाँव से आए थे। उसका इरादा अंग्रेजी पक्ष में शामिल होने का नहीं रहा, क्योंकि 10 मई के बाद जब अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत हो गई तो उसने 200-300 झज्जर के सिपाही अपने ससुर अब्दुल समद खान के अधीन दिल्ली, विशेषकर बादली की सराय में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजे और उन्होंने विद्रोह में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। विद्रोह के समय नवाब द्वारा सम्राट बहादुरशाह को धन भी भेजा गया और उसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने वाले अन्य लोगों को सहायता दी और उनको विद्रोह के लिए भड़काया, जबकि उसने अंग्रेजी शासन की सहायता की प्रार्थना को नजरअन्दाज कर दिया। उसके बाद भी विद्रोहियों को सहायता देता रहा। जब बादशाह ने पुनः दिल्ली की बागडोर संभाली, अब्दुर्रहमान खाँ ने घुड़सवार सेना और 5 लाख रुपये भेजने का वायदा किया। उसने उसे सैन्य टुकड़ियाँ भेजीं, नजर भेंट की और बादशाह के दरबार में नियमित पत्राचार जारी रखा। अंग्रेजों का उसके प्रति संदेह और मजबूत हो गया क्योंकि उसके ससुर अब्दुल समद खान ने दिल्ली में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और वह झज्जर में सेना का सेनापति था। वह सेना लेकर नसीबपुर के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और वहाँ उसका लड़का मारा गया। 18 अक्तूबर को कर्नल लारेंस ने छुछंकवास के पास पड़ाव डाला। उसने नवाब को छुछकवास आने का फरमान भेजा। जब नवाब वहाँ पहुँचा तो उसका घेराव करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके किले से 21 तोपें व काफी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया और उसको दिल्ली लाल किले में भेज दिया। उसी दिन कर्नल लारेंस ने झज्जर के किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। नवाब के सिपाहियों ने किले पर कब्जा होने तक कड़ा संघर्ष किया। उसने सिपाहियों को आत्म समर्पण करने को कहा परन्तु इसके बजाए वे झज्जर छोड़कर जोधपुर की बागी सेना में मिल गए। झज्जर क्षेत्र कर्नल लारेंस के अधीन हो गया। लारेंस को झज्जर रियासत से नवाब के खजाने से 5 सोने की मोहरों के थैले मिले। प्रत्येक थैले में 100 मोहरें थी। इसके

अतिरिक्त रुपयों से भरे 59 थैले भी मिले. प्रत्येक थैले में 1000 रुपये थे। कुल राशि 1,39,000 रुपये अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके इलावा बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिनसे उनका विद्रोह में शामिल होना पूरी तरह सिद्ध होता है। 9 अक्तूबर 1857 को चीफ कमिश्नर ने मंत्रणा दी कि झज्जर में विद्रोहियों को इकट्ठा न होने दिया जाए क्योंकि नवाब झज्जर की फौजी टुकड़ियाँ भी विद्रोही थी और दोनों मिलकर विद्रोह कर सकते थे। उनकी विद्रोह में अहम् भूमिका थी।

8 दिसम्बर 1857 को दिल्ली के दरबारे आम में मिलिट्री आयोग के सामने नवाब पर मुकद्दमा चलाया गया। इस आयोग में कुल 5 मिलिट्री अधिकारी थे, जिसका प्रेजीडेंट ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलेन था। सरकारी वकील डिप्टी जज एडवोकेट हेरियट था। 17 दिसम्बर 1857 को नवाब झज्जर को खतरनाक बागी एवं विद्रोही करार देकर फाँसी की सजा सुना दी गई और 23 दिसम्बर 1857 को लाल किले के सामने नवाब अब्दुर्रहमान को सरेआम फाँसी पर लटका दिया गया। उनकी तमाम व्यक्तिगत सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। नवाब की बेगम के अधिकार में जो 15000 रुपये के कागजात थे, उन्हें रद्द कर दिया गया एवं सौतेली माताओं व बहनों के नाम जो कागजात थे, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। झज्जर रियासत का दक्षिणी इलाका बावल, कांटी, नारनौल, कानोंद, बधवाना परगनों में से बावल, कांटी, कनीना महाराजा नाभा को दे दिए गए और नारनौल, कानोंद व बधवाना महाराजा पटियाला को दे दिए गए। बाकी झज्जर के आसपास के परगनें जिनमें पाटौदा, बादली इत्यादि थे, अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

संदर्भ: विदेश विभाग, 26 मार्च, 1858
2 से 9 गोपनीय
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

टेलीग्राफ आफिस लाहौर
19 अक्तूबर 1857

प्रेषक:

सी०बी० सान्डर्स दिल्ली 7.30 सवेरे

सेवा में,

चीफ कमिश्नर लाहौर तथा कमिश्नर
जालंधर और अम्बाला ।

ब्रिगेडियर शावर्ज द्वारा यह रिपोर्ट मिली है कि 17 अक्तूबर को छुछकवास के

शिकारगाह में झज्जर के नवाब को गिरफतार कर लिया गया है। अंग्रेजी फौजें जब झज्जर में आई, तब झज्जर वीरान पड़ा था क्योंकि विद्रोही वहाँ से जा चुके थे। झज्जर के किले से 21 तोपें तथा भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद हुआ है। हमने एक फौजी टुकड़ी नाहड़ भेज दी है जो भगौड़े कानोंद के किले में शरण लेने का प्रयत्न करेंगे वे उन्हें मार भगाएंगे। ब्रिगेडियर शावर्ज ने 6वीं ड्रेगन गार्ड और हडसन फोर्स का एक दस्ता कर्नल कुसटान्स के अधीन कानोंद भेजा है जो विद्रोहियों से पहले किले पर कब्जा करके उसमें रखे खजाने, तोपें तथा गोलाबारूद को अपने हाथ में ले लें। उक्त टुकड़ी कल शाम को वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। कैप्टन लारेंस से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

11.25 सवेरे   हस्ता०/-

संदर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
क्रमांक 641 प्रति

आगरा से कानपुर के रास्ते 27 अक्तूबर मंगलवार प्रात: 8.45 बजे इलैक्ट्रिक टैलीग्राम प्राप्त हुआ ।

प्रेषक:

मिस्टर मयूर, 22 अक्तूबर 1857

सेवा में,

मिस्टर एडमन्सटन, कलकत्ता

शावर्ज की टुकड़ी ने 15 तारीख को 6 गनों सहित दादरी पर कब्जा कर लिया है। नवाब शावर्ज से मिलने के लिए बाहर आया और उसने 16 तारीख तक विद्रोहियों को पकड़ने के लिए वायदा किया। कश्मीरी टुकड़ियाँ लारेंस की अध्यक्षता में उससे मिल गई। वे झज्जर की तरफ चल पड़े। नवाब ने बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। झज्जर में हमारा किसी ने मुकाबला नहीं किया क्योंकि सारी छावनी खाली थी। 21 तोपें तथा काफी मात्रा में गोला बारूद मिला। लारेंस ने झज्जर का चार्ज

सम्भाल लिया। कोटा से आई टुकड़ियों को धोखे से मार दिया गया। मेजर बार्लो व उसके दो लड़कों का 15 तारीख से कोई अता पता नहीं है। जोधपुर के विद्रोही सांभर लेक के बिलकुल नजदीक पहुँच गए, जहाँ से वे रोहेलखण्ड में जाने की या राजपूताने के दूसरे विद्रोहियों से मिलने की सोच रहे हैं और इन्दौरं के विद्रोही जो फतेहपुर में थे, वे भी राजपूताने की तरफ भाग गये हैं। हमारे उत्तर पश्चिम के प्रान्त आमतौर पर शान्त हैं।

हस्ता०/-

कलकत्ता

27 अक्तूबर 1857

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

कार्यवाहक कमिश्नर एवं असिसटैंट लैफ्टिनैंट
गवर्नर, उत्तर पश्चिमी प्रान्त दिल्ली।

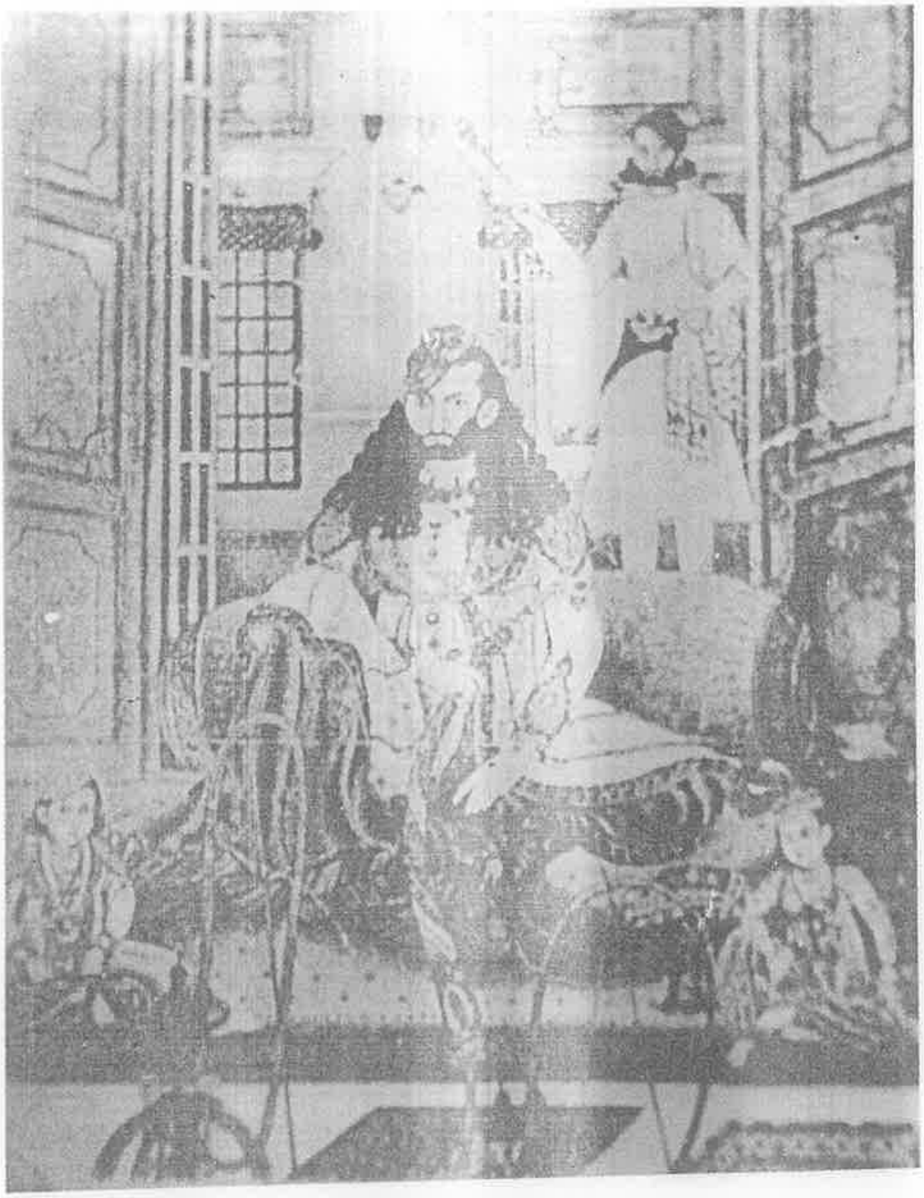
सेवा में,

मिस्टर एडमन्सटन, सचिव, भारत सरकार,
फोर्ट विलियम्, दिल्ली किला, 2 दिसम्बर 1857

श्रीमान जी,

मुझे आपका 20 मार्च 1857 का पत्र क्रमॉक 355 मिला जिसमें दिल्ली के अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु गवर्नर जनरल के निर्देशों का सारांश दिया गया है। आपने मुझे फ्रैन्डस आफ इण्डिया में 19 नवम्बर को जो लेख प्रकाशित हुआ था उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट देने बारे कहा है। उसकी प्रति भेज कर निर्देश दिया है कि मैं जांच पड़ताल का आम उत्तर भेजने तक ही सीमित न रहूँ।

नवाब झज्जर अभी भी जेल में है। उसकी रियासती जागीरों की वजह से सम्भवत: यह मामला बाद में पार्लियामैंट में उछाला जाए। मैं यह उचित समझता हूँ कि उसके केस में गवाहियों व सबूतों को बड़े ध्यान से तैयार किया जाए और जिन कारणों से वह फंसा है उन दस्तावेजों का बड़े ध्यान से अनुवाद किया जाए। ऐसा ही ध्यान फरूखनगर और दादरी के नवाबों तथा बल्लबगढ़ राजा के बारे में रखा जाए जिनको अभी-अभी विशेष मिलिट्री कमीशन के सामने लाया जाएगा। मैं जनरल पैनी



अब्दुर्रहमान खां, नवाव झज्जर

नवाब अब्दुर्रहमान खाँ का मुकद्दमा

पंजाब के चीफ कमिश्नर ने हिदायतें दी थी कि विद्रोह मे भाग लेने वाले सभी कैदियों पर सैनिक अदालत में अभियोग चलाया जाए। उसी के निर्देशानुसार मेजर जनरल पैनी के आदेशों से 8 दिसम्बर, 1857 को मंगलवार के दिन दिल्ली के दरबारे आम में बैठे सैनिक आयोग की कार्यवाही जिसमें अब्दुर्रहमान पर मुकद्दमा चलाया गया:—

इस कमीशन में कुल पाँच मिलिट्री अधिकारी थे, जिनमें प्रैजीडेट ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलेन था और दुभाषिये का कार्य मिस्टर मरफी ने किया। सरकारी वकील डिप्टी जज एडवोकेट जनरल हैरियट था। 8 दिसम्बर 1857 को प्रात 11 बजे मंगलवार को दिल्ली के दरबारे आम लालकिले में अदालत बैठी। कोर्ट के सभी अधिकारी उपस्थित थे। नवाब पर मुकद्दमा चलाया गया। 7 दिसम्बर 1857 को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों में अपराधी सिद्ध होने पर नवाब को फांसी की सजा सुनाई गई।

23 दिसम्बर 1857 का वह मनहूस दिन, लाल किले के सामने सैनिक दस्तों के पीछे हजारों लोग सिर झुकाये खड़े थे। सामने एक ऊँची जगह पर फॉसी का फंदा लटक रहा था। तभी एक गौरवर्ण राजपुरूष को बेडियों से जकडे हुये गोरे सैनिकों ने फॉसी के फंदे के पास ला खड़ा किया। उस वक्त घोषणा हुई "यह आदमी एक खतरनाक बांगी है जिसने सरकार के विरुद्ध बगावत की और विद्रोहियों को पूरी सहायता दी। इसका नाम अब्दुर्रहमान खां है और यह झज्जर का नवाब है" और तभी उस गौरवर्ण हिन्दुस्तानी सच्चे मुसलमान देशभक्त को फॉसी का फंदा डाल दिया गया और भारत माँ का वह बेटा हँसते-हँसते फॉसी पर झूल गया। उसको गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। सब लोग जानते हैं कि झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खां स्वतत्रता संग्राम में किस सीमा तक सक्रिय रहे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम मे भाग लेकर अपने आप को देश के लिये कुर्बान कर दिया।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

संदर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली

न० 33

प्रेषक:

लैफ्टिनैंट कर्नल आर०सी० लारेंस
पोलिटीकल इंचार्ज, झज्जर

सेवा में,

सैक्रेटरी, भारत सरकार, फोर्ट विलियम
झज्जर, 1 फरवरी 1858

श्रीमान् जी,

नवाब झज्जर की चार महिलाओं के पास से सरकारी परनोट नहीं मिल रहें हैं। मेरा आपसे निवदेन है कि जब तक सरकार से इस मामले में आदेश नहीं मिल जाते, आप उन परनोटों के नम्बर भेज दें ताकि मैं उनके हस्तांतरण के लिये मुनादी करवा दूँ या दूसरी पार्टियों से सौदा कर सकूँ,

जिनके अधिकार में परनोट हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1.	बेगम जीनत उन नीशा	25,000 रुपये
2	बेगम समशउन नीशा	25,000 रुपये
3.	बेगम जबीउन नीशा की पुत्री उमराव बेगम	25,000 रुपये
4.	बेगम मुबारिक उन नीशा	25,000 रुपये
	कुल	1,00,000 रुपये

जहाँ तक मुझे यकीन है, यह सभी परनोट एक ही दिन यानि 1 अगस्त 1853 को प्राप्त किये गये हैं और 13 जनवरी 1854 को इनका नवीनीकरण हुआ है। यह सूचना आपको परनोटों के नम्बर खोजने में सहायता देगी। आपको सूचित किया जाता है कि जो तीन परनोट मेरे कब्जे में हैं, वे बेगम समशउन नीशा से सम्बन्धित है और उनमें से प्रत्येक 5000 रुपये वाला प्रोमिसरी नोट 4 प्रतिशत पर है उनके नं० 3770, 4467 तथा 4487 हैं और आदेश क्र० 1289, दिनाँक 30 अप्रैल 1857 के अनुसार पिछले 30 अप्रैल को ब्याज की अदायगी की गई थी।

हस्ता०/-

सदर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
न० 1 ए

प्रेषक:

कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

सचिव,भारत सरकार, विदेश विभाग,
लाहौर, 18 फरवरी 1858

श्रीमान जी

मुझे झज्जर के नवाब की सम्पत्ति व जायदाद की जब्ती से सम्बन्धित पत्र व्यवहार आपको भेजने का निर्देश हुआ है। झज्जर के नवाब पर दिल्ली में सैनिक आयोग द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने पर देशद्रोह का मुकद्दमा चलाया गया और आरोप सिद्ध होने पर पिछले दिसम्बर 1858 में उसको फॉसी दी गई।

चीफ कमिश्नर, नवाब को फाँसी दिया जाना उचित समझते हैं और उसकी सारी सम्पत्ति और जायदाद की जब्ती का गवर्नर जनरल से अनुमोदन चाहते हैं और जिन पैंशनों के लिये कर्नल लारेंस जो झज्जर क्षेत्र के इंचार्ज हैं, ने प्रस्तावित किया है और जिसकी सिफारिश कार्यवाहक कमिश्नर दिल्ली ने भी की है अत: जिनका व्यवहार अंग्रेजों के प्रति अच्छा है, को जीवन पर्यन्त पैंशन दे दी जाए और वे डिप्टी कमिश्नर लुधियाना की निगरानी में रखे जाएं। यह पैंशन एक जनवरी, 1858 से लागू की जाए।

चीफ कमिश्नर यह अनुमति भी देते हैं कि लैफ्टिनैंट कर्नल लारेंस की इस राय अनुसार उनके पास थोड़ी सी सम्पत्ति रहने दी जाए और उनकी यात्रा के खर्चे के लिये उन्हें पैसे दे दिए जाएं।

चीफ कमिश्नर के सुझाव अनुसार 15000/-रु० के कागज़ात जो नवाब की पत्नी के नाम हैं, उनको रद्द करने के लिये कलकत्ता भेज दिया जाए इसके अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर भी अधिकार कर लिया जाए।

सौतेली माताओं तथा सौतेली बहनों के नाम जो कागज़ात (नोट) हैं, उनको भी चीफ कमिश्नर जब्त कर लेगा।

इसके बाद चीफ कमिश्नर सुप्रीम गवर्नमैन्ट से आदेश मिलने पर यदि आवश्यक हुआ तो झज्जर क्षेत्र के निपटारे और व्यवस्था से सम्बन्धित रिपोर्ट भी भेजेगा।

राजस्व काफी है परन्तु इसके प्रबन्ध और व्यवस्था में काफी खर्चा आयेगा। इसका दक्षिणी भाग गरीब है और इसमें लूटपाट भी होंती रहती है। चीफ कमिश्नर का यह विचार है कि यह लाभकारी होगा कि इसका एक भाग उन रियासतों के मुखियाओं को दे दिया जाये जिन्होंने निष्ठा से अंग्रेजी सरकार की सहायता की है और विद्रोह के दौरान देशभक्ति दिखाई है।

हस्ता०/-

लाहौर 18 फरवरी 1858

नोट: *तदानुसार झज्जर रियासत का दक्षिणी इलाका बावल, कांटी, नारनौल, कानौद, बधवाना परगने में से बावल, कांटी, कनीना महाराजा नाभा को दे दिये गये और नारनौल, कानौद, बधवाना महाराजा पटियाला को दे दिये गये। बाकी झज्जर के आसपास का इलाका जिसमें पाटौदा, बादली व झज्जर आदि परगने थे अंगेजों ने अपने पास रख लिए।*

विद्रोह से पहले नवाब अब्दुर्रहमान के अधीन झज्जर, कानौद, बावल, कांटी, बधवाना और पाटौदा के परगने थे। 2 मार्च 1858 को झज्जर पर आधिपत्य के बाद ये परगने अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गये, परन्तु ये परगने पटियाला और नाभा के राजाओं को, अंग्रेजों को दी गई सेवाओं के कारण दे दिये गये।

नवाब अहमद अली गुलाम खाँ, फरूखनगर

फरूखनगर दिल्ली के नजदीक दक्षिण पश्चिम में एक छोटी सी रियासत थी जो भरतपुर रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने के फलस्वरूप लार्ड लेक ने जागीर के तौर पर 1807 में दी थी। सन् 1857 में इस के नवाब अहमद अली गुलाम खाँ थे। इन्होंने मई 1857 की जनक्रान्ति में मुख्य भूमिका निभाई और रियासत के सैनिक बादशाह बहादुरशाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली भेजे। रियासत के लोगों ने भी जनक्रान्ति में भाग ले कर अंग्रेज सैनिकों का मुकाबला किया। काफी संख्या में लोग शहीद हुए। नवाब ने 20 मई 1857 को दिल्ली फतह हो जाने की खुशी में अपने किले पर हरा झण्डा फहरा दिया और बादशाह को दिल्ली धन्यवाद पत्र भी भेज दिया। 20 सितम्बर 1857 को दिल्ली देसी रियासतों के सैनिकों की सहायता से दोबारा अंग्रेजों के अधीन हो गई। इसके उपरान्त हरियाणा की क्रान्ति को दबाने के लिए एक शक्तिशाली सेना को गुड़गाँव में भेजा। उसने सबसे पहले फरूखनगर के किले पर हमला किया और नवाब के सैनिकों ने उनका डटकर मुकाबला किया। आखिर किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और नवाब की फौज परास्त हो गई। दोनों तरफ से काफी सैनिक मारे गये तथा घायल हुए। 3 नवम्बर 1857 को नवाब को गिरफ्तार करके दिल्ली लाल किले में भेज दिया गया। उसे 12 जनवरी 1858 को सैनिक आयोग के सामने पेश किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर शावर्ज कर रहा था। विद्रोही गतिविधियों और राजद्रोह में दोषी पाकर उसे 22 जनवरी को फाँसी की सजा सुना दी गई। 23 जनवरी 1858 की शाम को चाँदनी चौंक में कोतवाली के सामने सार्वजनिक रूप से फाँसी दे दी गई और उनके शव को गढ़े में फिकवा दिया गया। और नवाब की सारी जायदाद जब्त कर ली गई।

नवाब नूर समद खाँ, रानियां

हरियाणा के पश्चिमी छोर पर सिरसा से आगे रानियां के नवाब नूर समद खाँ की रियासत थी। अंग्रेजों ने जून 1857 के प्रथम सप्ताह में जनरल वार्न कोर्टलैंड को सिरसा, हिसार और हाँसी में पुन: ब्रिटिश शासन स्थापित करने के लिए भेजा। रास्ते में 17 जून 1857 को रानियां के नवाब नूर समद खाँ ने अंग्रेजी फौज का औढ़ा गाँव के पास डटकर मुकाबला किया और उसके 600 आदमी मारे गये और नवाब भाग गया । कई दिनों बाद उसे लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया गया और फिरोजपुर जेल में उसे फाँसी दे दी गई और उसकी विधवा पत्नी व लड़की को गुजारे के लिए पैंशन दी गई। नवाब की सारी रियासत, चल व अचल सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

संदर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
न० 59

प्रेषक:

फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार

23 अक्तूबर, 1858

सेवा में,

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज

उपरोक्त पत्र के कुछ अंश:-

जूडिशियल कमिश्नर ने चीफ कमिश्नर को रानियां के नवाब नूर समद खाँ के परिवार को दी जाने वाली पैंशन से सम्बन्धित पत्राचार पेश किया। यह पैंशन अंग्रेजी सरकार ने 1848 में दी थी और जीवन पर्यन्त थी। परन्तु नवाब परिवार के कुछ व्यक्तियों ने सिरसा विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध अहम् भूमिका निभाई थी इसलिये यह जरूरी हो गया है कि उसके परिवार के जीवित व्यक्तियों की पैंशन पर पुर्नविचार किया जाए ताकि उनको महसूस हो जाए कि उनके देशद्रोही रिश्तेदारों के कारण ही इन पैंशनों पर दोबारा विचार किया गया। नवाब के स्वयं विद्रोह में शामिल होने के कारण, उसको दोषी ठहराकर पिछले नवम्बर में फाँसी दी गई थी। उसके चाचा गोहर अली खाँ को भी विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण बहुत सख्त सज़ा दी गई और उसके दूसरे रिश्तेदार मुहम्मद अली खाँ पर मुकद्दमा चल रहा है। उसके

परिवार के दो व्यक्ति मर चुके हैं। अब केवल 5 जीवित हैं। उनमें से केवल तीन को ही पैंशन देने की सिफारिश की है। चीफ कमिश्नर, जूडिशियल कमिश्नर के सभी सुझावों को मान लेते हैं परन्तु साथ में यह भी सिफारिश करते हैं कि मलेरकोटला के गुलाम महम्मुद खाँ की पत्नी की पैंशन शुरू कर दी जाए। वह रानियां के भूतपूर्व नवाब, जिनको विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण फाँसी पर लटका दिया गया था, की पुत्री है। इसके बारे में भी चीफ कमिश्नर ने सिफारिश भेजी थी। इनकी पैंशन स्वीकृत की जाती है।

कुल मिलाकर पैंशन 480 रुपये थी, जिसमें से 422 रुपये दोबारा शुरू की है और 58 रुपये की जारी है। जबीता ख़ाँ की पत्नी और भूतपूर्व नवाब की माता की पैंशन 100 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दी और इमाम अली खाँ की 8 रुपये पैंशन की है।

हस्ता०/-

फोर्ट विलियम

23 अक्तूबर 1858

राव किशन गोपाल, नांगल पठानी

राव किशन गोपाल नांगल पठानी के राव जीया राम के लड़के थे और मेरठ में कोतवाल के पद पर कार्यरत थे। 10 मई 1857 को जब मेरठ छावनी में जनक्रान्ति हुई तो राव किशन गोपाल ने उसमें भाग लिया और मुख्य भूमिका निभायी। मेरठ के बाद राव किशन गोपाल अपने गाँव नांगल पठानी में आया और उसने रिवाडी के इलाके में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिये लोगों को तैयार किया और यहाँ तक कि उनका बड़ा भाई राम लाल भी संघर्ष में उनका साथी बन गया।

13 नवम्बर 1857 के बाद नारनौल के पास झज्जर रियासत के गाँव नसीबपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों ने युद्ध किया। इस युद्ध में नेतृत्व करने वालों में नवाब झज्जर के सेनापति अब्दुल समद खाँ व भटटू के शहजादा मुहम्मद आजम और राव किशन गोपाल थे। इस युद्ध में लम्बी लड़ाई के बाद क्रान्तिकारियों की हार हुई क्योंकि अंग्रेजी सैनिकों के पास तोपों व भारी हथियारों के मुकाबले में क्रान्तिकारियों के पास छोटे हथियार होने के कारण अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके।

इस युद्ध में झज्जर की सेना के सेनापति के बेटे मारे गये और राव किशन गोपाल और राव राम लाल, नांगल पठानी अंग्रेजों से लड़ते हुये शहीद हो गये। राव किशन गोपाल का सिर अंग्रेज सैनिक की तलवार लगने से कट कर नीचे गिर गया लेकिन उसका घोड़ा उसके धड़ को लेकर नांगल पठानी की ओर भाग गया। रास्ते में कंवाली गाँव के पास राव किशन गोपाल का धड़ घोड़े से गिर गया व घोड़ा नांगल पठानी पहुँच गया। जब लोगों ने घोड़े को खून से लथपथ देखा तो उन्हें राव किशन गोपाल के मरने का यकीन हो गया। कंवाली गाँव के लोगों ने राव किशन गोपाल के धड़ का दाहसंस्कार किया और वहाँ पर एक समाधि बना दी, जिसको अभी तक गाँव के लोग शहीद के रूप में पूजते हैं और वहाँ सालाना मेला भी लगता है।

20 सितम्बर को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुन: अधिकार हो गया तो उन्होंने विद्रोह में भाग लेने वालों की तलाश शुरू कर दी। राव किशन गोपाल मेरठ कोतवाली का कोतवाल था इसलिये उसकी तलाश मेरठ से शुरू हुई और छान-बीन के बाद पता चला कि राव किशन गोपाल ने नसीबपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध मुख्य भूमिका निभाई और वे मारे गये। इसलिये नांगल पठानी में उनका एक मकान जिसमें वह रहता था, को छोड़कर राव किशन गोपाल की चल व अचल सभी तरह की सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

इस तरह से इस महान देश-भक्त ने अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराने के लिये तन-मन-धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका नाम हरियाणा के इतिहास में हमेशा अंकित रहेगा और हरियाणा के लोग राव किशन गोपाल को एक महान क्रान्तिकारी योद्धा और शहीद के रूप में याद करते रहेंगे।

लाला हुकम चन्द जैन व मिर्जा मुनीर बेग, हाँसी

लाला हुकम चन्द जैन हाँसी में कानूनगो के पद पर सरकारी कर्मचारी थे। 1857 की जन-क्रान्ति में उन्होंने व मुनीर बेग ने बढ-चढ़ कर भाग ही नहीं लिया बल्कि इस जनक्रान्ति में मुख्य नायक रहे। उन्होंने दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह जफर को दिल्ली की जनक्रान्ति में पूरा सहयोग दिया और पत्राचार भी किया। 5 नवम्बर 1858 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा होने के बाद एक पत्र सम्राट बहादुरशाह जफर की व्यक्तिगत फाईलों में मिला जो लाला हुकम चन्द जैन द्वारा बादशाह को लिखा गया था। उस समय सांडर्स दिल्ली का कमिश्नर था। उसने यह पत्र उपायुक्त हिसार को भेज दिया और लिखा कि लाला हुकम चन्द जैन और इसके साथी मिर्जा मुनीर बेग व लाला हुकम चन्द जैन के भतीजे फकीर चन्द के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इस पत्र में लाला हुकम चन्द जैन ने सम्राट को माली व सैनिक सहायता भेजने का यकीन दिलाया था। एक महीने तक हिसार के उपायुक्त की कोर्ट में इन तीनों पर मुकद्दमा चला। आखिर 14 जनवरी 1858 को फाँसी की सजा सुना दी गई लेकिन फकीर चन्द को कोर्ट ने रिहा कर दिया। 19 जनवरी 1858 को लाला हुकम चन्द जैन व मिर्जा मुनीर बेग को उनके घरों के सामने फाँसी पर लटका दिया गया। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिये और कोर्ट से रिहा होने के बावजूद भी फकीर चन्द को फाँसी दे दी गई। लाला हुकम चन्द जैन व मिर्जा मुनीर बेग की लाखों की सारी चल-अचल सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

धार्मिक रस्म-रिवाज़ के विरुद्ध लाला हुकम चन्द को उनके घर के सामने दफनाया गया और मिर्जा मुनीर बेग का उनके घर के सामने दाह संस्कार किया गया। अंग्रेजों ने बेरहमी और क्रूरता से धार्मिक रीति-रिवाज का उल्लंघन करके भारतीयों के मज़हब के साथ भद्दा मज़ाक किया। लाला हुकम चन्द जैन और मिर्जा मुनीर बेग ने जनक्रान्ति में अपनी आहुति देकर भारत का सिर ऊँचा किया। इन शहीदों को भारतवासी सदैव याद रखेंगे।



लाला हुक्मचन्द जैन

चौ० मोहन सिंह, माधोपुर

चौ० मोहन सिंह, गाँव माधोपुर, गुड़गॉव के रहने वाले थे और उनकी बहन राजा नाहर सिंह, बल्लबगढ़ से ब्याही थी। वे राजा नाहर सिंह की सेना के सेनापति थे। सन् 1857 में जब 10 मई को जनक्रान्ति शुरू हुई तो मेरठ और अम्बाला के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली पहुँचे। इसकी खबर जब राजा नाहर सिंह को मिली तो तुरन्त मोहन सिंह की अगवानी में सेना दिल्ली भेजी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध जनक्रान्ति में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर का दिल्ली पर पुनः अधिकार कराने का श्रेय प्राप्त किया ।

दिल्ली पर बादशाह का कब्जा हो जाने के बाद चौ० मोहन सिंह अपनी सेना लेकर पलवल की तरफ आये और इलाके के मेवों, पठानों, जाटों और गुजरों की सहायता से होडल, पलवल, फतेहपुर आदि के उन परगनों पर कब्जा कर लिया जो अंग्रेज सरकार के अधीन थे और इसके बाद गुड़गाँव के दूसरे इलाकों में क्रान्तिकारियों का साथ दिया और अपने गाँव माधोपुर में भी बगावत करवाई और बल्लबगढ से क्रान्तिकारियों के लिए हथियार और रसद भेजी। उन्होंने जनक्रान्ति में मुख्य भूमिका निभाई थी इसलिए 1858 में उनके विरुद्ध मुकद्दमा चला कर उनको फाँसी दे दी गई। इस तरह से इस महान देशभक्त ने देश की स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

विद्रोह के दौरान का माधोपुर से सम्बन्धित कुछ पत्राचार

सन्दर्भः फोरेन पोलिटीकल, 3288-3301
31 दिसम्बर, 1858,
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

नं० 301
प्रेषकः

आर० टैम्पल, सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

जी० एफ० एडमन्सटन
सचिव, भारत सरकार
लाहौर 11 अक्तूबर, 1858
जूडिशियल विभाग

श्री मान् जी,

आपके आदेशों (पत्र क्रमांक 3112, दिनाँक 3 सितम्बर) की पालना हेतू मुझे

निर्देश मिला है कि मैं गवर्नर ज़नरल की सूचना हेतु बल्लबगढ़ के भूतपूर्व राजा के साले मोहन सिंह के मुकद्दमे और पिछली जून में माधोपुर में हुए उत्पात से सम्बन्धित दस्तावेज भेजूँ ।

हस्ता०/-

सहायक सचिव

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

सचिव, विदेश विभाग
भारत सरकार ।

बल्लबगढ़ के भूतपूर्व राजा नाहर सिंह के साले मोहन सिंह के मुकद्दमे से सम्बन्धित दस्तावेज और माधोपुर में हुई गड़बड़ी से सम्बन्धित रिकार्ड जिनकी सूचना क्रमांक 3112 दिनाँक 3 सितम्बर द्वारा माँगी गई थी, भेजते हैं ।

हस्ता०/-

नोट: मुकद्दमे से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका ।

नवाब बहादुर जंग खाँ, बहादुरगढ़

नवाब बहादुरगढ़ को भरतपुर रियासत के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजों को सहायता देने के फलस्वरूप 1807 में दादरी के आस-पास का इलाका लार्ड लेक की सिफारिश पर बार्लो ने जागीर के रूप में दिया था। बहादुरगढ़ को उसके पूर्वजों ने बहादुरपुर के नाम से बसाया था। उपरोक्त जागीर मिलने पर बहादुरपुर में एक छोटा सा किला बना दिया गया। जिससे इसका नाम बहादुरगढ़ पड़ गया। बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग खाँ 1857 की जन-क्रान्ति के समय बहादुरगढ़ (दादरी) के प्रशासक थे और दादरी रियासत का मुख्यालय था।

मई 1857 में जब विद्रोह की आग भड़की तब नवाब बहादुरगढ़ ने सम्राट बहादुरशाह जफ़र को एक पत्र द्वारा सहायता करने का आश्वासन दिया और दिल्ली के विद्रोहियों को बहादुरगढ़ से रसद भिजवाई। इसके अतिरिक्त इसकी सेना मिर्जा मुनीर बेग के नेतृत्व में दादरी से झज्जर की सेना के साथ, हाँसी में विद्रोहियों के साथ अंग्रेजों से लड़ी। उसके बाद हिसार में इरेगुलर हार्स तथा हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री के साथ मिल कर विद्रोह कर दिया और कलैक्टर तथा अन्य अंग्रेजों की हत्या कर दी। अक्तूबर 1857 में नवाब को गिरफ्तार करके दिल्ली लाल किले में ले जाया गया, जहाँ उस पर सैनिक आयोग द्वारा मुकद्दमा चलाया गया। कोर्ट ने पक्ष व विपक्ष की गवाहियों के बाद यह निर्णय लिया कि बहादुर जंग खाँ, नवाब बहादुरगढ़ की रिहायश बहादुरगढ़ में है और रियासत का मुख्यालय वहाँ से 50 मील दूर दादरी में है इसलिये इसके कर्मचारी, यह मालूम होता है कि इसके काबू से बाहर थे और नवाब खुद सेहत से कमजोर और बूढ़ा है। इसके अतिरिक्त उसने मिस्टर मैटकाफ की भी सहायता करने की कोशिश की थी इसलिये कोर्ट नवाब बहादुर जंग को पूरी छान-बीन के लिये दिल्ली कमिश्नर के सुपुर्द करती है कि वे इस पर स्वयं निर्णय लें।

कमिश्नर ने छान-बीन के बाद नवाब का केस अपनी सिफारिश सहित भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर उसे दोष मुक्त कर दिया लेकिन सरकार के प्रति वफादार न रहने के कारण उसकी रियासत जब्त कर ली गई और एक हजार रुपये वार्षिक पैंशन देकर उसे लाहौर भेज दिया गया। उसके बाद दादरी के इलाके को महाराजा जीन्द को दे दिया गया।

नवाब बहादुरगढ़ के विषय में अंग्रेज सरकार का कुछ पत्र व्यवहार

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

सैक्रेटरी, चीफ कमिश्नर, पंजाब

सेवा में,

सैक्रेटरी, भारत सरकार
कैम्प दिल्ली 9 मार्च 1858

उपरोक्त पत्र अनुसार बहादुर जंग खाँ, नवाब दादरी व बहादुरगढ़ पर केस चलाने के लिये उसको गिरफ्तार किया गया तथा ट्रायल के लिये मिलिट्री कमीशन को सौंप दिया तथा बाद में मिलिट्री कमीशन ने उसको दिल्ली भेज दिया। उस पर गद्दारी का आरोप लगा कर ट्रायल के लिये केस ब्रिटिश सुप्रीम गवर्नमेंट को सौंप दिया। बहादुर जंग खाँ, झज्जर के नवाब का मददगार था। इन दोनों का सम्बन्ध दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह से था और लार्ड लेक के समय अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें जो जमीनें दी गई थी वह वफादारी तथा अच्छी सेवा की शर्तों पर दी गई थी। बहादुर जंग के पास दादरी तथा बहादुरगढ़ है जिससे कुल मिला कर 1.50000/-रुपये सालाना आमदनी होती है।

इसके साथी बगावत करके बागियों के साथ हो गये और उन्होंने मैजिस्ट्रेट तथा तीन अन्य यूरोपियनों का हिसार में कत्ल कर दिया तथा हिसार में सरकारी खजाने को लूट लिया और इसके इलाके के आदमियों ने विद्रोहियों की सहायता की। जिन शर्तों पर उसका कार्यकाल था उसने अंग्रेजों की वफादारी नहीं की और न ही अंग्रेज सरकार की मदद की ।

उपरोक्त अनुसार हालांकि यह एक गम्भीर मामला है परन्तु चीफ कमिश्नर ने बहादुरजंग खाँ की जान बख्शने की सिफारिश की है। उसने कई सालों से अपनी सम्पदा को दूसरों के द्वारा दुरूपयोग के लिए छोड़ रखा है। इन सब बातों के रहते, यह नहीं लगता कि वह दिल से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध है। वह शरीर से कमजोर तथा असहाय था, उसके आदमी नियन्त्रण से बाहर थे और नवाब झज्जर ने बहादुर जंग खाँ के सैनिकों के साथ साजिश की है। क्योंकि जब सर मैटकाफ ने उसके राज्य में शरण ली थी तब इसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था तथा सहायता की थी।

इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए चीफ कमिश्नर ने बहादुरजंग खाँ पर फौजी

कमीशन द्वारा मुकद्दमा न चलाने की सिफारिश की थी परन्तु इसकी रियासत जब्त करके, इसके बदले में उसे जीवन पर्यन्त 1000 रुपये वार्षिक दिए जाएं क्योंकि 3000 रुपये की सिफारिश बहुत अधिक थी।

कैम्प दिल्ली
9 मार्च, 1858

संदर्भ: विदेश विभाग, 26 मार्च 1858, 2-9 गोपनीय
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

टेलीग्राफ आफिस, लाहौर
18 अक्तूबर, 1857

प्रेषक:

सी०बी० सांडर्स, दिल्ली

सेवा में,

चीफ कमिश्नर, लाहौर

18 अक्तूबर सायं 7 बजे मैंने मुगल सम्राट के ताज व हीरे जवाहरात ले लिये हैं जिनकी कीमत लाखों रुपये हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिलता तब तक वे मेरे पास तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। मुझे दादरी से पता चला है कि इस समय अंग्रेजी फौजी टुकड़ियां झज्जर में होंगी। उन्होंने नवाब बहादुरगढ़ के किले दादरी से गन, एम्यूनेशन आदि अपने कब्जे में ले लिये है। नवाब को अभी तक गिरफ्तार इसलिये नहीं किया है कि इसके और झज्जर के इलाके के लोग पुन: बगावत न कर दें।

10.40 सायं

हस्ता०/-

संदर्भ: विदेश विभाग, पोलिटिकल डिस्पेच फ्राम
सैक्रेटरी आफ स्टेट नं० 11,30 नवम्बर, 1858
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

ईस्ट इण्डिया हाऊस,
लन्दन 30 नवम्बर, 1858

सेवा में,

गवर्नर जनरल, भारत

उपरोक्त पत्र के कुछ अंश:-

मुझे गवर्नर जनरल, भारत के पत्र कमांक 19 विदेश विभाग, दिनाँक 8 जुलाई 1858 की प्रति मिल गई है और मैं सम्बन्धित विषय के संदर्भ में आपको सम्बोधित कर रहा हूँ।

यह पत्र नवाब दादरी (बहादुरगढ़) के विद्रोह के दौरान व्यवहार व आचरण के बारे में जो सज़ा दी गई है उससे सम्बन्धित है। दादरी (बहादुरगढ़) का नवाब अंग्रेज सरकार का जागीरदार था। यह जागीर झज्जर रियासत के साथ लगी हुई है। यह जागीर 1806 में उसकी अच्छी सेवाओं एवं स्वामिभक्ति के एवज में श्री बार्लो ने सनद द्वारा दी थी। इसकी सिफारिश लार्ड लेक ने की थी जिसको इसने सैनिक सहायता दी थी। उसने बताया कि नवाब बूढ़ा और विलास प्रिय है व जनता के कार्यों के निपटान करने में अयोग्य है। उत्तरी भारत में सैनिक विद्रोह के दौरान उसने मुगल सम्राट के प्रति स्वामिभक्ति दिखाते हुये उसको एक घुड़सवार दस्ता भेजा जिन्होंने हिसार में खजाने को लूटा व मिस्टर वैडरबर्न व दूसरे यूरोपियनों की हत्या की। विद्रोहियों ने दिल्ली घेरे के दौरान बहादुरगढ़ से काफी रसद प्राप्त की। दूसरी तरफ उसने मिस्टर मैटकाफ को जब वह दिल्ली से भागे थे और झज्जर के नवाब ने उसको अपने पास रखने से इंकार कर दिया था उस स्थिति में बहादुरगढ़ के नवाब ने उसको सहायता दी। उसके इन उत्तेजना पूर्वक कार्यो के कारण उस पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देशद्रोह का अभियोग चलाने की सोची गई परन्तु उसकी कमजोरी, अयोग्यता और अंग्रेजों के विद्रोहियों के उस पर दबाव के हालातों को देखते हुये सर जान लारेंस ने प्रस्तावित किया कि उस पर अभियोग न चलाया जाए परन्तु उसकी जागीर जब्त कर ली जाए और उसका केवल साधारण भत्ता तय कर दिया जाए व उसे अंग्रेजों की निगरानी में लाहौर रख लिया जाए। नवाब ने अंग्रेजों की रक्षा की थी इसलिये गवर्नर जनरल ने चीफ कमिश्नर पंजाब की सिफारिशें मान ली हैं। इसलिये उस पर

मुकद्दमा नहीं चलाया गया अपितु उसकी जागीर जब्त कर ली गई और जीन्द के राजा को अंग्रेजों की सेवा करने के एवज में दादरी क्षेत्र दे दिया गया। यह फैसला पूरी तरह से अनुमोदित कर दिया गया क्योंकि कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज के 5 मई के अपराधों के मामलों में दी गई हिदायतों के पत्र की श्रेणी में ही यह केस आता है। नवाब की मुगल सम्राट की सहायता करने की दिल से इच्छा नहीं थी परन्तु शक्तिशाली विद्रोहियों के दबाव के कारण उसने ऐसा किया। इसलिए उसको ज्यादा सख्त सजा न दी जाए। उसकी जागीर को किसी योग्य प्रशासक के सुपुर्द करना न्याय संगत होगा। आपने उसको जो एक हजार रुपये की वार्षिक पैंशन दी है तब यह जरूरी हो गया है कि नवाब का पुत्र उसका असली पुत्र है या नहीं, इस विषय में तहकीकात करने के कदम उठाये जायें क्योंकि भविष्य में जब उत्तराधिकार का मामला उठेगा तो इस विषय में जाँच पड़ताल करने में कठिनाईयाँ होंगी।

हस्ता०/-
स्टेनले

राव तुला राम, रिवाड़ी

राव तुला राम के पूर्वजों के पास 1803 में 87 गाँवों का एक परगना था। 1803 में जब लार्ड लेक ने भरतपुर रियासत के साथ युद्ध किया तब इस युद्ध में लार्ड लेक की सफलता को देखते हुए गढ़ी बोलनी के राव तेज सिंह, जो उस समय 87 गाँवों के मालिक थे, ने अंग्रेजों का साथ दिया। अपनी सफलता के बाद अंग्रेजों ने राव तेज सिंह के पास 87 गाँवों का परगना नहीं छोड़ा, उसको केवल 45 गाँव ठेके पर दिये गये। राव तेज सिंह ने अपने समय में रिवाड़ी के पास तेज सरोवर और रामपुरा के किले का निर्माण किया था। राव तेज सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके तीन लड़कों नत्थु सिंह, जवाहर सिंह और पूर्ण सिंह को 15-15 गाँव हिस्से में मिले। पूर्ण सिंह से ठेके की अदायगी न होने पर उसके 11 गाँव जब्त कर लिए गए और राव पूर्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके बचे हुए चार गॉव उसके लडके राव तुला राम को मिले। 1857 के विद्रोह के समय राव तुला राम केवल 4 गाँवों का मालिक था और 87 गाँवों से घटकर 4 गाँव रह जाने के कारण राव तुला राम का अंग्रेजों के प्रति बडा रोष था। 10 मई, 1857 को जब देश में विद्रोह का बिगुल बजा तब राव तुला राम ने इस मौके को ठीक़ समझ कर अपने पूर्वजों के इलाके रिवाडी, बोहडा और शाहजहाँपुर परगनों पर अधिकार कर लिया और सम्राट बहादुरशाह जफर को इसकी सूचना दी। बादशाह ने उसका इन इलाकों पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसके उत्तर में मुगल सम्राट ने राव तुला राम को बधाई पत्र भेज कर उसको राजस्व अधिकार दे दिया। इस तरह राव तुला राम ने इन परगनों से 40 हजार रुपये राजस्व इकट्ठा करके मुगल सम्राट को भेजा और मुगल सम्राट ने इसके एवज् में एक फरमान जारी करके राव तुला राम को रिवाड़ी की स्थाई जागीरदारी प्रदान की। मुगल सम्राट ने उसको एक प्रशंसा पत्र भी दिया। अंग्रेजों को दिल्ली में जब यह पता चला कि राव तुला राम ने विद्रोहियों से मिल कर रिवाड़ी के इलाके पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया तब दिल्ली पर पुनः अधिकार के पश्चात् ब्रिगेडियर शावर्ज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना रिवाड़ी पहुँची और रिवाड़ी के समीप रामपुरा के किले के पास जाने पर उसने देखा कि किले के चारों तरफ 300-400 अहीर नौजवान फैले हुए हैं। जब उन पर हमला किया गया तब वे इधर-उधर भाग गए। किले के अन्दर से तुलसी राम अहीर और उसके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किले से 18 तोपें, कुछ बन्दूकें तथा गोला बारूद प्राप्त हुआ। 12 अक्तूबर को शावर्ज ने वहाँ से प्रस्थान किया। अत्यधिक लूट के माल के साथ वह कानौंद और झज्जर गया और दोबारा रिवाड़ी से गुजरता हुआ नवम्बर 1857 में

दिल्ली लौट गया। शावर्ज के रिवाड़ी पहुँचने पर राव तुला राम की स्थिति डावांडोल हो गई थी और वह शावर्ज का मुकाबला करने की बजाय शेखावाटी(राजस्थान) में भाग गया था, जबकि उसके पास 18 तोपें, बन्दूकें, गोला बारूद एवं 300-400 सैनिक किले के पास मौजूद थे तब भी वह लड़ने का साहस न कर सका।

नारनौल व कानौंद उस समय नवाब झज्जर का इलाका था। दिल्ली के पतन के बाद झज्जर से दिल्ली भेजे गए सैनिक बादली की सराय से वापस झज्जर आ गए और नवाब झज्जर के ससुर अब्दुल समद खाँ इस सेना के सेनापति थे। वह इस सेना, को लेकर झज्जर के इलाके नारनौल किले में पहुँच गए जिसमें उनका बेटा भी था. नवाब झज्जर की सहायता के लिए भट्टू के शहजादा आजम भी नारनौल पहुँच गए। जोधपुर की बागी फौज भी उनके साथ मिल गई। रिवाड़ी से राव तुला राम एवं नांगल पठानी के राव किशन गोपाल भी नारनौल जा कर अब्दुल समद से मिल गए।

दिल्ली में जब अंग्रेजों को यह पता चला कि नवाब झज्जर के सैनिक, राव तुला राम, राव किशन गोपाल तथा जोधपुर की बागी फौजें बगावत के लिए नारनौल में इकट्ठी हो गई है तो उन्होंने गेरार्ड की अध्यक्षता में 10 नवम्बर 1857 को एक बहुत बड़ी सेना नारनौल के लिए भेजी। उस फौज ने 13 नवम्बर को रिवाड़ी पर कब्जा करके नारनौल की तरफ प्रस्थान किया। नसीबपुर में, जो नारनौल के पास छोटा सा गॉव है, अंग्रेजी फौजों तथा विद्रोहियों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्रान्तिकारियों की हार हुई। सैंकड़ों क्रान्तिकारी मारे गये जिनमें मुख्य राव किशन गोपाल, राव राम लाल व झज्जर की सेना के सेनापति अब्दुल समद खाँ का बेटा भी मारा गया। अंग्रेजी सेना के 70 लोग मारे गये तथा 45 घायल हो गये। सेनापति कर्नल गेरार्ड और कैप्टन वेलेस भी मारे गये जबकि लैफ्टिनैंट ग्रेजी, केनेडी, पियाजे और हेमफेरेस घायल हो गये। इस तरह से नसीबपुर की लड़ाई, जो रियासत झज्जर में लड़ी गई, महत्वपूर्ण व निर्णायक थी। यह लड़ाई रिवाड़ी व झज्जर के क्रान्तिकारियों ने मिल कर लड़ी थी और रिवाड़ी के बाद परगना नारनौल, कानौंद, बधवाना, बावल, कांटी, कनीना जो झज्जर रियासत के थे, पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया।

राव तुला राम नसीबपुर के युद्ध के बाद राजस्थान भाग गये। राव तुला राम ने कमिश्नर दिल्ली को प्रार्थना पत्र भेजा जिसके लिफाफे पर जोधपुर डाकखाने की मोहर थी। इस विषय में कमिश्नर दिल्ली ने ईडन, पोलिटीकल एजेन्ट जयपुर को लिखा कि, "मुझे शक है राव तुला राम बीकानेर या जोधपुर में है और आपसे निवेदन है कि उसे गिरफ्तार करने का उपाय करें"।

इसके बाद राव तुला राम ने 24 दिसम्बर 1858 को गवर्नर जनरल को एक और माफीनामा (पैटीशन) भेजा। इस माफीनामे में उसने यह बात स्पष्ट रूप से

कही है कि वह कसूरवार है और सरकार माँ बाप है एवं इस कपूत को पूरी उम्मीद है कि सरकार उसके प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे जीवनदान प्रदान करे। उसने यह भी प्रार्थना की कि वह बीकानेर के देहात में छुपा हुआ है और उसे जान का खतरा है। यदि उसके क्षमा पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया हो तो इसकी सूचना उसकी माता, जो गाँव पालहावास (रिवाड़ी के पास) में है, को दी जाये।

राव तुला राम से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

सन्दर्भ: अभिलेखागार विभाग, हरियाणा
नं० 7

सेवा में,

कैप्टन ईडन, पोलिटीकल एजेन्ट
जयपुर

श्रीमान जी,

मैं आपको विद्रोही राव तुला राम की पैटीशन (माफीनामा), जो अभी प्राप्त हुई है, भेज रहा हूँ। यद्यपि इससे यह पता नहीं चलता कि वह (राव तुला राम) अब कहाँ है, लेकिन लिफाफे पर जोधपुर डाकखाने की मोहर लगी हुई है। मुझे शक है कि उसने बीकानेर या जोधपुर में शरण ली हुई है। उस क्षेत्र के देहात से उसको गिरफ्तार करने के उपाय करें।

हस्ता०/-

कमिश्नर कार्यालय, दिल्ली
30 जनवरी 1858

सन्दर्भ: विदेश विभाग, 25 मार्च 1859,295 एफ०सी०
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
नं० 702

प्रेषक:

विदेश विभाग, भारत सरकार
फोर्ट विलियम, कलकत्ता

सेवा में,

राजपूताना की स्टेटों के गवर्नर जनरल के एजेन्ट
25 फरवरी, 1859

श्रीमान जी,

गवर्नर जनरल के निर्देशानुसार मैं आपको रिवाडी के मुखिया राव तुला राम बहादुर का फारसी में लिखा माफीनामा (क्षमा पत्र) जिसमें उसने माफी के लिए प्रार्थना की है, भेज रहा हूँ। आप, पैटीशन अनुसार, उसको जीवनदान दे सकते हो, बशर्ते कि उसका अंग्रेजों के हत्याकाण्ड में हाथ न हो।

हस्ता०/-

माफीनामे की प्रतिलिपि

जनाब नवाब मुअल्ली-उल-अलकाब वाला जनाब खुदाबन्द-ए-नेअमत साहिब करा जनाब गवर्नर जनरल बहादुर हिन्द दाम इक़बालाहू।

फ़िदवी बहरहाल कसूरवार है लेकिन सरकार माँ बाप है और माँ बाप से बेटा बेटी हर वक्त उम्मीदवार-ए-अता है। इस लिए एक कपूत इसके बज़रिया अरीज़ाहज़ा इरसाल-ए-हजूर रख कर उम्मीदवार हूँ क़ेह सरकार कसूर फ़िदवी का बमआ लवाहक़ान-ओ-मुलाजमान ब निगाह-ए-रहम बाद-मन्दरजा क़सूर फ़िदवी का मुआफ फरमावें और मैं देहात बीकानेर में किनारा कश हूँ और वहाँ डाक नहीं पहुँच सकती है और अगर मैं इस जगह का पता लिखूँ तो जब तक सरकार से हुकम मुआफी सादिर न हो, खौफ-ए-जान है और अगर पहुँचूं , लोगों में आऊँ खौफ-ए-जान से वकालत नहीं करता। इसलिए गुजारिश कमतरीन यह है केह हुकम मुआफी का इश्तेहार ब निगाह हजूर से दिया जावे और हुकम मेरी वालिदा साहिबा पास मौज़ा पालहावास में केह रिवाड़ी में भेजा जावे तो उन को तसल्ली होवे और मुझ को जिस जगह हाज़िर

होने का हुकम हो, हाजिर हूँ- फक्त ज्यादा हद्व-ए-अदब आदाब दौलत आ इकबाल पायां बाद।

कमतरीन
राव तुला राम बहादुर
रईस-ए-रिवाड़ी
मौरखा 24 दिसम्बर, 1858

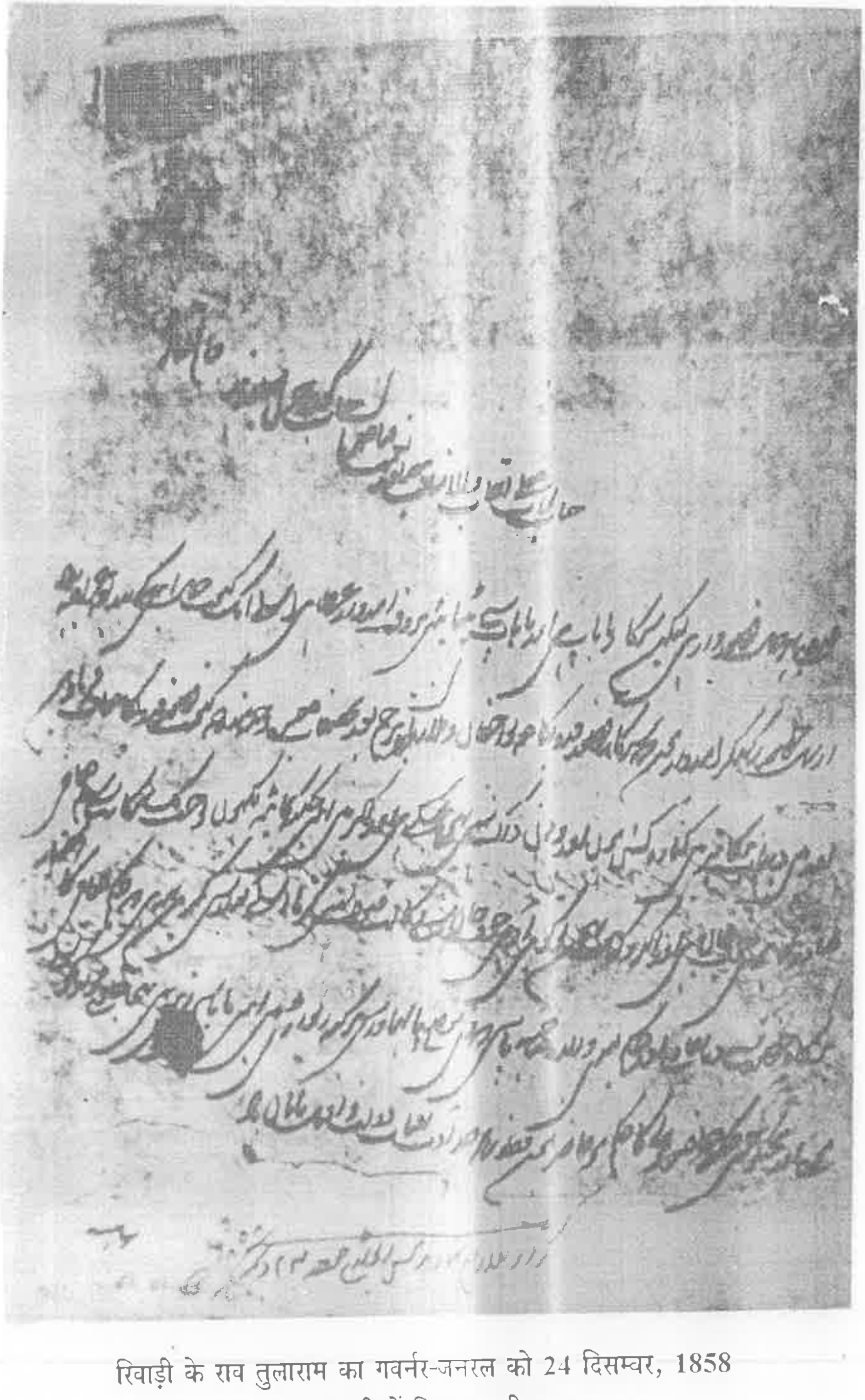
राव तुला राम रईस-ए-रिवाड़ी का 24 दिसम्बर 1858 का गवर्नर जनरल को भेजे माफीनामे का हिन्दी रूपान्तर:

महोदय गवर्नर जनरल बहादुर-ए-हिन्द, विनती करता हूं कि गुलाम बहरहाल कसूरवार है, परन्तु सरकार माँ बाप है और माँ बाप से बेटा बेटी हर समय कुछ लेने के आशावान है। इसलिये एक कपूत इसके जरिये से आपकी सेवा में एक प्रार्थना-पत्र भेज कर आशा करता है कि सरकार दास के तमाम बाल बच्चों तथा रिश्तेदारों पर रहम की नजर करके दास का कसूर माफ करें और मैं बीकानेर के देहात में छुपा हुआ हूँ और वहाँ डाक नहीं पहुँच सकती और यदि मैं इस जगह का पता लिखूँ तो जब तक सरकार से हुक्म माफी जारी न हो तो जान का खतरा है। अगर पहुँचूं और लोगों में जाऊँ तो भी जान का खतरा है। इसलिये यह दास विनती करता है कि बा हुक्म माफी इश्तेहार के जरिये आपकी तरफ से दिया जाए और माफी का हुक्म मेरी माता जी के पास गाँव पालहावास, जो कि रिवाड़ी में स्थित है, भेजा जाए तो उनको तसल्ली हो और मुझे जिस जगह हाजिर होने का हुक्म हो, हाजिर हो जाऊँगा। इससे अधिक लिखना आपकी शान व अदब के खिलाफ होगा।

हस्ता०/-

दिनाँक 24 दिसम्बर,1858

आपका दास
राव तुला राम बहादुर
रईस-ए-रिवाड़ी



रिवाड़ी के राव तुलाराम का गवर्नर-जनरल को 24 दिसम्बर, 1858
का फारसी में लिखा माफीनामा

Ref. : F.No.5, 1858 Political Deptt. Delhi Division, Archives Department, Haryana.

No. 7

To

Captain Eden,
Political Agent,
Jeypore.

Sir,

I have the honour to forward herewith a copy of a petition this day received from the rebel Rao Toolaram . The envelope bears the Post mark of Jodhpoor, although the petition gives no clue as to where he is at present. I am under the impression that the petitioner has found the asylum either in Bikaner or Jodhpoor and I shall therefore feel obliged by your adopting measures for his apprehension should be in that part of the country.

Commissioner's Office
Offg. Commissioner,Delhi
30th January, 1858

Ref. : Foreign Deptt.,25th March, 1859-295-F.C. National Archives, New Delhi.

Assurance to Rao Toola Ram Bahadur Chief of Rewari in event of his surrender

No. 702

From

Fort William
Foreign Department
25th February, 1859

To

The Governer General's Agent
For the States of Rajpootana

Sir,

I am directed by the Right Hon'ble Governor General in Council to forward to you, the accompanying copy of a petition from Rao Toola Ram Bahadoor, Chief of Rewaree, praying for pardon, and to authorise you to assure the petitioner of life and honor, provided that he had not been concerned in the murder of British subjects.

Sd/-

Ref.: Foreign Deptt.,25th March, 1859-296-F.C. National Archives, New Delhi.

Assurance to Rao Toola Ram Bahadur Chief of Rewari in event of his surrender

No. 60

No.260 of 1859

From

Governor General's Agent
Rajpootana

To

Simson Esquire, Fort William
Camp Ajmere 7th March, 1859

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter No. 702 of the 25th Ultimo with copy of a petition from Rao Toola Ram of Rewaree, and in reply to inform you that I have sent it on the commissioner Delhi, Rewaree being within his jurisdiction.

I have the honour to be

Sir

Rajpootana Agency — Your most obedient Servant

Camp Ajmere — Governor General's Agent

7th March, 1859 — Sd/-

विद्रोह की असफलता के कारण

1857 की महान् जनक्रान्ति असफल ही क्यों न रही परन्तु इसने कुछ समय के लिए भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। यह जनक्रान्ति भारत के अधिकांश हिस्से में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के विरुद्ध विद्रोह के रूप में उभर कर आई और ऐसा उग्र रूप धारण किया कि अंग्रेज़ों का भारत में टिकना कठिन हो गया। जहां भी कोई अंग्रेज़ मिला, वहीं पर उसे कत्ल कर दिया गया और उनकी कोठियां और बंगले जला दिए गए। लेकिन समय से पहले क्रान्ति की शुरुआत, अंग्रेजों को सिक्खो और गोरखों की सहायता, भारतवासियों का सहयोग, भारतवासियों के पास योग्य और प्रभावशाली नेताओं का अभाव और देशी नरेशों की अकर्मणयता 1857 की जनक्रान्ति की असफलता के प्रमुख कारण बने। इन कारणों का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न अनुसार है:-

1857 की जनक्रान्ति की असफलता का पहला कारण यह था कि कारतूसों विशेषकर मेरठ की घटना के कारण विद्रोह नियत समय से पहले शुरू हो गया। नाना साहब के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विद्रोह करने की तिथि 31 मई, 1857 निश्चित हुई थी, परन्तु चर्बी वाले कारतूसों से यह विद्रोह समय से पहले फूट पडा और तैयारियां अधूरी रह गई, जिस कारण से संगठित रूप से कोई कार्य नहीं हो पाया। यदि पूर्व निश्चय के अनुसार 31 मई, 1857 को सब स्थानों पर एक साथ विद्रोह शुरू हुआ होता तो अंग्रेज़ शासकों के लिए भारत को फिर से विजय कर सकना शायद असम्भव होता।

1857 की जनक्रान्ति में यदि पटियाला, नाभा और जींद के राजाओं ने सही मौके पर अंग्रेज़ों की मदद न की होती तो दिल्ली और उससे लगे हुए हरियाणा प्रान्त पर फिर से विजय हो सकना असम्भव था और एक बार यदि दिल्ली की सेना विजय प्राप्त कर पूर्व और दक्षिण में उतर आती तो सन् 1857 की क्रान्ति का रूप ही कुछ और होता।

क्रान्तिकारियों का संगठन प्रशंसनीय था, फिर भी हजारों भारतवासी अपने देशवासियों के विरुद्ध तरह-तरह से अंग्रेजों को सहायता दे रहे थे। अंग्रेज अधिकारी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि यदि पटियाला और जींद के राजा उनके साथ मित्रता न दिखाते और यदि सिक्ख उनकी पलटनों में भर्ती न होते व पंजाब को शांत न रखते, तो उनका दिल्ली को घेर सकना सर्वथा असम्भव होता। हर जगह हिन्दुस्तानी ही अंग्रेज़ों की घिरी हुई सेनाओं की मदद करते थे, उन्हें भोजन पहुँचाते

थे और उनकी सेवा करते थे। देशी फौजें ही सबसे आगे रह कर अंग्रेजों की रक्षा करती थी, वे ही उनके घोड़ों के लिए घास काट कर लाते थे और वे ही उनके घोड़ों के साईस भी थे। देशी फौजी ही अंग्रेज़ों के हाथियों का चारा ला कर देते थे और गोरे सिपाहियों का खाना पकाते थे। यहाँ तक कि वे उन्हें पैसा भी उधार दिया करते थे। बिना हिन्दुस्तानी नौकरों, डोली उठाने वालों. अस्पताल के आदमियों और अन्य भारतवासियों के उनकी पलटन एक सप्ताह तक भी जीवित न रह सकती थीं।

1857 की जनक्रान्ति की असफलता का एक कारण यह भी था कि दिल्ली के घेरे के दिनों में दिल्ली के अन्दर एक योग्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता का अभाव था, जो शहर के अन्दर की समस्त शक्तियों को अपने वश में कर. उन्हें एक महान् प्रयत्न के लिए अग्रसर कर सकता। यही एक महत्वपूर्ण एवं एक मात्र कारण था कि दिल्ली के अन्दर की विशाल वीर सेना बाहर निकल कर, बाहर की अंग्रेजी सेना को. जिसकी संख्या कहीं कम थी. महीनों तक समाप्त न कर सकी। यही कमजोरी विद्रोह के सही मौके पर क्रान्तिकारियों में आपस में ताल-मेल और आज्ञापालन में दिखाई देती थी।

1857 की जनक्रान्ति की असफलता का एक कारण यह भी है कि सिन्धिया. होलकर और राजपूताने के नरेशों का केवल संकोच और अविश्वास के कारण उस राष्ट्रीय विप्लव में भाग न ले सकना। मेरठ के विद्रोहियों के बाद यदि झज्जर. बल्लबगढ. फरूखनगर और बहादुरगढ की रियासतों की तरह महाराज जियाजीराव सिन्धिया या कोई प्रमुख राजपूत नरेश समय पर-अपनी सेना सहित दिल्ली पहुँच जाता तो कम्पनी की सेना के लिए ठहर सकना सर्वथा असम्भव होता और राजधानी के अन्दर प्रभावशाली नेता की कमी भी पूरी हो जाती।

1857 की जनक्रांति को दबाने के लिए जिन महाराजाओं, राजाओं, नवाबों व जागीरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की. उनका कुछ वर्णन जो हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली व हरियाणा राज्य अभिलेखागार से प्राप्त हुआ. निम्नलिखित है:-

पटियाला

महाराजा पटियाला ने अंग्रेजों को 400 घुड़सवार सैनिक और 4 तोपें भेजी। थानेसर से करनाल व पानीपत तक की सडक अंग्रेजों के दिल्ली आने जाने के लिए सुरक्षित रखी और अलीपुर की लड़ाई में भी सैनिक भेजे। और दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा करवाने के लिए उन्हें सैनिक व हथियार दिए आर्थिक सहायता भी की।

इसके बदले में अंग्रेजों ने झज्जर के नवाब की पैतृक रियासत के दक्षिणी भाग के परगनें नारनौल, कानौंद व बधवाना जागीर के रूप में पटियाला को दिए।

नाभा

महाराजा नाभा ने भी विद्रोह के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा करवाने के लिए उन्हें सेना व तोपें भेजी और धन व रसद से भी उनकी सहायता की। जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने महाराजा को झज्जर रियासत के दक्षिणी भाग के परगनें बावल, कांटी और कनीना जागीर के रूप में दिए।

जीन्द

जीन्द के राजा सरूप सिंह ने ब्रिटिश सरकार की बहुत सहायता की। 1857 में विद्रोह फूटने की खबर सुनते ही उसने अपनी सेना को करनाल की तरफ भेज दिया और 800 आदमियों के साथ उसने करनाल शहर एवं छावनी की सुरक्षा संभाली। इसके पश्चात् उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी दिल्ली की तरफ भेज दी जिसके कारण मेरठ की सेना यमुना पार करने में असमर्थ रही। राजा ने स्वयं 8 जून को अलीपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया और कमान्डर-इन-चीफ से मुबारकबाद पाई, जिस ने उसे हथियाई गई तोपों में से एक भेंट में दी। जून के अन्त में राजा को जीन्द जाने पर विवश होना पड़ा क्योंकि हाँसी, हिसार और रोहतक के विद्रोही उसके कुछ गॉवों में विद्रोह भड़का रहे थे। जीन्द की सेनाओं ने ब्रिटिश सेना से पहले आगे बढते हुए समालखा और राई को प्राप्त कर लिया, सड़क को सुरक्षित किया और सेना के लिए रसद इकट्ठी की। दिल्ली पर चढ़ाई के समय भी जीन्द की सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए भी सेना भेजी। परिणामस्वरूप दादरी और कुलराना राजा को दे दिए गए। दादरी क्षेत्र करीब 600 वर्ग मील में फैला हुआ था और उसके परगने का वार्षिक राजस्व 2 लाख रुपये था, कुलराना परगना संगरूर के पास था जिसमें 13 गाँव और राजस्व 1,38,000 रुपये था। इसके साथ ही उसे पूर्ण प्रभुसत्ता के लाभ दिए गए जो उसके उत्तराधिकारियों को भी मिले और उन्हें सम्मानार्थ उपाधियाँ भी दी गई। दादरी, नवाब बहादुरगढ़ की रियासत थी जिसे अंग्रेजों का विरोध करने के कारण जब्त कर लिया गया था।

जयपुर

हरियाणा की जनक्रांति को दबाने के लिए राजस्थान की रियासत जयपुर ने अंग्रेजों को सैनिक व आर्थिक सहायता दी । जयपुर के महाराजा ने जून 1857 के प्रथम सप्ताह में 800 सिपाही और 4 तोपें गुड़गाँव जिले के इलाके मेवात, पलवल व होडल में विद्रोह दबाने के लिए भेजी। फलस्वरूप अंग्रेजों ने महाराजा जयपुर को

रिवाड़ी के पास बहरोड़ व कोट कासिम आदि 30 गाँव ईनाम के रूप में दिए।

बीकानेर

महाराजा बीकानेर ने जिला हिसार, हाँसी व सिरसा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सैनिक सहायता भेजी जिसमें 675 सैनिक हाँसी जिले के रोहनात, मंगाली, जमालपुर व तोशाम इत्यादि गाँवों में विद्रोह को दबाने के लिए भेजे। 800 सैनिक व घुड़सवार सिरसा में विद्रोह को दबाने के लिए भेजे, 1500 सैनिक जिनमें घुड़सवार भी थे और 4 तोपें हिसार की सुरक्षा के लिए भेजी जिनमें से 300 वहीं मारे गए। इसके अतिरिक्त कई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। और राजगढ़ में हरियाणा से भागे हुए यूरोपियनों को शरण दी। इस सहायता के फलस्वरूप अंग्रेजों ने महाराजा बीकानेर को 50 गाँव जिला हिसार व सिरसा में देने की तजवीज की।

कलसिया

सरदार शोभा सिंह जो 1817 में गद्दी पर बैठा वह कुछ समय तक पटियाला के राजा कर्म सिंह के संरक्षण में रहा था। शोभा सिंह ने 1858 तक गद्दी को संभाला। विद्रोह के दौरान वह अंग्रेजों का स्वामिभक्त रहा। उसने अंग्रेजों को 100 फौजियों की टुकड़ी दी जिसने अवध में अंग्रेजों की सहायता की। उसने दिल्ली से ऊपर के यमुना के घाटों की रक्षा करने में सहायता की। कालका, अम्बाला व फिरोजपुर के बीच की सड़क पर गश्त लगाकर चौकसी की और दादुपुर में एक पुलिस चौकी स्थापित की। अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्ति का उसे 1862 में यह ईनाम मिला कि उनके निःसंतान होने पर भी वे अपना उत्तराधिकारी गोद ले सकते थे।

बुरिया

बुरिया के राजा सरदार जीवन सिंह भी अंग्रेजों के स्वामिभक्त रहे।

कुंजपुरा

कुंजपुरा के नवाब अहमद अली ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की धन और सेना देकर सहायता की।

करनाल

करनाल के नवाब अली खाँ ने अंग्रेजों का साथ दिया । उसने धन तथा सेना भेजकर उनकी सहायता की और यूरोपियनों को संरक्षण दिया ।

इसके अतिरिक्त अरनौली के भाई जसमेर सिंह व अनोखा सिंह, शाहबाद के सरदार प्रताप सिंह, किशन सिंह व धर्मसिंह, झारनौली के सरदार जवाला सिंह, शामगढ़ के सरदार रामसिंह व खान सिंह, पानीपत के नवाब अमन उसमान उल अंसारी,

शहजादपुर के जीवन सिंह व मुस्तफाबाद के सरदार रतन सिंह भी अंग्रेजों के वफादार रहे। अंग्रेजों ने इनको ईनाम दिए और इनकी फौजें अंग्रेजों के नियन्त्रण में रही।

पटौदी

1857 के विद्रोह में पटौदी के नवाब अकबर अली ने अंग्रेजों की सहायता की। यद्यपि उसने बहादुरशाह को कई पत्र लिखे, जिनके द्वारा उसने मुगल सम्राट को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिलाया। परन्तु यह आश्वासन केवल पत्रों तक ही सीमित रहा। वास्तव में अंग्रेजों के विरुद्ध सिर उठाने का उसमें साहस ही नहीं था। इसी कारण से अंग्रेजों ने उसे दिल्ली कमिश्नर के अधीन वैसे ही छोड़ दिया और जनक्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ देने के फलस्वरूप उसे शेरपुर व जाटौली दो गाँव ईनाम में दिए।

दुजाना

दुजाना स्टेट हरियाणा की एक छोटी सी रियासत थी। 4 मई, 1806 में भरतपुर की लड़ाई में अंग्रेजों की सहायता के फलस्वरूप जार्ज थॉमस ने अब्दुल समद खॉं को दो इलाके ईनाम के रूप में दिए। उसकी 1825 में मृत्यु हो गई और 1826 में उसके छोटे बेटे मुहम्मद दिन्दे खाँ ने गद्दी संभाली और 1850 तक वह गद्दी पर रहा। वह अपने समय का बड़ा अच्छा शासक था। उसके बाद नवाब हसन अली गद्दी पर बैठा। वह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का पक्का स्वामिभक्त रहा और आन्दोलन से उसने अपने राज्य व खजाने को बचाए रखा। उसने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने उसे रिवाड़ी तहसील के गॉव बेरली व चौकी ईनाम के रूप में दिए।

लोहारू

नवाब अमीनउद्दीन और जियाउद्दीन हमेशा अंग्रेजों के वफादार रहे। नवाब अमीनउद्दीन को हमेशा अपने स्थानीय अधिकारियों द्वारा अंग्रेजों के पिट्ठू के रूप में देखा जाता रहा। बचपन से ही उसे लेडी काल बुक द्वारा पढ़ाया व पाला गया और वह हमेशा अंग्रेजी समाज और उनकी तहज़ीब से प्रभावित रहा। जब अंग्रेजी सेनाएँ दिल्ली के पास पहुँची तो उसने सी०टी० मेटकाफ से कैम्प में ही पत्राचार शुरू कर दिया। कई बार उसने उसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी। उसका भाई जियाउद्दीन अंग्रेजों का उतना भक्त नहीं था परन्तु उन दोनों भाईयों के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध होने के कोई सबूत नहीं मिले सिवाय इसके कि वे कुछ अवसरों पर राजा के दरबार में उपस्थित हुए थे। परन्तु 1857 में दिल्ली में उसके निवास ने नवाब को बड़ा घाटा पहुंचाया। उसका कोष व अन्य चल सम्पत्ति लूट ली गई। इसके अतिरिक्त लोहारू के विद्रोही इतने ताकतवर थे कि ब्रिटिश सेना की मदद से ही नवाब ने अपना प्रभुत्व

पुन: कायम किया। विद्रोह के पश्चात् नवाब अमीनउद्दीन को मेरठ, अम्बाला और लोहारू में वाईस रीगल दरबारों में आमन्त्रित किया जाता रहा।

इन रियासतों व जागीरदारों ने अपनी ही मातृभूमि पर एक विदेशी सत्ता के लिए लड़ाइयाँ लड़ीं और इन्हीं भारतीयों ने जब अंग्रेजी सत्ता भारत से समाप्त हो रही थी और उन्हें सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी तब उन्हें अपने घरों में, खेतों व बगीचों में छुपा कर रखा और महीनों तक उनका मलमूत्र भी उठाया। जब विद्रोह दब गया तो उन्होंने अपने पास रखे हुए अंग्रेजों को रथ या बहलों में बिठाकर दिल्ली पहुँचाया और जिनको रथ या बहल नहीं मिली उनको बैलगाड़ियों में बाजरे व ज्वार की पुलियों के बीच में अंग्रेजों को छुपाकर दिल्ली पहुँचाया। यहाँ तक कि अंग्रेजों का पत्रव्यवहार भी गुप्त रूप से भारतीयों द्वारा ही किया जाता था और क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ भी, भारतीय ही अंग्रेजों तक पहुँचाते रहे। इस कारण से ही अंग्रेजों ने भारत पर पुन: अधिकार किया और उसके बाद 90 वर्ष तक इन देशद्रोहियों के कारण ही 5 हजार मील दूर से आए हुए इन मुट्ठीभर अंग्रेजों ने देश को गुलाम रखा। क्रान्ति के विफल होने के बाद जिन लोगों ने अंग्रेज सरकार की सहायता की थी उनको ईनाम के रूप में जमीनें, नकद राशि व तीन-तीन पीढ़ियों तक पैंशन उपहार स्वरूप दी गई।

विद्रोह के दौरान का कुछ महत्त्वपूर्ण पत्राचार

नं० 59 संदर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

विदेश विभाग, फोर्ट विलियम

सेवा में,

कोर्ट आफ़ डायरेक्टर्ज, ईस्ट इण्डिया कम्पनी उक्त पत्र के कुछ अंश:-

कमिश्नर अम्बाला ने रिपोर्ट दी है कि कलसिया रियासत के मुखिया सरदार शोभा सिंह फरवरी,1858 में स्वर्ग सिधार गये और यह सिफारिश की है कि मृतक के पुत्र सरदार लहना सिंह को उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाये। लहना सिंह और उसके पिता दोनों अंग्रेज सरकार के स्वामिभक्त रहे हैं और कमिश्नर की सिफारिश अनुसार चीफ कमिश्नर ने लहना सिंह को कलसिया रियासत का उत्तराधिकारी स्वीकृत कर दिया है। कमिश्नर अम्बाला मिस्टर बारनेस को बिट्रिश सरकार की

तरफ से खिल्लत देने के लिए अधिकृत किया। उच्च सरकार से भी लहना सिंह को मान्यता मिल गई है।

फोर्ट विलियम
23 अक्तूबर 1858

हस्ता०/-

न० 163-164

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

प्रेषक:

चीफ आफ पटौदी तथा अवर सचिव,
भारत सरकार।

सेवा में.

कमिश्नर दिल्ली
13 अक्तूबर, 1857

उक्त पत्र अनुसार नवाब पटौदी को दो गाँव जाटौली और शेरपुर दिये गये।

हस्ता०/-

निष्कर्ष

1857 का विप्लव पुराने रूढ़िवादी भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध अन्तिम प्रहार था। रूढ़िवादी भारतीय राजतंत्रों के अधीन एकाकी जीवन व्यतीत करने की आशा रखते थे। परन्तु पहले तो उनके एकान्तवास पर पश्चिमीकरण के खतरे की घंटी बजी, फिर राजतन्त्रों के ब्रिटिश साम्राज्यवाद में विलिनीकरण ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया। पुराना समाज इन नए आविष्कारों व नई संस्थाओं को सहन नहीं कर सका। भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि ये नए आविष्कार उनकी पुरानी संस्थाओं, परम्पराओं व विश्वासों को नष्ट कर देंगे। जिन श्रेणियों ने फौज के विद्रोह को समर्थन दिया, ये श्रेणियाँ वे थीं जिनका अंग्रेजी राज से नुकसान हुआ था। नये वर्ग जो पश्चिमी सभ्यता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए थे, वे न केवल विद्रोह के दौरान शान्त व तटस्थ रहे बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की। अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। भारतीयों की आहत भावनाओं को शान्त करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 की घोषणा द्वारा कम्पनी का शासन समाप्त कर दिया। बोर्ड आफ कन्ट्रोल व बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज से सभी शक्तियां छीन कर इंगलैंड के शासक व वहाँ की पार्लियामैंट ने ले ली। भारत के शासन को चलाने के लिए भारत सचिव नियुक्त कर दिया जो अंग्रेजी मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था। 1 नवम्बर 1858 को भारत के नरेशों और भारत की प्रजा के नाम महारानी विक्टोरिया का यह ऐलान भारत भर में प्रकाशित किया गया। उस समय लार्ड कैनिंग इलाहाबाद में था। उसने स्वयं द्वारागंज के निकट किले के नीचे यह एलान हजारों लोगों को पढ़ कर सुनाया। इस ऐलान में विक्टोरिया की तरफ से भारतवासियों को सूचना दी कि:-

"कम्पनी का राज अब से समाप्त हुआ और उसके स्थान पर भारत के शासन की बागडोर हमने (अर्थात महारानी विक्टोरिया ने)अपने हाथों में ले ली है। सिवाय उन लोगों के, जो हमारी अंग्रेजी प्रजा की हत्या में भाग लेने के अपराधी है, बाकी जो लोग भी हथियार रख देंगे, उन सब को माफ कर दिया जायेगा, हिन्दुस्तानियों की गोद लेने की प्रथा जायज समझी जायेगी और दत्तक पुत्रों को पिता की जायदाद और गद्दी का मालिक माना जायेगा; किसी के धार्मिक विश्वासों या धार्मिक रीति-रिवाजों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, देशी राजाओं के साथ कम्पनी ने इस समय तक जितनी सन्धियाँ की हैं, उन सब शर्तों का ईमानदारी के साथ पालन किया जायेगा इसके बाद किसी भारतीय नरेश की रियासत या उसका कोई अधिकार नहीं छीना जायेगा, सब भारतवासियों के साथ ठीक उसी तरह का व्यवहार किया जायेगा जिस तरह का अंग्रेजों के साथ इत्यादि इत्यादि"।

भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चले जाने के साथ ही भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि में भी परिवर्तन कर दिया गया। अपने अधीन प्रान्तों में तो वह गवर्नर जनरल ही कहलाता था परन्तु भारतीय राजाओं तथा नवाबों के साथ अपने सम्बन्धों में उसे वायसराय कहा जाने लगा। भारतीयों को बिना किसी जाति और रंगभेद के उच्च पदों पर नियुक्त करने का वचन भी दिया गया। परन्तु वास्तव में हुआ इसके विपरीत। किसी एक वचन को भी पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया गया। आश्वासन के बावजूद ऊपरी बर्मा व बरार आदि स्थानों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। भारतीय शासकों को लगातार कमजोर किया गया। उनके आन्तरिक मामलों में जानबूझ कर दखल दिया गया। भारतीयों और यूरोपियनों की बराबरी के वचन को भी तोड़ने का प्रयत्न किया गया। वर्नाकुलर प्रैस एक्ट और इल्बर्ट बिल के विवाद इसके उदाहरण थे। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का आश्वासन भी तब खोखला सिद्ध हुआ जब श्री सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी के आई० सी० एस० की परीक्षा पास कर लेने पर भी उसे उच्च पद पर लगाने से इन्कार कर दिया।

1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में हरियाणा प्रदेश का सक्रिय योगदान रहा। इस वीर वसुन्धरा के रणबांकुरों ने जय जवान व जय किसान की भूमिका एक साथ निभाई। स्वाधीनता की सुरक्षा हेतु एक हाथ में हल तथा दूसरे हाथ में हथियार पकड कर इस भूमि के वीर बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में यहाँ की 36 बिरादरियों ने ब्रिटिश शासन पर न केवल अंकुश लगाया अपितु उनके शासन को जड़ से उखाड फैंकने में सक्रिय सांझेदारी निभाई। हरियाणा में ब्रिटिश शासन को विरोध ही नहीं सहना पडा अपितु अनेक मोर्चों पर मात भी खानी पड़ी।

1857 की घटनाओं का हरियाणा पर काफी गहरा असर पडा। फरवरी 1858 से पूर्व वर्तमान हरियाणा राज्य का समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रान्त के साथ सम्मिलित था। 1857 के विद्रोह के समय यहाँ जो कुछ हुआ, उससे ब्रिटिश प्रशासक बहुत चिन्तित थे। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से दण्ड देने के लिए इस वीर भूमि को खण्डित करने की सोची। फलस्वरूप पंजाब के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर जान लारेन्स ने हरियाणा प्रदेश को कई खण्डों में विभक्त कर दिया। इसके कुछ भाग दिल्ली मण्डल को, अम्बाला, हिसार, करनाल आदि पंजाब को और कुछ भाग उन देशी रजवाड़ों को सौंप दिये जिन्होंने युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता की थी।

यही नहीं 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक भी हरियाणा वासियों को इसकी सजा मिलती रही। सरकारी नौकरियों के द्वार उनके लिए बन्द हो गए। नहरें, सडकें, बिजली और स्वास्थ्य सेवायें आदि नहीं के समान दी गई। शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछ्ड़ा रहा।

परिणामस्वरूप विकास कार्य एकदम ठप्प हो गया। जिसके कारण हरियाणा के जन-जीवन में आज भी कहीं-कहीं पिछड़ा पन देखा जा सकता है। यही कारण था कि हरियाणा क्षेत्र सभी प्रकार से उपेक्षित रहा।

कुछ देशी रियासतों ने दोहरी नीति अपना रखी थी। एक तरफ वे हिन्दुस्तान के बादशाह बहादुरशाह ज़फर को सहायता देने का आश्वासन देते रहे और दूसरी तरफ चुप-चाप अंग्रेजों की सहायता करते रहे। कुछ एक शुरू में अंग्रेजों का साथ देते रहे लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया, जिस कारण उन्हें फाँसी के फंदों पर लटका दिया गया।

भले ही यह क्रान्ति असफल हो गई लेकिन इस क्रान्ति का दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि इसमें अनेक भारतीय नेताओं द्वारा दी गई कुर्बानियों ने भारत में राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा और आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरित हुई। उदाहरण के लिए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का संगठन किया और साप्ताहिक पत्र "गदर" का प्रकाशन किया जो उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी और पंजाबी इत्यादि भाषाओं में छपता था। वीर सावरकर जैसे नेताओं को भी यह क्रान्ति भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ने व कुर्बानी देने के लिए प्रेरित व प्रभावित करती रही।

1885 के बाद स्वतन्त्रता आन्दोलन की बागडोर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त या पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित लोगों ने सम्भाल ली और आन्दोलन भी पश्चिमी तर्ज पर शुरू कर दिया। 1857 से लेकर 1919 तक सामूहिक तौर पर भारत के अन्दर कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने सिर उठाया तो उसको वहीं समाप्त कर दिया गया। सन् 1919 में रौलेट एक्ट के विरोध से लेकर 1946 तक अखिल भारतीय कांग्रेस ने लोगों में 27 साल तक जागृति पैदा की और महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि नेताओं से प्रेरित होकर देश के लाखों लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और श्री राम प्रसाद बिसमिल, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगड़ा, उधम सिंह, बहन प्रीति लता बादेदार जैसे हजारों क्रान्तिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर किए । 1942 से 1945 तक बाबू रास बिहारी बोस व सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में पूर्वी एशिया में आजाद हिन्द फौज द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लाखों लोगों ने युद्ध किया और हज़ारों लोग भारत भूमि के लिए शहीद हुए जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त, 1947 को 1857 के ठीक 90 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त हो गया।

शहीदों की सूची

पानीपत जिले के क्रान्तिकारी जिनको फाँसी दी गई ।

क्र०सं	विद्रोही का नाम	जाति	पता	सजा
1.	किशन	जाट	पिनाना, जिला पानीपत परगना सोनीपत	आयुक्त के पत्र क्रमांक 30. 3.12.1857 को फाँसी दी गई ।
2.	बिरजा	सम	मौजा शामडी	कमिश्नर के पत्र क्रमांक 31. 3.12.1857 को फाँसी दी गई
3.	हर सहाय	सम	सम	सम
4.	सिंह राम	सम	सम	सम
5.	बहादुर	सम	सम	सम
6	हरि राम	ब्राह्मण	सम	सम
7.	हरकू	सम	सम	सम
8.	लीगर	जाट	सम	सम
9	जमुना	सम	सम	सम
10.	धुमी	सम	सम	सम
11.	हर दयाल	सम	सम	सम
12.	राम रिख लम्बरदार	सम	सम	सम

रोहतक जिले के 1857 के क्रान्तिकारियों की सूची, जिनको फाँसी दी गई या गोली से मारे गये।

क्र०स०	नाम	गाँव व जिला	जाति	सजा जो दी गई
1	2	3	4	5
1.	बूही	खिड़वाली	शेख	फाँसी
2.	लालु	सम	बाल्मिकी	सम
3.	त्रिखा	सम	सम	सम
4.	मोहमा	सम	शेख	सम
5.	मस्ता	सम	कोबलर	सम
6.	जुल्फी	सम	सम	सम
7.	रामबक्श	सम	सुनार	सम
8.	बेंगा	सम	बाल्मिकी	सम
9.	इदूल	सम	कोबलर	सम
10.	काला	सम	बाल्मिकी	सम
11.	गोहर	सम	नीलगर	सम
12.	सायर	सम	बाल्मिकी	सम
13.	सुनाकी	सम	सम	सम
14.	मुप्पी ओला	- रोहतक	पठान	सम
15.	अब्दुला	महम	शेख	सम
16.	अमरीरऊल्ला	सम	सम	सम
17.	जागू	- रोहतक	रांगड़	सम
18.	गुलाम हुसैन	- सम	सुनार	सम
19.	लाहीया	- सम	कसाई	सम
20.	सफल रहमान	महम	शेख	सम
21.	करीमा बक्श	सम	मुगल	सम
22.	मकबूल	सम	शेख	सम
23.	मीर खान	सम	रांगड़	सम

1	2	3	4	5
24.	रमज़ान खान	महम	मुगल	फाँसी
25.	अमीर अली	सम	सैयद	सम
26.	फारूख अली	सम	सम	सम
27.	मक्खन	भालोट	धानक	सम
28.	गिरीराज	बिधलान	जाट	सम
29.	मेहर चन्द	सम	सम	सम
30.	गंगा राम	खाण्डा	सम	सम
31.	कासीम अली	कलानौर	रांगड़	सम
32.	गफुर खान	काहनौर	सम	सम
33.	जवाहर	किलोई	जाट	सम
34.	राम कला	सम	सम	सम
35.	अजरूहदीन	भालोठ	शेख	सम
36.	मोहम्मद सैयद खान	सम	सम	सम
37.	अहमद अली	सम	सम	सम
38.	मोहम्मद हमीद खान	सम	सम	सम
39.	मोहम्मद नसीन खान	सम	सम	सम
40.	महबूब ऊल्ला खान	सम	सम	सम
41.	मीर रहमत अली	सम	सम	सम
42.	मुख्तयार खान	सम	सम	सम
43.	अब्दुल बेग सोबर	सम	सम	सम
44.	रहमत ऊल्ली	- रोहतक	कसाई	सम
45.	महमूद	- सम	रांगड़	सम
46.	झुण्डा	सम	सम	सम
47.	जसना	सम	कसाई	सम
48.	बुद्धू	सम	सम	सम
49.	निज्जुतूदीन	सम	शेख	सम
50.	खुदा बक्श	बैंसी	रांगड़	सम

1	2	3	4	5
51.	मुज्जहर अली	रोहतक	शेख	फाँसी
52.	गुल्लाहा	सम	जाट	सम
53	प्यारा	सम	रांगड	सम
54.	हैदर	सम	शेख	सम
55.	अली बक्श	सम	सम	सम
56	साबर अली	सम	सम	सम
57.	खुदा बख्श अली	सम	कसाई	सम
58.	तोरी बक्श खान	सम	मुसलमान	सम
59.	शाहबाज खान	सम	सम	सम
60.	अमानत खान	–	सम	सम
61.	खिलयन सिंह	–	हिन्दू	सम
62.	मातादी	–	सम	सम
63.	भीक सिंह	–	सम	सम
64.	पूरन सिंह	–	सम	सम
65.	जवाला	कांटी	सम	सम
66.	शेख़ महदूं	झज्जर	मुसलमान	सम
67.	अजीम खान	बहादुरगढ़	सम	सम
68.	अलीयार खान	सम	सम	सम
69.	मुगल	सम	सम	सम
70.	अमन अली खान	सम	सम	सम
71.	महबूब खान	सम	सम	सम
72.	घोष मुहम्मद खान	सम	सम	सम
73.	जवाहर खान	सम	सम	सम
74.	सैद्दूला खान	सम	सम	सम
75	हिम्मत	झज्जर	सम	सम
76.	पूरदील खान	कानौद	सम	सम
77.	जूम्मल मुहम्मुदीन	सम	सम	सम
78.	रमज्जू	सम	सम	सम

1	2	3	4	5
79.	सुमन मोहमुदीन	कानौद	मुसलमान	फाँसी
80.	करीम मोहमुदीन	सम	सम	सम
81.	नानू गाजी सोवर	सम	सम	सम
82	क़ादी गाजी सोवर	सम	सम	सम
83.	बग्गा खान मोहमुदीन	सम	सम	सम
84.	सुब्बदूल खान	सम	सम	सम
85.	तिब्बार खान	सम	सम	सम
86.	दुग्गल खान	सम	सम	सम
87.	बाज खान मोहमुदीन	दुजाना	सम	सम
88.	शाहबाज खान	कानौद	सम	सम
89.	जसवन्त खान	दुजाना	सम	सम
90.	फयाज मोहमद खान	कानौद	सम	सम
91.	शाल्लुत खान	सम	सम	सम
92.	दुलेल खान	सम	सम	सम
93.	सादूर खान	सम	सम	सम
94.	हशू नाथ खान	सम	सम	सम
95	सिकन्दर खान	सम	सम	सम
96	रहमत	सम	सम	सम
97.	गुलाब खान	सम	सम	सम
98.	कुरूम खान	सम	सम	सम
99.	शेख कालू	भटगांव	सम	सम
100.	काले खान	सम	सम	सम
101.	गुलाम रसूल खान	बिजनौर	सम	सम
102.	अफजल खान	नारनौल	सम	सम
103.	मुसरीफ खान	सम	सम	सम
104.	ख्वाज बक्श	सम	सम	सम
105.	सज्जु सिंह	दादरी	हिन्दू	सम

1	2	3	4	5
106.	दूदेह खान	झज्जर	मुसलमान	फाँसी
107.	वाहीद खान	सम	सम	सम
108.	कोशनाक	सम	सम	सम
109.	अमीर खान	सम	सम	सम
110.	नजब अली	सम	सम	सम
111.	बाजा खान	कानौद	सम	सम
112.	नानक	सम	हिन्दू	सम
113.	फयाज खान	सम	मुसलमान	सम
114.	फजल खान	झज्जर	सम	सम
115.	अमानत खान	सम	सम	सम
116.	अहमद बक्श	सम	सम	सम
117.	खुदा बक्श	सम	सम	सम
118.	साहब बक्श	सम	सम	सम
119.	रणजीत खान	सम	सम	सम
120.	मसीता मोहम्मडन	सम	सम	सम
121.	दिलशेर खान	सम	सम	सम
122.	ऊजीमुद्दीन	सम	सम	सम
123.	कमदेर खान	सम	सम	सम
124.	हरशाहर इब्राहिम	सम	सम	सम
125.	मूर्तिजब्ली	नारनौल	सम	सम
126.	बजीऊदीन खां	झज्जर	सम	सम
127.	अजीम खान	रिवाड़ी	सम	सम
128.	शेर खान	सम	सम	सम
129.	करीम खान शावर	सम	सम	सम
130.	सिताब खान	सम	सम	सम
131.	मीर खान	सम	सम	सम
132.	अब्दुला	गोहाना	शेख	सम
133.	कल्लू	सोनीपत	सम	सम

1	2	3	4	5
134.	कृष्ण	पिनाना, पानीपत	जाट	फाँसी
135.	बिरजा	शामड़ी, रोहतक	सम	सम
136.	हरी सहाय	सम	सम	सम
137.	सिंह राम	सम	सम	सम
138.	बहादुर	सम	सम	सम
139.	हरकू	सम	सम	सम
140.	घूमी	सम	सम	सम
141.	हरदयाल	सम	सम	सम
142.	रामरिख नम्बरदार	-	सम	सम
143.	हरी राम	शामडी	ब्राह्मण	सम
144.	शाहजहां	पाटौदी	पठान	सम
145.	अफजल	सम	मुसलमान	सम
146.	नौरंग	सम	गुजर	सम
147.	मीरान	सम	जाट	सम
148.	कालू	सम	अहीर	सम
149.	जयमल	सम	जाट	सम
150.	सीज्जत	सम	मुसलमान	सम
151.	नूरबक्श	सम	शेख	सम
152.	जालूम	सम	सम	सम
153	तुल्ला	सम	मुसलमान	सम
154.	रामफल जम्माल	सम	सम	सम
155.	कालू बेग	सम	मुगल	सम
156.	अमीर बेग	- सोनीपत	सम	सम
157.	सफ्फत अली	खेड़ा, पानीपत	मुसलमान	सम
158.	वीगार	शामड़ी	जाट	सम
159.	जमना	सम	सम	सम

गुड़गाँव जिले के क्रान्तिकारियों की सूची जिन्हें 1857 में विद्रोह में भाग लेने के कारण बिना मुकद्दमा चलाये फाँसी दी गई ।

क्र० सं०	विद्रोही का नाम	जाति	गाँव	सजा की तिथि
1	2	3	4	5
1.	राम सुख	बनिया	बादशाहपुर	11 नवम्बर, 1857
2.	बुखता	सम	सम	सम
3.	बिहारी	सम	सम	सम
4.	खोशाली	सम	सम	सम
5.	भागीरथ	जाट	पट्टी	सम
6.	जबरदस्त खान	मेव	खैराती	13 नवम्बर, 1857
7.	घीसा	सम	गुड़गांव	सम
8.	ऊज़ीमूलाह	सम	सम	सम
9.	अहमद बक्श	सम	सोहना	27 नवम्बर, 1857
10.	इमाम अली	सम	सम	सम
11.	शहादत अली	सम	तुर्कियावास	3 दिसम्बर, 1857
12.	इमाम अली द्वितीय	सम	शेरशाह	4 दिसम्बर, 1857
13.	दया राम	जाट	पातली	11 दिसम्बर, 1857
14.	दौला	मेव	पलवल	16 दिसम्बर, 1857
15.	ऊभू	राजपूत	बहरोड़	सम
16.	बहादुर	बिलोच	फरूखनगर	सम
17.	आज़म बेग	मेव	सोहना	21 दिसम्बर, 1857
18.	मोहमद खान	राजपूत	हसनपुर	31 दिसम्बर, 1857
19.	नबी बक्श	सम	पलवल	सम
20.	सधीर द्वितीय	राजपूत	बुलवारी	सम

1	2	3	4	5
21.	ताज़ खान	बिलोच	हसनपुर	2 जनवरी, 1858
22.	जबरदस्त खान	मेव	सम	सम
23.	चाँद खान	सम	सम	सम
24.	रहीम खान	सम	सम	सम
25.	मोहमद	सम	सम	सम
26.	अमानत अली	सम	सुलतानपुर	5 जनवरी, 1858
27.	वज़ीर खान	सम	गड़राना	8 जनवरी, 1858
28.	जफर खान	सम	सम	सम
29.	जमीन अली	सम	सुलतानपुर	सम
30.	महफूज़ अली	सम	सुलतानपुर	सम
31.	गुजनफुर अली	सम	सम	सम
32.	बुन्देह अली	सम	सम	सम
33.	जफर हुसैन	सम	रसूलपुर	सम
34.	इश्तियाक अली	सम	सम	सम
35.	ओनुम अली	सम	सम	सम
36.	होशदार खान	सम	हसनपुर	सम
37.	महबूब बक्श	सम	सम	सम
38.	करीम बक्श	सम	सम	सम
39.	हेतालो	जाट	दिघोट	सम
40.	इमामुदीन	मेव	पलवल	सम
41.	फौजदार खान	सभ	हसनपुर	सम
42.	ऊसालत खान	सम	सम	सम
43.	अकबर खान	सम	सम	सम
44.	आजम बेग	सम	खुजुरका	30 जनवरी, 1858
45.	मुद्दत अली	सम	सोहना	1 फरवरी, 1858
46.	मुलखा	रांगड़	जैसैनी	सम

1	2	3	4	5
47.	बिशम्बर	मेव	नुगली	5 फरवरी, 1858
48.	इलाही बक्श	सम	सम	सम
49.	अनन्ता	सम	सम	सम
50.	लाहरू	सम	सम	सम
51.	लहाना	सम	सम	सम
52.	रूजा द्वितीय	सम	सम	सम
53.	चैना	सम	सम	सम
54.	मंगल	सम	सम	सम
55.	छतक	सम	सम	सम
56.	उसता	सम	सम	सम
57.	बदूल्ला	सम	अज्ञात	सम
58.	इलाही बक्श खान	सम	बादशाहपुर	10 फरवरी, 1858
59.	जत मोहमद	सम	सम	सम
60.	मेदी	सम	सम	सम
61.	इलाही बक्श	सम	सम	सम
62.	अजमेरी	सम	सम	सम
63.	गुलाम नबी	सम	सम	15 दिसम्बर, 1857 को गोली मार दी गई ।
64.	मोहम्मद सईद	सम	सम	सम
65.	मोहम्मद ईसफ	सम	सम	सम
66.	मिरजा प्यारा	सम	सम	सम
67.	मिरजा मोहम्मद बक्श	सम	सम	सम
68.	मिरजा खाबर शिखोह	सम	सम	सम
69.	मिरजा मुकले	सम	सम	सम
70.	मोहम्मद इब्राहिम	सम	सम	सम
71.	अलाऊदीन	सम	सम	सम
72.	गुलाम मोहीउदीन	सम	सम	सम

1	2	3	4	5
73.	उमेद बक्श	मेव	बादशाहपुर	15 दिसम्बर, 1857 को गोली मार दी गई ।
74.	कोकब बक्श	सम	सम	सम
75	कुबीरूदीन	सम	सम	सम
76.	अल्लादाद	सम	सम	सम
77.	मोहम्मद खुसरा	सम	सम	सम
78.	खुरूम बख्त	सम	सम	सम
79.	अली गोहर	सम	सम	सम
80.	मोहम्मद कबीर	सम	सम	सम
81	गिरजा रूमजानी	सम	सम	सम
82.	फएज शाह	सम	सम	सम
83.	मिरजा बुलाकी	सम	सम	सम
84.	मिरजा जुलाली	सम	सम	सम
85.	मिरजा इताबुदीन द्वितीय	सम	सम	सम
86.	उजीजुदीन	सम	सम	सम
87.	शहाबुदीन	सम	सम	सम
88.	मिरजा कूलन	सम	सम	सम
89.	मिरजा छोटे	सम	सम	सम
90.	खोदा बक्श	सम	सम	सम
91.	अली बहादुर	सम	सम	सम
92.	नवाब अहमद मिरजा	सम	सम	सम
93.	नवाब अकबर अली	सम	सम	सम
94.	अमीर खान	सम	सम	सम
95.	नवाब दुले खान	सम	सम	सम
96.	नवाब मुजफर	सम	सम	सम
97.	देस पटटी	सम	सम	सम

1	2	3	4	5
98.	जीत सिंह	मेव	बादशाहपुर	15 दिसम्बर, 1857 को गोली मार दी गई।
99.	हरनाम सिंह	सम	सम	सम
100.	नेहाल सिंह	सम	सम	सम
101.	गुरदयाल सिंह	सम	सम	सम
102.	राम दत	सम	सम	सम
103.	शंकर	सम	सम	सम
104.	भवानी सिंह	सम	सम	सम
105.	सीता राम	सम	सम	सम
106.	लक्ष्मण	सम	सम	सम
107.	इशरी	सम	सम	सम
108.	मालादीन	सम	सम	सम
109.	हरनाम सिंह	संम	सम	सम
110.	रिओरी राम	सम	सम	सम
111.	सुरत सिंह	सम	सम	सम
112.	दुलेल सिंह	सम	सम	सम
113	गोपाल सिंह	सम	सम	सम
114.	कुन्दन सिंह	सम	सम	सम
115.	बहादुर सिंह	सम	सम	सम
116.	नारायण सिंह	सम	सम	सम
117.	करीम बक्श शेख	शेख	बल्लबगढ़	12 फरवरी, 1858
118.	गणेश सिंह	कोवली	रिवाड़ी	सम
119.	भावरा	सम	पहलादपुर	सम
120.	नैन सुख	जाट	सम	सम
121.	शोभा	सम	सम	सम
122.	शहलाज	मेव	बागकली	सम
123.	नत्थू	सम	सम	सम

1	2	3	4	5
124	नानदाह	जाट	पहलादपुर	12 फरवरी, 1858
125.	मेहदूखान	पठान	मदरा	सम
126.	इलाही बक्श	मुसलमान	फरीदाबाद	सम
127.	अली मोहम्मद	सम	सम	सम
128.	खुदा बक्श	मनीकर	सम	सम
129.	फुजले अली	सैयद	गुजरजाटान	सम

गुड़गाँव जिले के 1857 के विद्रोहियों की सूची जिनको 15 अप्रैल 1858 तक फाँसी या गोली की सजा दी गई।

क्र० सं०	विद्रोही का नाम	जाति	गाँव	सजा की तिथि तथा पीठासीन अधिकारी का नाम	सजा का रूप
1	2	3	4	5	6
1.	बख्तावर सिह	जाट	झाड़सा	अक्तूबर, 1857, आई० टी० मैटकाफ	फॉसी
2.	ईलाही बक्श खां	मुसलमान	बादशाहपुर	10 नवम्बर, 1857	शूट किया
3.	जबरदस्त खां	सम	खेड़ा	11 नवम्बर, 1857 विलियम फोर्ड .	फॉसी
4.	गंगा	गूजर	रिठोज	7 दिसम्बर, 1857 विलियम फोर्ड मजिस्ट्रेट	सम
5.	नन्दा	सम	सम	सम	सम
6.	मोहरा	सम	कादरपुर	सम	सम
7.	साहबा	सम	सम	सम	सम
8.	साधू	जाट	एयरवान	सम	सम
9.	मान सिंह	सम	—	8 दिसम्बर, 1857 एम० ला० मजिस्ट्रेट	सम
10.	चेत राम	सम	सम	सम	सम
11.	दूल्ली	सम	सम	सम	सम
12.	तुलरीया	सम	सम	राग	सम
13.	सीया राम	सम	सम	सम	सम
14.	इन्नत अली	मुसलमान	पलवल	सम	सम

1	2	3	4	5	6
15.	न्याबत अली	मूसलमान	पलवल	8 दिसम्बर, 1857 एम० लो मजिस्ट्रेट	फाँसी
16.	रेहम तुल्ला	सम	सम	13 दिसम्बर,1857 एम० ला० मजिस्ट्रेट	सम
17.	शहरूफदीन	सम	सम	सम	सम
18.	अब्बू	राजपूत	बोहडा	16 दिसम्बर, 1857 विलियम फोर्ड, मजिस्ट्रेट	सम
19.	दोवला	मेव	सम	16 जनवरी, 1858 डब्ल्यू फोर्ड	सम
20.	खुशाल	सम	बड़का	6 जनवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
21.	रणबाज़	सम	सम	सम	सम
22.	अमीर	सम	सम	सम	सम
23	ओतीहा	जाट	दीघोट	13 जनवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
24.	कालां	सम	सम	सम	सम
25.	नानू	सम	सम	सम	सम
26.	कालूआ	सम	छज्जू नगर	सम	सम
27.	चेयनाह	सम	सम	सम	सम
28.	बिजेन्द्र	सम	सम	सम	सम
29.	हरदेव	सम	सम	सम	सम
30.	बिरजा	सम	सम	सम	सम
31.	लेखा	सम	सम	सम	सम
32.	दौलत	सम	सम	सम	सम
33	मैनी	मुसलमान	पलवल	16 जनवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
34.	खुदाबक्श	सम	सम	सम	सम
35.	करीम मुल्लाह	सम	सम	सम	सम

1	2	3	4	5	6
36.	सेहमत	मुसलमान	पलवल	16 जनवरी, 1858 विलियम फोर्ड	फाँसी
37.	जीया राम	जाट	कासम	सम	सम
38	अलबेला	राजपूत	सम	सम	सम
39.	उदय चन्द	मेव	बूरका	सम	सम
40.	हस्ती	सम	आकेहडा	22 जनवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
41.	राधा किशन	जाट	होडल	1 जनवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
42	लछमन	सम	गढी बडी	सम	सम
43	राम बक्श	सम	सम	सम	सम
44.	किशन लाल	सम	सम	सम	सम
45.	हरदेव	सम	सम	सम	सम
46	महताब	रांगड़	शाहजानपुर	सम	सम
47.	मलूका	मेव	सुसैनी	सम	सम
48.	रतन सिंह	सम	नागीं	5 फरवरी 1858 विलियम फोर्ड	सम
49.	कल्लू	सम	सम	सम	सम
50.	नासीर	सम	सम	सम	सम
51.	भूल्ला	सम	सम	सम	सम
52	धनवन्त	सम	सम	सम	सम
53.	कहेरा	सम	सम	सम	सम
54.	रूडा	मेव	सम	सम	सम
55.	ईलाही बक्श	सम	सम	सम	सम
56.	खानका	सम	सम	सम	सम
57.	मुखराह	सम	सम	सम	सम

1	2	3	4	5	6
58.	खैराती	मेव	नागी	5 फरवरी, 1858 विलियम फोर्ड	फाँसी
59.	पीरखान	सम	सम	सम	सम
60.	शाहबेग	सम	सम	सम	सम
61.	बुधा	सम	सम	सम	सम
62.	नूरबक्श	सम	सम	सम	सम
63.	रतन	सम	सम	सम	सम
64.	बूहमद	सम	सम	सम	सम
65.	वजीर	सम	सम	सम	सम
66.	लायरों	सम	सम	सम	सम
67.	नव्वी बक्श	सम	सम	सम	सम
68.	इलाई बक्श	सम	सम	सम	सम
69.	कवर चन्द	सम	सम	सम	सम
70.	खुदा बक्श	सम	सम	सम	सम
71.	मटरू	सम	सम	सम	सम
72.	चैना	सम	सम	सम	सम
73.	दूला	सम	सम	सम	सम
74.	रूड़ा	सम	सम	सम	सम
75.	हसना	सम	सम	सम	सम
76.	मुरताज खान	सम	सम	सम	सम
77.	अकबर	सम	सम	सम	सम
78.	रूलला	सम	सम	सम	सम
79.	जन्गू	सम	सम	सम	सम
80.	इमाम बक्श	सम	सम	सम	सम
81.	उज्जीम	सम	नूह	सम	सम
82.	नूदगर	सम	सम	सम	सम

1	2	3	4	5	6
83.	चतरू	मेव	उदबार	5 फरवरी, 1858 विलियम फोर्ड	फाँसी
84.	उस्ता	सम	सम	सम	सम
85.	सामत	सम	तपकान	सम	सम
86.	सुराह	सम	सम	सम	सम
87.	जगरूप	सम	सम	सम	सम
88.	पीरू	सम	सम	सम	सम
89.	नेहदी	सम	सम	सम	सम
90.	दलेल	सम	सम	सम	सम
91.	निज़ामुदीन	सम	रिवाड़ी	11 फरवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
92.	मीर खान	मेव	रायसीना	18 फरवरी, 1858 विलियम फोर्ड	सम
93.	सरूप लाल	बनिया	पलवल	24 मार्च, 1858 विलियम फोर्ड	सम
94.	शेख शादत	मेव	सम	सम	सम
95.	सुलतान खान	सम	रिवाड़ी	सम	सम
96.	धीरू	सम	तुसानी	सम	सम
97.	उल्लेह बक्श	बिलोच	बादशाहपुर	1 अप्रैल, 1858 विलियम फोर्ड	सम
98.	श्योचरण	हिन्दू	तुप्पल	12 अप्रैल, 1858 विलियम फोर्ड	सम
99.	रहीम बक्श	मुसलमान	बादशाहपुर	सम	सम

15 अप्रैल, 1858 तक सजा दिए गए सरकार के अधीन नियुक्त हुए विद्रोहियों की सूची

क्र० सं०	विद्रोही का नाम	जाति	निवास स्थान गाँव जिला	नियुक्ति का विवरण	अपराधी के शस्त्रों सहित या बिना शस्त्रो के पकड़े जाने और किसके द्वारा पकड़ा गया, बारे विवरण	सजा की तिथि और अध्यक्षीय अधिकारी	सजा की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिफत अली	मुसलमान	खोढ़ा ,पानीपत	सीमा शुल्क विभाग में जमादार	पानीपत के दंडाधिकारी द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया ।	30 दिसम्बर,1857 डब्लयू फोर्ड दंडाधिकारी, गुड़गाँव	फाँसी पर लटकाया गया।
2.	कादमा	गूजर	— पानीपत	—	राजपथ डकैती	—	—
3.	गुलामँ असरफ	पठान	— करनाल	—	सम	—	—

उपायुक्त कार्यालय, गुड़गांव
18 मई, 1858

डब्लयू फोर्ड
उपायुक्त

15 अप्रैल, 1858 तक सजा दिए गए विद्रोहियों की सूची

क्र० सं०	विद्रोही का नाम	जाति	निवास स्थान गांव जिला	रेजीमेंट का नम्बर जिसमें सेवारत था	अपराधी के शस्त्रों सहित या बिना शस्त्रो के पकड़े जाने और किसके द्वारा पकड़ा गया बारे विवरण	सजा की तिथि और अध्यक्षीय अधिकारी	सजा की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमद बक्श	मुसलमान	सोहना गुड़गाँव	दूसरी रेजीमेंट ग्वालियर टुकड़ी	तहसीलदार सोहना द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	27 नवम्बर, 1857 डब्लयू फोर्ड दंडाधिकारी	फाँसी पर लटकाया गया।
2.	इमाम अली	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
3.	सादत्त अली	सम	तुर्कियावास सम	चतुर्थ अनियमित घुड़सवार सेना	तहसीलदार रिवाड़ी द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था ।	30 दिसम्बर, 1857 सम	सम
4.	बहादुर	बिलोच	फरूखनगर सम	दूसरी टुकड़ी पंचम अनियमित घुड़सवार सेना	फरूखनगर थानेदार द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था ।	16 दिसम्बर, 1857 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	सम

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अज़म बेग	मुसलमान	सोहना गुड़गाँव	तीसरी रेजीमेंट जी टुकड़ी	तहसीलदार सोहना द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	21 दिसम्बर,1857 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	फाँसी पर लटकाया गया।
6.	मोहम्मद खान	राजपूत	हसनपुर सम	तीसरी रेजीमेंट पी टुकड़ी	तहसीलदार पलबल द्वारा शस्त्रों सहित पकड़ा गया था।	31 दिसम्बर,1857 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	सम
7.	नबी बक्श	मुसलमान	पलवल सम	सम	सम	सम	सम
8.	सिद्धू	राजपूत	बालवाड़ी सम	दूसरी रेजीमेंट पी टुकड़ी	तहसीलदार रिवाड़ी द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	2 जनवरी, 1858 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	सम
9.	ताज खान	बिलोच	हसनपुर सम	पन्द्रहवीं रेजीमेंट पी टुकड़ी	तहसीलदार पलवल द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	सम	सम
10.	जबरदस्त खान	मुसलमान	हसनपुर सम	चतुर्थ अनियमित घुड़सवार सेना	सम	सम	सम

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कुतुबुदीन	मुसलमान	हसनपुर गुड़गाँव	चतुर्थ अनिर्यमित घुड़सवार सेना	तहसीलदार पलवल द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	2 जनवरी,1858 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	फाँसी पर लटकाया गया।
12.	चांद खान	सम	सम सम	पाँचवीं रेजीमेंट पी टुकड़ी	सम	सम	सम
13.	रुस्तम खान	सम	सम सम	चतुर्थ अनियमित घुड़सवार सेना	सम	सम	सम
14.	मोहम्मद खान	सम	सम सम	पन्द्रहवीं रेजीमेंट पी टुकड़ी	सम	सम	सम
15.	अमानत अली	सम	सुलतानपुर सम	पन्द्रहवीं रेजीमेंट जी टुकड़ी	सम	5 जनवरी, 1858 डब्लयू फोर्ड दण्ड़ाधिकारी	सम
16.	जफ़र खान	मुसलमान	गुदराना सम	दूसरी रेजीमेंट पी टुकड़ी	पुन्हाना के तहसीलदार द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	8 जनवरी, 1858 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	सम

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	वजीर खान	मुसलमान	गुदराना गुड़गाँव	दूसरी रेजीमेंट पी टुकड़ी	पुन्हाना के तहसीलदार द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	8 जनवरी, 1858 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	फाँसी पर लटकाया गया।
18.	होशदार खान	सम	हसनपुर सम	प्रथम अनियमित घुड़सवार सेना	तहसीलदार पलवल द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था ।	13 जनवरी, 1858 डब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	सम
19.	महबूब बक्श	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
20.	करीम बक्श	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
21.	जामिन अ़ली	सम	सम सम	जी टुकड़ी	सम	सम	सम
22.	महफूज़ अली	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
23.	गजूफर अली	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
24.	बंदे अली	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
25.	ज़फर हुसैन	सम	रसूलपुर सम	सम	सम	सम	सम

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	इश्तिआक अली	मुसलमान	रसूलपुर गुड़गाँव	जी टुकड़ी	तहसीलदार पलवल द्वारा बिना शस्त्रों के पकड़ा गया था।	13 जनवरी, 1858 ड्ब्लयू फोर्ड दण्डाधिकारी	फाँसी पर लटकाया गया।
27.	अजुम अली	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
28.	ईमामूदीन	सम	पलवल सम	दूसरी अनियमित घुड़सवार सेना	सम	सम	सम
29.	फौजदार खान	सम	हसनपुर सम	प्रथम अनियमित घुड़सवार सेना	सम	सम	सम
30.	असालत खान	सम	सम सम	सम	सम	सम	सम
31.	अकबर खान	सम	सम सम	पन्द्रहवीं अनियमित घुड़सवार सेना	सम	सम	सम

भूमिगत हुए उन क्रान्तिकारियों और विद्रोहियों की सूची, जो पकड़े नहीं गये थे

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव और जिला
1	2	3	4	5
1.	राव तुला राम	राव पूर्ण सिंह	अहीर	परगना रिवाड़ी, गुड़गाँव
2.	सेवा राम	जहरी सिंह	सम	सम
3.	गोपाल देव	नत्थू राम	सम	सम
4.	सिकन्दर खान	अज्ञात	मेव	रायसीना, गुड़गाँव
5.	केवल	सम	जाट	चौन्दहट, गुड़गाँव
6.	श्यो प्रसाद	अज्ञात	बनिया	रिवाड़ी, गुड़गाँव
7.	हुफीजुदीन	सम	मुसलमान	पलवल, गुड़गाँव
8.	मौजीदुदीन	सम	सम	सोहना
9	कबीर खान		सम	नौरंगपुरा
10.	राज खान	—	सम	सौन्धहट, गुड़गाँव
11.	फतेह खान	—	सम	फिरोजपुर झिरका, गुड़गाँव

1	2	3	4	5
12.	मोहमद ईसमाइल	अज्ञात	मुसलमान	फिरोजपुर झिरका, गुड़गाँव
13.	कन्ही राम	सेवा राम	अहीर	मालियावास, गुड़गाँव
14.	रामरतन	जुहेरी सिंह	सम	सम
15.	सादी राम	गुलाब सिंह	सम	सम
16.	हरसहाय	दौलत राम	मुसलमान	मालियावास, गुड़गाँव
17.	राम सुख	जीवा राम	सम	नांगल पठानी, गुड़गाँव
18.	किशन सिंह	सम	सम	सम
19.	रामजी लाल	जीवा राम	अहीर	सम
20.	बृज लाल	नजीब सिंह	सम	लिसान, गुड़गाँव
21.	तारा सिंह	राधाकिशन	सम	सम
22.	छाजू राम	रूप राम	सम	सम
23.	भानु प्रताप	सवाई सिंह	सम	आशियाकी, गुड़गाँव
24.	हरसेवक	सवाई सिंह	अहीर	सम
25.	मान सिंह	भानप्रताप	सम	सम

1	2	3	4	5
26.	बनी राम	किशन सहाय	अहीर	आशियाकी, गुड़गाँव
27.	तुला राम	खुशाल सिंह	सम	सम
28.	सालग राम	खुशाल सिंह	सम	सम
29.	बाल मुकन्द	हुकम सिंह	सम	जैतपुर शेखपुर, गुड़गांव
30.	हीरा सिंह	-	सम	नांगल पठानी, गुड़गाँव
31.	जगत सिंह	कृपा राम	सम	धारूहेड़ा, गुड़गाँव
32.	बलदेव	खुब राम	सम	गुरावरा, गुड़गाँव
33.	दौलत राम	हरि राम	सम	उसादपुर, गुड़गाँव
34.	उमराव सिंह	-	बनिया	रिवाड़ी, गुड़गाँव
35.	बब्बर अली	मुहीब हुसैन	मुसलमान	सम
36	शेख मुराद अली	हिसामुदीन	सम	सम
37.	शादी खान	-	सम	खतौली, गुड़गाँव
38.	मीरजावेद अली	-	सम	शाहपुर पटौदी, गुड़गाँव
39.	असगर अली	बब्बर अली	सम	सम

1	2	3	4	5
40	उमजद अली	अमानत अली	मुसलमान	शाहपुर पटौदी, गुड़गाँव
41.	दौलत राम	भोलू राम	अहीर	लिमोली, गुड़गाँव
42	यूसफ अली	असरफ अली	मुसलमान	शाहपुर पटौदी, गुड़गाँव
43.	अली बक्श	खैरत अली	सम	सम
44.	गुलाब खान	अहमद खान	सम	बादशाहपुर, गुड़गाँव
45.	राम सहाय	दौलत राम	अहीर	सम
46.	बदरूदीन	--	मुसलमान	सम
47.	करीम बंक्श	--	सम	सम
48.	कुदराह	--	सम	बादशाहपुर, गुड़गाँव
49.	मेहराब	--	सम	सम
50.	बोइदी	--	सम	सम
51	हेम करण	रूड़मल	जाट	बोलनी, गुड़गाँव
52	सम्पत सिंह	साधू सिंह	--	आशियाकी, गुड़गाँव
53	राम सहाय	दौलत राम	--	बादशाहपुर, गुड़गाँव

1	2	3	4	5
54.	अमीर अली	—	मुसलमान	बादशाहपुर, गुड़गाँव
55	रूसतम अली	—	सम	सम
56.	हुसैन खान	—	सम	सम
57.	बहादुर खान	—	सम	सम

अंग्रेज परस्तों की सूची

जिन पार्टियों तथा व्यक्तियों ने रोहतक जिले में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करके ईनाम प्राप्त किए, की सूची।

सन्दर्भ: राष्ट्रीय अभिलेखागार, विदेश विभाग, 3 सितम्बर 1858, 1023-25 एफ० सी०

नाम	पता	क्या कार्य किया	ईनाम	विवरण
1	2	3	4	5
दलयी शरलिया जाट देवी सहाय	निवासी बालन्द	इन्होंने हरकोट की पत्नी तथा दो बच्चों को अपने घर रखा और उनको पानीपत तक अपनी गाडी में सुरक्षित पहुँचाया ।	प्रत्येक को 500 रुपये ईनाम दिया गया और जमीन का मालिया जीवन पर्यन्त माफ कर दिया ।	
बोध सिंह, जमना दास विद्यापति गिरधारी रामशरण दास	रोहतक के ब्राह्मण	ये विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को गुप्त सूचना भेजते रहे।	प्रत्येक को 100 रुपये ईनाम दिया गया ।	

1	2	3	4	5
रामशरण दास भगवान दास खुशहाल राय	रोहतक के खत्री	इन्होंने विद्रोह के दौरान उपायुक्त को गुप्त सूचनाएँ भेजी ।	प्रत्येक को 100 रुपये ईनाम दिया गया ।	
चौ० रूसतम अली खान	गोहाना	इसने विद्रोह के दौरान मिस्टर लोच के रोहतक से भागने के बाद, अपने बन्दोबस्त से गोहाना की स्थिति पर काबू किया।	500 रुपये का ईनाम और भादोठी गाँव जागीर के रूप में दिया ।	
चौ० हुसैन अली खाँ	सम	इसने गोहाना में विद्रोह को दबाने में चौ० रूस्तम अली की सहायता की थी।	500 रुपये नकद ईनाम दिया गया।	
हरी प्रसाद, जेल दरोगा और देशी डाक्टर	रोहतक	उपायुक्त रोहतक को उसके रोहतक से भाग जाने तक, उसको रोहतक के आसपास की विद्रोह से सम्बन्धित सूचना देता था ।	300 रुपये की स्थाई जागीर दी गई और उसकी लूटी हुई सम्पत्ति का हर्जाना भी दिया गया।	

1	2	3	4	5
तुलसी राम, नम्बरदार	गोहाना	उपायुक्त रोहतक को उसके रोहतक से भाग जाने तक, उसको रोहतक के आसपास की विद्रोह से सम्बन्धित सूचना देता था ।	100 रुपये की कीमत की एक पगड़ी और ड्रैस दी गई ।	
वज़ीरखान मेहर अली खान मोहम्मद बख्श करीम बख्श	गोहाना के चौधरी	इन्होंने गोहाना में विद्रोह को दबाने में चौ० रूस्तम अली की सहायता की थी।	प्रत्येक को एक-एक पगड़ी ईनाम में दी गई ।	
राम कला, नम्बरदार	खानपुर कलां	यह करनाल और देहली में उपायुक्त, रोहतक मिस्टर लोच के साथ रहा और लड़सौली के तहसीलदार के साथ भी रहा ।	100 रुपये नकद भेंट तथा 25 बीघे ज़मीन जागीर के रूप में दी गई ।	
बस्ती राम, नम्बरदार	बोहर	उसने कर्नल बसैटन के पत्रों का दिल्ली से रोहतक और रोहतक से दिल्ली	200 रुपये ईनाम में दिए गए ।	

1	2	3	4	5
		आदान प्रदान किया, जब हडसन रोहतक आया तब उसकी खुले तौर पर सहायता की ।		
शाहमत खान,	बिश्वेदार मदीना	यह डिप्टी कलैक्टर, गुड़गाँव के साथ था और उसकी चिट्ठी को मुरादाबाद पहुँचने में मदद की ।	50 रुपये नकद ईनाम दिया गया ।	
रामरिछ पाल, ब्रह्मण	झज्जर	उसने मुरादाबाद में गुड़गाँव के कलैक्टर की रक्षा की व उसे झज्जर लाया ।	500 रुपये ईनाम दिया गया और उसको तथा उसके उत्तराधिकारी को 20 रुपये मासिक पैंशन दी गई ।	
मिरजा हुसैन झज्जर के नवाब के तोपखाना का कर्मचारी	सम	जब मौड़ी से डिप्टी कलैक्टर गुड़गाँव आए उसकी सुरक्षा की थी।	700 रुपये नकद ईनाम दिया गया ।	

1	2	3	4	5
ज्वाला सिंह ब्राह्मण, सिकड़ी के बिश्वेदार	कानौद	अंग्रेजों की दो औरतें तथा दो बच्चों को एक महीना बाईस दिन अपने घर में सुरक्षा दी और अंग्रेज़ों को विद्रोह की गुप्त सूचना भी देता रहा ।	300 रुपये सालाना की जागीर दी गई ।	
नौरंग राजपूत	बौन्द खुर्द परगना दादरी	उसने दो अंग्रेज़ों को तीन दिन तक घर रखा तथा उन्हें ब्रिगेडियर शावर के कैम्प में पहुंचाया ।	100 रुपये कीमत की कर रहित ज़मीन दी गई ।	
देवी सिंह पुत्र जवाहर सिंह	महम	यह नम्बरदार है, इसने महम में विद्रोह के दौरान अपनी नम्बरदारी में आने वाले 11 जाटों के साथ मिलकर, अंग्रेजों की सहायता की।	500 रुपये नकद, 56 बीघे ज़मीन ज़ागीर में दी गई ।	
खुबा पुत्र श्री धोकल	सम	धोकल ने अपने बेटे खुबा को अंग्रेज़ों की सहायता के लिए भेजा था ।	300 रुपये नकद तथा 100 बीघे ज़मीन जागीर के रूप मे दी गई ।	

भिवानी जिला हिसार में जिन लोगों ने विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की, उनकी सूची ।

नाम	पता	क्या कार्य किया	ईनाम
1	2	3	4
भगवन्त बाबल हमीरा भोला सुरजीत शेर सिंह शिव धन उमदा मोलड़ हस्ती भोलड़	नम्बरदार, भिवानी	महाजनों को लूट से बचाने के अतिरिक्त इन्होंने भिवानी के नायब तहसीलदार तथा तहसील जमादार की रक्षा की । ये अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त थे ।	प्रत्येक को 40 रुपये खिल्लत (ईनाम) दिया ।
प्रसादी राम रामशरण, गुमाश्ता	रामगढ़	इन्होंने भिवानी में विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों को गुप्त सूचना भेजने का कार्य किया।	प्रत्येक को 50 रुपये का ईनाम दिया गया ।

1	2	3	4
देवशरण तिरखा राम जमना दास गोवर्धन दास केशव राम गुरशरण	भिवानी के महाजन		प्रत्येक को नकद ईनाम दिया गया ।
परस राम	भिवानी	मार्किट को लूटने से बचाया तथा पोस्ट आफिस के इन्सपैक्टर लाला बिन्दा को बचाया। भिवानी के थाना और तहसील को भी बचाने में सहायता की ।	700 रुपये नकद ईनाम दिया गया।

भारतीयों पर दमनचक्र चलाने वाले अंग्रेज अधिकारियों की सूची

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा में फिरंगियों द्वारा चलाए गए दमन-चक्र में जिन अंग्रेज अधिकारियों ने देशभक्तों को फाँसी देने, तोपों से उड़ाने व गाँव के गाँव जला कर, तबाह करने में क्रूरता दिखाई, के नामों की सूचीः-

डेविड आक्टरलोनी, विलियम फ्रेजर, कमाण्डर-इन-चीफ एनसन, ब्रिगेडियर हेलीफेक्स, फोरसिथ, डब्लयू फोर्ड, मेजर ईडन, ब्रिगेडियर शावर्ज, लैफ्टिनैंट रांगटन, ड्रमण्ड, कैप्टन हडसन, मेलकम , लैफ्टिनैंट कर्नल गेरार्ड,,कैप्टन वैलेस, जनरल वान कोर्टलैण्ड, कैप्टन हिलार्ड, कैप्टन पियर्स, कैप्टन मिल्डमे, कैप्टन हयूज, सी०टी० मैटकाफ, कमिश्नर साण्डर्स, लैफ्टिनैंट ग्रेजी, कैनेडी, पियाजे, हैम्फैरेस इत्यादि ।

सन्दर्भ सूची

इस पुस्तक को लिखने के लिए निम्नलिखित स्त्रोतों से सामग्री प्राप्त की गई।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

क्रम संख्या	सन्दर्भ	पृष्ठ नं०
1.	विदेश विभाग, 25 सितम्बर 1857, फा० नं० 56, गोपनीय	1
2.	विदेश विभाग, 25 सितम्बर 1857, 100-103, गोपनीय	43–50
3.	विदेश विभाग, 25 सितम्बर, 1857-63, गोपनीय	1
4.	विदेश विभाग, 30 अक्तूबर,1857, 30-34, गोपनीय	29–35
5.	विदेश विभाग, 30 अक्तूबर, 62 गोपनीय	1
6.	विदेश विभाग, पोलिटीकल डिस्पैच टु कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज नं० 59 दिनाँक 23 अक्तूबर, 1858	525–570
7.	विदेश विभाग, 5 नवम्बर, 1858, 305-308 गोपनीय	6–15
8.	विदेश विभाग, 27 नवम्बर, 1857, 91, गोपनीय	1–2
9.	विदेश विभाग, 26 फरवरी, 1858, 78, पोलिटीकल	1–2
10.	विदेश विभाग, 30 दिसम्बर, 1859 नं० 89-94, पोलिटीकल	1– 4, 22–23
11.	विदेश विभाग, 5 जून 1858 नं० 10, गोपनीय	1–2
12.	विदेश विभाग, 9 जुलाई, 1858 नं० 176-189, पोलिटीकल	9–11, 79
13.	विदेश विभाग, 31 दिसम्बर 1858 नं० 56-57	79, 21, 45–48
14.	विदेश विभाग, 25 मार्च 1859 नं० 295 पोलिटीकल	1
15.	विदेश विभाग, 25 मार्च, 1859, नं० 296 पोलिटीकल	1
16.	विदेश विभाग,18 दिसम्बर 1857 नं० 440-452, गोपनीय	67, 72, 73
17.	विदेश विभाग, डिस्पैच टु सिकरेट कमेटी नं० 51 आफ 1857	3138, 3139
18.	विदेश विभाग, 31 दिसम्बर, 1858 नं० 3183-3188 पोलिटीकल	17

क्रम संख्या	सन्दर्भ	पृष्ठ नं०
19.	विदेश विभाग, 9 फरवरी 1858 नं० 12 गोपनीय	1
20.	विदेश विभाग, 26 मार्च 1858 नं. 2-9 गोपनीय	13–14
21.	विदेश विभाग, 31 दिसम्बर 1858 नं० 1023-25, पोलिटीकल	6–15
22.	विदेश विभाग, पोलिटीकल डिस्पैच फरोम सैक्रेटरी टु स्टेट नं० 37, दिनाँक 9 सितम्बर 1859	559,587
23.	विदेश विभाग, 31 जुलाई 1857 नं० 1-8 गोपनीय	17–24
24.	विदेश विभाग, 30 अक्तूबर 1857 गोपनीय	3951–3953 4056, 4057
25.	विदेश विभाग, 29 जनवरी 1858, नं० 241-46 गोपनीय	59–65
26.	विदेश विभाग, 15 अप्रैल 1859 नं० 437-38 पोलिटीकल	1–4
27.	विदेश विभाग 3 मार्च 1854 नं० 179-182 पोलिटीकल	1
28.	विदेश विभाग, 1 मई 1857 नं० 24-25 पोलिटीकल	6–7
29.	विदेश विभाग, 31 दिसम्बर 1858 न० 3288-3301 पोलिटीकल	1–3
30.	विदेश विभाग, 24 दिसम्बर 1858, न० 410-413 पोलिटीकल	6 ए, 7
31.	विदेश विभाग, 31 जुलाई 1857 नं० 27-29 गोपनीय	25
32.	विदेश विभाग पोलिटीकल डिस्पैच फरोम सैक्रेटरी आफ स्टेट नं० 9 दिनाँक 15 नवम्बर 1858	183–191
33.	विदेश विभाग, पोलिटीकल डिस्पैच फरोम सैक्रेटरी आफ स्टेट नं० 11 दिनाँक 30 नवम्बर 1858	209–217, 220
34.	विदेश विभाग, पोलिटीकल डिस्पैच फरोम सैक्रेटरी आफ स्टेट नं० 1 दिनाँक 13 अक्तूबर 1858	5
35.	विदेश विभाग, 20 अगस्त 1858 नं० 34 पोलिटीकल	1–5
36.	विदेश विभाग, 20 अगस्त 1858 नं० 36 पोलिटीकल	1–4
37.	विदेश विभाग, 20 अगस्त, 1858 नं० 38 पोलिटीकल	1
38.	विदेश विभाग, 31 दिसम्बर 1858 नं० 732-34 पोलिटीकल	1–3

अभिलेखागार विभाग, हरियाणा

1. अम्बाला जिला गजैटियर- 1923-24
2. म्युटिनी रिकार्ड वाल्यूम- 7
3. अम्बाला जिला गजैटियर- 1984
4. गुड़गाँव जिला गजैटियर- 1910
5. म्युटिनी पत्राचार वाल्यूम- 7-II
6. फाइल नं० 10, 1857 — देहली डिविजन, जनरल डिपार्टमैन्ट
7. फाइल नं० 10, 1857 — देहली डिविजन, मिलिट्री डिपार्टमैन्ट
8. फाइल नं० 1, 1858 — देहली डिविजन, मिलिट्री डिपार्टमैन्ट
9. फाइल नं० 3, 1858 — देहली डिविजन, जुडिशियल डिपार्टमैन्ट
10. फाइल नं० 8, 1857 — देहली डिविजन, मिलिट्री डिपार्टमैन्ट
11. गुड़गाँव जिला गजैटियर 1984
12. म्युटिनी पत्राचार वाल्यूम-7
13. हिसार जिला गजैटियर 1883-84
14. करनाल जिला गजैटियर- 1918
15. गजैटियर अनडिवाइडिड पंजाब
16. क्लैक्शन आफ ट्रिटिज, सनदज, इन्गेजमैन्टस वाल्यूम- I
17. जिला रोहतक गजैटियर 1883-84
18. जिला रोहतक गजैटियर 1970
19. म्युटिनी रिकार्ड वाल्यूम- 8
20. लोहारू स्टेट गजैटियर

उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकों का भी सहारा लिया गया।

1. भारत में अंग्रेजी राज — पं० सुन्दर लाल
2. हरियाणा का इतिहास — के० सी० यादव
3. स्वतन्त्रता संग्राम और हरियाणा — देवी शंकर प्रभाकर
4. स्वतन्त्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान — रामसिंह जाखड़

दस्तावेज़ों की सूची

1 10 मई 1857, कार्यालय उपायुक्त अम्बाला से, सर जान० लारेंस मुख्य आयुक्त, पंजाब को भेजा गया टेलीग्राम जिसमें 10 मई की प्रातः 60वीं और 5वीं बटालियन के सिपाहियों द्वारा अम्बाला में किये गये विद्रोह की सूचना दी गई है ।

2 11 मई 1857, का अम्बाला से सभी, स्टेशनों को भेजा गया टेलीग्राम जिसमें मेरठ में विद्रोहियों द्वारा यूरोपियनों के सार्वजनिक रूप से मारे जाने की खबर दी गई है ।

3 2 जून 1857, कैप्टन एच० आर० जेम्स, कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा जी०एफ० एडमन्सटन, सचिव भारत सरकार, विदेश विभाग, रावलपिंडी को लिखा गया पत्र जिसमें विद्रोह की सूचना अंग्रेज अधिकारियों से छुपाने के लिए भारतीय अधिकारियों पर मुकद्दमा चलाये जाने की रिपोर्ट दी गई है।

4 29 जुलाई 1857, का कैप्टन हडसन, द्वारा दिल्ली मोर्चे से, फोरसिथ, उपायुक्त अम्बाला को लिखा गया पत्र जिसमें एक बूढ़ी औरत की वीरगाथा का वर्णन किया गया है ।

5 20 सितम्बर 1857, का मुख्य सचिव, पंजाब द्वारा विदेश विभाग, भारत सरकार को लिखा गया पत्र जिसमें 51वीं इन्फैंट्री के पचास और 60वीं इन्फैंट्री के अम्बाला में 130 विद्रोहियों के मारे जाने की सूचना दी गई है ।

6 2 सितम्बर 1857, का चीफ कमिश्नर पंजाब, लाहौर द्वारा, सचिव, विदेश विभाग, भारत सरकार को लिखा गया पत्र जिसमें 60वीं नेटिव इन्फैंट्री के 130 सैनिकों को भागने की कोशिश में मारने की सूचना दी गई है ।

7 9 फरवरी 1858, का विदेश विभाग, फोर्ट विलियम द्वारा कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज़ की गोपनीय कमेटी को देशी फौजों के विद्रोह से सम्बन्धित लिखा गया पत्र ।

8 23 अक्तूबर 1858, का फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार द्वारा ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज को लिखा गया पत्र जिसमें शिव दयाल को अंग्रेजी सेना की मदद करने के एवज में करनाल डिप्टी कलैक्टर के पद पर पक्का करने व राजस्व कमीशन बढ़ाने की बात कही गई है।

9 29 जून 1857, का कमिश्नर अम्बाला द्वारा जी० एफ० एडमन्सटन, कलकत्ता को लिखा गया पत्र जिसमें कराची से रसद विशेषकर रम, चाय, ब्राण्डी और वाईन के साथ अतिरिक्त फौज भिजवाने की बात कही गई है ।

10 10 अक्तूबर 1857, का चीफ कमिश्नर कार्यालय लाहौर का पत्र जिसमे विद्रोही अहमद अली खाँ को उसके 28 साथियों सहित महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ करनाल जिले से गिरफ्तार करने की बात कही गई है ।

11. 11 अगस्त 1858, का सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त सरकार का पत्र जिसमें जिला गुड़गाँव के मौजा मोहना के खुशहाल, हरदेव और तुलसी राम के दिनाँक 11 अगस्त 1858 के प्रार्थना पत्र (पेटीशन) का अनुवाद सारांश।

12 21 अगस्त 1858, का जनरल आउट्रम, सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त द्वारा एडमन्सटन, सचिव, विदेश विभाग, भारत सरकार को लिखा गया पत्र जिसमें जिला गुड़गाँव मोहना के खुशहाल, हरदेव और तुलसी के प्रार्थना पत्र भेजने की बात कही गई है ।

13 16 नवम्बर 1858, का सी० बी० साण्डर्स, कमिश्नर दिल्ली द्वारा आर० टैम्पल, सचिव चीफ कमिश्नर पंजाब लाहौर को लिखा गया पत्र जिसमें बल्लभगढ़ परगना के गाँव नंगला के जमींदार शालिग और रूपा को दिल्ली विद्रोह के दौरान रेलवे विभाग के यूरोपियन कर्मचारियों को शरण दे कर रक्षा करने बारे ईनाम की सिफारिश की बात कही गई है।

14 13 अक्तूबर 1857, का चीफ आफ पाटौदी एवं अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा कमिश्नर दिल्ली को लिखा गया पत्र जिसमें नवाब पाटौदी को दो गाँव जाटौली और शेरपुर दिये जाने की बात कही गई है ।

15 21 जनवरी 1858, का चीफ कमिश्नर पंजाब को लिखा गया पत्र जिसमें नारनौल में जोधपुर के बागियों और गुड़गाँव में मेव विद्रोहियों का मुकाबला करने वाले अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया है ।

16 9 सितम्बर 1859, फोर्ट विलियम द्वारा इण्डिया आफिस लन्दन को लिखा पत्र जिसमे नवाब झज्जर के इलाके के बागियों द्वारा गुड़गाँव में बगावत फैलाने का समाचार दिल्ली न भेजने व बागियों की मदद करने के कारण नसरूल्ला खँ डिप्टी कलैक्टर गुड़गाँव को डिसमिस किये जाने की बात कही गई है ।

17 12 अगस्त 1857, का जे० डी० मैकफरसन, लैफ्टिनैंट मिलिट्री सैक्रेटरी टू दी चीफ कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को लिखा गया पत्र जिसमें रोहतक के

बागियों द्वारा अंग्रेजी सेना पर ज़ोरदार हमला, रोहतक में बहुत बड़ी बारूद की फैक्ट्री, जिसमें विस्फोट से 500 बागियों के हताहत होने की बात कही गई है।

18 23 अक्तूर 1858, का फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार द्वारा ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज का पत्र जिसमें विद्रोह के दौरान अच्छी सेवाओं के लिए बादली गाँव के उदय राम को 500 रुपये खिल्लत व बादली परगने के धूमन गाँव का आधा राजस्व जीवन पर्यन्त देने की बात कंही गई है ।

19 9 सितम्बर 1859, का इण्डिया आफिस लन्दन द्वारा गर्वनर जनरल, भारत सरकार को लिखा गया पत्र जिसमें रोहतक में विद्रोह के दौरान मारे गये रोहतक के कोतवाल की विधवा को मासिक पैंशन व उसकी पुत्री की शादी के लिए 100 रूपये दहेज स्वीकृत किये जाने की बात कही गई है ।

20 5 जून 1857, का मिस्टर स्मिथ, क्लर्क, कलैक्टर कार्यालय हिसार द्वारा थौर्न हिल, सैक्रेटरी, उत्तर पश्चिमी प्रान्त आगरा को लिखा गया पत्र जिसमें 29 मई 1857 के बाद से हिसार, सिरसा में बागियों द्वारा किये गये विद्रोह का वर्णन व सैनिक सहायता मांगने की बात कही गई है ।

21 2 जून 1857, कैप्टन का एच०आर० जेम्स, कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर पंजाब द्वारा जी०एफ० एडमन्सटन, सचिव भारत सरकार, विदेश विभाग, को लिखा गया पत्र जिसमें दिल्ली के बागियों द्वारा हिसार, हाँसी में भारतीय फौजों और देहातियों को विद्रोह के लिए उकसाने की बात कही गई है।

22 7 जून 1857, का स्मिथ, क्लर्क कलैक्टर आफिस हिसार द्वारा थोर्न हिल, सचिव उत्तर पश्चिमी प्रान्त आगरा, राजगढ़ इलाका बीकानेर को लिखा गया पत्र जिसमें हिसार जिले के गाँव मंगाली, सिवानी, चौधरीवास, सातरोड़ के जाट, रांगड़ व फतेहाबाद परगने के भट्टियों का विद्रोह में मुख्य हाथ होने की बात कही गई है।

23 1 अगस्त 1857, का चीफ कमिश्नर कार्यालय लाहौर द्वारा जे०डी० मैकफरसन, लैफ्टिनैंट कर्नल, मिलिट्री सैक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर को लिखा गया पत्र जिसमें अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 500 सैनिकों को पुलिस डयूटी के लिए हिसार, हाँसी और सिरसा में भेजने की बात कही गई है ।

24 8 अगस्त 1857, का चीफ कमिश्नर कार्यालय लाहौर द्वारा जे० डी० मैकफरसन, लैफ्टिनैंट कर्नल, मिलिट्री सैक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर को लिखा

गया पत्र जिसमें सस्ती रसद जैसे एक रुपये का चना 60 सेर, गेहूं का आटा 26 सेर, घी अढ़ाई सेर बिकने एवं श्रीमती वैडरबर्न के हत्यारे बहादुर खान की गिरफ्तारी की बात की गई है ।

25 14 अगस्त 1857, का चीफ कमिश्नर लाहौर का पत्र जिसमें जनरल वॉन कोर्टलैण्ड द्वारा विद्रोहियों को दबा कर हाँसी और हिसार में कब्ज़ा करने की बात कही गई है ।

26 20 अगस्त 1857, का लैफ्टिनैंट मिल्डमें, असिसटैन्ट एजेंट, गवर्नर-जनरल राजपूताना द्वारा जनरल वॉन कोर्टलैण्ड, कमांडिंग फील्ड फोर्स को लिखा गया पत्र जिसमें नागोरी गेट से हिसार किले पर अंग्रेजों पर किये गये हमले और इसमें 500 विद्रोहियों के मारे जाने की बात कही गई है ।

27 26 अगस्त 1858, का ई०एल० ब्राण्डरथ कमिश्नर तथा अधीक्षक, हिसार डिवीजन द्वारा, सैक्रेटरी चीफ कमिश्नर पंजाब को लिखा पत्र जिसमें हिसार तथा सिरसा जिले के उन चार नम्बरदारों के परिवारों को पैंशन स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया जिन्होंने सरकार की सेवा करते-करते अपनी जानें गवाई।

28 15 सितम्बर 1859, का आर०एस० डेविस, सैक्रेटरी टू पंजाब सरकार द्वारा सैक्रेटरी, भारत सरकार, विदेश विभाग, फोर्ट विलियम, कलकत्ता को लिखा पत्र जिसमें पैंटालिसा के गाँवों को बीकानेर के राजा को देने की बात की गई है।

29 28 अगस्त 1857, चीफ कमिश्नर कार्यालय, लाहौर द्वारा जे०डी० मैकफरसन, लैफ्टिनैंट कर्नल, मिलिट्री सैक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर, भारत सरकार को लिखा पत्र जिसमें 19 अगस्त 1857 को मुहम्मद आज़म के नेतृत्व में विद्रोहियों की अंग्रेजों के साथ हुई भयंकर लड़ाई की बात कही गई है।

30 23 अक्तूबर 1858, का फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार द्वारा ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज को पत्र जिसमें जनक दास फकीर, जिसने यूरोपियन के सिरसा से भागने में मदद की थी, के लिए ईनाम की पेशकश की बात कही गई है ।

31 30 अक्तूबर 1857, का सचिव, चीफ कमिश्नर पंजाब द्वारा फोर्ट विलियम, विदेश विभाग को लिखा गया पत्र जिसमें तोशाम के तहसीलदार और थानेदार के मारे जाने एवं बागी रांगड़ों व विद्रोही सैनिकों के 50 आदमियों के शहीद होने की बात कही गई है ।

32 30 अक्तूबर 1857, फोर्ट विलियम, विदेश विभाग का गोपनीय नं० 2 पत्र जिसमें फिरोजपुर के बागी सैनिकों पर मुकद्दमा चलाने, 13 विद्रोही जवानों को अम्बाला में राजा द्वारा कैद करके सजा देने एवं तोशाम के तहसीलदार और थानेदार के मारे जाने की रिपोर्ट दी गई है ।

33 30 अक्तूबर 1857, फोर्ट विलियम, विदेश विभाग का गोपनीय पत्र जिसमें रानियां के नवाब को फाँसी देने और उसके भतीजे को गिरफ्तार करने की बात कही गई है ।

34 10 जनवरी 1859, का भूतपूर्व सहायक एजेंट, गवर्नर-जनरल राजपूताना द्वारा सचिव भारत सरकार, विदेश विभाग को लिखा पत्र जिसमें महाराजा बीकानेर द्वारा विद्रोह के समय अंग्रेजों को दी गई सहायता का विवरण दिया गया है ।

35 2 जनवरी 1858, का राजा नाहर सिंह को फाँसी की सजा देने और उसकी सम्पत्ति जब्त करने बारे अदालत का फैसला।

36 20 जनवरी 1858 का कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा जी० एफ० एडमन्सटन, सचिव, विदेश विभाग, भारत सरकार, लाहौर को लिखा गया पत्र जिसमें झज्जर नवाब और बल्लभगढ़ के राजा पर मुकद्दमा चला कर फाँसी की सजा देने की बात कही गई है ।

37 20 मार्च 1858, का आफिसर कमांडिंग, दिल्ली द्वारा सैक्रेटरी टू दी चीफ कौंसिल फार दी पंजाब को लिखा पत्र जिसमें राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ को फांसी देने के बाद उनके परिवार को पैंशन देने की बात कही गई है ।

38 9 मार्च 1858, का कार्यवाहक कमिश्नर, दिल्ली द्वारा सैक्रेटरी टू दी चीफ कमिश्नर, पंजाब, लाहौर को लिखा पत्र जिसमें दादरी के नवाब को छोड़ने और नवाब फरूखनगर, झज्जर और राजा नाहर सिंह को फाँसी देने की बात की गई है।

39 11 दिसम्बर 1858, का आर० टैम्पल, सैक्रेटरी चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा सैक्रेटरी, भारत सरकार, विदेश विभाग को लिखा पत्र जिसमें राजा नाहर सिंह, बल्लबगढ़ व नवाब झज्जर की सम्पत्ति जब्त करके बांटने की बात कही गई है।

40 8 अप्रैल 1858, सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त द्वारा एजेंट, लैफ्टिनैंट गवर्नर, दिल्ली को लिखा पत्र जिसमें बल्लबगढ़ के राजा नाहर सिंह से सूचना प्राप्त करने की बात कही गई है ।

41 17 अप्रैल 1858, का सी० बी० साण्डर्स, कार्यवाहक कमिश्नर, दिल्ली द्वारा आर० टैम्पल, सैक्रेटरी चीफ कमिश्नर, पंजाब को लिखा पत्र जिसमें राजा नाहर सिंह पर चलाये गये मुकद्दमे की कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण देने की बात कही गई है ।

42 30 अप्रैल 1858, का आर० टैम्पल, सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा जी० एफ० एडमन्सटन, सचिव, गवर्नर जनरल को लिखा पत्र जिसमें राजा नाहर सिंह के अभियोग की कार्यवाही गवर्नर-जनरल को भेजने की बात की गई है।

43 8 फरवरी 1854, का कार्यवाहक सहायक सचिव, उत्तर पश्चिमी प्रान्त द्वारा कार्यवाहक संचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग, फोर्ट विलियम को लिखा पत्र जिसमें राजा नाहर सिंह द्वारा गर्वनर-जनरल को अपने भतीजे की शादी का निमन्त्रण पत्र भेजने की बात की गई है ।

44 9 अक्तूबर 1857, का ए० ब्राण्डरथ, कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर पंजाब द्वारा जी० एफ० एडमन्सटन, सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग, कलकत्ता को लिखा पत्र जिसमें सम्राट के महल के सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में कहा गया है ।

45 19 अक्तूबर 1857, का सी०बी० साण्डर्स, दिल्ली द्वारा चीफ कमिश्नर लाहौर, तथा कमिश्नर जालन्धर और अम्बाला को भेजा गया टेलीग्राम जिसमें 17 अक्तूबर को छुछकवास के शिकारगाह में झज्जर के नवाब की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है ।

46 22 अक्तूबर 1857, का मिस्टर मयूर द्वारा एडमन्सटन कलकत्ता को भेजा गया टेलीग्राम जिसमें जनरल शावर्स की टुकड़ी द्वारा दादरी पर कब्जा करने और नवाब द्वारा आत्म-समर्पण करने की बात कही गई है।

47 2 दिसम्बर 1857, का कार्यवाहक कमिश्नर एवं असिसटैंट लैफिटनैंट गवर्नर, उत्तर पश्चिमी प्रान्त, दिल्ली द्वारा एडमन्सटन सचिव, भारत सरकार. फोर्ट विलियम को लिखा पत्र जिसमें "फ्रेण्डस आफ इण्डिया" में प्रकाशित लेख की जांच पड़ताल की बात कही गई है ।

48 1 फरवरी 1858, का लैफ्टिनैंट कर्नल आर० सी० लारेंस पोलिटीकल इन्चार्ज झज्जर द्वारा सैक्रेटरी भारत सरकार फोर्ट विलियम को लिखा पत्र जिसमें नवाब झज्जर की चार महिलाओं के सरकारी परनोट की बात कही गई है।

49 18 फरवरी 1858 का कार्यवाहक सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा, सचिव, भारत सरकार, विदेश विभाग लाहौर को लिखा पत्र जिसमें झज्जर के नवाब

की सम्पत्ति व जायदाद की जब्ती से सम्बन्धित पत्र व्यवहार भेजने की बात कही गई है ।

50 23 अक्तूबर 1858, का फोर्ट विलियम, विदेश विभाग, भारत सरकार द्वारा ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज को लिखा पत्र जिसमें रानियां के नवाब नूर समद खाँ के परिवार को दी जाने वाली पैंशन से सम्बन्धित विवरण दिया गया है ।

51 11 अक्तूबर 1858, का आर० टैम्पल, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा जी०एफ० एडमन्सटन, सचिव, भारत सरकार को लिखा पत्र जिसमें बल्लबगढ़ के भूतपूर्व राजा के साले मोहन सिंह के मुकद्दमे से सम्बन्धित दस्तावेज भेजने की बात कही गई है।

52 सचिव, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा सचिव, विदेश विभाग को लिखा पत्र जिसमें माधोपुर में हुई गड़बड़ी और मोहन सिंह के मुकद्दमे से सम्बन्धित रिकार्ड भेजने की बात की गई है ।

53 9 मार्च 1858 का सैक्रेटरी, चीफ कमिश्नर, पंजाब द्वारा सैक्रेटरी भारत सरकार, गवर्नर-जनरल को लिखा पत्र जिसमें बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग खाँ व नवाब दादरी को मिलिट्री कमीशन को सौंपने व विद्रोह में नवाब झज्जर के मददगार होने की बात कही गई है ।

54 18 अक्तूबर 1857, का सी० बी० साण्डर्स द्वारा चीफ कमिश्नर, लाहौर को लिखा पत्र जिसमें 18 अक्तूबर सायं 7 बजे मुगल सम्राट के ताज व हीरे जवाहरात कब्जे में लेने की बात कही गई है ।

55 30 नवम्बर 1858, का इण्डिया हाऊस, लन्दन द्वारा गवर्नर-जनरल, भारत को लिखा पत्र जिसमें विद्रोह के दौरान नवाब दादरी द्वारा मुगल बादशाह की मदद करने और उसकी जागीर जब्त कर महाराजा जीन्द को देने की बात कही गई है ।

56 30 जनवरी 1858, का राव तुलाराम द्वारा कमिश्नर, दिल्ली को लिखा प्रार्थना पत्र।

57 25 फरवरी 1859, का विदेश विभाग, भारत सरकार, फोर्ट विलियम, कलकत्ता द्वारा राजपूताना की स्टेटों के गवर्नर-जनरल के एजेंट को लिखा पत्र जिसमें रिवाड़ी के मुखिया राव तुलाराम बहादुर का फारसी में लिखा माफीनामा (पैटीशन) भेजने और जीवनदान देने की बात कही गई है।

58 7 मार्च 1859, का एजेंट गवर्नर जनरल, राजपूताना द्वारा सचिव भारत सरकार, कैम्प अजमेर को लिखा पत्र जिसमें रिवाड़ी के राव तुलाराम की पैटीशन के मिलने और उसे कमिश्नर दिल्ली को भेजने की बात कही गई है।

59 26 जुलाई 1858, का हेनरी लारेंस, कार्यवाहक एजेंट, गवर्नर-जनरल, राजपूताना द्वारा, एडमन्सटन, सचिव भारत सरकार को लिखा पत्र जिसमें होडल के कस्टम विभाग के डिप्टी कलैक्टर के कार्यालय में तोड़फोड की बात कही गई है ।

60 19 जुलाई 1858, का कार्यवाहक पोलिटीकल एजेंट, भरतपुर द्वारा ब्रिगेडियर जनरल, लारेंस, कार्यवाहक एजेंट, गवर्नर-जनरल, राजपूताना स्टेट, मांऊट आबू को लिखा पत्र जिसमें होडल के कस्टम विभाग के नुकसान से सम्बन्धित बात कही गई है ।

61 4 जून 1858, का कमिश्नर, कस्टम विभाग द्वारा सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू आगरा को लिखा पत्र जिसमें कस्टम विभाग के नुकसान की राशि भरतपुर स्टेट से हर्जाने के रूप में लेने की बात कही गई है।

62 23 अक्तूबर 1858, का विदेश विभाग, फोर्ट विलियम द्वारा कोर्ट आफ डायरेक्टर्ज, ईस्ट-इण्डिया कम्पनी को लिखा पत्र जिसमें लहना सिंह को कलसिया स्टेट के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृत करने की बात कही गई है।